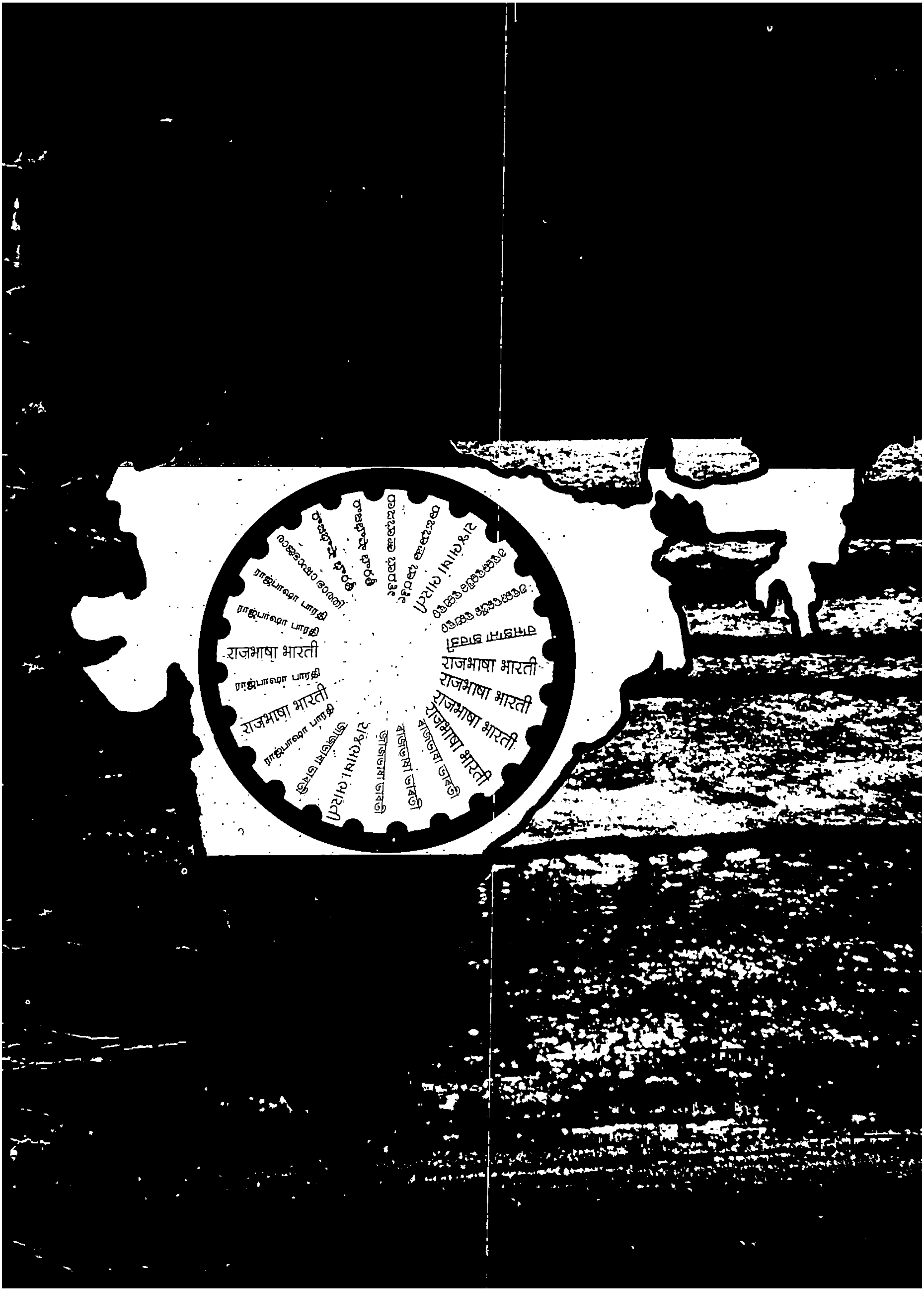
राजभाषा भारती
राजभाषा भारती
राजभाषा भारती
राजभाषा भारती
राजभाषा भारती
राजभाषा भारती
ராஜ்பாஷா பாரதி
ராஜ்பாஷா பாரதி
ராஜ்பாஷா பாரதி
ராஜ்பாஷா பாரதி

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'हिंदी दिवस' समारोह 2011 मंच पर (मध्य में) महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील (बाएं से) सचिव, गृह मंत्रालय श्री आर. के. सिंह, माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री एम. रामचन्द्रन, माननीय गृह मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम (दाएं) डॉ. देवी सिंह शेखावत, माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री जितेन्द्र सिंह तथा श्रीमती वीणा उपाध्याय।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'हिंदी दिवस' समारोह 2011 का उद्घाटन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील।

हिंदी लिखें, हिंदी पढ़ें, आम आदमी से जुड़ें
राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय स्वाभिमान, हिंदी का करें सम्मान

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 34

अंक : 132

अक्तूबर—दिसंबर, 2011

❑ संरक्षक :
ए.एन.पी. सिन्हा, भा.प्र.सेवा
सचिव, राजभाषा विभाग

❑ परामर्शदाता :
डी.के. पाण्डेय
संयुक्त सचिव (रा.भा.-I)
आर.के. कालिया
संयुक्त सचिव (रा.भा.-II)

❑ संपादक :
डॉ. जय प्रकाश कर्दम
निदेशक (अनुसंधान/कार्यान्वयन)
दूरभाष : 011-24643622

❑ सहायक संपादक :
शांति कुमार स्याल
दूरभाष : 011-24698054

❑ निःशुल्क वितरण के लिए :
पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

❑ अपना लेख एवं सुझाव भेजें :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (द्वितीय तल),
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
ईमेल—patrika—ol@.nic.in
पोर्टल—www.rajbhasha.gov.in.

❑ राजभाषा के व्यापक प्रसार हेतु :
सुझाव दें इनाम पाएं

विषय-सूची

		पृष्ठ
❑ संपादकीय		(iii)
❑ चिंतन		
1. राष्ट्रभाषा हिंदी और उसका भविष्य	—डॉ. बालशौरि रेड्डी	1
2. हिंदी के प्रति बढ़ती उदासीनता, कारण और निवारण	—डॉ. परमानंद पांचाल	5
3. हिंदी भाषा की प्रयुक्तियां और कार्यालयी हिंदी	—डॉ. अताउल्लाहखान युसुफजई	8
4. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में हिंदी की प्रासंगिकता	—डॉ. एम. सी. पांडेय	13
5. हिंदी को लुप्त प्रजाति की भाषा होने से बचाओ	—उत्पल बैनर्जी	16
❑ साहित्यिकी		
6. हिंदी में दक्षिण भारतीय साहित्य—अनूदित साहित्य के परिप्रेक्ष्य में	—एन. गुरूमूर्ति	18
7. गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर और गोरा	—चितरंजन लाल 'भारती'	21
❑ तकनीकी		
8. मोबाईल: एक आधुनिक जनसंचार माध्यम	—प्रो. डॉ. तुकाराम दौंड	24
9. तनाव प्रबंधन	—क्षेत्रपाल शर्मा	30
10. मधुमेह (डायबिटीज) रोग की रोकथाम एवं इस पर नियंत्रण	—डॉ. के. सी. गुप्ता	32
11. वित्तीय समावेशन—भविष्य की आवश्यकता	—रवि दिवाकर गिरहे	34
❑ राजभाषा संबंधी गतिविधियां :		
(क) केंद्रीय हिंदी समिति की 30वीं बैठक		40
(ख) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें		41
'ग' क्षेत्र: पावरग्रिड कार्पो. ऑफ इंडिया लि., जम्मू; भारतीय खाद्य निगम कोलकाता; आकाशवाणी कोलकाता;		

'ख' क्षेत्र : आयकर आयुक्त लुधियाना; आयकर आयुक्त पटियाला; कर्षण मशीन कारखाना नाशिक; राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जालन्धर; आकाशवाणी राजकोट;

'क' क्षेत्र : पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर; नागर विमानन प्रशिक्षण कॉलेज, इलाहाबाद; दूरदर्शन केंद्र, पटना; पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर; महालेखाकार, ग्वालियर; सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, कानपुर; कोयला खान भविष्य निधि, रांची; दूरदर्शन, नई दिल्ली; 47

(ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

'ग' क्षेत्र : मंगलूर,

'ख' क्षेत्र : राजकोट, मुंबई (उपक्रम), चण्डीगढ़, दाहोद,

'क' क्षेत्र : सिंगरौली, जोधपुर, फरीदाबाद, छत्तरपुर, भोपाल, गुड़गांव, दिल्ली (बैंक), 53

(घ) कार्यशालाएं

'ग' क्षेत्र : केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, कोलकाता; कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चैन्नई; भारतीय खाद्य निगम, कोलकाता; खादी ग्रामोद्योग आयोग, गुवाहाटी; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर; आकाशवाणी, हैदराबाद; सीमा सुरक्षा बल, जम्मू; भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन; आकाशवाणी, कोलकाता; नराकास, दावणगेरे;

'ख' क्षेत्र : भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा; आकाशवाणी, जालन्धर; केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे; भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक; नाईपर, एस.ए. नगर; दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि., लुधियाना; दूरदर्शन केंद्र, नागपुर; पश्चिम रेलवे, राजकोट;

'क' क्षेत्र : भारतीय दूरसंचार विनियम प्राधिकरण; दूरदर्शन केंद्र, नई दिल्ली; भा.ति.सी.पु.बल, नई दिल्ली; भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा नि.लि., नई दिल्ली; एन.एच.पी.सी.लि., कुल्लू; बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र, बालाघाट; नराकास, फरीदाबाद; 83

(ङ) हिंदी दिवस

'ग' क्षेत्र : आकशवाणी, कटक; मुख्य आयकर, शिलांग; एम.एस.एम.ई. विकास संस्थान, कोलकाता; कर्मचारी राज्य बीमा निगम, तृश्शूर; भा.सं.नि.लि., चैन्नई; भा.स.नि.लि., सेलम; भारतीय खाद्य निगम, कोलकाता;

'ख' क्षेत्र : सेमी कंडक्टर, एस ए एस नगर; भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा; आकाशवाणी, पणजी; आकाशवाणी जालंधर; मध्य रेलवे,पुणे;

'क' क्षेत्र : आकाशवाणी, इंदौर; संसदीय कार्य मंत्रालय; दूरसंचार भोपाल; क्षेत्रीय रेशम उत्पाद अनुसंधान केंद्र, रांची; के.रि.पु.बल, भोपाल; आकाशवाणी, इलाहाबाद; केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली; भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण नि.लि., नई दिल्ली; राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली; सी.एस.आई.आर., नई दिल्ली; पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली; एन.एच.पी.सी.लि., चम्बा; राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; 75

❑ **संगोष्ठी/सम्मेलन**

भारत संचार निगम लि., चैन्नई, राजकोट; नराकास (उपक्रम), वडोदरा; पश्चिम रेलवे, दाहोद; नराकास (बैंक), चण्डीगढ़; राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे; केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रांची; भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून; भारतीय विमानपत्तन लि., रांची; 82

❑ **प्रतियोगिता/पुरस्कार**

सीमा सुरक्षा बल, जम्मू; बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली; एन.एच.पी.सी.लि., फरीदाबाद; राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; 85

❑ **प्रशिक्षण**

एन.एच.पी.सी.लि., बनीखेत; सी.एस.आई.आर., नई दिल्ली; केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली; 87

❑ **आदेश-अनुदेश**

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा की संवर्ग-समीक्षा; सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग के लिए नीति-निर्देश; 91

❑ **विविध**

राजभाषा विभाग–भाषायी कंप्यूटरीकरण; 92

❑ **पाठकों के पत्र**

4354 HA/2011—1B

संपादकीय

देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण औजारों के रूप में कार्य करती है । जनता और सरकारीतंत्र के बीच बेहतर समझ और तालमेल का विकास जनता द्वारा व्यापक स्तर पर प्रयुक्त भाषा के माध्यम से ही संभव होता है । राजभाषा की संकल्पना का आधार भी शायद यही है । इसी आधार पर हमारे देश में हिंदी को संघ सरकार की राजभाषा बनाया गया है । क्योंकि हिंदी देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है । यह देश के अधिकांश लोगों द्वारा पारस्परिक व्यवहार में प्रयुक्त की जाती है । बेशक हिंदी देश की संपर्क भाषा और राजभाषा दोनों हैं, किंतु इन दोनों में अंतर है । संपर्क के लिए संबंधित भाषा में लिखा या पढ़ा जाना आवश्यक नहीं है, केवल बोलचाल के द्वारा कोई भाषा संपर्क भाषा बनी रह सकती है । किंतु राजभाषा के लिए आवश्यक है कि सरकारी कामकाज उस भाषा में किया जाए । यदि संपर्क भाषा ही राजभाषा भी हो तो एक-दूसरे की बात समझने और समझाने के लिए जनता और सरकार दोनों को सहूलियत होती है । इससे सरकार और जनता के बीच परस्पर विश्वास बढ़ता है, जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को मूर्त रूप देने में अत्यंत सहायक होता है । जनता के बीच राजभाषा के प्रति जितनी जागरूकता पैदा होगी सरकारीतंत्र में भी उसके प्रति उतनी संवेदनशीलता बढ़ेगी । इसलिए देश और समाज के व्यापक हित में राजभाषा हिंदी के प्रति जनता और सरकारीतंत्र दोनों को अधिक से अधिक संवेदनशील और सक्रिय बनाए जाने की आवश्यकता है ।

देश में किसी भी मुद्दे पर शुरू होने वाले जन-अभियान या आंदोलन में हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी यह बात देखने को मिली । न केवल अधिकांश वक्ताओं ने अपने भाषण हिंदी में दिए अपितु सरकारीतंत्र के जिन क्षेत्रों में हिंदी लागू नहीं है या कम लागू है उन क्षेत्रों में हिंदी को लागू करने या उसका प्रयोग बढ़ाने की मांग भी कई लोगों द्वारा की गई, जिसमें अन्य के साथ-साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी की पढ़ाई, उच्चतम और उच्च न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं एवं साक्षात्कार हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में कराया जाना शामिल है । राजभाषा हिंदी के प्रति जनता की यह जागरूकता सुखद और उत्साहवर्धक है । इससे सरकारीतंत्र में राजभाषा हिंदी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ने की आशा की जा सकती है ।

राजभाषा भारती के इस अंक को आपके हाथों तक पहुंचाते हुए हार्दिक खुशी हो रही है । पत्रिका का यह अंक विविध प्रकार की सामग्री से परिपूर्ण है । 'चिंतन' खण्ड में बालशौरि रेड्डी द्वारा राजभाषा हिंदी और उसके भविष्य पर गम्भीर चिंतन किया गया है, जबकि डॉ. परमानंद पांचाल ने हिंदी के प्रति बढ़ती उदासीनता पर चिंता व्यक्त करते हुए उसके कारण और

निवारणों पर प्रकाश डाला है । डॉ. अताउल्लाह खान युसुफजई द्वारा हिंदी भाषा की प्रयुक्तियों और कार्यालयी हिंदी की बारीकियों को रेखांकित किया गया है । डॉ. एम. सी. पाण्डेय ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में हिंदी की प्रासंगिकता पर अपने विचार व्यक्त किए हैं । जबकि उत्पल बैनर्जी ने अपने लेख में हिंदी की स्थिति की समीक्षा करते हुए हिंदी को लुप्त प्रजाति की भाषा होने से बचाने की अपील की है । 'साहित्य खण्ड' में एन. गुरुमूर्ति द्वारा अपने लेख में अनुदित साहित्य के परिप्रेक्ष्य में हिंदी में दक्षिण भारतीय साहित्य की स्थिति पर शोधपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । इस वर्ष भारत के नोबल पुरस्कार विजेता व अमर साहित्यकार गुरुदेव रवीद्रनाथ टैगोर की एक सौ पचासवीं जयंती है । 'गोरा' रवीन्द्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध उपन्यास है । राजभाषा भारती परिवार की ओर से गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजली स्वरूप प्रस्तुत अंक में 'गोरा' पर श्री चितरंजन लाल भारती द्वारा लिखित समीक्षात्मक आलेख दिया जा रहा है ।

'तकनीकी खण्ड' के अंतर्गत लेख अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सामयिक विषयों पर केंद्रित है । मोबाइल आज के समय में संचार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम है । प्रो. डॉ. तुकाराम दौड का लेख 'मोबाइल: एक आधुनिक संचार माध्यम' इसी पर केंद्रित है । तनाव मानवीय समाज की एक बड़ी समस्या है । बहुत बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी प्रकार के तनाव से ग्रस्त हैं । तनाव प्रबंधन पर क्षेत्रपाल शर्मा के लेख से पाठकों को इस विषय में महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी मिलेगी । हमारी व्यस्क जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा मधुमेह (डायबिटीज) से ग्रस्त है । यह हमारे सामाजिक स्वास्थ्य के लिए निरंतर चिंता का एक विषय बना हुआ है । डॉ. के. सी. गुप्ता के लेख 'मधुमेह रोग की रोकथाम एवं इस पर नियंत्रण' में मधुमेह से मुक्ति पाने के महत्वपूर्ण उपाय सुझाए गए हैं, जिनसे पाठक-वर्ग निश्चित रूप से लाभान्वित होगा । वित्तीय समावेशन क्या होता है, इस विषय में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी । श्री रवि दिवाकर गिरहे के लेख 'वित्तीय समावेशन: भविष्य की आवश्यकता' में इस विषय पर उपयोगी सूचना दी गई है ।

राजभाषा संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों, कार्यशालाओं तथा हिंदी दिवस/पखवाड़े की रिपोर्ट दी गई हैं । इसी तरह विभिन्न कार्यालयों द्वारा आयोजित की गई संगोष्ठी/सम्मेलनों का विवरण, कार्यालयों द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगिता एवं पुरस्कारों का विवरण, हिंदी भाषा/टंकण/आशुलिपि आदि संबंधी प्रशिक्षण तथा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों का विवरण भी इसके अंतर्गत दिया गया है । राजभाषा भारती के पूर्व प्रकाशित अंक/अंकों में प्रकाशित सामग्री के विषय में पाठकों की प्रतिक्रिया को भी 'पाठकों के पत्र' के अंतर्गत दिया गया है ।

पाठकों के लिए विविध प्रकार की उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है । आशा है पाठकों को यह अंक पसंद आएगा । पत्रिका को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों का स्वागत किया जाएगा ।

—जयप्रकाश कर्दम

चिंतन

राष्ट्रभाषा हिंदी और उसका भविष्य

–डॉ. बालशौरि रेड्डी*

गांधी जी मातृभाषा के प्रबल समर्थक थे। परंतु साथ ही वे विश्व की अन्यान्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने पर भी जोर देते थे। उनका प्रबल विश्वास था कि मातृभाषा के माध्यम से अपने चिंतन का स्पष्ट अभिव्यक्तिकरण हो सकता है, वैसे अन्य भाषाओं के माध्यम से नहीं। भाषाओं के संबंध में समय-समय पर गांधीजी ने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं वे अत्यन्त उल्लेखनीय हैं। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है–युवक और युवतियां अंग्रेजी और दुनिया की दूसरी भाषाएं खूब पढ़ें, लेकिन उनसे मैं आशा करूंगा कि वे अपने ज्ञान का प्रसाद भारत को और सारे संसार को उसी तरह प्रदान करेंगे जैसे बोस, राय और स्वयं कवि रविन्द्रनाथ ने प्रदान किया था।

भारतीय संविधान के रचनाकारों ने संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी निर्धारित की। हिंदी को संविधान में अचानक स्थान प्राप्त नहीं हुआ। उसके पीछे उसका एक गरिमापूर्ण इतिहास है। सन् 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। महामना पं. मदनमोहन मालवीय, राजऋषि पुरुषोत्तमदास टंडन प्रभृति ने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस संस्था की स्थापना की। परंतु सारे देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए एक राष्ट्रभाषा की परिकल्पना करने वाले माननीय व्यक्तियों में आचार्य केशवचन्द्र सेन, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गांधी, काका कालेलकर, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाषचन्द्र बोस इत्यादि के नाम आदर के साथ स्मरण किए जा सकते हैं। दरअसल राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ राष्ट्रभाषा का आन्दोलन भी आरंभ किया गया। समस्त राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा की परिकल्पना प्राय: सभी राष्ट्रीय नेता एवं विद्वान करते रहे हैं, परंतु राष्ट्रभाषा की आवश्यकता और उसका व्यापक प्रचार करने वाले सूत्रधार महात्मा गांधी रहे हैं।

सन् 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आठवां अधिवेशन इन्दौर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन के सभापति महात्मा गांधी थे। उस अधिवेशन में महात्मा जी ने राष्ट्रभाषा की स्पष्ट व्याख्या की और हिंदीतर प्रदेशों में उसके प्रचार की आवश्यकता पर जोरदार शब्दों में समर्थन किया। उन्होंने कहा था–"साहित्य का प्रदेश भाषा की भूमि जानने पर ही निश्चित हो सकता है। यदि हिंदी भाषा की भूमि सिर्फ उत्तर प्रान्त होगी तो साहित्य का प्रदेश संकुचित रहेगा। हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा होगी तो साहित्य का विस्तार भी राष्ट्रीय होगा। जैसे भाषक वैसी भाषा। भाषा-सागर में स्नान करने के लिए पूर्व-पश्चिम, दक्षिण-उत्तर से पुनीत महात्मा आएंगे तो सागर का महत्व स्नान करने वालों के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए साहित्य की दृष्टि से भी हिंदी का स्थान विचारणीय है।

उसी संदर्भ में गांधी जी ने राष्ट्रभाषा और प्रान्तीय भाषाओं की चर्चा करते हुए अपना दृढ़ निश्चय प्रकट किया था "मेरा नम्र लेकिन दृढ़ अभिप्राय है कि जब तक हम भाषा को राष्ट्रीय और अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषाओं को उनका योग्य स्थान नहीं देंगे तब तक स्वराज्य की सब बातें निरर्थक हैं। हिंदुस्तान को अगर सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो चाहे कोई माने या न माने राष्ट्रभाषा हिंदी ही बन सकती है। क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी दूसरी भाषा को कभी नहीं मिल सकता। प्रत्येक प्रान्त में उस प्रान्त की भाषा तथा सारे देश के पारस्परिक व्यवहार के लिए हिंदी और अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए अंग्रेजी का व्यवहार हो।

*** ज्योति निकेतन, 26 वडीवेलु पुरम, पश्चिम माबंलम, चेन्नई-60003**

4354 HA/2011—2A

उन्होंने कहा था–"भारतवर्ष में सात लाख देहात हैं। सारा कार्य देहातों पर निर्भर है। इसलिए जिसे वे लोग समझ सकें, ऐसी भाषा का प्रयोग करने की आवश्यकता है।" आम आदमी की समझ में आने लायक भाषा को गांधीजी ने न हिंदी बताई और न उर्दू। उसे "हिंदुस्तानी" की संज्ञा दी है। ऐसी हिंदुस्तानी का ही प्रचार कराने के वे पक्षपाती थे।

गांधीजी ने न केवल हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहा, बल्कि वे उसे व्यापार, वाणिज्य, न्याय तथा प्रशासन की भी भाषा बनाने के पक्षधर थे। वह अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को प्रतिष्ठत करना चाहते थे। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों तथा विज्ञान संबंधी कतिपय क्षेत्रों में अंग्रेजी के प्रयोग के वे समर्थक रहे।

गांधीजी ने अपने उपरोक्त आशय की पूर्ति के हेतु हिंदीतर प्रदेशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार का संकल्प किया और इंदौर में संपन्न हिंदी साहित्य सम्मेलन के आठवें अधिवेशन में दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार का प्रस्ताव रखा। कुछ लोगों को गांधीजी का यह विचार कुछ अटपटा सा लगा। परंतु गांधीजी ने बड़ी दृढ़ता के साथ अपने प्रस्ताव को पारित करवाया और सन् 1918 में उन्होंने इंदौर से अपने 18 वर्षीय कनिष्ठ पुत्र श्री देवदास गांधी तथा स्वामी सत्यदेव को मद्रास भेजा। सर सी.वी. रामस्वामी अय्यर की अध्यक्षता में मद्रास महानगर में स्थित गोखले हाल में हिंदी प्रचार का श्रीगणेश हुआ। उस समारोह का उद्घाटन होमरूम लीग की अध्यक्षा श्रीमती एनीवेसेंट ने किया। इस कार्य को आगे बढ़ाने में पं. हरिहर शर्मा, श्री मोटुरी सत्यनारायण, श्री हृषीकेश शर्मा, प्रभृति का योगदान अविस्मरणीय है। हिंदी प्रचार में गति एवं विस्तार लाने के हेतु दक्षिण के कुछ उत्साही युवकों को प्रयाग भेजकर हिंदी में प्रशिक्षण कराया गया। कालान्तर में उन्हीं युवकों ने दक्षिण के विभिन्न प्रदेशों में जाकर प्रचार का दायित्व सम्भाला। इस बीच में महात्मा गांधी की प्रेरणा पाकर सर्वश्री रामभरोसे श्रीवास्तव, पं. ब्रजनन्दन शर्मा, पं. अवधनन्द, पं. रघुवर दयाल मिश्र, पं. रामानन्द्र शर्मा, श्री भलचन्द्रू आप्टे, देवदूत विद्यार्थी इत्यादि ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। दक्षिण से श्री मोटूरी सत्यनारायण, श्री कं. म. शिवराम शर्मा, पं. सिद्धनाथ पंत, श्री एस.आर. शास्त्री इत्यादि समस्त कार्यकर्ताओं ने इस आन्दोलन को न केवल विस्तार दिया अपितु विभिन्न केन्द्रों में प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना करके अनेक प्रचारक तैयार किए। क्रमश: प्रचार का कार्यक्षेत्र नगर और शहर की सीमाओं को पारकर सुदूर देहातों तक फैल गया। असंख्य नर-नारी, बच्चों और वृद्धों ने भी राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर हिंदी का अध्ययन करना प्रारंभ किया।

उत्तर भारत के हिंदीतर प्रदेशों में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्कल, बंगाल, असम इत्यादि प्रान्तों तथा प्रवासी भारतीयों को हिंदी सिखांने के लिए विदेशों में भी हिंदी प्रचार करने के हेतु सन् 1936 में महात्मा गांधी ने वर्धा में "राष्ट्रभाषा प्रचार समिति" की स्थापना की। फिर क्रमश: विभिन्न राज्यों में अनेक स्वैच्छिक संस्थाएं स्थापित हुई। उनके माध्यम से हिंदी प्रचार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हुआ। परिणामस्वरूप भारत जब आजाद हुआ तब संविधान की रचना करते समय हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रश्न उठा। यदि हिंदीतर प्रदेशों में हिंदी का प्रचार न हुआ होता तो कदापि हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत होती। अत: महात्मा गांधी की दूरदर्शिता के कारण ही हिंदी राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा एवं राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्राप्त कर सकी।

भारत के स्वतंत्र होने पर एक ब्रिटिश पत्रकार ने गांधीजी से संदेश मांगा तब गांधीजी ने तुरंत कह दिया था। "दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी भूल गया है।"

गांधीजी राष्ट्रीय अस्मिता के प्रबल पक्षधर थे। वे राष्ट्रभाषा को इतना महत्व देते थे कि किसी भी मूल्य पर वे भाषा के स्तर पर समझौते के लिए तैयार न थे। गांधीजी सुनहले भारत के भविष्यद्रष्टा थे। वे ऐसे स्वप्नदर्शी थे कि भारत विश्व के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो। मातृभाषा तथा राष्ट्रभाषा के संबंध में गांधीजी का दृढ़ निश्चय उनकी वाणी में सर्वत्र मुखरित हुआ है। उन्होंने अपने "मेरे सपनों का भारत" ग्रन्थ में जो उद्‌गार व्यक्त किए हैं वे यहां दृष्टव्य हैं–अगर मेरे हाश्र में तानाशही सता हो तो मैं आज ही से अपने लड़कों और लड़कियों को विदेशी माध्यम के जरिए दी जाने वाली शिक्षा बन्द कर दूं और सारे शिक्षकों और प्रोफेसरों से यह माध्यम तुरंत बदलवा दूं या उन्हें बरखास्त करा दूं। मैं पाठ्य पुस्तकों की तैयारी का इन्तजार नहीं करूंगा। वे तो माध्यम के परिवर्तन के पीछे-पीछे चले आएंगी।

भारतीय समाज में अंग्रेजी का वर्चस्व इस कदर छाया हुआ था कि उससे देश चकित और हैरान था। अंग्रेजी की पढ़ाई का रहस्योद्‌घाटन करते हुए गांधीजी ने एक स्थान पर लिखा है–"अंग्रेजी आज इस लिए पढ़ी जा रही है कि उसका व्यवसायिक एवं तथाकथित राजनैतिक महत्व है। हमारे बच्चे अंग्रेजी यह सोचकर पढ़ते हैं कि अंग्रेजी पढ़े बिना उन्हें नौकरियां नहीं मिलेगी। लड़कियों को अंग्रेजी इस लिए पढ़ाई जाती है कि इससे उनकी शादी में सहुलियत होगी। यह सारी बातें मेरी नजर में गुलामी और घोर-पतन के चिन्ह हैं। मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि देशी भाषाएं इस तरह कुचल दी जाएं।"

4354 HA/2011—2B

गांधी ने स्वराज्य के साथ जुड़े भाषा के सवाल को बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करके सुलझाया है। विदेशी भाषा किसी भी देशवासी को किस तरह गुलाम बना सकती है, इस संबंध में गांधीजी ने अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया था–"लाखों लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान कराना उन्हें गुलाम बनाना है। मेकाले ने भारत में जिस शिक्षा की नींव रखी उसने सबको गुलाम बना दिया है। अगर स्वराज्य अंग्रेजी बोलनेवाले भारतीय लोगों को और उन्हीं के लिए होने वाला हो तो निःसंदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज्य करोड़ों भूखों मरनेवालों, निरक्षरों और दलितों व अंत्यजों का हो और इन सब के लिए होनेवाला हो तो हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है।"

गांधीजी मातृभाषा के प्रबल समर्थक थे। परंतु साथ ही वे विश्व की अन्यान्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने पर भी जोर देते थे। उनका प्रबल विश्वास था कि मातृभाषा के माध्यम से अपने चिंतन का स्पष्ट अभिव्यक्तिकरण हो सकता है, वैसे अन्य भाषाओं के माध्यम से नहीं। भाषाओं के संबंध में समय-समय पर गांधी जी ने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं वे अत्यन्त उल्लेखनीय हैं। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है–युवक और युवतियों अंग्रेजी और दुनिया की दूसरी भाषाएं खूब पढ़ें, लेकिन उनसे मैं आशा करूंगा कि वे अपने ज्ञान का प्रसाद भारत को और सारे संसार को उसी तरह प्रदान करेंगे जैसे बोस, राय और स्वयं कवि रवीन्द्रनाथ ने प्रदान किया था।

हमारे देशवासियों में अपनी मातृभाषाओं के प्रति जो हीनभावना थी उससे गांधीजी बहुत ही क्षुब्ध थे। जिसके मन में अपनी धरती, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के प्रति आस्था एवं विश्वास नहीं है वह सच्चे अर्थों में उस देश का नागरिक कहलाने का अधिकारी नहीं होता। मातृभाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए महात्माजी ने 26 मार्च, 1918 को अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के आठवें वार्षिक महाधिवेशन के सभापति के पद से जो उद्गार व्यक्त किए थे, वे यहां पर दृष्टव्य हैं–"मुझे खेद तो यह है जिन प्रान्तों की मातृभाषा हिंदी है वहां पर भी उस भाषा की उन्नति करने का उत्साह नहीं दिखाई देता है । उन प्रान्तों में हमारे शिक्षित वर्ग आपस में पत्र-व्यवहार और बातचीत अंग्रेजी में करते हैं। फ्रांस में रहने वाला अंग्रेज अपना सब व्यवहार अंग्रेजी में ही करते हैं। हम अपने देश में अपना महत्वपूर्ण कार्य विदेशी भाषा में करते हैं। यह उचित नहीं है।"

महात्मा गांधी ने इंदौर महानगर में ही हिंदी साहित्य सम्मेलन के चौबीसवें अधिवेशन का सभापतित्व 20 अप्रैल, 1934 को ग्रहण किया था। उस संदर्भ में गांधीजी ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा था "ईश्वर को तो दूसरी ही बात करनी थी। उसे मेरे मारफत हिंदी प्रचार की कुछ और सेवा लेनी थी . . . हिंदी भाषा का मेरा प्रेम किसी से कम नहीं ठहर सकता। मेरा क्षेत्र दक्षिण में हिंदी प्रचार का है। धनाभाव के कारण वह रुकना नहीं चाहिए।"

महात्मा जी ने दक्षिण की द्रविड़ भाषाओं, पूर्व और पश्चिम की भाषाओं की संपन्नता का परिचय देते हुए अपील की कि इन समृद्ध भाषाओं से शब्द ग्रहण कर हिंदी को समृद्ध बनाना चाहिए। ये भाषाएं सम्मन्न जरूर हैं परंतु ये राष्ट्रभाषा नहीं बन सकतीं। राष्ट्रभाषा तो केवल हिंदी ही बन सकती है। परंतु मैं तो हिंदी के लिए मर्यादा रख देना चाहता हूं कि वह अन्य प्रान्तों की भाषाओं का स्थान न ले वह माध्यम बने।

महात्मा जी अपने जीवन के उत्तरार्द्ध में याने जनवरी, 1946 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास की रजत जयंती का उद्घाटन करने पधारे थे। उस समय सम्पन्न वार्षिक अधिवेशन में गांधीजी ने दीक्षान्त भाषण दिया और हजारों स्नातकों को प्रमाणपत्र बांटे। वे कस्तूरबा गांधी के साथ मद्रास में एक सप्ताह रहे। एक सायंकालीन प्रार्थना के पश्चात् सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए गांधीजी ने कहा था–"कुछ समय के बाद हिंदुस्तान आजाद होगा और आजाद हिंदुस्तान की राजभाषा हिंदी होगी। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि वह अभी से हिंदी सीखना शुरु करें और देश के आजाद होते ही शासन के समस्त कार्यकलाप हिंदी में सम्पन्न करें ताकि अंग्रेजी का वर्चस्व अपने आप समाप्त हो जाए। "मेरा सौभाग्य था कि मैं भी उस समारोह में उपस्थित था गांधीजी से हिंदी में हस्ताक्षर लेकर उनकी प्रेरणा से ही मैंने हिंदी सीखी। संभवतः दक्षिण में गांधीजी का यही अंतिम दौरा था।

भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात् हमारा संविधान बना। संविधान की अष्टम अनुसूची में यह बताया गया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। 14 सितंबर, 1949 को यह पारित हुआ और 26 जनवरी, 1950 से संविधान अमल में आया। इस धारा में यह उल्लिखित था कि 15 वर्ष के पश्चात् हिंदी अंग्रेजी का स्थान ग्रहण करेगी। किंतु 1963 में राजभाषा अधिनियम में संशोधन हुआ। परिणामस्वरूप आज भी हिंदी अपने अधिकार से वंचित है। 1965 में दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की अध्यक्षता में भारत के सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें सर्व सम्मति से त्रिभाषा सिद्धान्त पारित हुआ। किंतु

दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राज्यों ने ईमानदारी से इस सूत्र का अनुपालन नहीं किया। स्वयं केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के कार्यान्वयन की अवधि भी होती है और केंद्रीय सरकार केंद्र द्वारा नियंत्रित उपक्रम-बैंक आदि में हिंदी के प्रयोग के लिए जो प्रतिशत निर्धारित की गई है, उसको देखते हुए प्रतीत होता है कि हिंदी को अपना स्थान ग्रहण करने में कई दशक लगने की संभावना है।

इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जब तक हिंदी को रोजीरोटी के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक इसके संपूर्ण कार्यान्वयन की आशा करना व्यर्थ है। हिंदी को अंग्रेजी के समान सभी क्षेत्रों में जब तक उसके विकास का सपना देखना मृग-मरीचिका के समान ही होगा। हिंदी में प्रशिक्षित स्नातकों को भी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी तब तक अंग्रेजी में प्रशिक्षित स्नातकों को प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी समकक्ष सभी पदों पर नियुक्ति होनी चाहिए। जब तक हिंदी की उपेक्षा शासन के स्तर पर होगी तब तक हिंदी का भविष्य उज्ज्वल नहीं है।

हिंदी राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता की कड़ी है। इस कड़ी को हम जितना मजबूत बनाएंगे, उतनी ही सक्षमता के साथ वह भारतवासियों के दिलों में अपना स्थान बना सकती है। राष्ट्रभाषा हिंदी ही इस देश के नागरिकों में राष्ट्रीय एकता व स्वाभिमान जागृत कर सकती है। बिना राष्ट्रभाषा के कोई भी राष्ट्र अपने को सम्पूर्ण रूप में अभिव्यक्ति नहीं दे सकता। राष्ट्रभाषा की अवहेलना करना राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, संविधान की अवहेलना करने के समान है। इस देश के सम्मानित नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि संविधान सम्मत राष्ट्रभाषा का आदर करें और इसे अपना वास्तविक स्थान प्रदान करने में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। इस राष्ट्रीय यज्ञ में साथ देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

अंग्रेजी की पूर्वपीठिका पर विचार करने से हमें ज्ञात होगा कि तेरहवीं सदी के पूर्व अंग्रेजी इंग्लैंड की राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा नहीं रही। ग्यारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में फ्रांस के नारमन राजाओं ने इंग्लैंड में फ्रेंच को ही शासन, न्यायालय तथा अन्य कार्य-कलापों का माध्यम बनाया था। यहां तक कि अंग्रेजी काम-काज की भाषा बनी रही। उस समय निजी देश में अंग्रेजी की उपेक्षा होती देख वहां की जनता क्षुब्ध थी, पर संभ्रांत परिवार के लोग अंग्रेजी को जाहिलों की भाषा मानते थे और फ्रेंच को अभिजात्य वर्ग की भाषा।

लेकिन सन् 1771 में ब्रिटिश सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा फ्रेंच और लैटिन भाषा के प्रयोग को निषिद्ध किया और इस अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर 50 पौंड ज़ुर्माने का दण्ड निर्धारित किया और इस नियम का कड़ाई से पालन हुआ। इस प्रकार इंग्लैंड में भी अंग्रेजी को अपना स्थान ग्रहण करने में चार शताब्दियों का समय लगा और आज उसी अंग्रेजी ने भारतीय भाषाओं का विकास अवरुद्ध कर दिया है। पर इधर हिंदी ने भारतीय भाषाओं की उन्नति का द्वार खोल दिया है। अंग्रेजी ने हमें गुलामी की मानसिकता का शिकार बनाया जबकि हिंदी ने स्वाभिमान की भावना जागृत की। दरअसल जन्म घूटी से सीखी हुई भाषा माता की भाषा होती है, वही मातृभाषा की संज्ञा से अभिहित होती है। भारत में अनेक भाषाएं हैं। सभी समृद्ध हैं। हिंदी सम्पूर्ण भारत माता की भाषा है। अन्य भाषाएं उसकी सहोदरियां हैं।

विदेशों में हिंदी 130 से अधिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है जब कि अपने देश में उसका वर्चस्व धूमिल होता जा रहा है। स्वाधीनता के पूर्व हिंदी जिस उत्साह, प्रेम और संकल्प के साथ अपनाई गई, उतनी ही मात्रा में आज उपेक्षित होती जा रही है। बल्कि अंग्रेजी का प्रभाव सर्वत्र प्रबल होता जा रहा है। इस स्थिति में हमें क्या करना है यह जटिल प्रश्न हमारे सम्मुख मुंह बाए खड़ा है। इस समस्या के समाधान के रूप में अपने विचार सूत्र रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा।

1. भारत के सभी राज्यों में क्षेत्रीय भाषाएं, शिक्षा, प्रशासन, विधि तथा अन्यान्य क्षेत्रों में भी माध्यम बने।
2. हिंदी को अंग्रेजी के स्थान पर प्रतिष्ठित करने के लिए निश्चित कालावधि निर्धारित की जाए और उसमें किसी प्रकार का संशोधन न हो।
3. हिंदी केंद्र शासन तथा राज्यों के बीच सम्पर्क भाषा के रूप में व्यवहृत हो।
4. हिंदी में प्रशिक्षित स्नातकों को केंद्रीय शासन के समस्त मंत्रालय, विभागों में, निगमों, बैंकों, उपक्रमों तथा कार्यालयों में परराष्ट्र मंत्रालयों के अतिरिक्त बिना किसी प्रकार के भेद-भाव के नौकरियां दी जाएं और पदोन्नति में भी अंग्रेजी में प्रशिक्षित अधिकारियों के समान अवसर प्रदान किए जाएं।
5. संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को मान्यता दिलाई जाए। जब तक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक हिंदी की उपेक्षा होती रहेगी।
6. त्रिभाषा सूत्र तत्काल सारे राष्ट्र में अमल किया जाए। ■

हिंदी के प्रति बढ़ती उदासीनता, कारण और निवारण

–डॉ. परमानंद पांचाल*

भारतीय स्वाधीनता संग्राम की केंद्रीय भाषा रही हिंदी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद धीरे-धीरे अपना वर्चस्व खोती जा रही प्रतीत होती है। ऐसा इसकी अंतर्निहित क्षमता, सम्प्रेषणीयता, और शब्द समर्थ्य में न्यूनता के कारण नहीं, बल्कि उस भावना और सोच में निरंतर हो रहे ह्रास के कारण है, जो किसी राष्ट्र को संगठित रखने के लिए अपेक्षित है। आज अंग्रेजी की दासता की वह मानसिकता फिर सिर उठा रही प्रतीत होती है, जो ब्रिटिश शासन के समय कतिपय लोगों में थी। आजादी के बाद कुछ समय तक वह भावना दबी रही, धीरे-धीरे वह पीढ़ी जिसने आजादी के लिए संघर्ष किया था, त्याग और बलिदान दिया था, समाप्त होती गई और क्षेत्रीयता की भावना, बढ़ती गई। स्वार्थ और संकीर्ण राजनीति के चलते राष्ट्रीय मुद्दे हाशिए पर चले गए। फलतः देश की एकता के प्रायः सभी घटक शिथिल पड़ते गए। राष्ट्र भाषा हिंदी भी उनमें से एक है।

भारत एक बहुभाषी देश है, किंतु समस्त देश को एक सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्र के कर्णधारों ने जिस भाषा का चयन किया था, वह हिंदी थी इसमें संदेह नहीं कि हमारे देश में कई भाषाएं हिंदी से अधिक प्राचीन और समृद्ध हों, किंतु वे एक सीमित क्षेत्र की भाषा होने के कारण पूरे देश की सम्पर्क भाषा के रूप में काम नहीं कर सकती। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की पहचान की और उसे स्वतंत्रता आंदोलन का सशक्त माध्यम बनाया। स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और अनुच्छेद 351 में इसके समुचित विकास का दायित्व भी केंद्रीय सरकार को सौंपा गया।

भारत सरकार ने निसंदेह समय-समय पर वे सभी कदम उठाए जो हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक थे। तकनीकी और पारिभाषिक शब्दों के चयन और निर्माण के लिए वर्ष 1961 में तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन किया गया। 1975 में राजभाषा विभाग बनाया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी सीमित गठित की गई, जिसके निर्णय मंत्रिमंडल के निर्णयों के समान होते हैं। प्रत्येक मंत्रालय और विभाग में संबंधित मंत्री की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समितियों की भी स्थापना की गई, जो मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में सरकार को सलाह देती है। यही नहीं, राजभाषा अधिनियम, 1963 के नियम 4 के अधीन गठित 30 संसद सदस्यों की एक संसदीय राजभाषा समिति भी गठित की गई जो निरंतर भारत सरकार के कार्यालयों का निरीक्षण कर राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। अब तक इसके आठ प्रतिवेदन आ चुके हैं और उनकी सिफारिशें भी सरकार को भेजी जा चुकी हैं। चिंता की बात यह है कि इन सबके बावजूद हिंदी की जो स्थिति है, वह किसी से छिपी नहीं है। आखिर क्या कारण है कि आज देश की राजभाषा के प्रति लोगों में कोई उत्साह नहीं। हिंदी के प्रयोग के प्रायः सभी आदेश कागजों तक सीमित रह गए हैं। हिंदी में लिखना तो दूर, हिंदी में बोलने वाले को छोटा और घटिया दर्जे का व्यक्ति माना जाता है। हिंदी की इस स्थिति को देखकर अकबर इलाहाबादी का वह शेयर याद आता है जो उसने परमात्मा का नाम लेने वालों के संबंध में उपहास स्वरूप कहा था–

"हरीफों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में,
कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में"

आज यह स्थिति हिंदी का नाम लेने वालों की होती जा रही है। वे रूढ़िवादी, प्रगति विरोधी और पिछड़े हुए माने जाते हैं। आखिर क्या कारण है कि आजादी के 62 वर्षों के बाद भी हम हिंदी को व्यावहारिक और प्रयोग की भाषा नहीं

* 232ए, पाकेट-1, मयूर बिहार, फेज-1, दिल्ली-110091

4354 HA/2011—3A

बना सके हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग के आंकड़े केवल अनुवाद के बलबूते पर ही कागजों तक सीमित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो गंगा उल्टी ही बह रही है। जहां आजादी के बाद शिक्षा का माध्यम स्नातकोतर स्तर तक हिंदी और भारतीय भाषाएं बनती जा रही थीं, वहां अब यह माध्यम उल्टा खिसक कर प्राथमिक स्तर पर भी नहीं रहा। पहली कक्षा से ही शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनता जा रहा है। क्या इसे हम हिंदी की प्रगति कहेंगे या अंग्रेजी की?

अंग्रेजी या किसी भी विदेशी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना बुरी बात नहीं है, किंतु वह मातृभाषा की कीमत पर नहीं होना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि बच्चे के विकास के लिए मातृ भाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है, जितना मां का दूध। क्या हम प्राथमिक स्तर पर बच्चे को एक विदेशी भाषा, अंग्रेजी में शिक्षा देकर उसके विकास को अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं? क्या हमें उसके व्यक्तित्व को बौना नहीं बना रहे हैं? बच्चा विदेशी भाषा को समझता नहीं, रटता है। सभी शिक्षा शास्त्रियों ने इस संबंध में समान विचार व्यक्त किए हैं।

आइए हम हिंदी के प्रति बढ़ती हीनता की भावना के कारणों पर जरा ठंडे दिल से विचार करें। हिंदी आज विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। संसार में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली सबसे बड़ी भाषाओं में हिंदी का स्थान दूसरा है। हिंदी के लिए यह गौरव की बात है कि मंगल पर भेजे गए अंतरिक्ष यान पर "भारत" शब्द देवनागरी में ही अंकित किया गया। फिर भी, भारतीय मानस हिंदी को कोई प्रश्रय नहीं दिखाई देता। अंग्रेजी मीडिया का तो हाल यह है कि "टाइम्स ऑफ इंडिया" जैसे राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक (दिनांक 19 मई, 2008) की प्रमुख पंक्तियां ही लीजिए वे "इंग्लिश इन इंडिया" के प्रचार से आरंभ होती हैं। यही नहीं संपादकीय में भी अंग्रेजी के बढ़ते चरणों के ही कसीदे पढ़े जाते हैं, जबकि माध्यम के रूप में वह यह भी स्वीकार करता है कि भारत में हिंदी माध्यम का चुनाव करने वाले छात्रों का स्थान प्रथम है और मराठी का दूसरा तथा अंग्रेजी का केवल तीसरा है। जहां हिंदी माध्यम लेने वाले छात्र वर्ष 2003-2004 में 49.5 प्रतिशत थे, वहीं वर्ष 2005-2006 में बढ़कर उनका प्रतिशत 52.2 प्रतिशत हो गया और अंग्रेजी माध्यम लेने वाले वर्ष 2003-2004 में केवल 4.3 प्रतिशत थे, उनकी संख्या का प्रतिशत वर्ष 2005-2006 में 6.3 प्रतिशत हो गया ।

अंग्रेजी के व्यापक प्रचार के कई कारण हैं :

आज शिक्षा ने एक उद्योग का रूप ले लिया है और अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूलों की बाढ़ सी आ गई है। क्या शहर, क्या गांव, गली-गली, कूचों और मुहल्लों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल कुकरमुत्ते की भांति फैलते जा रहे हैं। लाभ के इस उद्योग में पूंजीपति ही नहीं, विधायक, सांसद, और जनप्रतिनिधि भी कूद पड़े हैं। फिर, अंग्रेजी के इस फैलाव को कौन रोके? किसी उद्योग को बंद कराना, जिसमें जन प्रतिनिधियों का भी स्वार्थ हो, आसान नहीं है। कैरियर में अंग्रेजी के सब्जबाग दिखाकर बच्चों को सरकारी स्कूलों की बजाय इन स्कूलों में दाखिला लेने के लिए प्रेरित और आकर्षित किया जाता है। विज्ञापन और प्रचार पर निवेश किया जाता है। यही मृगतृष्णा छात्रों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की और आकर्षित करती है। मां-बाप अपनी गाढ़ी कमाई का अधिक भाग इन पर लगा रहे हैं, कर्ज भी ले रहे हैं। उच्च शिक्षा के नाम पर देश का पैसा विदेशों में जा रहा है। प्रतिभा-पलायन भी हो रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है कि हम विदेशों में सेवा के लिए ही बच्चे पैदा करते हैं। यह 'गिरमिटियां प्रथा' का एक प्रकार से नया संस्करण ही है।

भारत सरकार की कोई स्थिर शिक्षा नीति न होना भी एक बड़ा कारण है। शिक्षा में सुधार के लिए बनाए गए सभी शिक्षा आयोगों ने प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर प्राय: भारतीय भाषाओं को शिक्षा माध्यम बनाने पर जोर दिया था, किंतु हुआ यह कि अल्प संख्यक समुदाय की भाषा की आड़ में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बढ़ते चले गए। 1948 में डॉ. सर्वपल्ली राधा कृष्णन की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपने अध्याय 2 के अनुच्छेद 44 में कहा कि "अंग्रेजी शिक्षा ने भारत के अतीत की अवहेलना की और कहीं-कहीं तो हमें हमारी जड़ों से ही काट दिया ।" उसने आगे कहा कि विगत की तरह अंग्रेजी राजभाषा नहीं बनी रह सकती। अंग्रेजी का प्रयोग तो लोगों को दो राष्ट्रों में विभक्त करता है, मुट्ठी भर वे लोग, जो शासन करते हैं और बहुत सारे वे लोग, जिन पर शासन किया जाता है। यह लोकतंत्र के विरुद्ध है (पृ. 316) माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953) ने भी मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया था। डॉ. कोठारी की अध्यक्षता में

4354 HA/2011—3B

गठित शिक्षा आयोग ने कहा था "क्षेत्रीय भाषाएं क्षेत्रों में शिक्षा का माध्यम हों, हिंदी संपर्क भाषा हो और अंग्रेजी लाइब्रेरी भाषा के रूप में पढ़ी जाए। उसने स्पष्ट कहा था कि अंग्रेजी का स्थान राष्ट्रभाषा का नहीं हो सकता। आश्चर्य यह है कि हिंदी माध्यम की पुस्तकें तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वित्तीय सहयोग से विश्वविद्यालयों में जो प्रकोष्ठ स्थापित किए गए थे, उन्होंने भी शिथिलता बरती। हिंदी में पुस्तकें ही उपलब्ध नहीं हो पाईं। पाठ्य पुस्तकों में हिंदी शब्दावली में एक रूपता का न होना भी हिंदी माध्यम के मार्ग में एक बाधा थी। प्रसन्नता की बात है कि मातृभाषा विकास परिषद्, दिल्ली द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर एक जन-हित याचिका पर उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है, वह उत्साह जनक है। इसमें सरकार को आदेश दिया गया है कि तकनीकी तथा वैज्ञानिक शब्दावली आयोग द्वारा तैयार शब्दावली का ही एक प्रयोग पाठ्य पुस्तकों में किया जाए। इससे शब्दावली में एक रूपता बनी रहेगी।

हिंदी और भारतीय भाषाओं को एक बड़ा झटका तब लगा जब ज्ञान आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री सेम पित्रोदा जी ने अंग्रेजी को पहली कक्षा से अनिवार्य बनाने की सिफारिश कर दी। इसने अंग्रेजी के वर्चस्व और भारतीय भाषाओं की अनुपयोगिता को और हवा दे दी। उन्होंने देश की राजभाषा की समृद्धि के लिए कुछ भी नहीं कहा।

आश्चर्य है कि देश के प्रबुद्ध शिक्षा शास्त्रियों और भाषा विशेषज्ञों ने इसके विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या अंग्रेजी को गांवों और शहरों की झोंपड़-पट्टियों और समृद्ध लोगों की कालोनियों में समान स्तर पर शिक्षा देने में देश समर्थ है? यदि नहीं, तो अंग्रेजी के नाम पर यह असमानता क्यों पैदा की जाती है? उच्चतम न्यायालय भी भारतीय भाषाओं के विकास की दिशा में मौन है। अब कोई गांधी जैसा महापुरुष दिखाई नहीं दे रहा, जो हमारा सही मार्ग-दर्शन कर सकें। उन्होंने 9 जुलाई, 1938 के हरिजन में लिखा था कि यह निर्णय करना शिक्षा-शास्त्रियों का काम नहीं है कि किस स्थान के बालक-बालिकाओं को किस भाषा में शिक्षा दी जाए। उनका काम यह भी तय करना नहीं है कि क्या-क्या विषय पढ़ाए जाएं। यह सब निर्भर करता है उस देश की आवश्यकताओं पर। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पढ़ाई को बीच में छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या 90 प्रतिशत तक है। इसका प्रमुख कारण बच्चों का अंग्रेजी में फेल होना और शिक्षा से जी चुराना भी है, जिस पर शिक्षा विशेषज्ञ ध्यान ही नहीं देते। अंग्रेजी जबरन थोपकर हम बच्चे को कैसे ज्ञानवान बना सकते हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि अनेक बच्चे अंग्रेजी के कारण हीनता की भावना के शिकार हो जाते हैं और आत्म हत्या तक कर लेते हैं । डॉ. यशपाल और डॉ. कुलकर्णी जैसे विज्ञान विशेषज्ञ मानते हैं कि विज्ञान की शिक्षा बच्चे को उसकी अपनी भाषा में सबसे अधिक अच्छी प्रकार दी जा सकती है। हम अधिक समय तो शिक्षा के माध्यम को सीखने पर ही व्यय कर देते हैं, विषय पर नहीं। हम ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से केवल अंग्रेजी पर निर्भर करते हैं और उसके पिछलग्गू बने हुए हैं। हमारी राष्ट्रीय प्रतिभाएं कुंठित हो रही हैं।

हिंदी के प्रति उदासीनता का एक कारण यह भ्रम भी है कि कम्प्यूटर आने से अब सारा काम-काज अंग्रेजी में ही होगा, जबकि कम्प्यूटर की कोई भाषा नहीं होती। उस पर किसी भी भाषा में काम किया जा सकता है। जब कम्प्यूटर का पदार्पण भारत में हो रहा था, हमने तभी इसे अंग्रेजी और हिंदी में साथ-साथ लाने का प्रयत्न नहीं किया। यदि केंद्रीय सरकार इसके हिंदी फांट भी साथ-साथ उपलब्ध करा देती, भले ही कुछ समय और लग जाता तो कम्प्यूटर पर केवल अंग्रेजी का ही वर्चस्व स्थापित न होता। किंतु अभी भी देर नहीं हुई है। कर्मचारियों को कम्प्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित किया जाए और कोई भी कम्प्यूटर केवल अंग्रेजी के लिए न खरीदा जाए। स्थिति तो यह है कि अब कम्प्यूटर की आढ़ में फार्म आदि सभी अंग्रेजी में ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है, जिससे कि वे भी राजभाषा नियमों का पालन करें। सरकारी उद्यमों और निगमों में से अनेक उद्यम अब निजी क्षेत्र में चल गए है। वहां अब उन्होंने भी हिंदी में काम करना और राजभाषा का पालन करना बंद कर दिया है। विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता मिलती है, वहां भी राजभाषा नियम लागू होने चाहिए और प्रशासन में केंद्रीय सरकार की भांति हिंदी में काम होना चाहिए। केंद्रीय सरकार के नियमों के अनुसार

शेष पृष्ठ 12 पर

हिंदी भाषा की प्रयुक्तियां और कार्यालयी हिंदी

–डॉ. अताउल्लाहखान यूसुफजई*

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे परस्पर व्यवहार के लिए भाषाई माध्यम की आवश्यकता होती है। किंतु भाषा सिर्फ विचारों के संप्रेषण का माध्यम न होकर सामाजिक मनुष्य के संप्रेषण का ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से वह विशेष परिस्थिति में विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि हेतु उसका प्रयोग करता है और उसी संदर्भ एवं परिस्थिति में अर्थ ग्रहण करता है। भाषा एक सामाजिक यथार्थ है जिसका विकास मानव के सामाजिक जीवन के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। अब हिंदी केवल साहित्यिक और बोल-चाल की भाषा न रहकर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपादेयता के कारण विभिन्न प्रयोजनों की भाषा बन गई है। विभिन्न कार्यक्षेत्रों एवं स्थितियों में हिंदी भाषा के प्रयोग से हिंदी भाषा के कई प्रयोजनमूलक रूप देखने को मिलते हैं।

वैश्विकीकरण के संदर्भ में जहां तक हिंदी भाषा का संबंध हैं हिंदी न सिर्फ भारत की राजभाषा एवम् संपर्क भाषा है वरन् विश्व में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। आर्थिक उदारीकरण और मुक्त विश्व व्यापार प्रणाली के कारण उसका वैश्विकीकरण हो रहा है। वैश्विकीकरण की प्रक्रिया उद्योग एवम् व्यापार क्षेत्र से ज्यों-ज्यों जीवन के सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में विस्तार पाएगी त्यों-त्यों भाषा का स्वरूप भी बदल रहा है। यही कारण है कि जनसंचार माध्यमों की हिंदी आजकल 'हिंग्लिश' का रूप ले रही है। वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी जिन रूपों में उभरकर सामने आ रही है उसमें प्रमुख है : (1) साहित्यिक हिंदी-सृजनात्मक हिंदी (2) राजकाज संबंधी कार्यालयी हिंदी (3) संपर्क भाषा के रूप में बोलचाल की हिंदी (4) वैज्ञानिक लेखन की हिंदी (5) पत्रकारिता एवं संचार माध्यमों (प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) की हिंदी (6) वैश्विकीकरण की हिंदी। इस तरह हिंदी भाषा का बहुआयामी विकास हो रहा है। इन सारे प्रयोजन सिद्ध रूपों के विस्तार के कारण हिंदी की प्रकृति, शब्द भंडार और संरचना में भी परिवर्तन आता गया है।

प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रणेता विद्वान श्री मोटूरि सत्यनारायण ने हिंदी के स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र को स्पष्ट करते हुए लिखा है–"जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। भाषा के दो पक्ष या प्रकार्य होते हैं। एक का संबंध हमारी सौंदर्यपरक अनुभूति का आलंबन होता है। दूसरे का संबंध हमारी सामाजिक आवश्यकता और जीवन की उस व्यवस्था से जुड़ा होता है जो व्यक्ति के साथ रहता है और उसके निमित जो सेवा माध्यम (Service Tool) के रूप में प्रयुक्त होता है। भाषा व्यवहार का यह दूसरा पक्ष ही भाषा का प्रयोजनमूलक संदर्भ है। अतः प्रयोजनमूलक हिंदी का तात्पर्य हिंदी के उन विविध रूपों से है, जो सेवा माध्यम के रूप में सामने आते हैं।"[1]

भाषा के सौंदर्यमूलक आयाम में भाषा सर्जनात्मक होती है जिसका विकास साहित्यिक भाषा के रूप में होता है। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, समालोचना आदि साहित्यिक विधाओं में भाषा का यह रूप प्रकट होता है। भाषा के दूसरे रूप का संबंध हमारी सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति से है जो व्यक्तिपरक होकर भी समाज सापेक्ष होती है। इसमें भाषा किसी उद्देश्य विशेष या कार्यविशेष के लिए प्रयुक्त होती है।

'प्रयोजनमूलक हिंदी' शब्द अंग्रेजी के 'फंक्शनल हिंदी' शब्द के पर्याय के रूप में हिंदी में प्रचलित है। प्रयोजन का संबंध भाषा की प्रयोजनीयता से है और 'मूलक' से तात्पर्य है आधारित (based on or depending on)। डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा के सामान्य रूप से दो पक्ष हैं : (1) संरचनात्मक पक्ष और (2) प्रयोग पक्ष।

* सहायक प्रोफेसर, हिंदी भवन, भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर-364002

संरचनात्मक पक्ष से आशय है—भाषा की अपनी आंतरिक संरचना जो ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ के स्तर पर होती है। इसका अध्ययन संरचनात्मक भाषा विज्ञान में किया जाता है। भाषा के प्रयोग पक्ष से आशय है—समाज द्वारा भाषा का प्रयोग।[2] समाज द्वारा भाषा का प्रयोग विभिन्न सांस्कृतिक, प्रशासनिक, तकनीकी, पारिस्थितिक आदि संदर्भों में होता है जो ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ आदि की दृष्टि से भाषा को अनेकानेक रूप प्रदान करते हैं। भाषा के इस पक्ष का अध्ययन समाज भाषाविज्ञान के क्षेत्र में आता है। भाषाविज्ञान या संरचनात्मक भाषाविज्ञान भाषा की व्यवस्था का अध्ययन इस दृष्टि से करता है कि भाषा कैसे कार्य करती है जबकि समाज भाषाविज्ञान भाषा की व्यवस्था का इस दृष्टि से अध्ययन करता है कि विभिन्न सामाजिक संदर्भों में भाषा का प्रयोग कैसे किया जाता है तथा भाषा समांज का नियंत्रण कैसे करती है। इससे स्पष्ट है कि समाज भाषाविज्ञान का दृष्टिकोण प्रयोजनमूलक होता है अर्थात् समाज के विभिन्न प्रयोजनों के लिए भाषा के प्रयोग तथा उनके संबद्ध परिवर्तों का अध्ययन एवं विश्लेषण एवं निश्चयन समाज विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है।

प्रयुक्ति की संकल्पना :

सामान्यत: भाषा का स्वरूप एकसा बना रहता है पर प्रयोजनमूलक रूप में भाषा का व्यवहारिक पक्ष उभर कर आता है जो प्रत्येक क्षेत्र में एक विशिष्ट रूप ग्रहण करता हुआ विकसित होता है—शब्दावली तथा अभिव्यक्ति की दृष्टि से। सामाजिक संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा, प्रयोजन, संदर्भ, स्थान तथा विषय आदि के अनुकूल रूपाकार (शब्दावली, अभिव्यक्ति शैली एवं संरचना) लेती है जिन्हें भाषा के प्रकार्यात्मक रूप कहा जाता है। प्रयोजनानुकूल प्रयुक्त इन्हीं विविध भाषा रूपों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए भाषाविज्ञान में प्रयुक्ति की संकल्पना सामने आई है।

विभिन्न विद्वानों ने 'प्रयुक्ति' को निम्नानुसार परिभाषित किया है:

हैलिड़े, मैकिनतोश तथा स्ट्रीवंज के अनुसार—"लोग भाषा का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, इसे समझने के लिए प्रयुक्ति की कोटि की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न प्रयोगगत संदर्भों में भाषा व्यवहार में भेद पाए जाते हैं। किन्हीं संदर्भों में प्रयोग में पाए जाने वाले भाषा रूप भी अलग-अलग होते हैं। इन्हीं प्रयोगगत भाषारूपों को 'प्रयुक्ति' या 'रजिस्टर' कहा जाता है। (Language varies as its function varies : it differs in different situations—the name given to a variety of language distinguished according to use in 'Register', the category of 'Register' is needed when we want to account for what people with their language when we observe language activity in the various context in which it takes place, we find differences in the type of language selected as appropriate different type of situation.)."[3]

प्रयुक्ति की संकल्पना के साथ सामाजिक संकल्पना की भूमिका भी जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति विभिन्न स्थितियों में विभिन्न सामाजिक भूमिकाएं निभाता है। एक ही व्यक्ति, जो पेशे से डॉक्टर है, अपनी भूमिका समाज में अलग-अलग रूपों में अलग-अलग स्तरों पर निभाता है। वह डॉक्टर मित्रों में या अपनी व्यावसायिक निपुणता में अलग भाषिक भूमिका निभाता है—अपने नौकरों के साथ अलग, अपने घर में अलग तथा रिश्तेदारों में अलग। चूंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है अत: इसे समाज में रहकर अपने सभी सामाजिक कार्यों, दायित्वों आदि का समुचित रूप से निर्वाह करना होता है और इसमें भाषा की स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि व्यक्ति भाषा के माध्यम से ही तो अपने कार्यकलाप सम्पन्न कर पाता है। केटफोर्ड इसे प्रयोजक्ता की सामाजिक भूमिका के साथ जोड़कर ही देखते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाता है। वह परिवार का मुखिया, मोटर चालक, क्रिकेट का खिलाड़ी या किसी धार्मिक समुदाय का सदस्य या प्रोफेसर आदि हो सकता है। इन भूमिकाओं के निर्वाह में वह विभिन्न भाषा रूपों का प्रयोग करता है।

"(By 'Register' we mean a variety co-related with the performer's social role on a given occasion. Every normal adult plays a series of different social roles, one man, for example may function at different times as head of family, motorist, cricketer, or member of a religious group, professor of Biochemistry and so on and within his idiolect he has varieties shared by other persons and their idiolect appropriate to these roles)."[4]

4354 HA/2011—4A

भाषा का प्रयोग समाज में होता है लेकिन समाज के संदर्भ हमेशा एक नहीं होते। प्रयोजन के अनुसार, अभिव्यक्ति के अनुसार, परंपरा आदि के अनुसार समाज के परिवर्तन निर्धारित होते हैं। इस दृष्टि से कार्यालय का समाज एक है, बैंक का दूसरा, कोर्ट-कचहरी का समाज तीसरा है तो किसी सब्जी बाजार, साहित्यिक गोष्ठी या डॉक्टरी चिकित्सा आदि का समाज चौथा। इन सभी में भाषा का रूप किसी-न-किसी रूप में एक-दूसरे से हटकर है।

प्रयुक्ति के संदर्भ को स्पष्ट करते हुए डॉ. दिलिप सिंह ने अपना मंतव्य प्रस्तुत किया है कि–"भाषा प्रयुक्ति एक प्रकार का भाषा रूप है। विभिन्न भाषा रूपों को हम दो संदर्भों में देख सकते हैं–भाषा शैली का संदर्भ और भाषा प्रयुक्ति का संदर्भ।"[5] प्रयुक्ति और शैली में अंतर समाजपरक और कार्यपरक भेद के कारण होता है। भिन्न-भिन्न भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए 'शैली' जबकि कार्यक्षेत्र को महत्त्व देते हुए 'प्रयुक्ति' का महत्त्व होता है। 'प्रयुक्ति' विषय विशेष से जुड़ी रहती है जबकि 'शैली' समाजपरक विभिन्न भूमिकाओं से। संक्षेप में भाषाविज्ञान में रजिस्टर (प्रयुक्ति) शब्द का प्रयोग विशिष्ट विषय संदर्भों में प्रयोज्य भाषा प्रयोगों के लिए किया जाता है। भाषा प्रमुख प्रयोग क्षेत्र से बंधी होती है जिसमें विषय से संबद्ध शब्दावली अभिव्यक्तियों और वाक्य संरचना रहती है।

उदाहरणार्थ :–

Bank-	Physics	व्यूह, पूंज
	Geology	तट, किनारा
	Commerce	बैंक
Commission-	Maths	दलाली कमीशन
	Administration	आयोग
Direct-	Maths	सरल, सीधा, ऋजु
	Physics	प्रत्यक्ष समय।

डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी के मुख्य प्रयोजनमूलक रूप सात हैं। (1) बोलचाल की हिंदी (2) कार्यालयी हिंदी कार्यालय कई प्रकार के होते हैं और इसमें भी भाषा के स्तर पर कुछ अंतर होता है। (3) व्यापारी हिंदी (मंडियों, बाजारों, शेयर बाजारों, सट्टे बाजारों आदि की हिंदी (4) शास्त्रीय हिंदी (विभिन्न शास्त्रों में प्रयुक्त भाषा में भी भाषा स्तर पर कुछ भेद हैं। इसमें संगीतशास्त्र, काव्यशास्त्र, भाषाशास्त्र, दर्शनशास्त्र, योगशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, विधि शास्त्र आदि) (5) तकनीकी हिंदी (इंजीनियरी, उद्योग, फैक्टरी, खेलकूद, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन, इंटरनेट की हिंदी आदि) (6) समाजी हिंदी (जिसका प्रयोग समाज के लोग एवं सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं।) (7) साहित्यिक हिंदी (कविता, कलासाहित्य तथा नाटक की भाषा आदि में भी अंतर होता है।)[6] इस तरह स्पष्ट है कि भाषा का प्रयोगगत रूप ही प्रयोजनमूलक रूप है जो विशिष्ट संदर्भ, शैली एवं प्रयुक्ति के आधार पर बनता है तथा उसी क्षेत्र विशेष में रूढ़ हो जाता है। हिंदी के विविध प्रयोजनमूलक रूपों में एक प्रयुक्ति कार्यालयी भाषा या प्रशासनिक भाषा है। सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाई जाने वाली प्रयोजनमूलक भाषा को कार्यालयी हिंदी, प्रशासनिक हिंदी या 'ऑफिसियल लेंग्वेज' आदि नामों से जाना जाता है।

कार्यालयी हिंदी का प्रारंभ स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में हिंदी का भारत संघ की राजभाषा के पद पर आसीन होने तथा उससे संबंधित विविध आदेश, अधिनियम, उपबंध नियम आदि के माध्यम से हुआ। इसके प्रयोग हेतु राष्ट्रपति जी ने 1955 में एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार यह आवश्यक हो गया कि प्रशासनिक रिपोर्टें, संसद को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें तथा सरकारी पत्र-पत्रिकाएं आदि भी यथासंभव रूप में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में प्रकाशित की जाएं। अत: यह माना जा सकता है कि सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग की शुरुआत अनुवाद के माध्यम से हुई। तत्पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा 27 अप्रैल, 1960 को एक आदेश जारी किया गया जिसके तहत असांविधिक साहित्य के अनुवाद की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय को तथा सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का कार्यविधि मंत्रालय को सौंपा गया। सरकारी कामकाज में हिंदी के सुचारू प्रयोग के लिए प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली की आवश्यकता महसूस हुई जिसकी पूर्ति के लिए भारत सरकार ने अक्तूबर, 1961 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की और प्रशासनिक शब्दावली के साथ-साथ अन्य विषयों की शब्दावली तैयार करने का कार्य सौंपा।

प्रशासनिक या कार्यालयी भाषा या प्रशासनिक साहित्य और शब्दावली, सर्जनात्मक साहित्य की भाषा और शब्दावली

4354 HA/2011—4B

से बिल्कुल भिन्न होती है। सरकारी भाषा की प्रयुक्ति मुख्यत: तकनीकी होती है जबकि साहित्य की भाषा भावप्रधान होती है। डॉ. भोलानाथ तिवारी ने कार्यालयी भाषा की प्रमुख विशेषताओं में अभिधा का प्रयोग, एकार्थता, अलग पारिभाषिक शब्द, समस्रोतीयता, शैली भेद, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग, शब्द संक्षेप, निर्वैयक्तिक भाषा रूप, अनुवाद की शैली आदि को रखा है।

सरकारी कामकाज की भाषा में सुनिश्चित शब्दावली और सुनिश्चित अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कार्यालयी भाषा का स्वरूप व्यक्ति निरपेक्ष होता है जबकि व्यक्तिगत पत्राचार की भाषा का स्वरूप व्यक्ति सापेक्ष होता है। कार्यालयी हिंदी का प्रयोग शासनतंत्र का कोई व्यक्ति है जो प्रयोग के समय व्यक्ति न होकर तंत्र का एक अंग होता है। इसलिए वह जो कुछ कहता या लिखता है, शासन की ओर से कहता या लिखता है। अत: भाषा व्यक्ति सापेक्ष न होकर निर्वैयक्तिक हो जाती है और कथन भी व्यक्ति निरपेक्ष बन जाता है; जैसे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि · · · (न कि मैं सर्वसाधारण को सूचित करता हूं।), कार्यवाही की जाए (न कि–आप कार्यवाही करें।), स्वीकृति दी जा सकती है (न कि–स्वीकृति दें/ दीजिए।), इस कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि · · · आदि। कार्यालयी भाषा सूचनात्मक भाषा होने के कारण अभिधा का प्रयोग इस प्रयुक्ति क्षेत्र की प्रमुख विशेषता बन गई है। सर्जनात्मकता के लिए आवश्यक लक्षणा–व्यंजनागत भाषा–चमत्कार के लिए इस क्षेत्र में कोई गुंजाईश नहीं है। कार्यालयी भाषा का उद्देश्य कार्य निबटाना है । इस दृष्टि से पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग में एकार्थता एवं एकरूपता की आवश्यकता सर्वथा रहती है। एक शब्द के लिए एक ही पर्यायवाची सुनिश्चित किया जाता है; जैसे : Order, direction और Instruction इन तीनों शब्दों का अंत: एक समान है किंतु संकल्पना अलग-अलग है अर्थात् कही गई बात को पूरा करना अथवा उसका अनुपालन करना। किंतु इन तीनों शब्दों के मूल में निहितार्थ सर्वथा भिन्न है जिसे ध्यान में रखते हुए विशेष प्रयोजनों में इनके लिए अलग-अलग शब्द क्रमश: आदेश, निर्देश, और अनुदेश सुनिश्चित किए गए हैं। इसी प्रकार Sanction, Approval और Permission के लिए मंजूरी या स्वीकृति, अनुमोदन और अनुमति शब्द सुनिश्चित किए गए हैं। Dismissal और Removal दोनों शब्दों का सामान्य अर्थ नौकरी से हटाना है किंतु Dismissal ऐसे दंड के रूप में है कि नौकरी से निकाले गए व्यक्ति को पुन: नौकरी में नहीं रखा जा सकता किंतु सेवा से Removal या हटाए गए कर्मचारी की भावी सेवा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इस भिन्नार्थ छाया को ध्यान में रखते हुए Dismissal के लिए 'बर्खास्तगी' और Removal के लिए 'निष्कासन' या 'सेवा से हटाना' शब्द सुनिश्चित किए गए हैं। इसी प्रकार Demotion और Reversion का यद्यपि एक ही अर्थ है–भिन्न स्तर पर जाना। किंतु Demotion एक दंड है, सजा है तथा Reversion कोई दंड नहीं है। यदि दंड है भी तो उसका कर्मचारी की भावी सेवा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसे ध्यान में रखते हुए Demotion के लिए 'पदावनति' और Reversion के लिए 'प्रत्यावर्तन' शब्द बनाए गए हैं। इसी प्रकार 'कार्रवाई' और 'कार्यवाही' शब्द सर्वथा भिन्न अर्थों में प्रयुक्त किए जाते हैं। 'कार्रवाई' Action का समानार्थी है जो किसी कार्य से संबंधित है और कार्यवाही किसी बैठक में हुई चर्चा के विवरण का अर्थ देता है। जो Proceeding का समानार्थी है। Intention, Motive, object, Purpose, view को क्रमश: आशय, हेतु, उद्देश्य, प्रयोजन और अभिप्राय कहा जाएगा। चाहे साधारणत: बोल-चाल में एक शब्द के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर लें।

कार्यालयी हिंदी में शैली भेद दृष्टिगत होता है और वह विशेषता ऐसी है जो विश्व की अन्य सभी कार्यालयी भाषाओं से उसे अलग कर देती है। कार्यालयी भाषा में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी के काफी शब्द ऐसे हैं जिनके लिए हिंदी में दो-दो, तीन-तीन प्रतिशब्द चल गए हैं।

जैसे

Application	आवेदनपत्र/अर्जी
Affidavit	शपथपत्र/हलफनामा
Alteration in draft	प्रारूप में परिवर्तन/मसौदे में फेरबदल
Argument advanced	प्रस्तुत तर्क/पेश की गई दलीलें आदि

कार्यालयी भाषा की विशिष्ट प्रकृति होने के कारण उसकी कुछ ऐसी अभिव्यक्तियां है जो विशेषार्थ या बहुप्रचलन के कारण उल्लेखनीय हैं; जैसे: Out Standing,

Very Good, Fair/Average और Poor के लिए कार्यालय हिंदी में क्रमशः उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, साधारण/औसत और मामूली शब्द सुनिश्चित किए गए हैं। बोलचाल में यह सब भले ही अच्छे अर्थ के द्योतक हों, परंतु इस क्रम में वे इतने अच्छे नहीं है। विभागीय पदोन्नति के समय जिस व्यक्ति की दो या तीन गोपनीय रिपोर्टें Outstanding (उत्कृष्ट) होती हैं वह Very Good (बहुत अच्छा) रिपोर्टों वालों को और जिसकी दो या तीन रिपोर्टें Very Good (बहुत अच्छा) हो वह Good (अच्छा) रिपोर्टों वालों से आगे निकल जाता है और उसकी पदोन्नति हो जाती है। नित्य के प्रशासनिक कार्य को निबटाने के लिए कार्यालयी हिंदी में अनेक अभिव्यक्तियों बहुप्रचलित हैं।

इस प्रकार कार्यालयी या प्रशासनिक हिंदी, हिंदी का स्वतंत्र प्रयोजनमूलक रूप है जिसकी स्वतंत्र पारिभाषिक शब्दावली है जिसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने 'समेकित प्रशासनिक शब्दावली' के नाम से तैयार किया है। इसमें केंद्र तथा राज्य सरकार के रोजमर्रा के दैनिक प्रशासनिक कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले लगभग 12,000 शब्द, 425 वाक्यांश, 200 डिग्री डिप्लोमा से-संबंधित शब्द और उनकी संक्षिप्तियां शामिल हैं। इस शब्दावली का प्रयोग कार्यालयी भाषा के क्षेत्र में बखूबी हो रहा है। यह भाषा प्रयुक्ति अपनी स्वतंत्र पहचान बना चुकी है तथा उसका उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। ■

संदर्भ सूची

1. राजभाषा हिंदी, राजभाषा विभाग, लेख–'प्रयोजनमूलक हिंदी विविध रूप, नेत्रसिंह रावत, पृष्ठ सं. 226
2. हिंदी भाषा, डॉ. भोलानाथ तिवारी पृष्ठ सं. 220
3. The Linguistic Science And Language Teaching, Longmans, Haliday, M.A.K., Augus, Mcinttosh and Peter Stevens, 1963
4. A Linguistic Theory of Translation, Catford J.C., 1965
5. हिंदी भाषा की सामाजिक संरचना (सं.) डॉ. भोलानाथ तिवारी, लेख–"भाषा प्रयुक्ति की संकल्पना", डॉ. दिलीप सिंह पृष्ठ सं. 120
6. प्रयोजनमूलक हिंदी (सं.) रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, लेख–'प्रयोजनमूलक हिंदी', डॉ. भोलानाथ तिवारी पृष्ठ सं. 15

पृष्ठ 7 का शेष

नए खुलने वाले संस्थानों, कार्यालयों एवं योजनाओं के नाम पहले हिंदी में सोचे जाएं, फिर उनका रूपांतरण अंग्रेजी में किया जाए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है?

देश की उभरती हुई प्रतिभाओं के समुचित विकास के लिए और ज्ञान विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा काम यह होगा कि केंद्रीय स्तर पर एक "राष्ट्रीय अनुवाद अकादमी" की स्थापना की जाए, जो अंग्रेजी और विश्व की किसी भी प्रमुख भाषा में प्रकाशित ज्ञान विज्ञान की नवीनतम उपयोगी पुस्तकों का सीधे और तत्काल हिंदी में अनुवाद करें, और उसे उच्च शिक्षा संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाए, ताकि छात्र उसे तत्काल हिंदी में पढ़कर उसका उपयोग अपनी शिक्षा में करें। यह कार्य निरन्तर चलते रहना चाहिए। इससे सभी छात्रों को मामूली बातों के लिए भी माध्यम के लिए अंग्रेजी की अधिक आवश्यकता नहीं रह जाएगी और वे माध्यम के बजाए विषय को जानने पर अधिक ध्यान दे पाएंगे।

विदेशों से आने वाले शासनाध्यक्षों, प्रतिनिधियों आदि के साथ होने वाली वार्ताओं में सरकारी स्तर पर, औपचारिकता के लिए ही सही, राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाए और विदेशी मेहमानों की सुविधा के लिए ऐसे दुभाषिए की व्यवस्था की जाए, जो सीधा उनकी भाषा में अनुवाद कर सके । यह उस स्थिति में और भी जरूरी है, जब विदेशी मेहमान अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा हो। इससे देश की गरिमा बढ़ेगी। मुझे याद है ऐसे सफल प्रयोग राष्ट्रपति भवन में, उस समय किए गए थे, जब ज्ञानी जैल सिंह जी भारत के राष्ट्रपति थे। वे कहते थे कि यदि हम ही अपनी भाषा का सम्मान नहीं कर करेंगे तो और कौन करेगा?

अंतिम बात यह है कि हिंदी को रोजगार के साथ जोड़ा जाए। इसके लिए हमें उच्च शिक्षा संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थाओं और व्यावसायिक केंद्रों में शिक्षा का माध्यम हिंदी को बनाना होगा। न्यायालयों में भी हिंदी में बहस करने और निर्णय दिए जाने का विकल्प दिया जाए, तभी हिंदी की लोकप्रियता बढ़ेगी। ■

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में राजभाषा हिंदी की प्रासंगिकता

—डॉ. एम. सी. पाण्डेय*

किसी भी देश में संविधान या विधि बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? संबद्ध देश का संविधान उस देश की शासन व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं का एक परिदृश्य होता है। संविधान या विधि में न केवल व्यक्तियों के बीच परस्पर मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने की दृष्टि समाकलित होती है बल्कि यह स्वयं, परिवार, वर्ग, समाज और देश को भी नियंत्रित और व्यवस्थित करता है। अत: विधि, समाज और भाषा का अन्योन्याश्रित संबंध है।

भाषा लोगों के बीच भावनात्मक संबंध स्थापित करने का ही एकमात्र साधन नहीं बल्कि एक-दूसरे के साथ परस्पर विचारों और भावनाओं को समझने और एक-दूसरे से बातचीत करने का एक सशक्त साधन है। किसी लोकतंत्र में यह अधिकार महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सभी लोगों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। हम मूलत: भारत के संविधान की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए यह और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अनुसार नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार है साथ ही अनुच्छेद 29(1) के अधीन प्रत्येक नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है।

यह उल्लेख करना अपरिहार्य है कि भाषा किसी देश की राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष पर थोपी नहीं जा सकती बल्कि यह व्यवहार से पुष्पित और पल्वित होती है। समाज के किसी वर्ग पर उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भाषा को थोपा जाना उसके मूल अधिकार का अतिक्रमण होगा। इसके विपरीत, लोगों की मनोवृत्ति को सहज परिवर्तित करना होगा जिससे कि देश की सभी जनता एक रूपभाषा (एक ही भाषा अर्थात् हिंदी) अंगीकार करने की दिशा में आगे बढ़े। संविधान का अनुच्छेद 351 यह उपबंध करता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का इस प्रकार प्रसार करे, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अनुच्छेद 343 हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में घोषित करता है। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं की सूची है जिसके अंतर्गत हिंदी भी है। संविधान में यह उपबंध है कि अनुच्छेद 344 के अनुसार एक आयोग का गठन किया जाएगा जो आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से मिलकर बनेगा जो राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग और अनुच्छेद 348 में वर्णित प्रयोजनों के लिए अर्थात् उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा विधेयकों, अधिनियमों, नियमों आदि के प्रारूपण में प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए सिफारिशें करेगा। तत्पश्चात् आयोग की सिफारिशों पर अनुच्छेद 344(4) के अधीन उक्त प्रयोजन के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा। उक्त समिति आयोग की सिफारिशों पर विचार करेगी और अपनी राय राष्ट्रपति को देगी। राष्ट्रपति रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् संपूर्ण रिपोर्ट या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश जारी करेगा।

अनुच्छेद 344 के अधीन गठित संयुक्त संसदीय समिति ने अनुच्छेद 348 के संबंध में दो सिफारिशें की हैं, जो इस प्रकार है :

16.8(घ) संविधान के अनुच्छेद 348 को विधायी विभाग को हिंदी में मूल रूप से प्रारूपण करने का कार्य हाथ में लेने में समर्थ बनाने के लिए संशोधित किया जा सकता है।

16.8(ङ) संविधान के अनुच्छेद 348 के संशोधन के पश्चात् उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय से अपने निर्णयों और डिक्रियों आदि को हिंदी में देना प्रारंभ करने के लिए कहा जाना चाहिए जिससे कि बड़ी संख्या में सरकारी विभाग जो न्यायिक/न्यायिक-कल्प कृत्य कर रहे हैं, हिंदी में आदेश देने में समर्थ हो सकें। इस समय ये विभाग हिंदी

* सहायक विधायी परामर्शी, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

4354 HA/2011—5A

में आदेश पारित करने में असमर्थ हैं क्योंकि उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में उनके आदेश के विरुद्ध अपीलें अंग्रेजी में संचालित की जानी होती हैं।

इस समय संपूर्ण भारत में उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होती है। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार भाग 17 के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी। इस अनुच्छेद के खंड (2) के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

सर्वप्रथम मैं लोगों के मन से इस धारणा को दूर करने का प्रयास करना चाहूंगा कि हिंदी भाषा किसी विशेष वर्ग, समुदाय, सम्प्रदाय या क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है जैसा कि इस भाषा का विरोध करने वाले अधिकांश लोग जानते या समझते हैं या उन्हें भाषा के विरोध के नाम पर समझाया जाता हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तरांचल, राजस्थान, झारखंड आदि जैसे प्रदेशों की भाषा कतई हिंदी नहीं है वहां तो विभिन्न क्षेत्रों में ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, आदि कई अन्य भाषाओं का उपयोग होता हैं हिंदी भाषा का उद्‌भव तो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की अवधि के दौरान हुआ। देश के विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर विचार-विनिमय के लिए एक भाषा का विकास किया जिसे हिंदी के नाम से जाना जाता है। यूं तो विद्वानों की राय में संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है दूसरे शब्दों में, सभी भारतीय भाषाओं का उद्‌भव और विकास संस्कृत भाषा से ही हुआ। संस्कृत भाषा और आठवीं अनुसूची में सूचीगत सभी अन्य भारतीय भाषाओं में विधिक राजनीतिक सामाजिक, औद्योगिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विषयों को उचित और सही तरीके से प्रतिपादित करने की भरपूर शब्दावली है। अतः यह कहना कि केवल अंग्रेजी भाषा में ही शब्द भंडार है अन्य भाषाओं में नहीं, बिल्कुल निराधार है। इसी संकल्पना को ध्यान में रखते हुए विधायी विभाग के अधीन राजभाषा विधायी आयोग का गठन किया गया था। राजभाषा विधायी आयोग ने अखिल भारतीय स्तर पर एकल विधिक भाषा सुनिश्चित करने की दिशा में अथक प्रयास किया और इस दिशा में कार्य करते हुए अखिल भारतीय स्तर की एक विधि शब्दावली का भी निर्माण किया। इसके साथ-साथ विधायी आयोग ने सभी महत्वपूर्ण अधिनियमों का पाठ अखिल भारतीय स्तर को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा में तैयार किया। लेकिन भारतीय आंग्ल व्यक्तियों का अंग्रेजी प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया है कि केंद्रीय सरकार ने विधायी आयोग को ही समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर विधायी आयोग का कार्य एक सरकारी तंत्र को सौंप दिया। इसके परिणामस्वरूप राजभाषा विधायी आयोग के माध्यम से देश की विधि एक ही भाषा की दिशा में जो कार्य थोड़ा बहुत हुआ भी था वह समाप्त हो गया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजभाषा विधायी आयोग में हिंदी भाषा के सदस्यों के साथ-साथ आठवीं अनुसूची में सूचीगत लगभग सभी भाषाओं के विद्वान सदस्य या अध्यक्ष थे और उनका कार्य विधि के प्रारूपण और अन्य क्षेत्रों में देश की एक ही भाषा अर्थात् हिंदी का विकास करना था।

यह स्वयं सिद्ध है कि किसी राष्ट्र के नागरिकों के लिए भाषा का प्रश्न एक भावनात्मक मुद्दा है। भाषा में भी एकबद्ध करने की महान् शक्ति है और यह राष्ट्रीय एकता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। लोकतंत्र में किसी भी भाषा को जनता की इच्छा के विरुद्ध नहीं थोपा जा सकता क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा होने की संभावना हो सकती है। भाषा विचार और अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है बल्कि उच्चतर स्तर पर न्यायाधीशों के लिए उनके निर्णय देने की प्रक्रिया का एक अभिन्न भाग है। न्यायाधीशों को दोनों पक्षों को सुनना होता है, बहस को समझना होता है, मुद्दों की जटिलताओं को समझकर उसे लागू विधि के अनुसार निपटाना होता है। चूंकि उच्चतर न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होती हैं इसलिए इन न्यायालयों में तर्क अंग्रेजी में दिए जाते हैं, आवेदन भी अंग्रेजी में दिए जाते हैं और मुद्दों का निपटान भी अंग्रेजी भाषा में होता है। मेरा यह सुझाव है कि संविधान में संशोधन किया जाए कि यदि दोनों पक्षकार आवेदन के समय ही शपथपत्र पर राष्ट्रभाषा हिंदी में आवेदन देने, बहस करने और निर्णय सुनने के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी सहमति दें तो उस उच्चतर न्यायालय को चाहिए कि उस मामले की सुनवाई हिंदी में करें और उस मामले का निर्णय भी हिंदी में ही दिया जाए। हमारे राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अपना अधिकारपूर्ण स्थान मिलना चाहिए और उच्चतर न्यायालय इसके अपवाद नहीं हो सकते हैं। आज संपूर्ण सरकारी तंत्र में राजभाषा हिंदी में कार्य हो रहा है और यह शत-प्रतिशत प्रगति की ओर है तो मात्र उच्चतर न्यायालयों को देश की मुख्य धारा से अलग करके इसके लिए ही अंग्रेजी भाषा बनाए रखना अत्यधिक श्रेयस्कर या प्रासंगिक नहीं होगा। संसदीय समिति की

4354 HA/2011—5B

सिफारिशों का सम्मान किया जाना चाहिए और इस दिशा में कार्य आरंभ किया जाना चाहिए यद्यपि सावधानी की अपेक्षा है कि तेजी से किंतु कदम धीरे-धीरे आगे बढ़ाया जाए। यह कार्य दबाव से नहीं वरन् अनुनय-विनय से करना अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है।

संविधान के अनुच्छेद 350क के अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षण के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। इसका यह तात्पर्य है कि सभी नागरिकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में अपनी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी में चालू रखने के पक्षधर व्यक्तियों की अन्य बातों के साथ-साथ प्राय: यह राय रहती है कि चूंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का चयन संपूर्ण भारत आधार पर किया जाता है और वे सभी हिंदी से सुपरिचित नहीं होते, अत: उनके हिंदी में निर्णय देने के लिए नहीं कहा जा सकता। उनका यह भी तर्क होता है कि स्थानांतरण नीति के कारण वे अनेक राज्यों की भाषा को समझने और उसका प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं इसलिए उच्चतर न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। उनका यह मानना है कि अंग्रेजी भाषा में ही बहुत ही समृद्ध विधिक शब्दावली हैं विधियों की अंग्रेजी में ही पाठ्यपुस्तकें हैं। निर्णीतानुसरण के सिद्धांत के कारण भी वे अंग्रेजी में कार्यवाही किए जाने के पक्ष में तर्क देते हैं। उपरोक्त तर्कों में ऐसा कोई तर्क नहीं है जो युक्तियुक्त और तर्कसंगत हो क्योंकि भारतीय सिविल सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों को भी इन्हीं स्थितियों और परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है और वे इन सभी समस्याओं का निदान स्वयं ही समुचित तरीके से कर लेते हैं। उन सेवाओं में कोई विसंगति नहीं है इसलिए उच्चतर न्यायालयों में भी अखिल भारतीय स्तर प्रदान किए जाने और हिंदी भाषा अपनाए जाने में कोई परेशानी नहीं होगी।

अधिकांश न्यायाधीश या अंग्रेजी भाषा के पक्षधर यह भूल जाते हैं कि निर्णय कब, क्यों और कैसे देना होता है। दो पक्षकारों के बीच उद्भूत मुद्दों पर न्यायाधीशों को निर्णय लेना होता है। विवाद पक्षकारों के बीच उद्भूत होते हैं। कुछ विवाद स्वीय प्रकृति के होते हैं जबकि कुछ विवाद समाज सापेक्ष होते हैं। जब स्वयं विवाद भारतीय लोगों के बीच के होते हैं और भारतीय समाज की परिस्थितियों में उद्भूत होते हैं तो यह समझ में नहीं आता कि अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी में बनाए गए विधि सिद्धांत हमारी भारतीय समस्याओं पर हू-ब-हू कैसे लागू हो सकते हैं? माना कि सामान्य सिद्धांत सभी काल, परिस्थिति और देश को लागू होते हैं किंतु केवल उसी आधार पर हम भारतीयों को अपने मानव-मूल्यों, संस्कृतियों सभ्यताओं और आदर्शों को उन अंग्रेजी सिद्धांतों के समक्ष कुर्बान कर देना होगा। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक समाज की अपनी मान्यताएं और प्रचलित रूढ़ियां या परम्पराएं होती हैं। हम अंग्रेजों के नियमों को कैसे आत्मसात कर सकते हैं क्योंकि वे नियम तो अंग्रेजों की परिस्थितियों के सापेक्ष बने हैं। हमें अपने लोगों (भारतीय) के सापेक्ष नियम बनाना चाहिए और उसका निर्वचन भी अपने लोगों द्वारा ही उसी देश, काल और परिस्थिति के सापेक्ष करना चाहिए जिसको ध्यान में रखकर नियम बनाए गए हैं।

संसद् विधान बनाने की सर्वोच्च संस्था है और संविधान के अधीन गठित संयुक्त संसदीय समितियों की विवादित मुद्दों पर सिफारिश का बहुत महत्व होता है। अत: हमें संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। विशेषकर हमें गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से अधिक अपेक्षा है क्योंकि संपूर्ण देश में सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का दायित्व गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग को सौंपा गया है। राजभाषा विभाग से यह अपेक्षा है कि संसदीय समिति की सिफारिशों के पैरा 16.8(घ) और पैरा 16.8(ङ) की सिफारिशों को लागू करने के लिए विधायी विभाग को हिंदी में मूल रूप से प्रारूपण का कार्य हाथ में लेने के लिए उचित निर्देश जारी करे और उच्च न्यायालयों में हिंदी में कार्य आरंभ करने को प्रोत्साहित करे। ऐसे मामलों में तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हिंदी में आवेदन देने, बहस करने या हिंदी में निर्णय देने के लिए कहा जाना चाहिए। जहां दोनों पक्षकार आरंभ में ही शपथपत्र द्वारा अपने मामले की कार्यवाही हिंदी भाषा में करने का विकल्प देते हों। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 348 में उपयुक्त संशोधन करने का समय आ गया है। अत: देश की सामासिक संस्कृति के विकास के लिए हिंदी के प्रयोग की अपेक्षा है इसके लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाना अपरिहार्य है। मैं यह समीचीन समझता हूं कि संपूर्ण विधि के क्षेत्र में विधि की एक ही भाषा के विकास के लिए एक राजभाषा विधायी आयोग के गठन की आवश्यकता है। यदि राजभाषा विधायी आयोग संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीगत सभी भाषाओं के भाषाविदों से मिलकर बनेगा तो विधि के क्षेत्र में एक ही भाषा (हिंदी) के विकास और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेगा। जिसके परिणामस्वरूप ही हम संसदीय समिति की उक्त सिफारिशों को भी कार्यान्वित करने में सफल हो सकेंगे। ■

हिंदी को लुप्त प्रजाति की भाषा होने से बचाओ

–उत्पल बैनर्जी*

निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल।।

निश्चित रूप से भारतेंदु एक भविष्यद्रष्टा रचनाकार थे और उनकी यह बहुश्रुत उक्ति उनकी इसी अद्भुत प्रतिभा की एक मिसाल पेश करती है। साम्राज्यवाद किस तरह एक देश की संस्कृति पर निर्मम और बेआवाज प्रहार कर उसे अपदस्थ करने का काम करता है। इसे उन्होंने आज से लगभग एक शताब्दी पहले ही पहचान लिया था और उनकी बहुत-सी रचनाओं में इस बात के स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं। आज हम बाजार के रूप में आर्थिक साम्राज्यवाद के उसी कराल ग्रास के शिकार होते जाने के लिए अभिशप्त हैं। विडंबना यह है कि यह अपसंस्कृति चकाचौंध का एक ऐसा लुभावना मायाजाल बुनती है, जिसमें धीरे-धीरे पूरा एक समाज, एक देश और व्यापक अर्थ में एक संस्कृति फँसती चली जाती है और अंत में अपने मूल स्वरूप और अस्मिता को खोकर अपनी ही आदतों की गुलाम बनने को विवश हो जाती है। हमने लंबे अनुभव से देखा है कि साम्राज्यवादी ताकतें सबसे पहले भाषा पर आक्रमण करती है, फिर धीरे-धीरे कला और लोकमानस में सेंध लगाती है, फिर और व्यापक रूप में वह राष्ट्रीयता और जातीय अस्मिता पर नि:शब्द वार करती है और अंतत: एक जीवनशैली को पूरी तरह बदल कर समाज को उसकी संस्कृति और परंपराओं से काट कर आधुनिकता के नाम पर भोगवाद के निर्मम दर्शन का हिमायती बना देती है।

इसी क्रम में हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के कत्ल की साजिश को अब, सरेआम होते देख रहे हैं वह हिंदी जो अब तक हमारे व्यापक संपर्क, हमारे रोज के कार्यों, प्रशासन, साहित्य, कला, राजनीति, व्यवसाय की भाषा रही आई थी। उस हिंदी को बड़ी सफाई और कुटिलता के साथ मार डालने का षडयंत्र रचा जा चुका है। आज अखबारों की भाषा देखें या फिर संचार माध्यमों की भाषा देखें, वहां एक अजीब क़िस्म की अंग्रेजी मिश्रित भाषा ने हिंदी के शब्दों, वाक्यों को धीरे-धीरे निकाल बाहर करने की शुरुआत कर दी है। हिंदी के लगभग हर अखबार में या फिर दूरदर्शन (टेलीविजन) के कार्यक्रमों, विज्ञापनों में आप देखिए कि कुछ समय से हिंदी की खबरों के बीच-बीच में अंग्रेजी के शब्दों और कहीं-कहीं तो वाक्यों का भी बेतुका प्रयोग बहुतायत में दिखाई देने लगा है। जैसे कि पेरेन्ट्स, मेमोरेबल, पार्टिसिपेट, एडवेंचर, स्टूडेंट्स, वीकेंड, सिलेक्शन, इनर क्वालिटी, फैकल्टी, अवेयर, प्रोग्राम्स . . . इसी तरह के और भी सैंकड़ों शब्द। धीरे-धीरे यही भाषा समाज में बोली और लिखी जाने वाली भाषा का रूप ले लेगी तो फिर एक दिन हम देखेंगे कि हमारी हिंदी हमारे ही समाज से विदा हो चुकी है (हालांकि इसकी शुरुआत हो चुकी है) और अंग्रेजी अपने विभिन्न रूपों में अपने पांव पसार चुकी है। सारा समाज एक अधकचरी बेहुदी भाषा बोलने लगा है, जिसका न तो कोई इतिहास है और न ही कोई सांस्कृतिक पहचान। वह जो अल्लामा इकबाल ने कहा था न–'कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी'–दुर्भाग्य कि अब सचमुच उस हस्ती के नामोनिशां के मिटने की तैयारी हो चुकी है।

आप सभी के मन में यह सवाल कचोटता होगा कि आख़िर हमारी राष्ट्रभाषा के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वह यह कि अमरीका–जैसे तमाम बड़े देश अपना व्यापार समूचे संसार में फैला देना चाहते हैं। यहां का भारी मुनाफा अपने यहां समेट कर ले जाना चाहते हैं। अपने व्यापार को जमाने के लिए उसे ऐसे बाजार की जरूरत होगी जहां लोग उसके माल को अपना कर कुछ खास दिख सकें, खुद को औरों से कुछ अधिक बेहतर महसूस कर सकें। ऐसा कर पाने के लिए जरूरी है कि लोगों की

* हिंदी विभाग, डेली कॉलेज, इंदौर-452001 (मध्य प्रदेश)

मानसिकता में ऐसा बदलाव आए जो उनके व्यापार की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। इसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि एक देश के लोगों के मन में उस देश की हरेक चीज के प्रति उपेक्षा के भाव पैदा किए जाएं। लोगों को यह समझाया जाए कि तुम अब भी अपने देश की पुरानी और दकियानूसी चीजों में अटके हुए हो! देखो, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। तुम अपने देश, भाषा, संस्कृति, साहित्य, संगीत के सीमित दायरे में कुएं के मेंढक की तरह पड़े हुए हो जबकि बाहर सब कुछ बदल चुका है! पुरानी चीजें छोड़ो और नई चीजें अपनाओ । हमारा भोला मन पूछता है कि अब ये नई चीजें क्या हैं? तो लीजिए अखबारों, टेलीविजन के विज्ञापनों तथा पत्रिकाओं में देख लीजिए सब कुछ नया ही नया है! एक खास कंपनी का कपड़ा पहनोगे तब ही तुम 'कम्प्लीट मैन' बन सकोगे। जाहिर है 'इनकम्प्लीट मैन' कौन बनना चाहता है! इधर एक नया नारा बुलंद हो रहा है—'देश बदला, भेस बदलो'। लेकिन हम जानते हैं कि पर्दे पर ऐसा कहने वाला व्यक्ति चिंतन-विवेचन के निष्कर्ष के रूप में ऐसा नहीं कह रहा। उससे वह कंपनी ऐसा कहलवा रही है जो कपड़े बेचती है। एक ऐसी मानसिकता लोगों में पैदा की जा रही है कि जिससे किसी का कुछ अच्छा देखते ही लोगों के मन में प्रशंसा के भाव न उठें बल्कि तुरंत उसके दिमाग में यह विचार उठे कि अरे 'उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे?'। यही वजह है कि अब हमारी नई पीढ़ी के आदर्श ढीले-ढाले कपड़े वाले गांधी, विवेकानंद, सरोजिनी नायडू, श्रीनिवास रामानुजम, मदर टेरेसा जैसे लोग नहीं रहे। अब उनके आदर्श चुस्त कपड़े पहने फिल्म (चलचित्र) अभिनेता हैं या फिर बहुत कम कपड़े पहनी हुई अभिनेत्रियां। ये लोग भी अपनी राष्ट्रभाषा नहीं बोलते। धीरे-धीरे समूचे राष्ट्र की मानसिकता ही ऐसी बनने लगी है कि यदि हमारे व्यक्तित्व में अंग्रेजियत नहीं झलकी तो फिर यह जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। आज का ज्यादातर फिल्मी संगीत अंग्रेजी धुनों की फूहड़ नकल के सहारे पैसे कमा रहा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं कि पिछले कुछ समय से हमारी फिल्मों में विदेशी नायिकाओं को जमकर मौका दिया जाने लगा है, विदेशों में फिल्मों की शूटिंग का तो इतिहास काफी पुराना है। इन सबके पीछे एक बहुत बारीक व्यावसायिक सोच काम करती है। यह एक देश के मानस को बाजार के हिसाब से बदलने का बहुत ही सुनियोजित तरीका है। ऐसी फिल्मों में बहुत से ऐसे बड़े पूंजीपति पैसा लगाते हैं, जिनका व्यवसाय कुछ और होता है।

अंतरराष्ट्रीय कंपनियां पूरी तरह से हमारी भाषाओं को नष्ट कर देना चाहती हैं। ताकि हममें अपना राष्ट्र—जैसा कोई विचार ही न बचा रह जाए और तब हर तरफ उनका ही साम्राज्य एक बार फिर फल-फूल सके। हमारे बाजारों में उनका ही एकाधिकार हो। लोग उनकी ही भाषा में सोचें, उनकी ही भाषा में सांस लें, कुल मिलाकर एक व्यापक गुलामी के फिर से पूरे-पूरे आसार नजर आने लगे हैं। हमारे देश के पूंजीपति बड़े लोग भी उनके इस षडयंत्र में पूरा-पूरा सहयोग दे रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा उन्हें भारी आर्थिक फायदे मिल रहे हैं। कंपनियां बाकायदा इस काम के लिए अखबारों, संचार माध्यमों को बड़ी रकम दे रही हैं। यही वजह है कि व्यवस्थापकों का स्पष्ट आदेश है कि हिंदी भाषा के साथ अंग्रेजी मिश्रित अधकचरी भाषा का इतना-इतना प्रतिशत प्रयोग करना अनिवार्य है। अब तो देवनागरी लिपि की भी खैर नहीं। इसके एवज में रोमन लिपि के प्रचार प्रसार की योजना के अमल में लाने की शुरुआत इंटरनेट और मोबाइल के एस.एम.एस. के जरिए हो चुकी है।

हम सभी जानते हैं कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, चीन, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, यूनान, नॉर्वे, हंगरी, हॉलैंड रूस ··· तथा इन जैसे कई और भी देश अपनी मूल भाषा के साथ आधुनिक समय में जी रहे हैं, विकास कर रहे हैं। उनके यहां ज्ञान-विज्ञान, कला-संस्कृति, प्रशासन, साहित्य की भाषा अंग्रेजी नहीं, उनकी अपनी भाषाएं हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि अपनी भाषाओं के द्वारा भी बेहतर विकास संभव है। ऐसे में हमारी अपनी सैंकड़ों-हजारों साल पुरानी भाषाओं की हत्या की साजिश रचने को हम आखिर क्योंकर सिर झुकाए देख रहे हैं। हम अंग्रेजी सीखने का विरोध नहीं करते, हमें किसी भी भाषा से गुरेज नहीं है, हम विरोध उस धंधई मानसिकता का कर रहे हैं जो अंग्रेजी को हथियार बनाकर अपना बाजार हमारे देश के कोने-कोने में फैला देना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम अपनी भाषा, संस्कृति की बलि चढ़ाकर उनकी एक बार फिर से गुलामी स्वीकार कर लें।

हमें किसी भी हालत में इससे जूझना होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने देश से प्यार करना सीखें, उसका सम्मान करना सीखें। जिस आजादी को पाने के लिए लाखों

शेष पृष्ठ 23 पर

4354 HA/2011—6A

साहित्यिकी

हिंदी में दक्षिण भारतीय साहित्य—अनूदित साहित्य के परिप्रेक्ष्य में

—एन. गुरुमूर्ति*

ऋग्वेद का एक सूत्र है—"सब एक साथ चलें, एक ही भाषा बोलें और एक ही दिशा में ही सोचें" वैदिक युग के कवि एवं मनीषियों की यह संकल्पना रही है परंतु समय के साथ भाषाओं की संख्या बढ़ती गई। परिणामस्वरूप परस्पर एक-दूसरे की बात समझने के लिए अनुवाद का सहारा लेना पड़ा। मौखिक एवं लिखित रूप में भाषांतरीकरण का कर्य सम्पन्न होता रहा। प्राचीन काल में मानक ग्रथों को समझने के लिए उभय भाषा के पण्डितों ने टीका या व्याख्या को माध्यम बनाया। परंतु मौखिक रूप से समझने के लिए दुभाषियों का आश्रय लिया गया। इससे स्पष्ट विदित हैं भारत तथा विश्व की समस्त भाषाओं को परस्पर संपर्क में लाने के लिए एकमात्र आधार या सेतु का कार्य अनुवाद के द्वारा ही संभव है। भौतिक विकास तथा वैज्ञानिक उत्कर्ष ने राष्ट्रों के बीच इतना नैक्ट्य स्थापित किया है कि अब ऐसा लगने लगा है कि सारा विश्व अपनी विशालता को खोकर लघु रूप में परिवर्तित हो गया है। अतः विभिन्न देशों, भाषाओं, जातियों तथा संस्कृतियों को जोड़ने के लिए एकमात्र माध्यम अनुवाद ही है।

जन्मजात प्रतिभा भौगोलिक सीमाओं या भाषायी इकाइयों में आबद्ध नहीं होती। भारतीय साहित्य और संस्कृति समन्वयात्मक रही है और है। इनके विकास में सभी क्षेत्रों व प्रदेशों का योगदान रहा है। वैदिककाल से लेकर आज तक हमारे चिंतन, दर्शन, कला, अध्यात्म, धर्म और सामाजिक रीति नीतियों में सार्वदेशिकता स्पष्ट परिलक्षित होती है। सदियों से संस्कृत भारतीय चिंतन और वाङमय का प्रतिनिधित्व करती रही। संस्कृत भाषा और साहित्य के विकास में सभी प्रदेशों का न्यूनाधिक मात्रा में अवदान रहा है। धर्म, दर्शन और साहित्य ने भारत को एक सूत्र में बांध रखा हैं। वही एकात्मकता भारत की अखण्डता की परिचायक है।

किसी भी देश का इतिहास राजनीतिक हलचलों के कारण करवटें बदलता रहता है। यदि उस देश की संस्कृति समन्वयात्मक नहीं हो तो उस देश की भौगोलिक सीमाएं टूटती, बिखरती दर्शित होती हैं, उदाहरण है स्वाधीनता पूर्व भारत। फिर भी, हमारी संस्कृति आंतरिक रूप से सारे देश को एक सूत्र में बांधे हुए थी। किसी भी देश को एक सूत्र में जोड़ने में संस्कृति के साथ भाषा भी अहं भूमिका रखती है।

राष्ट्रीय आंदोलन के साथ हिंदी ने राष्ट्रभाषा स्वरूप को प्राप्त किया। स्वाधीनता के पश्चात् हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के बीच आदान-प्रदान का सूत्रपात हुआ। विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रणीत उत्तम ग्रन्थों के अनुवाद हिंदी के माध्यम से एक ओर हिंदी भाषी पाठकों को सुलभ होने लगे तो दूसरी ओर हिंदी का साहित्य विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध होने लगा। परिणामस्वरूप भारतीय भाषाओं का साहित्य समृद्ध होता जा रहा है।

आज का युग आदान-प्रदान का है। भारतीय भाषाओं का विशेष रूप से चार भाषाओं का साहित्य हिंदी के माध्यम से राष्ट्र एवं विश्व के सम्मुख प्रस्तुत हो जाए तो हिंदी सही माने में भारतीय साहित्य का प्रतिनिधित्व कर सकती है।

संस्कृति आन्तरिक रूप से सारे देश को एक सूत्र में बांधे हुए थी। किसी भी देश को एक सूत्र में जोड़ने में संस्कृति के साथ भाषा भी अहं भूमिका रखती है।

राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ हिंदी ने राष्ट्रभाषा स्वरूप को प्राप्त किया। स्वाधीनता के पश्चात् हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के बीच आदान-प्रदान का सूत्रपात हुआ। विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रणीत उत्तम ग्रन्थों के अनुवाद

* प्रचारक, दक्षिण भारती हिंदी प्रचार सभा, चेन्नई

4354 HA/2011—6B

हिंदी के माध्यम से एक ओर हिंदीभाषी पाठकों को सुलभ होने लगे तो दूसरी ओर हिंदी का साहित्य विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध होने लगा। परिणामस्वरूप भारतीय भाषाओं का विशेषत: दक्षिण भारत का साहित्य हिंदी के माध्यम से राष्ट्र एवं विश्व के सम्मुख प्रस्तुत हो जाए तो हिंदी सही माने में भारतीय साहित्य का प्रतिनिधित्व कर सकती है। इस दायित्व को विभिन्न संस्थानों के साथ लेखक, पत्रकार, अनुवादक और प्रकाशन संस्थान निष्ठापूर्वक निभाते हैं। मुख्य उद्देश्य है हिंदी भाषा द्वारा भारतीय साहित्य का निर्माण ताकि भारतीय नागरिक देश के किसी भी विषय के बारे में हिंदी में बहुत आसानी से साहित्य प्राप्त करना जैसे गूगल में हम हमारे चुने हुए विषय पर जानकारी प्राप्त करते हैं।

तमिल-हिंदी अनुवाद सेतु का निर्माण:–तिरुक्कुरल तमिल भाषा साहित्य एवं समाज को श्रेष्ठतम काव्य माना जाता है । इस काव्यग्रंथ में 1330 कुरळ हैं । हिंदी में तिरुक्कुरळ के अनेक अनुवाद उपलब्ध हैं। इन अनुवादों में वी. डी. जैन का तिरुक्कुरळ, वेंकटकृष्णन का कुरल सतसई, टी. ई. एस. राघवन की तिरुवल्लुवर की वाणी, मु. गो. वेंकटकृष्णन द्वारा प्रस्तुत हिंदी काव्यानुवाद, शंकर राजु नायुडु द्वारा प्रस्तुत तिरुक्कुरळ उल्लेखनीय है। वी. डी. जैन को छोड़कर सब तमिलभाषी हैं। ये सब वर्ण्यविषय के निकट हैं। राघवन और वेंकटकृष्णन ने सोलहवीं सदी के दोहा-शैली में पद्यानुवाद किया है। जैन और नायुडु के अनुवाद गद्य में हैं।

संघोत्तर काल में रचित पांच सर्वश्रेष्ठ काव्य पंच बृहद **काव्य** कहलाते हैं। ये हैं शिलप्पदिकारम, मणिमेखलै, जीवक **चिंतामणि**, वळयापति और कुण्डलकेशि। शिलप्पदिकारम **नाटकीय शैली** में रचित सर्वांग सुन्दर काव्य है । यह जैन ग्रंथ कहा जाता है। एक प्रचलित लोक कथा के आधार पर यह काव्य रचा गया है। यह चम्पू काव्य है। इस काव्य को मद्रास विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने सर्वप्रथम अनुवाद किया। अनुवाद शंकर राजु नायुडु के निरीक्षण में गणेशन ने किया। गणेशन ने तमिल भाषा शैली के अनुरूप हिंदी वाक्य विन्यास बनाया। शिलप्पदिकारम को नूपुर गाथा शीर्षक देकर वीलिनाथन ने गद्य में अनुवाद किया। नीरस शैली में यह अनुवाद किया गया। शेषन की सहायता से वीरसिंह प्रभाकर ने शिलप्पदिकारम का पद्यानुवाद बहुत ही रोचक ढंग से सुन्दर भूमिका के साथ किया है। नाटकीय शैली को बरकरार बनाए रखने में अनुवादक को पूर्ण सफलता मिली है।

संघोत्तर काल में पारलौकिक एवं धार्मिक प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव हुआ था, भक्ति काव्य धारा के रूप में उसका विकसित होना स्वाभाविक है । बारह आल्वारों द्वारा रचित चार हजार कविताओं के बहुत संग्रह नालायिर दिव्य प्रबंधम का अनुवाद पं. श्रीनिवास राघवन ने किया है। लेखक पं. श्रीनिवास राघवन, संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित थे। संस्कृत बहुल होने के कारण अनुवाद की भाषा सामासिक और संस्कृत श्लोकों के समान है । इसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। वास्तव में यह हिंदी की अमूल्य निधि है। शैव के पद कुल 8000 का भावानुवाद डॉ. एन. सुंदरम ने किया है। लिप्यंतरण के साथ अनुवाद प्रस्तुत है । अनुवाद नई कविता धारा पर आधारित है। यह अनूदित कृति हिंदी की निधि है। 11वीं शताब्दी में चोल राजा द्वितीय कुलोत्तुंगन के समय में महाकवि कंबन ने रामायण के अमर काव्य की रचना की। इस तमिल रामायण का अनुवाद न. वि. रामगोपाल ने किया है। यह अनुवाद गद्य शैली में है। अनुवाद की शैली व भाषा बहुत चर्चित रही।

आधुनिक काल में अनुवादकों का ध्यान सुब्रहमण्य भारती की ओर अधिक पड़ने लगा। उनकी राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर एन. सुन्दरम ने सर्वप्रथम 1965 में भारती की राष्ट्रीय कविताओं का पद्यानुवाद किया।

भारती के खण्ड काव्यों में पांचाली शपथम का विशेष स्थान है। महाभारत की द्रौपदी की शपथ की कथा को आधार बनाकर भारती ने पांचली शपथम की रचना की है। पांच सर्गों में विभाजित इस प्रधान रचना में उन्होंने नारी के वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन करते हुए, तत्कालीन सामाजिक संकेत के संगठन अत्याधुनिक सामाजिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में रखकर परखने का सफल प्रयार किया गया है। इसका अनुवाद छंदोबद्ध रूप में हुआ है।

टी. ई. एस. राघवन ने कान्ह के गीत के नाम से कण्णन पाट्टु का अनुवाद किया। कान्ह के गीत तमिल साहित्य में अद्वितीय रचना है। तमिल से हिंदी का अनुवाद कार्य कम हुआ है। अनुवादकों को संघकालीन साहित्य और आधुनिक काल के काव्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

हिंदी में अनुवाद : प्रो. सुन्दर रेड्डी के अनुवाद हिंदी को आंध्र की देन आज की नहीं वरन् रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि सम्राट पद्माकर भट्ट के समय से चली आ रही है। तंजाऊर के महाराजा शहजी (ई-1684-1712) ने

हिंदी में विश्वातीत विलास नाटक तथा राधा बंसीधर विलास नाटक नामक यक्ष गानों की रचना की है। वाराणसी राम मूर्ति ''रेणु'' ने 'आन्ध्र के कबीर श्री वेमना' का प्रकाशन कराया। जाषुवा के तेलुगु काव्य 'गब्बिलम' का 'चमगादड़' के नाम से अनुवाद किया। महाकवि पोनना के श्रीमद्भागवत के चार उपाख्यानों का हिंदी काव्यानुवाद है। 'रेणु' ने पोतना कृत भागवतम् के दशमस्कंध का भी छंदोबद्ध अनुवाद किया है। वेमना का एक पद उदाहरण के रूप में यहां प्रस्तुत किया जाता है।

अनुव गानि योट नधि कुल मन राद कोंचे, मृदु टैल्ल कोटुव गादु कोड अद्दमंदु, कोंचमै युंडदा विश्वदाभिराम विनुर वेमा	गद्यानुवाद : जो स्थान हमारे लिए अनुकूल नहीं है वहां हमें अपनी बड़ाई नहीं करनो चाहिए। अगर वहां हम विन रहे तो हमारी इज्जत में कमी नहीं हो जाती। ठीक ही तो है कि बड़ा-सा पर्वत भी आईने में छोटा ही दिखाई देता है।

इललपावलूरि पांडुरंग राव ने तेलुगु के प्रसिद्ध भक्त कवि त्यागराज के विशिष्ट गए पदों का हिंदी अनुवाद चन्दना, भावना, चेतना, सांत्वना और साधना सात शीर्षकों के अंतर्गत किया है। पुतेटि सुब्रह्मण्यचार्युलु विश्वप्रेमी ने तेलुगु के अत्यंत लोकप्रिय नीतिं सुमती शतक का अत्यंत सुन्दर पद्यानुवाद 1970 में सुमती-सूक्ति-सुधा शीर्षक से प्रकाशित किया है। उसमें से एक उदाहरण प्रस्तुत है :

''वक्त पर जो बन्धु सब के काम आता है, नहीं
पूजादिकों में तृप्त है जो, देव वर देता नही ।
युद्ध में जो अश्व बिल्कुल, काम देता है नहीं
छोड़ देना लाजमी उन, सभी को 'सुमती' वहीं।

अब तक 84 तेलुगु काव्यों का अनुवाद हिंदी में हो चुका है। इसमें महाकाव्य, खंड-काव्य, शामिल है। मुख्यत: तेलुगु से हिंदी में अनुदित काव्यों में तीन प्रकार की अनुवाद पद्धतियां अपनाई गई हैं। लिप्यंतरण सहित गद्यानुवाद, गद्यानुवाद के साथ छंदोबद्ध अनुवाद। कविता का कवितानुवाद। तीन प्रकार की अनुवाद पद्धतियों को अपनाकर तेलुगु भाषी हिंदी विद्वानों, हिंदी भाषा को परिपुष्ट और समृद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे तेलुगु की मधुरता, प्रतिभा और गरिमा का परिचय हिंदी जगत को देने का नया मार्ग खुल रहा है।

तेलुगु से हिंदी में 44 उपन्यासों का अनुवाद हो चुका है। इनमें से एक ही बाल उपन्यास है। अनुवादकों में सर्वाधिक संख्या में डॉ. बालशौरि रेड्डी ने 9 उपन्यासों का अनुवाद किया। इस सर्वे से ज्ञात हुआ कि तेलुगु से हिंदी में अनुदित उपन्यासों की संख्या और हिंदी से तेलुगु में अनुदित उपन्यासों की संख्या लगभग समान है।

कहानी का अनुवाद : अब तक तेलुगु से 38 कहानियों का अनुवाद हिंदी में हो चुका है। विद्वानों की राय है कि एक व्यवस्था के अभाव से अन्य साहित्यिक विधाओं की अपेक्षा कहानी के अनुवाद में बहुत कम प्रगति हुई है। सच तो यह है कि तेलुगु साहित्य में कहानी अधिक उर्वर और वैवीध्यपूर्ण है। पर हर्ष का विषय यह है कि हिंदी में अनुदित कुछ तेलुगु कहानियां हिंदी से इतर भारतीय भाषाओं में अनुदित हो रही हैं। इस तरह भारतीय साहित्य के परस्पर अनुवाद प्रक्रिया में हिंदी एक मध्यस्थ भाषा के रूप में अपनी अहम् भूमिका निभा रही है।

तेलुगु से हिंदी में अनुदित अन्य गद्य साहित्य की संख्या 53 है इन कृतियों को तीन वर्गों में रख कर देखा जा सकता है (1) गद्य नाटक और एकांकी (2) भाषा एवं साहित्य से सम्बन्धित पुस्तकें एवं निबंध तथा (3) साहित्येतर विषयों से संबंधित पुस्तकें तथा निबन्ध आदि।

हिंदी भाषी पाठकों से एक सुझाव है कि वे किसी एक भारतीय भाषा का अध्ययन करें ताकि हिंदी के अलावा एक दक्षिण भारतीय भाषा का अध्ययन भी किया जाए ताकि आदान-प्रदान और मजबूत हो। हिंदीतर भाषी विद्वानों से निवेदन है कि वे अपनी-अपनी भाषा को हिंदी माध्यम से पढ़ाने के लिए गुणात्मक पुस्तकों की रचना करें ताकि हिंदी पाठकों में अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन करने की रुचि पैदा करें।

एन. गुरुमूर्ति, प्रचारक, दक्षिण भारती हिंदी प्रचार सभा चेन्नै।

एक सूचना : एक तुलना भारत और फ्रांस के साथ भाषाओं के संदर्भ में । भारत में हिंदी सहित आज कई भाषाएं प्रचलन में हैं । परन्तु फ्रांस में एक समय कई भाषाएं प्रचलन में थीं। पर, कालांतर में फ्रेंच भाषा वहां अन्य भाषाओं से और विकसित होकर आगे बढ़ी और अन्य भाषाएं धीरे-धीरे लुप्त हुईं । ■

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर और गोरा

–चितरंजन लाल 'भारती'*

प्राचीन काल से ही भारत भूमि पर महापुरुषों का अवतरण होता रहा है, जिन्होंने समय-समय पर समाज को दिशा-निर्देश देते हुए पथ-प्रदर्शक का काम किया है। उन लोगों ने समाज में अनेक परिवर्तनकामी कार्य भी किए हैं। इस प्रकार के महापुरुषों को देश-काल की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि उनका मूल भाव संपूर्ण समाज की सेवा-भावना ही रहती है। ऐसे ही कालजयी महापुरुष रवीन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कोलकाता में 7 मई, 1861 को हुआ था।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर मूलत: कवि थे और उनकी विश्वस्तरीय कविताओं के कारण उन्हें "विश्व कवि" भी कहा जाता है। वे अपनी एक कविता "सेकाल" में परिहासपूर्वक कहते भी हैं कि यदि वे कालीदास के समय हुए होते तो वे विक्रमादित्य के नवरत्नों के बीच दसवें रत्न होते। अपनी संवेदनाओं एवं प्रकृति-प्रेम के कारण उनकी साम्यता कालीदास से है, तो यह उचित ही है। उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी उनकी अनुपम काव्य कृति "गीतांजलि" पर 1913 ई. में मिला। वे विश्व के पहले ऐसे कवि हैं, जिनकी कविताओं को दो देशों में राष्ट्रगान के रूप में सम्मान प्राप्त है। प्रथम "जन गण मन · · ·" तो भारतवर्ष का राष्ट्रगान है ही। उनकी कविता "आमार सोनार बांग्ला . . ." को बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में लिया गया है। रवीन्द्रनाथ स्वयं को "जन्म-रोमांटिक" मानते थे। परंतु साथ ही वह ये भी कहना नहीं भूलते कि वे इस धरती को छोड़ कहीं जाना नहीं चाहते और सभी के साथ जीवन जीना चाहते हैं।

मरिते चाहिना आमि सुन्दर भुवने
मानवेर माझे आमि बांचिबारे चाई।

उनकी यह मानवीय संवेदना और सामाजिक जीवन को और स्नेहिल और सुखद बनाने का सपना कि सभी सुखी और संतुष्ट रहें, विश्वविद्यालय "विश्वभारती" जो कि "शांतिनिकेतन" नाम से विख्यात है, की स्थापना की, जो उनके यशगाथा की गवाही देता और उनके स्वप्नों को साकार करता प्रतीत होता है। 1913 ई. में सरकार ने "नाइट" (सर) की उपाधि प्रदान की। हांलाकि मूल रूप से वे साहित्यिक एवं कलाकार थे। परंतु देशकाल की हर घटनाओं पर वे अपनी पैनी नजर रखते हुए तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते थे। बंगाल के विभाजन के वक्त तो वे खुलकर सड़क पर आंदोलनकारियों के साथ आ गये और अंत में बंग-भंग को समाप्त करवाने के उपरांत ही दम लिया। उस वक्त हिंदू-मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करने हेतु उन्होंने हिंदू महिलाओं का आह्वान किया कि वे मुसलमान भाइयों को रक्षाबंधन पर राखी बांधकर अपनी सांप्रदायिक एकता को प्रदर्शित करें। 1920 ई. में पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकांड से मर्माहत होकर उन्होंने "नाइट" (सर) की उपाधि वापस कर दी। उनकी प्रखर राष्ट्रीयता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। गांधीजी जब रवीन्द्रनाथ ठाकुर से मिलने शांतिनिकेतन आए तो उन्होंने उन्हें "गुरुदेव" का संबोधन दिया। रवीन्द्रनाथ ने अपनी गुरु गंभीरता के साथ गांधीजी को "महात्मा" का संबोधन दिया, और तब से मोहनदास करमचन्द गांधी "महात्मा गांधी" के रूप में और रवीद्रनाथ ठाकुर "गुरुदेव" के रूप में प्रसिद्ध हो गए।

राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दिए जाने के संबंध में उन्होंने यही कहा कि "भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी समान है"।

वे कवि के अलावा कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार भी थे।

जैसा कि सर्वविदित है 19वीं सदी के मध्य में बंगाल से ही पुनर्जागरण का जो दौर चला, उसकी जद में संपूर्ण

* **कछाड़ पेपर मिल, पो. पंचग्राम, असम-788802**

4354 HA/2011—7A

भारत आ गया था। उसका कारण यह था कि उस समय कलकत्ता भारतवर्ष की राजधानी थी। इसलिए वहां के राजनीतिक घटनाचक्रों के अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कुरीतियों पर जमकर बहस चल रही थी। सती-प्रथा के विरुद्ध हुए आंदोलन का सफल संचालन राजा राम मोहन राय कर चुके थे। और अब उससे आगे बाल-विवाह के विरुद्ध तथा विधवा-विवाह, नारी-शिक्षा आदि के समर्थन में प्रबुद्ध वर्ग में बहस चल रही थी। इस कार्य में समाज सुधारकों ने एक तरह से बीड़ा ही उठा रखा था, विद्वान लेखक इस प्रयास में अपने लेखन के माध्यम से सहभागिता कर रहे थे, और उसमें रवीन्द्रनाथ ठाकुर का परिवार अग्रणी था।

शिक्षा, समाज-सेवा और राष्ट्रीयता आदि विषयों पर, साहित्य की विविध विधाओं पर रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कलम खूब चली है । बंगला में छोटी कहानी देने का प्रथम श्रेय उनके ही खाते में दर्ज है। उनकी कविताओं के दर्शन और आध्यात्मिकता की भावनाओं को समझने के लिए उच्च स्तरीय विद्वता की आवश्यकता है। तथापि उनकी कहानियों में एक तरफ बाल-सुलभ सरलता है, तो उपन्यासों में प्रौढ़-गांभीर्य है। और फिलहाल हम चर्चा करेंगे उनके बहुचर्चित उपन्यास "गोरा" की, जिसमें तत्कालीन बंगाली समाज का जीवंत चित्रण हुआ है।

वैसे तो हमारा सारा प्राचीन भारतीय वाङमय काव्य-रूपकों में ही है। यूरोपियन सभ्यता और संस्कृति के निकट रहने तथा मुद्रण-प्रकाशन की सुविधा ने अब प्रबुद्ध वर्ग को कथा-उपन्यास के क्षेत्र में भी आकर्षित कर लिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी इसमें अग्रगण्य थे। और उसी कड़ी में रवीन्द्र बाबू ने भी उपन्यास लिखे। उनका उपन्यास "गोरा" इतना बहुचर्चित रहा कि यूरोपियन आलोचकों तक को उसे "विश्व स्तरीय श्रेष्ठ उपन्यास" के रूप में मान्यता देनी पड़ी।

इस उपन्यास का कथानक इतना भर है कि एक दंपत्ति को अठारह सौ सत्तावन के गदर के दौरान एक दूधमुंहा शिशु मिलता है, जिसे वे पुत्रवत् पालते हैं। मां आनन्दमयी उसे प्राणों से अधिक प्यार करती है, मगर पिता कृष्णदयाल ने उसका पालन सिर्फ अपना कर्तव्य भर समझा। गौरमोहन उर्फ गोरा स्वयं को एक सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार का समझता है और उसे इस बात का अभिमान भी है। उसे इस बात पर गर्व है कि वह श्रेष्ठ हिंदू ब्राह्मण है।

17वीं सदी में यूरोप में जैसे रोमन कैथोलिक धर्म में अनेक बदलाव लाने के लिए उसके विरुद्ध "प्रोटेस्टेंट" आंदोलन चला, वैसे ही पश्चिमी भारत के गुजरात के दयानंद सरस्वती ने "आर्य समाज" की स्थापना कर हिंदू धर्म की कुरीतियों पर कुठाराघात किया। ठीक उसी प्रकार बंगाल में भी तथाकथित श्रेष्ठ हिंदू ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध अनेक आंदोलन चले। इन सभी को प्रबुद्धवर्ग का समर्थन और सहयोग हासिल था। उपन्यास का नायक गौरमोहन उर्फ गोरा उस श्रेष्ठ हिंदू ब्राह्मण धर्म का प्रखर प्रतिनिधि और प्रवक्ता था। वह न सिर्फ हिंदू धर्म की वकालत करता, बल्कि "ब्राह्म समाज" का जमकर विरोध भी करता था, जिसकी स्थापना हिंदू धर्म में सुधार के लिए की गई थी। उसके माता-पिता उसकी इसी कट्टरता से चिंतित थे।

गोरा का मित्र विनय उसके समान कट्टर नहीं है। संयोग कुछ ऐसा कि विनय का विवाह ब्राह्म-समाज में पली-बढ़ी एक युवती से तय होता है । उसी परिवार की एक अन्य युवती गोरा से प्रेम करती है। मगर गोरा की धार्मिक कट्टरता के कारण वह उसे व्यक्त नहीं कर पाती।

उधर दूसरा घटनाचक्र यह चलता है कि गोरा किन्हीं परिस्थितियों की वजह से गांवों में भ्रमण करने लगता है और वहां की निम्नस्तरीय दशाओं को देखता और अनुभव करता है । वह विचार करता है कि उनकी ऐसी दशा क्यों है, और फिर उसकी मनोदशा में परिवर्तन आने लगते हैं, नील के अंग्रेज व्यापारी और प्रशासकों के साथ नौकरशाहों और पुलिस से भी उसकी मुठभेड़ होती है । वह उन ग्रामीण आंदोलनकारियों के समर्थन में जेल चला जाता है, जो अन्याय के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। इस उपन्यास में वैयक्तिक मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण है और यही इस उपन्यास को राष्ट्रीय फलक प्रदान करता है।

धर्म के संबंध में भी गोरा के मन:स्थिति में परिवर्तन होते हैं। वह प्रायश्चित करना चाहता है, ताकि हिंदू धर्म की उन्नति और प्रगति हो। तैयारी चलती रहती है, और इसी बीच उसके पिता अपने अंतिम समय में उसे सूचित करते हैं कि वह उनके श्राद्ध-कर्म का उत्तराधिकारी नहीं। चूंकि वह गदर में मारे गए आयरिश दंपत्ति का पुत्र है, अर्थात् वह हिंदू ही नहीं है।

मां आनन्दमयी इस कटु सत्य को इसलिए अपने अन्तर्मन में छुपाए हुए थी कि कहीं गोरा उसे छोड़कर चला न जाए। गोरा को अब इस बात का अहसास होता है कि आखिर क्यों मां अपनी तमाम कट्टरता को तिलांजलि देते हुए उसे अपनी आंचल का ओट प्रदान किए हुए थी। और यहीं उसका मातृत्व के प्रति और राष्ट्र के प्रति भक्ति और श्रद्धा जागृत होती है। वह कहता है 'मैं दिन रात जो कुछ बनना चाहता था, पर बन

4354 HA/2011—7B

नहीं पाता था। किन्तु आज मैं स्वमेव बन गया हूं। मैं भारतीय हूं। मेरे हृदय में आज हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि किसी समाज का कोई विरोध नहीं है। आज इस भारत की सारी जातियां मेरी हैं।''

प्रत्युत्तर में उपन्यास का एक अन्य पात्र परेश कहते हैं ''सत्य को जब हम पाते हैं, वह अपने सम्पूर्ण प्रभाव और अपूर्णता के रहते भी हमारी आत्मा को तृप्ति देता है। उसे मिथ्या उपकरणों से सजाने की इच्छा नहीं होती।''

गोरा पुन: कहता है ''कल रात मैंने विधाता से प्रार्थना की थी कि आज सवेरे मैं नवीन जीवन प्राप्त करूं। बचपन से इतने दिनों तक जो कुछ मिथ्या और अपवित्रता मुझे ढंके हुए थी, वह आज सब नष्ट हो गई है और मैंने नया जन्म पाया है। ईश्वर ने अपना सत्य अचानक प्रकट कर मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ईश्वर इस प्रकार मेरी अपवित्रता को मिटा देंगे। मैं आज प्रात:काल सम्पूर्ण मनोवृत्तियों को लेकर भारतवर्ष की गोद में प्रविष्ट हुआ हूं।''

रवीन्द्रनाथ ठाकुर अपनी कविताओं में भावुक और संवेदनशील हैं। मगर जीवन सिर्फ इसी केवल पर नहीं चला करता। समय और समाज की कठोर सच्चाई, जीवन में अनेक हलचल और परिवर्तन लाते हैं, और उस परिवर्तन को दिशा देता है– गद्य साहित्य। इसलिए प्राचीन काव्यालोचकों ने ''कविनां निकष:गद्य:'' अर्थात् ''कवियों की कसौटी गद्य है'' कहा है।

जैसे हिंदी के प्रख्यात् कथाकार प्रेमचन्द का लेखन मूलत: गद्य ही रहा है। मगर उनकी आरंभिक रचनाएं आदर्शोन्मुख थीं। बाद में वे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर झुकीं, और अंत में वे पूर्ण यथार्थवादी हो गए। रवीन्द्र बाबू का गद्य साहित्य यह सिद्ध करता है कि वे सिर्फ भावुक कवि ही नहीं, जो सिर्फ प्रेम को पकड़कर ऐहिक अथवा दैविक वर्णन को ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मानते हैं। बल्कि वे इससे बहुत ऊपर, उच्च स्तर पर समाज को ले जाने की हार्दिक इच्छा भी रखते हैं, और इसके लिए समाज के कठोर यथार्थ को स्वीकार करना आवश्यक होता है। रवीन्द्र बाबू के गद्य साहित्य का इसलिए अध्ययन करना है कि उनकी दृष्टि में बसे उस यथार्थ को हम देख, समझ और महसूस कर सकें। उनके इस डेढ़ सौवीं जयंती पर हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ■

पृष्ठ 17 का शेष

लोगों की जानें कुर्बान हुईं, उसका मोल समझें। हम नि:संदेह आधुनिक बनें लेकिन हमें इस बात का ध्यान रहे कि वह आधुनिकता हमारे वैचारिक मंथन का परिणाम हो, समाज की सहज विकास का सुफल हो। वह हमारी सुदीर्घ परंपरओं और अनुभवों के निचोड़ से जन्म ले। तब ऐसी आधुनिकता लोगों के हित में होगी, देश, समाज, संस्कृति के हित में होगी। यह हमें लोगों से भीतर से जोड़ेगी, यह एक-दूसरे से घृणा करना नहीं सिखाएगी। यह बात भी सौ फीसदी सही है कि हमारा विकास ठीक उस तरह से संभव नहीं, जिस तरह से पश्चिम का विकास हुआ है। हमारी आधुनिकता हमारी परंपराओं और संस्कृति के खाद से फलेगी और फूलेगी।

इस बार यह विदेशी हमला साधारण लोगों में डर नहीं पैदा कर रहा। यह लोगों को अपने मोहक जाल के अदृश्य धागों में फंसाकर मानसिक मृत्यु की ओर ले जा रहा है। यह समाज को आपसी रिश्तों की ऊष्मा नहीं दे रहा, न ही हार्दिक उदारता की छुअन से हमें सुसंस्कृत कर रहा है। यह हमें एक उपभोक्तावादी अपसंस्कृति की गहरी और चटक रंगों वाली खाई की ओर बहका कर ले जा रहा है, जहां एक बार गिर जाने से न तो हमारे आपसी रिश्ते टिक पाएंगे, न हमारी नई पीढ़ी किसी तरह का सुसंस्कृत जीवन जी पाएगी।

इस विपत्ति से जूझने के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले अपनी भाषा को ही लड़ाई का प्राथमिक हथियार बनाएं। कोशिश करें कि हिंदी भाषा के इतिहास, उसकी सुंदरता, उसके व्याकरण, साहित्य, बोलियों और उसकी परंपरा आदि के विषय में प्राथमिक स्तर पर थोड़ा सरल और व्यवस्थित रूप से अपनी मौजूदा और आगामी पीढ़ी को समझाने और सिखाने की शुरुआत करें। हमारी इस कोशिश से यदि हिंदी-विमुख हिंदुस्तानियों के घरों की नई पीढ़ी अपनी इस प्यारी भाषा से थोड़ा-सा ही सही प्यार करना सीख सके, उसका सम्मान करना सीख सके तो मुझे उम्मीद है कि हम इस विश्वव्यापी षडयंत्र से अपने इस प्यारे देश और उसके भविष्य को बचा सकेंगे तथा एक बार फिर से उसी संस्कृति-सभ्य भारतवर्ष को एक बार फिर से पा सकेंगे जिसका सपना सदियों से हमारे ऋषि-मुनियों ने देखा था। आर्य और द्रविड़ सभ्यता की मिलनभूमि इस महादेश में हम एक बार फिर महामानवता का ज्वार देख सकेंगे। ■

मोबाईल : एक आधुनिक जनसंचार माध्यम

–प्रो. डॉ. तुकाराम दौड*

आज सम्पूर्ण विश्व एक परिवार का रूप ग्रहण कर चुका है। आज हालत यहां तक पहुंचे गए हैं, कि विश्व में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी को भी संसार के किसी भी कोने से संपर्क किया जा सकता है। सारी दुनिया एक वैश्विक ग्राम बन चुकी है। यह शब्द मार्शल मॅकलुहन जो मीडिया विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बीस साल पहले, जो माध्यम थे। उनका विकास और गति देखकर कहा था। उस समय इंटरनेट या मोबाईल मीडिया नहीं थे। उस वक्त प्रिंट मीडिया, रेडियो यह माध्यम थे। टेलीविजन का माध्यम तेजी से उभर रहा था। टीवी मीडिया की गति आज के मोबाईल की गति जैसी तेजी से बढ़ रही थी। उसकी शक्ति देखकर विश्वविख्यात मीडिया विशेषज्ञ मॉर्शल मॅकलुहन नें कहा था कि "अब दुनिया का अंतर इतना कम हुआ है कि अभी दुनिया एक ग्लोबल विलेज (Global Village) बन गई है।"[1] टीवी के माध्यम से सारी दुनिया के किसी भी कोने में जो घटना घट रही है। उसका लाईव प्रसारण हम देख सकते हैं। मोबाईल पर भी इंटरनेट के जरिए मोबाईल टीवी पर थेट प्रसारण देखने की सुविधा उपलब्ध हैं और इंटरनेट, मोबाईल मल्टी मीडिया ने पुरे विश्व को समीप लाया है। इसी के माध्यम से दुनिया का रूप अभासी बन गया है। इसी मीडिया ने दुनिया का रूप एक वैश्विक ग्राम में परिवर्तित किया। मोबाईल एक आधुनिक जनसंचार माध्यम के रूप में आगे आया है। सामाजिक सरोकार के लिए यह उपयुक्त मीडिया है। वर्तमान में युवापीढ़ी के मोबाईल के प्रति बड़ी मात्रा में आकर्षण है। यह उनके जीवन में परिवार के एक सदस्य के रूप में जुड़ गया है। सूचना क्रांति के बारे में अॅलविन टॉपलर कहते हैं कि "कृषी क्रांति, औद्योगिक क्रांति से सूचना क्रांति ने मानवी जीवन पर बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम हो चुका है।"[2] मोबाईल संचार क्रांति ने पूरे विश्व को समीप लाया है। इस शोध पत्र में मोबाईल एक आधुनिक जनसंचार माध्यम इस विषय के सभी मुद्दों पर प्रकाश डाला है। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में मोबाईल मास मीडिया का अध्ययन बहुत जरूरी है।

मोबाईल संचार मीडिया की परिभाषा और उद्गम

संचार क्रांति में मोबाईल टेलीफोन और मोबाईल संचार मीडिया का बहुमूल्य योगदान है। मोबाईल फोन सेलफोन और हायफोन भी संचार प्रणाली का हिस्सा है। वायरलेस, सेलुलर फोन, मोबाईल टेलीफोन एक लंबी दूरी का इलेक्ट्रॉनिक-उपकरण है जिसे विशेष स्टेशनों के एक नेटवर्क के आधार पर मोबाईल आवाज डेटा संचार के लिए उपयोग किया जाता है। मोबाईल की संकल्पना रॉयल एयर फोर्स के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर-जॉन एडवाडेस ने 60 के दशक में मोबाईल का आविष्कार किया। उस वक्त इसे रेडी कॉल डिवाइस कहा जाता था। दूरसंचार प्रणाली का उद्गम "सन् 1832 में सॅमअलने अपने टेलीग्राम कोड का विकास किया। सन् 1838 में मोर्स ने मोर्स कोड का विकास किया।"[3] संदेश को दूरस्थ स्थान तक भेजने के लिए मोर्स कुंजी (Morse Key) बनाई और दूरसंचार प्रणाली विकसित होने लगी। "पहली बार व्यावसायिक सेल्युंलर फोन 1970 ई. के बाद शिकागो में इनिनोइस बैल द्वारा मरीक्षण किया।"[4] बीसवीं सदी में मोबाईल समाचार बदलता स्वरूप उभरते आयाम के रूप में विकसित हो गई है। सेल्युलर फोन के बारे में रमेश जैन कहते हैं कि "सेल्युलर शब्द अंग्रेजी के सेल शब्द से बना है। इसे हमें अपनी भाषाओं में कोशिश कहते हैं। इन्हीं सेलों के माध्यम से सेल्युलर टेलीफोन कार्य करते हैं।"[5] यह सेल उस सेल से जुड़े सेल हैं। माध्यम के पास संदेश अवरण करता है। इस प्रकार जुड़े सेलों के माध्यम से

* माईर्स, पुनाद्वज़रा संचलित एम.आय.टी. जनसंवाद महाविद्यालय, लातूर

संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। सेल्युलर फोन को वायरलेस का नाम दिया जा सकता है। "टेलीफोन ग्रीक भाषा का शब्द है। टेली का अर्थ दूरी और फोन का अर्थ ध्वनि।"[6] इस प्रकार टेलीफोन का अर्थ है। ध्वनि को दूर स्थान तक भेजना। टेलीफोन के आविष्कार की पहली सफलता ब्रिटेन निवासी तथा अमेरिका में कार्यरत वैज्ञानिक अलेकजेंडर ग्रहम बेल को मिली। उसके बाद टेलीफोन तकनीक का निरंतर विकास होता गया। टेलीफोन दूर बैठे व्यक्ति पारस्पारिक संवाद का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मीडिया है। टेलीफोन के बाद 1908 में अमेरिका में वायरलेस टेलीफोन का आविष्कार हुआ। रेडियो टेलीफोन की खोज रेशिनाल्ड फेस्सेंडेन ने की, और सारी दुनिया में टेलीफोन, सेलफोन, वायरलेस, मोबाईल टेलीफोन संचार मीडिया का विकास हुआ है। संसार का पहला मोबाईल फोन संदेश टेलीकम्युनिकेशन के अधिकारी एस लॉरेन ने डिजाईन किया, और सारी दुनिया में व्यवसायिक रूप में मोबाईल मीडिया का उपयोग होने लगा है।

मोबाईल विकास के चरण : मोबाईल का विकास तीन चरणों में हुआ। मोबाईल की उत्पत्ति टेलीफोन, वायरलेस फोन, सेल्युलर फोन, के बाद हुई है। 1945 में मोबाईल टेलीफोन का उदय हुआ। यह पीढ़ी शून्य से प्रारम्भ हो गई। 1980 के दशक में जी पीढ़ी का उदय हुआ। 1981 में नॉर्डिक मोबाईल टेलीफोन प्रणाली डेन्मार्क, फिनलैण्ड, नार्वे और स्वीडन में शुरू हो गई । पहले चरण में मोबाइल टेलीफोन पीढ़ी ने संचार के लिए मोबाईल उपकरण का इस्तेमाल किया। 1980 के दशक में वन जी का वाणिज्यिक तौर पर प्रारम्भ हो गया और इस मोबाईल संचार प्रणाली क्षेत्र राष्ट्रीय नेटवर्क तक सीमित था और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर रोमिंग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय टेलीकॉम सेवाओं की सहायता लेनी पड़ती थी। लेकिन 2जी संचार प्रणाली के बाद मोबाईल सेवाओं का पूरे विश्व में विस्तार होने लगा। यूरोप, अमेरिका, एशिया, चायना, भारत, जापान, आदि राष्ट्रों में विकास हुआ। दूसरे चरण में दूसरी पीढ़ी ने सर्वप्रथम ग्लोबल संचार प्रणाली का मोबाईल उपभोक्ताओं ने उपयोग किया। "डिजीटल सेल्युलर तकनीक के द्वारा डाटा बेस सेवाओं को गतिमान किया और वायरलेस संचार प्रणाली का मल्टी मीडिया के रूप में उपयोग किया"[7] डिजिटल सूचना प्रौद्योगिक का दूसरे चरण में 2जी तकनीक का उपयोग किया गया । 2G (2जी) का दूसरी पीढ़ी ने सेल्युलर प्रौद्योगिकी पर आधुनिक नेटवर्क प्रौद्योगिक सूचना प्रणाली 1991 में फिनलैण्ड में प्रारम्भ हो चुकी थी। वैश्विक स्तर पर 2जी का मोबाईल उपकरण का उपयोग शुरू किया । तीसरे चरण में 3जी तकनीक का मोबाईल क्षेत्र विकास हुआ। 2001 में उसी (तीसरी-पीढ़ी) की पहली वाणिज्यिक सेवाओं की शुरुआत फिर से जापान में एनटीटी डोकोमो द्वारा की गई । थ्री जी से मोबाईल की दुनिया बदल जाएगी। 2002 में कोरिया में 3जी सूचना तकनीक पहुंच चुकी है। एशियाई राष्ट्रों में 3जी तकनीकी सेवाओं का विकास एवं विस्तार हो रहा है। दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मॉरीशयस आदि राष्ट्रों में 3जी सेवाओं का विस्तार हुआ है। नई शताब्दी में फोर जी का विकास तेजी से होगा इसमें सभी मास मीडिया सम्मिलित होंगे। यह भूमंडलीकरण का परिणाम होगा।

भारत में मोबाईल सेवाओं का विस्तार :

इंटरनेट मोबाईल इस्तेमाल करने में वैश्वीक स्तर पर भारत इस समय तीसरे स्थान पर है और भारत में ब्रॉडबॉण्ड इंटरनेट सेवाओं का विस्तार हुआ है। "3 अप्रैल, 1973 में मार्टिन कॉपर ने मोबाईल की खोज की। और बिनतारी संदेशवहन से कार्य प्रारंभ हुआ। 1973 ई. में मार्टिन कॉपर उन्होंने जोईल इंगेल को पहिला कॉल भेजा गया।"[8] दूरसंचार सेवाओं का विस्तार के लिए भारत में 1991 ई. में टेलीकॉम रेग्युलॅटरी अॅथारिटी ऑफ इंडिया ट्राय की स्थापना की गई। और 1997 में भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण का गठन किया गया। "मोबाईल फोन का प्रयोग भारत में सितंबर, 1995 से हो रहा है। मात्र 14 वर्षों में इसने जितनी प्रगति की है। उतनी प्रगति अन्य किसी भी मीडिया ने नहीं की। इसके हर आयाम ने लोगों को इतना चौंका दिया।"[9] लेकिन मोबाईल इंडस्ट्री में सबसे अधिक अचंभित किया तो एस. एम. एस. (शॉर्ट मेसेज सर्विस) सेवाओं ने युवकों और व्यावसायिकाओं को आकर्षित किया है। पहले यह मोबाईल इतना मंहगा था कि यह तंत्रज्ञान सिर्फ कुछ अमीर लोगों का साधन बन जाएगा ऐसा लगता था। लेकिन वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण की वजह से कीमतें और कॉल दर कम हो गई। और अमीर लोगों के पास दिखने वाला यह मोबाईल चारों तरफ फैल गया। और आज झाड़ूवाली, रिक्शावाला, कामगार और कारागीराओं के पास भी मोबाईल दिखने लगा है, और मोबाईल के माध्यम से मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। संपूर्ण विश्व एक वैश्विक ग्राम में सिमटता जा रहा है। भारत में 15 अगस्त, 1995 में पहला मोबाईल टेलीफोन

4354 HA/2011—8A

गैर लाभकारी वाणिज्यिक सेवा के रूप में शुरू किया गया। "1994 में भारत सरकार ने टेलीकॉम धोरण घोषित किया और 15 अगस्त, 1995 में इंटरनेट सेवाएं विदेश संचार निगम लिमिटेड ने आरंभ की।"[10] बी एस एन एल ने भारत में मोबाईल सेवाओं का विस्तार किया। वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण से 1998 के दशक में सरकार ने नई इंटरनेट नीति की घोषणा करके इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया। इस क्षेत्र में अब निजी मोबाईल कंपनियां अपनी इंटरनेट मोबाईल सेवा प्रारंभ कर चुकी हैं। टाटा इंडिकॉम, आयडियाँ, एअरटेल, रिलायन्स आदि निजी मोबाईल कंपनियों ने 3 जी तकनीक की सेवा प्रारंभ की है। छोटे-छोटे कस्बों, नगरों में साइबर कैफे का प्रसार इसका सुबूत है। इसी सदी के आरंभ में ही भारत सुपर इंफार्मेशन हाईवे (उच्चकोटि की सूचना राजमार्ग) का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मोबाईल क्रांति ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति लाई है। 2008 में भारत महानगर टेलीफोन लिमिटेड के द्वारा 3जी युक्त सेवा प्रारम्भ की, और भारत में एम टी एन एल 3जी सेवाएं शुरू करने वाला पहला मोबाईल ऑपरेटर है। निजी मोबाईल कंपनियों द्वारा भी 3जी सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। भारत संचार निगम का पूरे देश में सबसे ज्यादा नेटवर्क है, और भारत संचार निगम लिमिटेड ने देश के 11 शहरों में एक साथ 3जी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। भारत में अब तक उपलब्ध 4जी नेटवर्क मुख्यत: वॉइस (आवाज) सेवा के लिए है। इस सेट में वीडियो स्ट्रीमिंग, डाटा डाउन लोडिंग, व्हिडीओ कॉल, लाइव टीवी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मोबाईल इंटरनेट जैसी सेवाएं आती हैं। 3जी में ऑन डिमांड़ मूवी, ऑन डिमांड टीवी और मोबाईल गेमिंग की सेवा भी दी जा सकती हैं बी एस एन एल द्वारा ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट मोबाईल सेवाएं का विस्तार हुआ है। 3जी या 4जी तकनीक के द्वारा सभी संचार माध्यमों का मोबाईल मास मीडिया द्वारा उपयोग किया जा सकता हैं सेल्युलर टेलीफोन कम्युनिकेशन व इंटरनेट एसोसिएशन के अनुसार फरवरी, 2011 में विश्व में 752 मिलियन से ज्यादा मोबाईल उपभोक्ता है। वर्तमान में भी अमेरिका में सबसे ज्यादा फोन्स सब्सक्राइबर है। भारत में भी मोबाईल उपभोक्ता की संख्या बढ़ती जा रही है। वर्तमान में यहां लगभग 67 करोड़ मोबाईल उपभोक्ता हैं। 2013 तक भारत में उपभोक्ताओं की संख्या मोबाईल 1,159 बीलियन सब्सक्राइबर तक होगी। मोबाईल फोन जनसंचार का मीडिया बन चुका है विश्व के हर कोने में मोबाईल मीडिया की पहुंच है।

मोबाईल एक मास मीडिया :

यह माध्यम अब जनसंचार का माध्यम बन रहा है। भविष्य में मोबाईल एक शक्तिशाली मास मीडिया हो जाएगा। और करोड़ों लोग इस माध्यम को अपनाएंगे। जैसे समाचारपत्र व टीवी के इंटरनेट एडिशन हैं वैसे उनके मोबाईल एडिशन भी शुरू हो जाएंगे। इस प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। अलजजिरा ने (गल्फ टीवी चॅनल) अपनी मोबाईल एडिशन शुरू की है। भारत में आज तक, झी, स्टार, प्रसार भारती के दूरदर्शन चैनल, बी बी सी, सी एन एन, आजतक आदि चैनल मोबाईल इंटरनेट के द्वारा मोबाईल पर देख सकते हैं, और समाचार 23 सुन सकते हैं। द. कोरिया में एक टीवी चैनल का प्रसारण मोबाईल द्वारा किया जा रहा है। धीरे-धीरे सभी मास मीडिया इस मोबाईल मीडिया का सहारा लेंगे क्योंकि यह मीडिया लोगों के हमेशा साथ रहता है, और चौबीस घंटे सेवा देता है। यह इस मास मीडिया की शक्ति और विशेषता है। "बी. बी. सी. ने भी मोबाईल सेवा का उपयोग शुरू किया है। बी. बी. सी. ने हिंदी की मोबाईल साईट शुरू की हैं। मोबाईल उपभोक्ताओं को बी. बी. सी. हिंदी सेवाएं उपलब्ध कर है।"[11] मोबाईल फोन भारत में समाचार और सूचना पाने का नया माध्यम है। मोबाईल फोन में सभी संचार माध्यम उपलब्ध है। एस उपकरण के माध्यम से आप बातचीत एवं वार्तालाप कर सकते हैं। ऑडिओ रेकार्डिंग या वीडियो रेकार्डिंग कर सकता है। तस्वीरें निकाल सकते हैं। इंटरनेट मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह सभी संचार माध्यम इस छोटे उपकरण में समाविष्ट है। व्हिडीओ कांफ्रेस के संदर्भ में रमेश जैन कहते हैं कि "ओडियो कांफ्रेस में व्यक्ति एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन वे एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं यह कांफ्रेस सामान्यत: टेलीफोन द्वारा होती है। वीडियो कांफ्रेस में लोग एक दूसरे को देख सकते हैं। और आपस में बातचीत भी कर सकते हैं कम्प्यूटर कांफ्रेंस में अलग-अलग स्थानों पर बैठे व्यक्ति कम्प्यूटर स्थानों पर बैठे-बैठे व्यक्ति कम्प्यूटर को प्रयोग में लाकर सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा में वीडियो एवं कम्प्यूटर कांफ्रेस का उपयोग हो रहा है।"[12] 3जी या 4जी तकनीक के द्वारा विडिओ कांफ्रेंस मोबाईल संचार मीडिया द्वारा कर सकते हैं। इसलिए यह एक ऑल इन वन मीडिया है। "दक्षिण

4354 HA/2011—8B

कोरिया दुनिया का पहला देश है। जिसने सेल फोन के लिए डिजिटल टीवी 16 मई, 2005 को शुरू किया इसी का नाम जी. एम. बी. टीवी है। इसी का प्रसारण मीडिया ब्रॉडकॉस्टिंग कंपनी ने किया हैं। यह डी. एम. बी. डिजिटल टीवी की दैनिक खपत प्रतिदिन 129 मिनिट है। द. कोरिया के 20 प्रतिशत लोग टीवी देखते हैं।''[13] अल जजीरा दुनिया में मोबाईल फोन से पहुंचा है। पूरे अरेबियन राष्ट्रों में यह मीडिया लोकप्रिय है। अपनी सेवा में एस एम एस चित्र संदेश और वेब पार्टल के माध्यम से उपलब्ध है। मोबाईल आधुनिक काल में महत्त्वपूर्ण मीडिया है और मास मीडिया के सात सिद्धांत के बारे में एलन मूर कहते हैं कि ''मास मीडिया के सात रूप का सिद्धांत बताया उसमें मोबाईल को उन्होंने मास मीडिया का सातवां रूप कहा है। इसमें प्रिंट मीडिया, रेकॉर्डिंग मीडिया, फिल्म मीडिया, रेडियो मीडिया, टीवी मीडिया, इंटरनेट मीडिया, मोबाईल मीडिया।''[14] एलन मूर ने जो सात माध्यमों की संकल्पना की है, उसमें मोबाईल संचार मीडिया सातवां मीडिया कहा है। मोबाईल संचार मीडिया ने आधुनिक जनसंचार मीडिया को नया आयाम एवं रूप प्रदान किया है। मोबाईल सारी दुनिया का मास मीडिया है, और मोबाईल फोन जैसे छोटे उपकरण की शक्ति इतनी बढ़ी हैं कि इसी को जनसूचना का हथियार बना सकते हैं। मीडिया की शक्ति के बारे में प्रोफेसर डेनिस मॅक्वील कहते हैं कि ''जनमाध्यम यह समाजपरिवर्तन की यन्त्र शक्ति है। (Engine of social change)''[15] मोबाईल मीडिया द्वारा सारी दुनिया को बदल डाला है। ये मोबाईल उपकरण रॉकेट जैसा है। यह रॉकेट अपनी पॉकेट में समा रहा है, और सामाजिक परिवर्तन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रमेश जैन के अनुसार ''मोबाईल इंटरनेट फोन से एक महत्त्वपूर्ण क्रांति आई है। इंटरनेट टेलीफोन की सहायता से मात्र रेल यात्रा करते हुए। विगत बैठक की प्रगति तथा आगामी बैठक की भी तैयारी कर सकते हैं।''[16] मोबाईल कम्प्यूटर के सामने बैठे-बैठे ही विश्व के किसी भी कोने से क्रय-विक्रय करना, बिलों का भुगतान करना, धनराशि का स्थानांतरण आदि व्यावसायिक कार्य इंटरनेट मोबाईल पर हो रहा है। यह संचार क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण हुआ है। इंफोसिस के एक संस्थापक और आई टी प्रमुख नंद नील केनी के अनुसार ''मोबाईल फोन सशक्तीकरण का एक साधन बन गया है। अरब समाचार नेटवर्क अल जजीरा ने फिलीस्तानी द्वारा गाजापट्टी में घेराबंदी की सही खबरें मोबाईल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया।''[17] वहां के पारंपरिक मीडिया को सही खबरे दिखाने पे पाबंदी थी। मोबाईल ऐक्टीव डॉट ऑर्ग वेबसाइट ने आपदा के दौरान लोगों को सही सूचना देने के लिए मोबाईल का इस्तेमाल किया। इसीलिए मोबाईल सिर्फ एक फोन उपकरण नहीं रहा। यह समाज के सशक्तीकरण का एक साधन बन गया है। तकनीक क्रांति ने अब एक कदम और आगे बढ़ा लिया है। अब अखबार का पृष्ठ एवं पन्ना मोबाईल मीडिया द्वारा भी भेजा जा सकता है। ''आकाश में भ्रमणशील उपग्रह मीडिया से उसे अन्य नगरों में भेजा जा सकता है। अंग्रेजी दैनिक द हिंदु, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स यह समाचारपत्र उपग्रह माध्यम से प्रकाशित होते है।''[18] आनेवाले समय में पत्र-पत्रिकाएं मोबाईल इंटरनेट पर उपलब्ध होंगे। आज मोबाईल समाचार वितरण एस एम एस के माध्यम से होता है। यह मीडिया अपने वेबसाईट के माध्यम से मोबाईल संस्करण से समाचार का प्रसारण कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और स्पेन यही छह देशों के एस एम एस 16.9 प्रतिशत उपभोक्ता मोबाईल के माध्यम से समाचार और सूचना प्राप्त करते हैं। भारत में हर मोबाईल सर्विस प्रोवाइडर समाचार का एस एम एस द्वारा सर्विस देता है। महत्त्वपूर्ण घटना घट गई तो तुरंत ब्रेकिंग न्यूज जैसा अलर्ट मेसेज देता है। ''समाचार का मोबाईल पे प्रसारण करना सबसे आसान तरीका एस एम एस टेक्स मेसेज के माध्यम से होता है। लघुसंदेश सेवा में आमतौर पर संदेश भेजने के लिए 160 वर्ण या उससे कम की अनुभूति देता है।''[19] अधिकांश देशों में फोन कॉल या वॉईस मेल सर्विस एस एम एस काफी सस्ता है, और उसके उपयोग लोग ज्यादा करते है। यह माध्यम विश्वासपूर्ण और आर्थिक कम लागत वाला होता है। एक समय में भारी मात्रा में एस. एम. एस. इंटरनेट द्वारा हजारों एवं करोड़ों लोगों तक भेज सकते हैं। भारत में मारे टुडे कंपनी मुफ्त में दिन में दो बार महत्त्वपूर्ण समाचार अपने मोबाईल पे एस. एम. एस. माध्यम से देती है, और महत्त्वपूर्ण घटना का समाचार तत्त्व लोगों को मिलता है यह समाचार या सूचना मोबाईल इंटरनेट या एस. एम.एस. अलर्ट के माध्यम से प्राप्त करते हैं। मोबाईल समाचार की मांग तेजी से बढ़ रही है उसका अपडेट तुरंत होता है । जैसे टीवी में ब्रेकिंग न्यूज आती हैं वैसे मोबाईल संचार मीडिया में एस एम एस अलर्ट होता हैं। और तुरंत नवनीतम जानकारी मिल जाती है।

संचार मीडिया मोबाईल की विशेषताएं :

एक मीडिया के रूप में मोबाईल संचार में सात अद्वितीय विशेषताएं हैं।

(1) यह एक व्यक्तिगत जनसंचार का मीडिया है।

(2) मोबाईल अपने साथ हमेशा रहनेवाला स्थायी मीडिया है।

(3) मोबाईल यह हमेशा चालू रहनेवाला मीडिया है।

(4) मोबाईल से भुगतान कर सकते हैं।

(5) मोबाईल से सृजनात्मक प्रेरणा का विकास होता है।

(6) मोबाईल सही दर्शक मापक है।

(7) मोबाईल एक सामाजिक संदर्भ का मीडिया है।

मोबाईल द्वारा लाईव रिपोर्टिंग और नागरिक पत्रकारिता :

मोबाईल फोन से लाईव रिपोर्टिंग किया जा सकता है। जैसे एक राजनीतिज्ञ भाषाण कर रहा है । उसके भाषण के कुछ महत्त्वपूर्ण अंश लघुसंदेश सेवा में परिवर्तित करके इंटरनेट के ऑनलाईन सेवा में पोस्ट कर सकते हैं या टेलीविजन मिडिया पर पत्रकार लाईव बातचित कर सकता है । 3जी तकनीक के द्वारा मोबाईल पर स्पॉट रिपोर्टिंग कर सकते हैं और चैनल के लिए फुटेज भेज सकते है, और एस एम एस द्वारा ब्रेकिंग न्यूज दे सकते हैं। वहां से सीधा उपभोक्ताओं को मोबाईल फोन पर यह सेवा प्राप्त हो सकती है। मोबाईल फोन पर खबर अलर्ट और मोबाईल पेपर के जरिए उन्हें वेल्यू एडेज सर्विस के रूप में भी पेश किया जा रहा है। ''टेलीविजन इंडस्ट्री के ज्यादातर बड़े चैनल इन दिनों मोबाईल प्लेटफार्म पर दिलचस्पी ले रहे हैं। भारत में 3जी 4जी मोबाईल सेवाओं के आगमन के साथ ही मोबाईल फोन पर टेलीविजन कार्यक्रम देखना संभव हो गया है।''[20] कम्प्यूटर और मोबाईल फोन से टीवी, रेडियो और समाचार-पत्रों का व्यक्तित्व बदल गया है। मोबाईल तकनीकी क्रांति का यह युग कनवरजेंस का युग बन चुका है। मोबाईल पर टीवी देखेंगे या अपना पसंदीदा रेडियो प्रोग्राम आइपोड पर डाउनलोड करके रेल में सुनेंगे और इंटरनेट युग में वेबपत्रकारिता का एक स्वरूप सिटीजन पत्रकारिता भी है। वेब पत्रकारिता आम आदमी को सूचनाएं समाचार और अपने विचार दुनिया के सामने रखने का अवसर देती है। उसी तरह मोबाईल पत्रकारिता का उपयोग सिटीजन पत्रकारिता के लिए उपयोग कर सकते हैं। ''भारत में अभी इस तरह की पत्रकारिता छोटे स्तर पर है और कुछ टीवी चैनल दर्शकों से मिले विजुअल स्टोरी को दिखा रहे हैं।''[21] हालांकि प्रिंट मीडिया में संपादक के नाम पाठकों के जो पत्र आते हैं, उन्हें भी सिटीजन पत्रकारिता की श्रेणी में रखा जा सकता है । मोबाईल समाचार ऐसी शक्ति है कि संवाददाता के साथ-साथ छोटे समुदाय या कोई एक साधारण व्यक्ति भी न्यूज दे सकता है और समाचार तथा सूचना का आदान-प्रदान भी कर सकता है। मोबाईल सामान्य नागरिक भी सक्रिय कर सकते हैं और नागरिक पत्रकारिता (सिटीजन पत्रकारिता) को बढ़ावा दे सकता है। सी. एन. एन., बी. बी. सी., प्रसार भारती, रायटर्स, याहू, जैसे प्रमुख मीडिया और छोटी समाचार कंपनी जैसे श्रीलंका में जैस्मीन यह नागरिक पत्रकारिता को इस माध्यम से बढ़ावा दे रहा है, और एस एम एस के माध्यम से अन्य कही महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्रिकेट के हर रन समाचार, रेल की आने-जाने की जानकारी, रेल टिकट, रिजर्वेशन का स्टेटस देखना, विद्यार्थियों की परीक्षाओं का रिजल्ट, रोज का भविष्य, शेयर मार्केट की जानकारी, टीवी प्रोग्राम की जानकारी और आजकल टीवी कार्यक्रमों का रियलिटी शो का परिणाम भी एस. एम. एस. पर होता है । एस. एम. एस. द्वारा चॅटिंग भी कर सकते हैं । राजनीतिक लोग और चुनाव के दौरान लोगों को एस. एम. एस. भेजती है, और अपने शहर में पुलिस और म्युनिसिपल कमीशनर का महत्त्वपूर्ण संदेश मोबाईल संचार मीडिया पर मानवी चेतना पैदा करने के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा बहुत सी जानकारी एस. एम. एस. के माध्यम से मोबाईल मल्टी मीडिया द्वारा लोगों को मिलती है। मोबाईल से ऑडियो रेकॉर्डिंग करके वह रिकार्डिंग ऑडियो फाइल के माध्यम से इंटरनेट द्वारा मोबाईल पर प्रसारित करना, इसको ऑडियो, पोडकास्ट या वॉइस मेल कहते हैं। कोई भी व्यक्ति या समुदाय के साक्षात्कार या संवाद को रिकॉर्ड करके वो इंटरनेट पोस्ट कर सकते हैं। टीवी के समाचार या अन्य समाचार कार्यक्रम में ये ऑडियो रेकॉर्डिंग दिखाई जाती है। और मोबाईल संचार की कंपनियां मेसेज के लिए वॉइस मेल सर्विस देती है। ''मोबाईल फोन के कैमरे से जो तस्वीर निकलती है। वह तस्वीर एस. एम. एस. के माध्यम से लोगों को भेज सकते हैं एवं इंटरनेट द्वारा यह तस्वीर वेबसाईट पर पोस्ट कर यह तस्वीर एवं छायाचित्र इंटरनेट के ब्लॉग पर भी पोस्ट कर सकते हैं''[22] उसे फोटो ब्लॉगींग कहते हैं। मोबाईल वीडियो एक सबसे महंगा माध्यम है। जिसे सेलफोन में वीडियो रेकॉर्डिंग की सुविधा है। उस सेलफोन के माध्यम से महत्वपूर्ण घटना का वीडियो रिकॉर्ड करके वह आप

एम. एम. एस. द्‌वारा प्रसारित कर सकते हैं। लाईव कवरेज भी आप इसी के द्‌वारा कर सकते हैं। इसे वीडियो शेयरिंग, वीडियो प्रसारण या ब्लॉगींग कहते हैं । सूचना प्राद्यौगिकी के युग में टेलीव्हीजन मोबाईल का वीडियो क्लीपिंग दिखाया जाता है या मोबाईल में टेलीविजन प्रसारण देख सकते हैं। सिटीजन्य पत्रकारिता के लिए इस मोबाईल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं।

निष्कर्ष : आज मोबाईल मीडिया हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक मोबाईल मीडिया संचार का माध्यम बना है। वास्तव में संचार क्रांति ने मोबाईल के प्रचार-प्रसार में योगदान दिया है। उपग्रह संचार माध्यम की सहायता से मोबाईल उपकरण यह मास मीडिया में रूपांतरित हो गया है । वह एक समाचार का मीडिया बन चुका है। आप टेलीविजन, रेडियो, फिल्म का प्रसारण देख सकते हैं और सुन सकते हैं। इंटरनेट और उपग्रह संचार प्रणाली के द्‌वारा मोबाईल संचार प्रक्रिया का दौर क्रांतिमय हो गया है। सामाजिक सरोकारों के लिए यह मीडिया उपयुक्त है और संसार का समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, एम. एम. एस. संदेशवहन का आवश्यक उपकरण और मास मीडिया बना है। इंटरनेट मोबाईल ब्रॉडबैंड के जरिए सभी सरकार के सेवाओं का लाभ मिलेगा और सभी मास मीडिया इस छोटे मोबाईल उपकरण में समाविष्ट हो गए हैं। यह एक बहुआयामी मीडिया बन गया है। मोबाईल के माध्यम से सिटीजन्स पत्रकारिता और लाईव रिपोर्टिंग कर सकते हैं । इस तरह सारी दुनिया मोबाईल के माध्यम से मुट्ठी में आ गयी है।

संदर्भ सूची

1. मार्शल मॅकलुहन-अंडर स्टॅडिंग मीडिया, रूटलेज प्रकाशन लंदन (1964)
2. केवल जे. कुमार-मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, जयको प्रकाशन, मुम्बई, पृ. 34
3. रमेश जैन-इलेक्ट्रॉनिक्र मीडिया लेखन, पृ. 239
4. सेवा सिंह बाजवा-मोबाईल क्रांति पर युवाओं की प्रतिक्रिया, संचार श्रीपत्रिका, जुलाई-सितंबर 2007 पृ. 7
5. रमेश जैन-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेखन, पृ. 237
6. वही, पृ. 237
7. डॉ. सुनिल वारभूवन-सोशॉलॉजी ऑफ मास-कम्युनिकेशन टैक्नॉलॉजी, पृ. 85
8. योजना पत्रिका, महाराष्ट्र शासन, मुम्बई-30 नवम्बर, 2010
9. सीमा मिश्रा-एस. एम. एस., यानी संचार का सुनहरा पन्ना, स्मरणिका-अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी (2009-10) आर डी नैशनल कॉलेज बांद्रा एवं पत्रकारिता विभाग, मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई
10. प्रियंका वाधवा, पत्रकारिता विविध रूप एवं सिद्धांत, पु. 147
11. बी. बी. सी. हिंदी सेवा वेबसाईट
12. रमेश जैन-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेखन, पृ. 239
13. टोमी अहोने और जीन ओरीयली-डिजिटल कोरिया, पब्लिकेशन फ्यूचर टैक्स्ट
14. एलन मूर-मोबाईल एण्ड सेव्हन्थ मीडिया, एन इव्हेलविंग मीडिया स्टोरी जून-2007
15. डेनिस मॅकवील-मास कम्युनिकेशन थिओरी-सेज प्रकाशन लंदन 1995
16. रमेश जैन-जनसंचार में करीअर, पृ. 182
17. स्मरणिका-अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी-2009-10, आर. डी नैशनल कॉलेज बांद्रा, जनसंचार विभाग, मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई पृ. 116
18. रमेश जैन-संपादन, पृष्ठ सज्जा और मुद्रण, पृ. 218
19. स्मरणिका-अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी-2009-10, आर. डी. नेशनल कॉलेज बांद्रा, जनसंचार विभाग, मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई
20. मीडिया मीमांसा (पत्रिका)-अप्रैल-जून, 2008, पृ. 27
21. कमल शर्मा-प्रिंट, टी.वी. और रेडियो का विकल्प बनता न्यू मीडिया मीमांसा (पत्रिका)-अप्रैल-जून, 2008, पृ. 40
22. मचा एन (2008), द फ्यूचर इन मोबाईल (पोस्ट फास्ट)

4354 HA/2011—9A

तनाव प्रबंधन

–क्षेत्रपाल शर्मा*

सरकारी दफ्तरों से लेकर कॉरपोरेट दफ्तरों तक ज्यादातर व्यक्ति तनाव के शिकार हैं । कुछ ही ऐसे हैं जिनकी दिनचर्या नियमित हो अन्यथा ज्यादातर व्यक्ति तनाव की शिकायत करते हैं । कभी-कभार हम जड़ में यह पाते हैं कि तनाव/दुख का कारण हमारे अपने Actions हैं ।

जाहिर है कि यह एक ऐसी समस्या है जिसको समझना एवं निराकरण करना जरूरी है। इसके कारण पारिवारिक (किसी सदस्य की नागवाद आदत), बिल्कुल निजी (दोस्त की दगा), कार्यालयीन (लक्ष्य प्राप्ति न होना), काम की Priority के अनुसार काम न निपटाकर पैंडिंग रखना, परस्पर अविश्वास, व्यक्ति का चिड़चिड़ापन, स्वभाव आदि। अति की अपेक्षा, 'उपेक्षा' वालों का भी साथ छोड़ दें। रोमानी ख्यालों में न रहें । क्या व्यावहारिक है, यह देखें । जब व्यक्ति उदासीपन या उबाऊ होता है तो उसे कहानियां अच्छी लगती हैं और जब व्यक्ति 'मन-मार' के बैठा हो तो उसे हंसाना अथवा रुलाना चाहिए। इस पर अरस्तू की Katharsis सिद्धान्त काम करता है जो कि Poetics में है । प्रेशर कुकर में जमा वायु-दाब को निकालने के लिये कुछ तो vent outlet चाहिए। नई सोच एवं नई उमंग के साथ काम में लगने के लिए हंसने-हंसाने का स्वस्थ मनोरंजन बहुत जरूरी होता है और इससे खिंची-खिंची सी स्नायु-तंत्रियां शिथिल पड़कर रक्त प्रवाह सामान्य होने से शरीर को राहत मिलती है । जहां जबरदस्त अनुशासन है वहां तो यह बहुत ही जरूरी है । अनुशासन अपनी जगह सही है, लेकिन आसपास का माहौल खुशनुमा ही हो । तनाव दूर करने के एक विशेषज्ञ Elizabeth Scott-M.S. ने (कुछ का ही समावेश) इस प्रकार बताए हैं :—

1. ज्यादा Perfectionalism न रहें । यह दुनिया है। दस-बीस प्रतिशत toleration रखें । ऐसी ही अपेक्षा रखें। 'गुस्सा' एक महंगा शौक है, जो कुछ कहना है, व्यक्ति के सामने कहें ।
2. 'चिन्ता' दूर करने के लिए संगीत का सहारा लें । अपने उन कठिन दिनों को याद करें जब आपकी सहायता किसी और ने की हो (उनका हमेशा शुक्रिया अदा करें) ।
3. दूसरे को समझें कि वह कोई कार्य विशेष परिस्थितिवश करता है या स्वभाववश । Status-quo वाले लोगों को चिन्हित करें ।
4. 'माथे' पर मालिश करायें, गर्म तेल करके उसे गुनगुना (lukeworm) होने पर ।
5. जितनी जरूरत हो, उतना ही खर्च करें । पैसा न हो, समय भी हो तो शांति से घर पर महापुरुषों की जीवनियां, उनके भाषण एवं अच्छी पुस्तकें पढ़ें। चर्चिल का कहा याद रखें कि 'A Joke is very serious thing' चाणक्य का गुरू-मंत्र कि अपने secrets को कभी भी, कहीं भी किसी के भी साथ share न करें । सत्कर्म, फूलों की सुगंध जैसे हवा की दिशा के भी विपरीत बहते हैं ।
6. मित्रों (अच्छे मित्रों) के साथ मिलें और हंसे, बतियाएं । सम्मानजनक व्यवहार रखें, उत्तेजना (instigation) में भी । व्यक्तिगत तौर पर चीजों को न लें ।
7. गर्म पानी से पैर धोएं (थकावट होने पर) ।
8. अखबार आजकल बहुत सारी ऐसी खबरें देते हैं जो समाज की स्थिति पर आपको तनाव देती हैं। एक-दो रोज अखबारों से दूर रहें ।
9. 'अच्छी' पत्र-पत्रिकाएं पढ़ें। अच्छी से तात्पर्य स्वास्थ्य, धार्मिक, शैक्षिक, दर्शन, कविताएं एवं इतिहास से है ।
10. अन्य व्यक्ति के निजी जीवन में सामान्यतया ताक-झांक न करें । उनके विश्वासों के प्रति अविश्वास, अनादर प्रकट न करें । भले ही आप स्वयं उन्हें न मानते हों ।
11. लोगों पर आंख बंद करके भरोसा न करें ।

मनुष्य अपनी गलतियों से ज्यादा सीखता है या यों कहें कि उत्पत्ति का रास्ता गलतियों से होकर ही जाता है तो ठीक रहेगा । लेकिन 'गलती' पर 'गलती' करते चले जाना

* शान्तिपुरम, सासनी गेट, अलीगढ़-202001

4354 HA/2011—9B

अधम होने की आदत डालता है, सावधान रहें। साथ हीं बोलने एवं कुछ करने से पहले उसका आगा-पीछा सोच लें। जैसा सभी जानते हैं सच की हिफाजत नहीं करनी पड़ती। इससे तनाव तो होने का सवाल नहीं, ताजगी रहती है। 'काका' हाथरसी ने तनाव को दूर भगाने का जो नुस्खा एक 'कुंडली' में दिया, वह इस प्रकार है :—

'डाक्टर वैद्य बता रहे कुदरत का कानून,
जितना हंसता आदमी, उतना बढ़ता खून।

उतना बढ़ता खून, हास्य में की कंजूसी,
सुन्दर सूरत-मूरत पर छाई मनहूसी।

कह काका कवि हास्य व्यंग्य को पीते डटके,
रहती सदा बहार, बुढ़ापा पास न फटके॥'

मानव व्यवहार का तनाव पर पूर्णरूपेण प्रभाव पड़ता है। कुछ की प्रवृत्ति यथास्थिति वादी होती है तो (बुढ़िया, भिखारी एवं नई बहू के न वाली कथा); कुछ रोमानी एवं लुभावने सपने दिखाकर शांति की चाह में शांति को नष्ट करने वाले (कुम्हार एवं एक विदेशी का वार्तालाप) कुछ (लुहार एवं खरीदार के मंपूत्रे वाले) हमें अक्सर मिलते हैं। कुछ का मंतव्य भड़काना और राह से विपथ करना (जैसे भीष्म पितामह की सलाह-गिद्ध और गीदड़ के बारे में) होता है। समस्याएं एवं situations कभी straight jacket नहीं होतीं, जो सर्वोत्तम हो वही वरण करें। यदि Hobson's choice हो तो विवेक से काम लें हो सके तो उस समय मामला टाल दें। प्रयास हर व्यक्ति को पूरी ईमानदारी से करने चाहिए दूसरे मानवीय गुण का श्रेष्ठतम सत्व 'सच' है; खुद इसकी (सच की) रक्षा करें एवं करायें भी।

अभी कुछ वर्ष पहले मैं योगायोग भवन, कलकत्ता में अधिकारियों के प्रशिक्षण में गया। मुझे विषय से हटकर तनाव प्रबंधन पर कुछ बातें साझा करने की मांग प्राय: सभी प्रशिक्षार्थियों ने उठाई तो अमूमन कि ठंडा पानी पियें, गुस्सा न करें, अपनी बदली करा लें, गर्म माहौल हो तो वहां से चले जाएं आदि के अतिरिक्त मैंने प्रत्येक को यह सलाह दी थी कि वे प्रतिदिन कुछ न कुछ परमार्थ जरूर करें। ज्यादा समय नौकरी पेशेवालों का 'स्वार्थ' में जाता है उसके समयाभाव, व्यस्तता से लेकर उच्च पद आदि जैसे अनेक कारण हो सकते हैं। मेरे एक मित्र जनगणना विभाग में अधिकारी थे। वे समय पर शाम को दफ्तर छोड़ देते थे। कुछ समय बाद वे दो-तीन मेमो दिखाने मेरे घर आए। मैंने बातचीत में जाना कि उनके वरिष्ठ अधिकारी शाम को कुछ देर बैठाकर अन्य काम भी कराना चाहते हैं। आखिर मैंने सलाह दी मेमो का जवाब अपनी जगह, आप जो कह रहे हैं वह जरूर करें। बस फिर क्या था, टंटा भी खत्म और वह अधिकारी अपने वरिष्ठतम अधिकारी के भी भरोसेमंद बन गए। तो यह मानवीय व्यवहार हमारे दार्शनिकों एवं कवियों ने भी उकेरा है। अंग्रेजी कवि अलेकजेंडर पोप ने Honour & shame from no condition rise act well your part there all honour lies.

T. S. Eliot ने भी Byzantium नामक कविता में कहा है कि, "duty must be done; though there may be none to see, it or reward it" । इसी प्रसंग में यह देखना समझना भी श्रेयस्कर रहेगा कि एक बुद्धिमान आदमी गलती कहां और क्यों कर रहा है न कि एक मूर्ख व्यक्ति की सफलता। तब बात आकर टिकती है कि तनाव कोई स्थाई चीज नहीं। समय बहुत बड़ा मरहम है। इसी विषय पर मुझे M. Ke Liebling की पुस्तक working with enemy पढ़ने को मिली। जिसमें कुल मिलाकर अच्छे गुर बताए गए हैं जैसे काम को समझना, उसे व्यवस्थित रखना, अपनी समस्या पर लोगों से चर्चा करना, ओछे लाभ आदि के लिए गलत काम न करना आदि-आदि। किसी काम को, जो कि ठीक है उसकी प्राप्ति तक आप प्रयास करते रहें। न कि मन मारकर खीझ कर बैठ जाएं। Our Iceberg is melting (John Kotter) भी एक अच्छी पुस्तक है।

मुहम्मद गौरी ने चींटी से प्रेरणा लेकर 17 बार पृथ्वीराज चौहान पर चढ़ाई की और आखिर में जीत गया। प्रयास करना अधिक महत्वपूर्ण है न कि जय अथवा पराजय।

तनाव दूर करने का एक कारगर नुस्खा यह भी है कि आप अपने आस-पास की, स्थानीय, देश-विदेश की घटनाओं जानकारियों से वाकिफ रहें। मौका हाथ से न निकल जाए इसलिए समय रहते सही कदम उठाएं। अंत में, मैं किशोर कुमार के गीत की याद आपको दिलाऊँगा-

"रुक जाना नहीं, तुम कहीं हार के ....."
कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के
ओ राही, ओ राही

Miltonic Phrase याद रखें कि obedience to the will of good makes man happy and disobedience miserable जो आपके employer हैं वे आपके साथ master-servant के संबंध में हैं। इस सम्बंध के सम्बंधित एक अर्धाली रामचरितमानस में हैं कि मास्टर अगर जीभ है तो नौकर हाथ।

आप उनका कहा सुनए व मानिए। लेकिन यह अर्थ भी नहीं कि आप गुलाम या दास हैं। आचरण नियमावली के तहत मौखिक आदेशों की पुष्टि काम को अंजाम देने से पहले करा लें ताकि बाद में आप पर आंच न आए।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में नियम का शासन चलता है न की विल अथवा व्हिम्स।

मधुमेह (डायबिटीज) रोग की रोकथाम एवं इस पर नियंत्रण

–डॉ. के. सी. गुप्ता*

मधुमेह या डायबिटीज रोग आज पूरे संसार में एक भयानक रोग का रूप ले रहा है और इसी रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या हमारे देश भारत में भी लगातार बढ़ती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित एक रिसर्च द्वारा यह तथ्य सामने आया है कि हमारे देश में आज 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और अगले 20 वर्षों में भारत एक ऐसा देश होगा जहां विश्व के अधिकतम मधुमेह रोगी होंगे अर्थात् भारत इस रोग की राजधानी बन जाएगा। आइए, यह जानने की कोशिश करें कि इस रोग के क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, क्या खतरे हैं, किस तरह इस रोग की रोकथाम कर सकते हैं एवं कैसे इस रोग पर नियंत्रण कर सकते हैं। यह सब जानकारी अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इस रोग से हमारे शरीर के अनेक अंगों पर खतरनाक प्रभाव पड़ते हैं जिनमें उच्च रक्तचाप, हृदय रोग (हार्ट की बीमारी), गुर्दे की बीमारी, लकवा, नेत्र रोग आदि शामिल हैं।

मधुमेह बीमारी प्रायः दो प्रकार की होती है :

1. टाइप 1 मधुमेह, जिसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, जो बच्चों में होती है तथा इन्सुलिन ही इसका इलाज है।

2. टाइप 2 मधुमेह, जिसे एडल्ट ओनसैट या मेचोरिटी ओनसैट डायबिटीज़ भी कहते हैं, जो वयस्क या अधिक उम्र के लोगों में होती है तथा ओरल दवाईयां इसका इलाज है। परन्तु कभी-कभी ओरल दवाईयों के साथ ही इन्सुलिन भी देना पड़ता है। दोनों तरह के मधुमेह रोग का नियंत्रण ही इलाज है तथा जीवन शैली को बदलकर स्वास्थ्यप्रद बनाकर इसकी रोकथाम भी संभव है। इसीलिये रोकथाम इलाज से बेहतर माना गया है।

मधुमेह रोग का कारण :

सामान्यतया पेन्क्रियास नामक ग्रंथि हमारे शरीर में इन्सुलिन नामक हार्मोन बनाती है जो मांसपेशी कोशिकाओं को रक्त में उपस्थित शर्करा (शुगर) को उर्जा के रूप में प्रयुक्त करने का निर्देश देता है। मधुमेह रोगियों में यह पेन्क्रियाज ग्रंथि या तो इन्सुलिन बनाती ही नहीं है, अगर बनाती है तो वह इन्सुलिन हार्मोन बायोलोजिकली प्रभावशाली प्रभावशाली नहीं होता जिससे रक्त में उपस्थित शर्करा का स्तर बढ़ जाता है अर्थात् ब्लड शुगर हाई हो जाता है। इन्सुलिन हार्मोन के अलावा, कुछ रिस्क फैक्टर जैसे मानसिक तनाव, मोटापा (ओबेसिटी), आरामदायक जीवनशैली, शारीरिक व्यायाम न करना, ज्यादा चर्बी वाले भोज्य पदार्थ खाना आदि भी टाइप-2 डायबिटीज के कारण बन सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर (वंशानुगत) भी मधुमेह रोग का कारण हो सकता है।

मधुमेह रोग के लक्षण :

मधुमेह रोग के अनेक प्रकार के लक्षण हैं जो इस प्रकार हैं —

- अधिक प्यास लगना
- अधिक भूख लगना
- अधिक मूत्र लगना एवं बार-बार मूत्र जाना
- अत्याधिक कमजोरी व थकान महसूस होना
- बार-बार फोड़े फुन्सी होना (चर्म रोग)
- घाव भरने में विलंब होना
- अंतरंग भागों में खुजली (चर्म रोग)
- चश्मे के नंबर बार-बार बदलना
- हाथ-पैरों में सुन्नता व सनसनी होना
- महिलाओं में बार-बार गर्भपात होना

* वरि. प्रो. (स्वा. प्रबं.) रेलवे स्टाफ कालेज वडोदरा

मधुमेह रोग के खतरनाक प्रभाव या जटिलताएं -

जैसा शुरू में यह दर्शाया गया है कि मधुमेह रोग एक गंभीर बीमारी है जिसका शरीर के अनेक अंगों पर प्रभाव पड़ता है । इसी वजह से कुछ खतरनाक प्रभाव या जटिलताएं इस प्रकार हैं -

- हाई ब्लड प्रेशर
- हार्ट अटैक (हृदय रोग)
- पक्षाधात (लकवा)
- नेत्र रोग (अंधापन)
- गुर्दा रोग (गुर्दे का फेल होना)
- पांवों का सूनापन (न्यूरोपेथी)

मधुमेह रोग का निदान :

इस बीमारी के निदान के लिए ब्लड शुगर की जांच फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्टप्रेन्डियल ब्लड शुगर जांच एवं एक अन्य जांच एचबीए 1 सी आवश्यक है जिनका स्तर निम्न प्रकार से होना चाहिये -

-फास्टिंग ब्लड शुगर का स्तर-	नोर्मल	-80-110 मिग्रा. 1 डीएल
(खाली पेट)	मधुमेह रोग	-140 मिग्रा 1 डीएल से अधिक
-पोस्टप्रेन्डियल ब्लड शुगर-	नोर्मल	-120-140 मिग्रा. 1 डीएल
(खाने के दो घंटे बाद)	मधु मेह रोग	-180 मिग्रा 1 डीएल से अधिक
-एचबीए 1 सी	नोर्मल	-6.5 से कम
	मधुमेह रोग	-75 से अधिक

इन जांचों के अलावा बोडीवेट, ब्लड प्रेशर, रक्त में कोलेस्टरोल की जांच, ईसीजी (हृदय रोग संबंधित जांच), नेत्र जांच, गुर्दों की जांच भी करवा लेनी चाहिये जिससे समय पर अन्य बीमारी का पता लग सके और आवश्यक इलाज हो सके ।

मधुमेह रोग की रोकथाम एवं इस पर नियंत्रण -

-टाइप-2 डायबिटीज या एडल्ट ओनसेट मधुमेह रोग की रोकथाम (प्रीवेन्शन) एवं इस पर नियंत्रण (कन्ट्रोल) हेतु अपनी जीवन शैली में बदलाव, खानपान पर नियंत्रण, शारीरिक व्यायाम, तनाव प्रबंधन, वजन पर नियंत्रण आदि अति आवश्यक है ।

-भोजन समय पर करें, उपवास नहीं करें, कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ लें जैसे ताजा फल (जो मीठे नही हों), हरी सब्जियां व सलाद ज्यादा खाएं ।

-दूध मलाई हटाकर प्रयोग करें, आटे का इस्तेमाल चोकर समेत करें, छिलके वाली दाल को खाने में शामिल करें, फलों का रस (ज्यूस) न पीएं, छाछ या नींबू पानी लें ।

एक बार ज्यादा खाने की बजाय दिन में 4-5 बार थोड़ा-थोड़ा खायें । केवल गेहूं के आटे की बजाय जौ, चना, गेहूँ (1 कि., 1 कि. 4 कि. क्रमश:) का आटा प्रयोग में लें, शाकाहारी भोजन करें ।

-नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करें, पैदल तेज गति से घूमना, कसरत करना, तैरना, साइकिल चलाना, एरोबिक कसरत, योगा, प्राणायाम, ध्यान आदि करें ।

-तनाव प्रबंधन के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं, समय पर अपने काम निपटायें, आपसी संबंध अच्छे बनाएं, आत्मविश्वास रखें, संतुलित जीवन शैली बनाएं ।

-चिकित्सक की सलाह से अपनी जांच (ब्लड शुगर व अन्य जांच) नियमित रूप से करवायें, दवाईयां भी नियमित रूप से लें एवं जीवन शैली को संतुलित व स्वास्थ्यप्रद बनाए रखें ।

इन सभी उपायों या साधनों द्वारा हम इस भयानक मधुमेह रोग की रोकथाम व इस पर नियंत्रण कर सकते हैं एवं इस रोग के खतरनाक प्रभावों या जटिलताओं से भी बचाव कर सकते हैं ।

4354 HA/2011—10A

वित्तीय समावेशन - भविष्य की आवश्यकता

–रवि दिवाकर गिरहे*

प्रस्तावना :

किसी भी देश के लिए विकास प्रक्रिया का निरंतर रहना अत्यंत आवश्यक माना गया है, विकास प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का क्रियाशील होना आवश्यक है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, भारत की ज्यादातर आबादी विकास से कोसों दूर है, समाज के इस बड़े लेकिन उपेक्षित और वंचित वर्ग को विकास के लिए बैंकिंग दायरे में लाना ही वित्तीय समावेशन है, निश्चित ही विकास प्रक्रिया में वित्तीय समावेशन के समन्वय से देश की अर्थव्यवस्था में बड़े परिवर्तन आ सकते हैं।

विकास प्रक्रिया की एक मज़बूत कड़ी के रूप में तथा वित्तीय समावेशन की अवधारणा को पूरा करने के लिए बैंकिंग उद्योग को महत्वपूर्ण माना जाता रहा है तथा इस उद्योग को मजबूत बनाने का काम विवेकशील मानदंडों को सफलतापूर्वक लागू करने के साथ पूरा किया जा चुका है, यही कारण है कि भारतीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गए हैं, अब आवश्यकता है, वित्तीय समावेशन के माध्यम से समाज के गरीबतम लोगों तक पहुँचने का तथा उनका जीवन स्तर उपर उठाने का यह काम उतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसकी वजह से बैंकों की पहुँच भौगोलिक दृष्टि से दुरूह और सुदूरवर्ती स्थानों तक होने में एक बड़ी बाधा मौजूद हैं, यह भी सत्य है कि जो लोग बैंकिंग के दायरे से बाहर हैं, वे बैंकों और बैंकिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते और न ही वे स्वयं बैंकों से कोई संबंध बनाने में रूचि रखते हैं, यह भी सत्य है कि यह लोग पीढ़ियों से ऋणग्रस्तता को भोग रहे, फिर भी न तो बचत कर पाते हैं और न ही उसका महत्व समझ पाते हैं, इस स्थिति को बदलने के लिए ही हमारे विकास प्रक्रिया में वित्तीय समावेशन को समाविष्ट करना जरूरी हो जाता है।

वित्तीय वंचन (Financial Exclusion) :

वित्तीय वंचन से तात्पर्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के दायरे से बाहर होना है, दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वित्तीय रूप से वंचित वे लोग है जो बैंकिंग या वित्तीय सेवाओं तक पहुँच ही नहीं रखते, वित्तीय वंचन के दो प्रकार है : एक भुगतान प्रणाली से वंचित रहना, तात्पर्य बैंक में किसी भी प्रकार का खाता न होना, दूसरा, औपचारिक ऋण बाजारों से वंचित रहना, आज भी हमारे देश के अधिकांश लोग साहूकारों तथा अन्य औपचारिक संस्थाओं पर ऋण हेतु निर्भर हैं, क्योंकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं अभी भी उनके पहुँच से बाहर हैं।

वित्तीय समावेशन—एक परिचय :

वित्तीय वंचन के कारण व्यक्तियों, समाज तथा देश को काफी दुष्परिणाम भोगने पड़ रहे हैं, इस दुष्चक्र से बाहर निकलकर हमें ऐसे समाज की संरचना करनी होगी जो गरीबी की दासता से मुक्त हो सके, इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर योजनाएं बनाने तथा उनका कार्यान्वयन करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं, इन प्रयासों में सामाजिक प्रेरणा के साथ ही बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं का सकारात्मक सहयोग आवश्यक है, वित्तीय रूप से वंचित लोगों की बैंकों तक पहुँच बढ़ाने के लिए तथा उन्हें अनौपचारिक संस्थाओं के जाल से निकालने के लिए आवश्यक ऋण प्रदान करना होगा।

हमारे देश के संतुलित आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए वित्तीय समावेशन की अवधारणा को समझना होगा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाने चाहिए, इसीलिए भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय समावेशन पर जोर दे रही है तथा इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को विभिन्न योजनाएं बनाने तथा इस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ हटकर कदम उठाने के लिए कहा है।

* बैंक आफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, नागपुर-2 अंचल, एस वी पटेल मार्ग, नागपुर-440001

4354 HA/2011—10B

अगर ये कहा जाए कि वित्तीय समावेशन ऐसे लोगों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना है, जो अभी तक बैंकिंग से वंचित हैं तो गलत नहीं होगा, दूसरे शब्दों में सामान्य आदमी तक बैंकिंग सेवाएं पहुँचाना ही वित्तीय समावेशन है ।

वित्तीय समावेशन की अवधारणा को निम्न रूप से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है :

1. जो लोग बैंकिंग सेवाओं के दायरे से बाहर हैं या उनका किसी भी प्रकार का खाता किसी भी बैंक में नहीं है, उन्हें बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराना ।

2. यह देखा गया है कि समाज के कमजोर वर्ग के लोग, जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर या फिर सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं तथा जिनका आर्थिक और सामाजिक रूप से शोषण होता है ऐसे जरुरतमंद लोगों के पास वित्तीय उत्पाद तथा अन्य सेवाएँ पहुँचाने हेतु प्रयास करना ।

3. बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ तथा उत्पाद बिना किसी भेदभाव के याने धर्म, राज्य, जाति, लिंग तथा आर्थिक स्थिति को आधार न बनाते हुए कमजोर वर्गों सहित देश के सभी लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए ।

4. बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ ऐसी लागत पर उपलब्ध होनी चाहिए जिसे गरीब या कमजोर वर्ग आसानी से वहन कर सके ।

5. देश के संविधान के अनुसार इस देश की सार्वजनिक संपत्ति पर सभी का अधिकार है, चूँकि बैंकिंग और भुगतान सेवाएं भी सार्वजनिक संपत्ति का अंग हैं, अत: ज़रुरी है कि देश कि जनता के सभी वर्गों की बैंकिंग और भुगतान सेवाओं तक निर्बाध पहुँच हो, चाहे वह गरीब या कमजोर वर्ग का क्यों न हो ।

6. वित्तीय समावेशन में बैंकों में खाता खोलने, राशि जमा करने तथा ऋण लेने की सुविधाएं शामिल हैं ।

वित्तीय समावेशन और चुनौतियाँ :

विकास प्रक्रिया में वित्तीय समावेशन की अवधारणा को समाविष्ट करने से देश के विभिन्न क्षेत्रों पर निश्चित ही सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है । लेकिन वित्तीय रूप से वंचित लोगों को बैंकिंग की आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराना इतना आसान कार्य नहीं है । आर्थिक तथा सामाजिक विषमता, समाज का राजनीतिकरण, भाषावाद-प्रांतवाद-जातिवाद को बढ़ावा तथा धार्मिक अंधानुकरण, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों की परंपरागत समस्याएँ, ऐसी कुछ चुनौतियाँ हैं जो विकास प्रक्रिया तथा वित्तीय समावेशन के लिए बाधाएँ बनी हुई हैं ।

● कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं :

गांधीजी हमेशा कहते थे कि भारत गाँवों का देश है तथा गाँवों का विकास ही देश का विकास है, दुर्भाग्यवश आज भी हमारा यह महत्वपूर्ण क्षेत्र अविकसित तथा दुर्लक्षित ही हैं । वित्तीय रूप से वंचित अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में है । मौसम आधारित खेती, कृषि पर अत्याधिक निर्भरता, योग्य व सस्ते बीजों का अभाव, रोज़गार का अभाव तथा बढ़ती बेरोज़गारी, जीवनयापन का निम्न स्तर, बड़ा परिवार, ज़मींदारी व्यवस्था एवं साहूकारों का प्रभाव, ऋणग्रस्तता, निरक्षरता, छूआछूत या जाति व्यवस्था के दोष, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, आधुनिक तकनीक का अभाव, वित्तीय संस्थाओं का दूरदराज के क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान न करना, ऐसी समस्याएं हैं जो गाँवों के विकास के लिए तथा वित्तीय समावेशन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है ।

● सामाजिक तथा आर्थिक विषमता :

हमारे देश की विडंबना यही है की हम स्वतंत्रता के साठ दशक बाद भी जाति, धर्म, प्रांत तथा भाषाओं के बीच में बँटे हुए हैं, इसका सीधा परिणाम हमारे आर्थिक विकास पर पड़ रहा है। पूंजीपती अधिक सम्पन्न हो रहे हैं तो गरीब निर्धन हो रहा है, गरीबों को प्राथमिक सुविधाओं से भी वंचित रखा जा रहा है, ऐसे में वित्तीय समावेशन के लिए यह एक बड़ी चुनौती है ।

● जनसंख्या विस्फोट की स्थिति :

विभिन्न सरकारी प्रयासों के बावजूद आज भी जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं पाया गया हैं, जिसके दुष्परिणाम सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहे है तथा वित्तीय रूप से वंचित लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है ।

साहूकारों का प्रभाव कम न होना :

वित्तीय संस्थाओं का असहयोग, ऊँची ब्याज दरें, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का अभाव, अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण प्राप्त होना, ऐसी बाते है जो साहूकारों के प्रभाव को कम नहीं होने देती, जिससे ग्रामीण हमेशा कर्ज में ही डूबा रहता है ।

रोजगारों के अवसरों का अभाव :

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का अभाव विकास प्रक्रिया तथा वित्तीय समावेशन के क्रियान्वयन में बड़ी बाधा बना हुआ है । जिससे बेरोजगारी, गरीबी तथा भुखमरी जैसी समस्याएं बढ़ रही है । 1990 में निर्माण व सेवा क्षेत्र की विकास दर तो बढ़कर चौगुनी हो गई लेकिन कृषि क्षेत्र की विकास दर कम होकर दो प्रतिशत पर आ गई, जब की कृषि पर निर्भर आबादी करीब 45 प्रतिशत से भी अधिक है, कृषि क्षेत्र का योग्य विकास न होना, कृषि आधारित व्यवस्था, दोषपूर्ण वित्तपोषण इसके कारण हैं ।

शिक्षा तथा साक्षरता का अभाव :

साक्षरता तथा उत्पादकता का गहरा संबंध है, 1950 में यूएनओ ने जागतिक सामाजिक परिस्थिति पर 75 देशों की जानकारी प्राप्त की थी, इसके अनुसार जिन देशों में 80 प्रतिशत से ज्यादा साक्षरता थी वहाँ पर प्रतिव्यक्ति आय 300 डॉलर थी, जिन देशों में 49 प्रतिशत या कम साक्षरता थी वहाँ पर प्रतिव्यक्ति आय 150 डॉलर थी, तात्पर्य शिक्षा तथा साक्षरता के अभाव में वित्तीय समावेशन को लागू करना एक चुनौती ही है ।

दूरदराज के क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव:

भौगोलिक दृष्टि से दुरुह तथा सुदूरवर्ती स्थानों में आज भी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है, घने जंगल, अतिवृष्टि, परिवहन के साधनों का अभाव, बढ़ता नक्सलवाद, आतंकवाद आदि के कारण वित्तीय संस्थाओं का योगदान नगण्य हो जाता है, कई आदिवासी क्षेत्र ऐसे है जहाँ हमारी बोलचाल की भाषा भी समझी नहीं जाती, ऐसे स्थानों पर वित्तीय समावेशन की संकल्पना लागू करना एक बड़ी चुनौती है ।

राजनैतिक तथा सामाजिक नेतृत्व की उदासीनता :

हमारे देश का वर्तमान राजनैतिक नेतृत्व देश के विकास के लिए जागरुक नहीं दिखाई देता। मात्र अपने निजी स्वार्थ के लिए विकास की बातों को दूर रखा जाता है। नेताओं का निरक्षर होना, राजनीति का अपराधीकरण, जाति, धर्म भाषा, प्रांत के झगड़ों में नेताओं की ज्यादा रुचि, हमारे देश के विकास के लिए बाधा निर्माण करता है। हमारा सामाजिक नेतृत्व भी राजनीति से प्रेरित होने के कारण विकास के कार्यों में रुचि नहीं लेता। वित्तीय समावेशन की संकल्पना को लागू करने के राजनैतिक व सामाजिक नेतृत्व का योगदान आवश्यक है ।

- ग्रामीण तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव
- दूरदराज के क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का योग्य उपयोग न किया जा
- वित्तीय संस्थाओं में बढ़ती लालफीताशाही/भ्रष्टाचार
- सार्वजनिक बैंकों द्वारा कमजोर वर्ग के वित्तपोषण में अल्प सहयोग
- ग्रामीण तथा सहकारी बैंकों का असफल होना
- आर्थिक मंदी का प्रभाव
- सरकारी योजनाओं की विफलता
- ग्लोबल वार्मिंग का दुष्प्रभाव
- बढ़ती मंहगाई

वित्तीय समावेशन की समस्याओं का निवारण :

उपरोक्त चर्चा से हमारे देश में वित्तीय समावेशन को लागू करने में आने वाली विभिन्न समस्याओं तथा चुनौतियों से हम अवगत हुए। विकास के लिए किए जा रहे अच्छे प्रयासों में हर विकासशील देश को इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद युनूस का जिक्र करना आवश्यक होगा। उन्होंने ग्रामीण बैंक के माध्यम से गरीब संपत्तिहीन लोगों को ऋण प्रदान कर जो सामाजिक तथा आर्थिक क्रांति की है। उससे हमें सबक लेना होगा, इस ग्रामीण बैंक के 6.91 मिलियन ऋणग्राही हैं, जिसमें से 97% महिलाएं हैं। इस बैंक ने 2010 तक समस्त गरीब परिवारों को लघु ऋण के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है तथा सभी ग्रामीणों को मोबाईल सेवाएं प्रदान करने की योजना भी बनाई जा रही है। वे कहते हैं कि 2030 तक वे गरीबी को एक

म्यूजियम में कैद कर देंगे। हमें तो वित्तीय समावेशन की समस्याओं का सारा समाधान डॉ. यूनूस के सफल प्रयोगों से ही मिल जाएगा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वित्तीय समावेशन का प्रश्न आर्थिक ही नहीं सामाजिक भी है, वित्तीय समावेशन के क्रियान्वयन आने वाली हर चुनौतियों का निवारण किया जा सकता है, बशर्ते हममें इच्छाशक्ति का अभाव न हो। वित्तीय समावेशन में आने वाली समस्याओं का निम्नलिखित दो पहलुओं पर विचार कर हम दूर कर सकते हैं ।

1. वित्तीय समावेशन के लिए आर्थिक पहलुओं पर विचार :

● बैंकों में खाता खोलने के लिए नागरिकों को कानूनी अधिकार प्रदान करना :

अन्य विकसित देशों में जिस प्रकार बैंकों को सभी नागरिकों के लिए खाते खोलने का कानूनी अधिकार है, उसी प्रकार भारत में भी कानून बनाकर यह अधिकार प्रदान करना चाहिए, जिससे कोई भी बैंक बचत या चालू खाता खोलने के लिए इन्कार न कर सके। आँकड़े बयान करते हैं कि देश में प्रति 100 व्यक्ति, बैंक जमा खातों की संख्या मात्र 31 तथा प्रति 100 वयस्क व्यक्ति, बैंक जमा खातों की संख्या मात्र 59 है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 1000 लोगों पर मात्र 185 जमा खाते हैं। जो यह दर्शाता है कि मात्र 18.5 प्रतिशत लोग ही बैंकिंग के दायरे में आते है तथा लगभग 82 प्रतिशत लोग बैंकों के सम्पर्क में नही हैं ।

● साहूकारों के चंगूल से बचाने हेतु सहज ऋण सुविधा का प्रावधान :

आज की स्थिति में कुल ग्रामीण ऋण का 78 प्रतिशत भाग अनौपचारिक स्रोतों से अर्थात् साहुकारों और महाजनों आदि से लिया जाता है। कुल ऋण में इन स्रोतों का हिस्सा बढ़ ही रहा है। वर्ष 1991 में जहाँ यह 17.5 प्रतिशत था वर्ष 2002 में बढ़कर 27 प्रतिशत तक जा पहुँचा था । वित्तीय समावेशन के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्र में सहजता से तथा शीघ्र ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास करना होगा। साथ ही उत्पादक ऋणों के साथ अनुत्पादक कार्यों के लिए जैसे, सामाजिक कार्य आदि के लिए भी ऋण उपलब्ध कराना चाहिए ।

● नो फ्रिल खातों का व्यापक प्रचार-प्रसार करना :

बैंकों को 'नो फ्रिल खाते' खोलने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिए, जिससे कमजोर वर्ग के लोग बैंक में खाते खोलने के लिए आकर्षित होंगे। बैंकों को सामाजिक विपणन करने वाली कुशल टीम का उपयोग करना होगा ।

● नई तकनीक को ग्रामीण जनता तक सरलता से उपलब्ध कराना :

नई तकनीक को अल्प शुल्क में तथा सरलता से उपलब्ध कराना होगा । इसके लिए क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। वंचित लोगों को इसके लिए शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाए। बायो मीट्रिक स्मार्ट कार्ड तथा मोबाईल बैंकिंग का प्रयोग अल्प शुल्क पर किया जाए ।

● स्थानीय या सर्वसम्मत भाषा का प्रयोग :

यह ध्यान रखना होगा कि वित्तीय समावेशन का प्रयोग वंचित तथा गरीब वर्ग के समूहों को प्रोत्साहित करने हेतु है, जो निरक्षर या अशिक्षित है, इसलिए वित्तीय संस्थाओं को स्थानीय या सर्वसम्मत भाषा का प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए ।

● वित्तीय साक्षरता :

हमारे देश में वित्तीय साक्षरता का प्रमाण बहुत ही कम है। विशेषकर अर्थशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अभाव में बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, या फिर बहुत ही कम जानकारी है। यदि उन्हें वित्तीय रूप से साक्षर बनाया जाए तो वे बचत के साथ ही बैंकों जैसी औपचारिक संस्थाओं से ऋण लेने तथा अन्य सेवाएं प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं, जो उन्हें साहूकारों के चंगूल से मुक्त कर सकते है, वित्तीय समावेशन के सफलता के लिए यह एक अति आवश्यक बात है ।

● स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना :

स्वयं सहायता समूहों की सफलता को देखते हुए इस कार्यक्रम को वित्तीय समावेशन के माध्यम से वित्तीय रूप से वंचित लोगों के लिए अधिक प्रभावी तरीके से लागू करना होगा । ऐसे समूहों के माध्यम से रोजगार के अनेक अवसर प्रदान किए जा सकते हैं तथा छोटी बचतों को प्रोत्साहित किया जा सकता है ।

● व्यष्टि वित्त की विशेषताओं का उपयोग :

व्यष्टि वित्त के अन्तर्गत बिना सम्पार्श्चिक ज़मानत के ऋण दिए जाते हैं । इसका उपयोग वित्तीय समावेशन के लिए निम्न पद्धतियों से किया जाए ।

4354 HA/2011—11A

1. परंपरागत बैंक ऋण के माध्यम से

2. स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण से जोड़कर

3. व्यष्टि वित्त संस्थाओं को बैंक ऋण देकर

● **एनजीओ की भूमिका में अधिक सक्रियता :**

अधिकतर एनजीओ को ग्रामीण क्षेत्र की पूरी जानकारी होती है, ऐसे में उन्हें अधिक प्रशिक्षित कर दूरदराज के क्षेत्र में भेज कर वित्तीय रूप से वंचित लोगों को वित्तीय रूप से शिक्षित करने हेतु प्रेरित करना चाहिए।

- फसल ऋण के साथ ही अन्य सहायक गतिविधियों में प्रभावी सुधार कर ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने से रोजगार में वृद्धि संभव होगी।
- पिद्दी (टाइनी), लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर वित्तीय समावेशन के माध्यम से प्रभावी बनाना होगा।
- संरक्षित वर्ग के ग्राहक समूह के लिए रिटेल विपणन की रणनीतिं प्रभावी बनाई जाए।
- आवास ऋण, शिक्षा ऋण, पर्सनल ऋण तथा गोल्ड ऋण को अधिक सुसंगत बनाकर वित्तीय रूप से वंचित लोगों को इसमें समाविष्ट किया जाए।
- बैंकों द्वारा बीमा कंपनियों के साथ मिलकर समाज के कमजोर तथा वंचित वर्ग के लिए योग्य बीमा योजनाओं का उपयोग करना चाहिए।
- बैंकों का स्वाँट विश्लेषण के माध्यम से वंचित वर्गों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र के योजनाबद्ध उपयोग से वित्तीय समावेशन कार्यक्रम सफल हो सकता है।
- परिवहन या यातायात व्यवस्था को ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में सरल, सस्ता तथा प्रभावी बनाया जाए।
- सूदूर क्षेत्रों में वित्तीय संस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए बिजिनेस करस्पान्डट्स, एनजीओ, बेरोजगार युवकों का प्रभावी उपयोग किया जाए।
- बैंकिंग योजनाओं का प्रभावी प्रचार व प्रसार वित्तीय रूप से वंचित लोगों में किया जाए।

2. वित्तीय समावेशन के लिए सामाजिक पहलुओं का समाधान :

हमारे देश में अधिकतर लोगों के वित्तीय रूप से वंचित रहने का कारण हमारी सामाजिक व्यवस्था का दोषपूर्ण रहना है। हमारी जनता अपने साथ देश के विकास की बात सोचने लगेगी तो वित्तीय समावेशन की चुनौतियाँ अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसलिए वित्तीय समावेशन तथा विकास प्रक्रिया को सफल मंचन हेतु हमें हमारे सामाजिक दायित्वों को भी समझना होगा तथा देश की अखंडता को बनाए रखने के प्रयास मिलजुलकर करने होंगे।

- जाति, धर्म, भाषा, प्रांत के बढ़ते भेदभाव को आपसी सामंजस्य से रोकना होगा। इसके लिए सभी संप्रदायों के सुबुद्ध लोगों को मिलकर प्रयास करने होंगे।
- वित्तीय समावेशन के लिए राजनैतिक इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा। राजनेताओं पर अंकुश रखने के लिए जनता को जागृत करना होगा तथा सामाजिक संस्थाओं एवं बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा।
- जनता तथा सरकार को मिलकर सत्ता का अपराधीकरण, भ्रष्टाचार व लालफीताशाही रोकने हेतु कठोर कानून बनाकर उन पर अमल करना होगा।
- वित्तीय समावेशन के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सामाजिक संगठनों को मिलकर प्रयास करने होंगे।
- सरकार को आर्थिक विषमता दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
- बेरोजगार युवकों को वित्तीय समावेशन के कार्य में सहभागी बनाना चाहिए।
- सामाजिक विपणन की आवश्यकता।

सारांश :

भारत जैसे विशाल देश में जहाँ अपार जनसंख्या के साथ ही विभिन्न भाषा, धर्म, जाति के लोग रहते हैं, वहाँ पर देश के संतुलित आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता होती है। देश की विकास प्रक्रिया को अधिक गतिशील बनाने के लिए ही वित्तीय समावेशन की संकल्पना आगे आई है। निश्चिय ही भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी चरमसीमा पर है। गत कुछ वर्षों में आर्थिक विकास की दर उम्मीद से ज्यादा बढ़ी है। योजनाबद्ध विकास के कारण आर्थिक मंदी के दुष्परिणामों से हम बच

पाएं है । भविष्य में महासत्ता बनने के लिए हम ललायित हैं, वित्तीय समावेशन की अवधारणा को सफल बनाने से ही हमारा सर्वसमावेशी विकास हो सकता है ।

उदारीकरण के इस दौर में भी 65 प्रतिशत से जयादा लोग हमारे देश में वित्तीय रूप से वंचित है, जिसमें भूमिहीन किसान, मौखिक पट्टेदार, शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, वरिष्ठ नागरिक व महिलाएं शामिल हैं । आज भी हमारे देश के अधिकांश लोग साहूकारों, महाजनों तथा अन्य औपचारिक संस्थाओं पर ऋण हेतु निर्भर हैं, क्योंकि हमारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं अभी भी उनके पहुँच से बाहर हैं ।

एशियन विकास बैंक का एक अध्ययन बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के बावजूद पिछले दशकों में न तो गरीबी में कमी आई है, ना ही गरीब कम हुए है। विश्व बैंक की रिपोर्ट 'एंडिंग पॉवर्टी इन साउथ एशिया' में दिए गए आंकड़ों (2003-2004) के अनुसार दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा गरीब और अल्प आय वाले परिवार रहते है । जो प्रचलित वित्त प्रदाता संस्थाओं (फंडिंग एजेंसिज) से वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने में असफल रहे हैं । औपचारिक संस्थागत बैंकिंग क्षेत्र द्वारा गरीबों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अपने सामाजिक दायित्व को ठीक से नहीं निभाया है । इस असफलता ने गरीबों को मजबूरन साहूकारों के जाल में फंसा दिया है परिणामवश गरीबों, किसानों की बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हो रही हैं । एक और जहां पूंजीपतियों का आर्थिक विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर गरीब अधिक गरीब तथा असहाय हो रहा है ।

राष्ट्र विकास के लिए तथा ऐसे लोगों को अगर आर्थिक विकास से जोड़ना है तो वित्तीय समावेशन की अवधारणा पूर्ण रूप से अपनाना आवश्यक हो जाता है । बेसिक्स के अध्यक्ष श्री विजय महाजन के अनुसार लगभग 250 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहें हैं तथा लगभग 500 मिलियन लोग गरीबी रेखा से जरा ही ऊपर हैं, जो अत्यधिक गरीबी में जीवन बीता रहे है। ऐसे लोग अर्थव्यवस्था से जुड़ जाते हैं तो निश्चित ही आर्थिक विकास को गति मिल सकती है । इसके लिए बैंकिंग उद्योग एक मजबूत कड़ी साबित हो सकता है ।

वित्तीय समावेशन के माध्यम से बैंकिंग उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है । जिसमें निश्चित ही सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ लाभप्रदता बढ़ाने के अवसर भी प्राप्त होंगे । जिससे बचत के रूप में घरों में बेकार पड़ा हुआ धन बैंकिंग के माध्यम से देश के आर्थिक विकास के काम आएगा । गरीब व दुर्बल लोगों के बैंकिंग से जुड़ने से आर्थिक वृद्धि दर में तेजी से वृद्धि होगी । विभिन्न सरकारी योजनाएं जैसे रोजगार गारंटी योजना, कमजोर तथा पिछड़े वर्ग के लिए पेंशन योजना, आदि के अंतर्गत आनेवाले मजदूरों को बैंक के माध्यम से ही भुगतान प्रदान करने से बैंकिंग की आदत डाली जा सकती है । दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को या मंजदूरों को बायो मीट्रिक स्मार्ट कार्ड द्वारा बैंकिंग से जोड़कर आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है । वित्तीय समावेशन से बैंकों का ग्राहक आधार बढ़ेगा तथा बैकिंग सेवाओं का विस्तार होगा । देश के सभी लोग बैंकिंग से जुड़ने के कारण पूरे देश में किए जाने वाले मुद्रा प्रबंधन कार्य में आसानी होगी जिससे नगदी व्यवहार में कमी आएगी, धनप्रेषण तथा रखरखाव की लागत में कमी आएगी एवं नोटों के खराब होने की समस्या दूर हो सकेगी । वित्तीय रूप से वंचित लोगों को विभिन्न ऋण योजनाओं में शामिल कर बैंकिंग व्यवसाय में तथा लाभप्रदता में वृद्धि की जा सकती है । ऐसे कम लाभप्रद ग्राहकों को बैंकिंग उत्पादों की प्रति बिक्री (क्रास सेलिंग) बैंकों की भावी रणनीति बन सकती है । बैंकिंग में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में लक्ष्यों की प्राप्ति आसान होगी । अधिकांश लोगों के बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने के कारण लेनदेनों में पारदर्शिता आएगी जिससे केन्द्रीय बैंक को योग्य नीतियाँ बनाने व उनके कार्यान्वियन करने में सुविधा मिलेगी ।

वित्तीय समावेशन की अवधारणा के साथ ही देश के विकास में उसके योगदान, आने वाली चुनौतियाँ तथा उसके समाधान के लिए विभिन्न मुद्दों पर ऊपर चर्चा की गई है । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वित्तीय रूप से वंचित लोग सभी क्षेत्रों में हैं, इसलिए ऐसी सर्वसमावेशक आर्थिक नीति बनानी होगी जो वित्तीय समावेशन को पूरी कर सके । यह कार्य मात्र सरकार या मध्यवर्ती बैंक का ही नहीं है, इसमें आम आदमी के साथ ही देश के बुद्धिजीवियों, समाजसेवकों तथा पूंजीपतियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है । वास्तव में हमें हमारे देश के विकास की चिंता है, तो आइये संकल्प करें वित्तीय समावेशन को सफल बनाने का तथा देश को महासत्ता बनाने का । ■

राजभाषा संबंधी गतिविधियां

(क) केंद्रीय हिंदी समिति की 30वीं बैठक

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 28 जुलाई, 2011 को दिल्ली में केंद्रीय हिंदी समिति की 30वीं बैठक आयोजित की गई ।

माननीय गृह मंत्री श्री पी. चिदंबरम ने माननीय अध्यक्ष महोदय और केंद्रीय हिंदी समिति के माननीय सदस्यों का स्वागत किया । प्रारम्भ में उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्रीय हिंदी समिति की 30वीं बैठक के आयोजन में चार वर्ष का अंतराल अपरिहार्य परिस्थितियों का परिणाम है । पहले यह बैठक 27 नवम्बर, 2008 को आयोजित की जानी थी, किंतु उसे स्थगित करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मंत्रालय गंभीरता से यह प्रयास करेगा कि इस महत्वपूर्ण फोरम की एक बैठक प्रत्येक वर्ष अवश्य आयोजित की जाए । उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति के आदेशों और केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णयों के कार्यान्वयन की वार्षिक समीक्षा के लिए एक व्यवस्था स्थापित की जाएगी जिसे नियमित रूप से कार्यशील रखा जाएगा । माननीय गृह मंत्री महोदय ने आगे कहा कि हिंदी 11 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों की प्रथम राजभाषा है । यह भाषा लोकप्रिय हो रही है और इसकी पहुंच में विस्तार हो रहा है । यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि यह सुदूर दक्षिण में केरल राज्य में और साथ ही अरुणाचल प्रदेश में मैट्रिक स्तर तक पढ़ाई जा रही है । माननीय गृह मंत्री ने सरकारी कामकाज में सरल और आसान हिंदी का उपयोग करने का अनुरोध किया, जिससे इसकी वर्तमान पहुंच में और विस्तार सुनिश्चित किया जा सके । उन्होंने यह भी कहा कि राजभाषा नीति हमारे संविधान में प्रतिष्ठापित धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के सिद्धांतों पर आधारित है व इनसे संपोषित है ।

गृह मंत्री ने सदस्यों को राजभाषा विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप हिंदी के प्रचार-प्रसार के महत्वपूर्ण सकारात्मक विकास से अवगत कराया। उन्होंने सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि वर्ष 2010-2011 में ₹ 5 करोड़ 50 लाख बजटीय आवंटन की तुलना में 2011-12 वर्ष के लिए ₹ 20 करोड़ की राशि का प्रावधान कर महत्वपूर्ण वृद्धि की गई; नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई और 7 महीनों में 24 नराकास का गठन होने से इनकी कुल संख्या 295 तक पहुंच गई; विभाग की वेबसाइट को पुन: डिजाईन कर अधिकाधिक नागरिक-उपयोगी बनाया गया है; तथा अन्य बहुत से व्यवस्थापरक सुधार किए गए हैं, जिनमें केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (सी.एस.ओ.एल. एस.) के अधिकारियों के संवर्ग को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देना भी शामिल है । उन्होंने हिंदी प्रयोगकर्ताओं के लिए आई.टी.टूल्स और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में बेहतर विशेषज्ञता के लिए एन.आई.सी. और सी-डैक जैसे संगठनों की ओर से अधिकाधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया ।

माननीय प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष ने अपने समापन भाषण में कहा कि वे हिंदी का और अधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों द्वारा व्यक्त चिन्ताओं को समझते हैं । हिंदी का इस रूप में विकास किया जाना चाहिए कि विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भी इसे सहज रूप से स्वीकार किया जाए । सूचना प्रौद्योगिकी टूल्स एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के विकास के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए और इन्हें हिंदी के प्रयोक्ताओं की पहुँच में लाया जाना चाहिए ताकि सूचना प्रौद्योगिकी की जानकारी के क्षेत्र में विभिन्न वर्गों में पाई जा रही विषमताओं को दूर किया जा सके । प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिंदी के विकास एवं संवर्द्धन हेतु व्यापक रणनीति तैयार की जानी चाहिए । इस कार्य के लिए यह उचित समय है, क्योंकि विभिन्न कार्यकारी समूह पंचवर्षीय योजना के लिए रणनीतियां तैयार करने हेतु इस समय कार्य कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा तथा यथा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी । उन्होंने सभी सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु समय देनें एवं हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए सुझाव देने के लिए धन्यवाद दिया ।

माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री जितेन्द्र सिंह ने माननीय प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय हिंदी समिति के सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया । उन्होंने सदस्यों द्वारा दिए गए मूल्यवान सुझावों हेतु उनका आभार व्यक्त किया एवं आश्वासन दिया कि उनके सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाएगा ।

*** सहायक प्रोफेसर, हिंदी भवन, भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर-364002**

(ख) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

'ग' क्षेत्र

पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-2, जम्मू

उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-2, क्षेत्रीय मुख्यालय, जम्मू की 40वीं बैठक श्री एस. सी. सिंह, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 17 जून, 2011 को 11-00 बजे (पूर्वाह्न) कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई। संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा निगम कार्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया था, जिससे संबंधित कुछ बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया गया है। बैठक में इन बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई :

अप्रशिक्षित कार्मिकों को तत्काल आधार पर इंटरनेट, विभागीय व्यवस्था अथवा हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालयों से संपर्क कर प्रशिक्षण पूरा करें, ताकि मुख्यालयों एवं उनके अधीनस्थ उप-केन्द्रों को नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित करवाया जा सके।

इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने सर्वप्रथम भिवानी कार्यालय को अधिसूचित करवाने की प्रक्रिया को शुरू करने के आदेश दिए।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) आदेशात्मक है एवं कार्यालय से जारी होने वाले सभी परिपत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, टैंडर आदि द्विभाषी अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी होने चाहिए। यह देखने की जिम्मेदारी उन पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होती है। इस संबंध में शत-प्रतिशत अनुपालना हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

समस्त स्थल कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध है कि सभी कंप्यूटरों पर द्विभाषी की सुविधा उपलब्ध हो तथा सभी में यूनिकोड हिंदी फॉन्ट का ही प्रयोग किया जाए।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि केंद्र सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन एवं इसमें दर्शाए वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सभी को पूरा प्रयास करना है।

भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता

भा.खा.नि., क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता में दिनांक 25-5-2011 को क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक बुलाई गई। उक्त बैठक यहां के मासिक निष्पादन समीक्षा बैठक (आर पी आर) के साथ अनुष्ठित की गई जिसमें इस कार्यालय के तहत आने वाले 20 जिला कार्यालयों के क्षेत्र प्रबंधक शामिल थे। यहां के महाप्रबंधक (क्षेत्र) डॉ. अजीत के. सिन्हा जी का यह उद्देश्य रहा है कि क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के साथ-साथ जिला कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को दैनंदिन के कार्यालयीन कामकाज में कार्यांवित करने के लिए प्रत्येक आर पी आर बैठक में हिंदी को भी एक मुद्दे के रूप में रखा जाए जिससे कि जिला कार्यालयों में भी हिंदी प्रगति विषयक जानकारी मिल सके।

रा.भा.का.स. की इस बैठक की अध्यक्षता महाप्रबंधक (क्षेत्र) द्वारा की गई और समिति के सभी सदस्य इस बैठक में उपस्थित पाए गए। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय भी लिए गए और उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय के साथ-साथ जिला कार्यालयों में भी कार्यांवित करने पर बल दिया गया। क्षेत्रीय कार्यालय के उप महाप्रबंधक (क्षेत्र) श्री हेमंत कुमार जैन द्वारा सबसे पहले सभी क्षेत्र प्रबंधकों को यह निदेश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रति तिमाही के समाप्ति के 15 दिनों के अंदर हिंदी की तिमाही रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दें। बैठक में वार्षिक कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय एवं निदेश दिए गए जो इस प्रकार हैं :

(1) क्षेत्रीय कार्यालय एवं जिला कार्यालयों में "पुस्तक अनुदान राशि" का 50 प्रतिशत की राशि हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय की जाए।

(2) हिंदी कार्मिकों को जून व जुलाई, 2011 महीने के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण लेने के उपरांत कार्यालय के सभी सिस्टमों पर उसे वे डाउनलोड करें और एक कार्यक्रम के तहत कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इसके बारे में जानकारी देंगे।

(3) प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला निश्चित रूप से करवाई जाए।

(4) नियम 5(5) के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर केवल हिंदी में दिए जाएं। इसके लिए उस पत्र

4354 HA/2011—12A

का उत्तर हस्तलिखित भी दे सकते हैं या कंप्यूटराइज्ड भी।

(5) धारा 3(3) का अनुपालन सभी को सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(6) एक क्षेत्रीय सम्मेलन की घोषणा महाप्रबंधक (क्षेत्र) द्वारा की गई।

आकाशवाणी, कोलकाता

आकाशवाणी, कोलकाता केंद्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अप्रैल से जून, 2011 अवधि की तिमाही बैठक दिनांक 10-8-2011 को दोपहर 12-00 बजे केंद्र निदेशक महोदय के कक्ष में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता श्री प्रदीप कुमार मिश्र केंद्र निदेशक ने की।

उक्त कार्यवृत्त पर मदवार चर्चा के उपरांत कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी गई।

केंद्र निदेशक महोदय ने केंद्र से दिनांक 30-6-2011 को समाप्त तिमाही में 'ग' क्षेत्र से क, ख, ग, क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्रों का प्रतिशत जानना चाहा। इस पर सदस्य, सचिव श्री साह ने सूचित किया कि दिनांक 30 जून, 2011 को समाप्त तिमाही के दौरान केंद्र से क क्षेत्र को 46.39 प्रतिशत ख को 76 प्रतिशत तथा ग क्षेत्र को 41.04 प्रतिशत पत्र भेजे गए हैं।

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि पत्राचार के प्रतिशत में वृद्धि हेतु सबको प्रयास करना चाहिए।

इस मद के अंतर्गत हिंदी अधिकारी ने सूचित किया की जून, 2011 को समाप्त तिमाही में धारा 3(3) के अंतर्गत 886 दस्तावेज जारी किए गए जो द्विभाषी रूप में थे। अध्यक्ष महोदय ने इसे इसी प्रकार बरकरार रखने का निर्देश दिया।

'ख' क्षेत्र

कार्यालय आयकर आयुक्त (केंद्रीय), दण्डी स्वामी चौक, लुधियाना 141001

आयकर आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय, लुधियाना प्रभार की नौवीं बैठक दिनांक 30-6-2011 को पूर्वाह्न 11-00 बजे श्री डी.बी. गोयल, आयकर आयुक्त (केंद्रीय), लुधियाना की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई।

सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि वर्ष 2010-11 के दौरान आयकर आयुक्त (केंद्रीय) प्रभार, लुधियाना को हिंदी में श्रेष्ठ कार्य निष्पादित करने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, लुधियाना की ओर से प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी प्रकार आयकर महानिदेशक, पंचकुला श्री जसवंत सिंह जी द्वारा आयकर आयुक्त (केंद्रीय) प्रभार को प्रथम पुरस्कार के रूप में शील्ड से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल सुश्री उर्मिला सिंह द्वारा शिमला में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सौजन्य से आयोजित समारोह में आयकर आयुक्त (केंद्रीय) लुधियाना को केंद्रीय सरकारी कार्यालयों की कोटि में हिंदी में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

श्री डी. बी. गोयल आयकर आयुक्त (केंद्रीय), लुधियाना ने उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी राष्ट्रीय अखंडता को प्रोत्साहित करने के लिए एक उचित माध्यम है। निसंदेह यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें अपनी राजभाषा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए बैठकों का सहारा लेना पड़ता है। हमें हिंदी को मन, वचन और कर्म से अपनाना चाहिए। यह हमारे संस्कारों में रची बसी भाषा है। यदि हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अपना दैनिक कार्य हिंदी में करते हुए हम काफी हद तक संवैधानिक अपेक्षाओं की भी पूर्ति करते हैं । हिंदी में काम करना अधिक सुविधाजनक है। केवल प्रारंभिक स्तर पर कुछ हिचक होती है।

श्री मुनीष गुप्ता, अपर आयकर आयुक्त, केंद्रीय रेंज, लुधियाना ने कहा कि हमें इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कारवाई करनी चाहिए तभी इस बैठक की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अगली बैठक में हम अच्छे परिणामों के साथ उपस्थित होंगे।

आयकर आयुक्त, पटियाला प्रभार, पटियाला

आयकर आयुक्त, पटियाला प्रभार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक श्री कुलविंदर सिंह, आयकर आयुक्त, पटियाला की अध्यक्षता में दिनांक 28-6-2011 को सायं: 3-30 बजे आयोजित की गई। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि सभी रेंजों से रिपोर्टों की प्रतियां नियमित रूप से मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय को भी भेजी जाएं ताकि इन रिपोर्टों की समीक्षा करके उनकी कमियों को दूर किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय ने पुनः निदेश दिया कि रेंजों/आयकर अधिकारी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की

4354 HA/2011—12B

नियमित बैठकें आयोजित की जाएं एवं इनका रिकार्ड रखा जाए तथा इनकी कार्यवाही की प्रतियां आयकर आयुक्त कार्यालय एवं सहायक निदेशक (रा.भा.) को भेजी जाएं।

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि यदि किसी कार्यालय में अभी भी अंग्रेजी की कोई मोहरें प्रयोग में लाई जा रही हैं तो यह तुरंत हटा ली जाएं। उसकी जगह द्विभाषीत मोहरें ही प्रयोग में लाई जाएं। यह जिम्मेदारी मोहर बनवाने वाले तथा उनका प्रयोग करने वाले दोनों की होगी।

डिस्पैच और पावती रजिस्टर हिंदी-अंग्रेजी के अलग-अलग लगाए जाएं।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि रेंज कार्यालयों से भिजवाई जाने वाली धारा 12-ए व 80-जी की सभी रिपोर्टों को हिंदी का अग्रेषण पत्र लगाकर भेजा जाए।

चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि हिंदी टाइप प्रशिक्षण के लिए विशेषकर सहायकों को पत्राचार के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाए। कर सहायकों को हिंदी टाइप का प्रशिक्षण दिलाया जाना आवश्यक है। सूचित किया गया कि प्रभार के 10 कर सहायकों को पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया हैं अत: इनसे हिंदी टाइप का कार्य लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से पुन: कहा कि; अधिकतर नोटिस द्विभाषी है अत: इन पर निर्धारिती का नाम हिंदी में लिखकर इन्हें हिंदी पत्राचार में शामिल किया जाए तथा पृष्ठांकन (Endorsement) का सारा कार्य केवल हिंदी में ही किया जाए।

कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबंधक कर्षण मशीन कारखाना, नासिक रोड-422101

कर्षण मशीन कारखाना, नासिक रोड में दिनांक 30-6-2011 को समाप्त तिमाही अवधि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 26-07-11 को श्री आर. पी. शर्मा मुख्य कारखाना प्रबंधक के अध्यक्षता में आयोजित की गई।

इस बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने उपस्थित सभी अधिकारियों तथा सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अपने दैनंदिन कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना अतिआवश्यक है। हम यह देखते हैं कि हमारे कार्यालय में हिंदी में कार्य की मात्रा निर्धारित लक्ष्य से अधिक है फिर भी हमें इस पर संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। हिंदी के प्रयोग को अधिक से अधिक करने के लिए हमें हमेशा अधिक प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने हिंदी को अधिक व्यवहारिक और सरल बनाने के लिए सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों से हिंदी सीखने और उसका उपयोग अपने सरकारी कार्य में करने की अपील की है।

हिंदी कार्यशाला के संबंध में चर्चा की तथा कहा कि प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन करें। कार्यशाला रेलवे बोर्ड के मानक दिशा निर्देश के अनुसार ही की जाए। कार्यशाला में अच्छे विद्वान व्याख्याताओं को आमंत्रित किया जाए तथा उन्हें रेलवे बोर्ड के मानक दिशा-निर्देश के अनुसार मानदेय भी दिया जाए।

राजभाषा सहायक प्रत्येक सेक्शन में जाकर यह पता लगाए कि किन-किन सेक्शनों में हिंदी के पत्राचार संबंध में कठिनाई आ रही है, उसे दूर करने के लिए उचित कदम उठाया जाए।

वर्तमान में हिंदी ग्रंथालय कारखाना सभाकक्ष में रखा है, उसे वहां से शिफ्ट करके समय कार्यालय में रखा जाए। मुख्यालय द्वारा दी गई समेकित रेलवे शब्दकोश से विद्युत, भंडार और लेखा से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द है, उसकी सूची सभी सेक्शन प्रभारी को दी जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि कंप्यूटर पर हिंदी कुंजीयन का प्रशिक्षण देने हेतु सभी सेक्शनों के प्रभारियों से पहले सूची प्राप्त करें। उसके बाद ही हिंदी कुंजीयन का प्रशिक्षण देने के लिए नियोजन किया जाए।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (क्षेत्र संकार्य प्रभाग), क्षेत्रीय कार्यालय, जालन्धर

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (क्षेत्र संकार्य प्रभाग), क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर की दिनांक 30-6-2010 को समाप्त तिमाही की कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 5-9-2011 को श्री आर. के. भटनागर, उप-महानिदेशक, जालंधर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

समिति को अवगत कराया गया कि पिछली तिमाही में हिंदी के कार्य की प्रगति 84 प्रतिशत थी जोकि इस तिमाही में 84.34 प्रतिशत हो गई है। इस पर समिति ने सुझाव दिया

कि इसे अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयास किया जाए। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि जो भी ई-मेल हिंदी में भेजी जा रही है उसकी हार्ड कॉपी प्रेषण अनुभाग में भेजी जाए ताकि उन पर प्रेषण नं. लगाया जा सके। इससे भी हिंदी के कार्य की प्रतिशतता में बढ़ोत्तरी होगी।

समिति को सूचित किया गया कि तीनों उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं और उनका कार्यवृत इस कार्यालय को प्राप्त हो चुका है तथा बैठक में लिए गए निर्णयों पर अमल करने का प्रत्येक संभव प्रयास किया जा रहा है। इस पर समिति ने सुझाव दिया कि तीनों उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को निम्न बिन्दुओं पर प्रत्येक तिमाही बैठक में विचार-विमर्श के संबंध में लिखा जाए–1. हिंदी की मासिक व तिमाही प्रगति रिपोर्ट को समयानुसार भेजना तथा उसकी प्रगति पर चर्चा 2. हिंदी के कार्य की प्रगति को किसी भी परिस्थिति में पिछली तिमाही से कम न होने देना 3. सरकारी काम-काज में लोकप्रिय/सरल शब्दों के प्रयोग करने के बारे 4. वार्षिक कार्यक्रम 2011-12 में दिए गए लक्ष्य अनुसार कार्य करना इत्यादि।

समिति को सूचित किया गया है कि दिनांक 18-6-2011 को क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर (आर. टी. सी.) के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर के कार्यालय प्रमुख श्री आर. के. भटनागर, उप महानिदेशक महोदय की देखरेख में आंशिक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर व इसके तीनों उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के 51 प्रतिभागियों ने भाग लिया । इस कार्यशाला में श्री हरजीत कुमार, सहायक निदेशक, जालंधर ने प्रतिभागियों को राजभाषा नीति-नियमों व टिप्पणी/आलेखन की जानकारी प्रदान की तथा इसके अलावा दैनिक प्रयोग में आने वाली प्रमुख टिप्पणियों से भी अवगत कराया।

समिति ने यह भी सुझाव दिया कि कार्यालय में प्रयोग होने वाले फाईल कवर पर दैनिक प्रयोग में आने वाली टिप्पणियों को मुद्रित करवाया ताकि सभी अधिकारी/कर्मचारी इन टिप्पणियों का प्रयोग कर अपना सरकारी काम-काज सरलता पूर्वक कर सकें। समिति द्वारा दिए गए उक्त सुझाव को अध्यक्ष महोदय ने सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा भविष्य में फाईल कवरों पर दैनिक प्रयोग में आने वाली टिप्पणियों को मुद्रित करवाने का आश्वासन दिया।

आकाशवाणी : राजकोट

आकाशवाणी राजकोट की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन दिनांक 30-6-2011 को 16.30 बजे श्री राजेश जैन, उपमहानिदेशक (यांत्रिकी) की अध्यक्षता में किया गया।

पिछली बैठक के कार्यवृत्त का पठन व अनुवर्ती कार्रवाई पर चर्चा की गई।

'ख' क्षेत्र के लिए निर्धारित पत्राचार लक्ष्य 90 प्रतिशत को प्राप्त करना। अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले डिक्टेशन का लक्ष्य 55 प्रतिशत है उसे प्राप्त करना। पुस्तकालय बजट का 50 प्रतिशत हिंदी पुस्तकों पर खर्च करना। धारा 3(3) का अनुपालन कड़ाई से करना। सभी नाम पट्ट, रबड़ की मोहरें आदि द्विभाषी करवाना यदि नहीं है तो हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देना। नियम 8(4) एवम् 10(4) का अनुपालन सुनिश्चित करना। प्रशिक्षण सामग्री द्विभाषी बनवाना/उपलब्ध करवाना। प्रशिक्षण दिलाने के बाद कर्मचारियों से हिंदी में काम लेना। गृह पत्रिकाओं के लेख आदि कार्यालय के प्रमुख कामों से संबंधित लेख प्रमुखत: शामिल किए जाएं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठक में सदस्य कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख की उपस्थिति अनिवार्य। मूल रूप से पुस्तक लेखन/मूल रूप से हिंदी में काम करने वाले कार्मिकों के लिए प्रोत्साहन योजना लागू करना। तिमाही बैठकों का आयोजन निश्चित अन्तराल पर करना। तिमाही प्रगति रिपोर्ट का समय पर अग्रेषण। अन्तरविभागीय समन्वय का सुदृढीकरण करना। सभी कंप्यूटरों पर द्विभाषी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना। कंप्यूटरों पर यूनिकोड एनकोडिंग का प्रयोग करना। हिंदी टिप्पणी, नोटिंग का लक्ष्य 40-50 प्रतिशत प्राप्त करना। नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों का प्रदर्शन 100 प्रतिशत (द्विभाषी)। अनुभागों का निरीक्षण 25 प्रतिशत (न्यूनतम)। कोड, मैनुअल, फार्म, साहित्य 100 प्रतिशत (द्विभाषी)। कार्यालय के ऐसे अनुभाग जहां सारा काम हिंदी में हो 30 प्रतिशत।

'क' क्षेत्र

कार्यालय महाप्रबंधक/राजभाषा पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 24-6-2011 को संपन्न हुई, इसमें 31-3-2011

को समाप्त तिमाही अवधि की समीक्षा की गई, बैठक की अध्यक्षता मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, श्री आर. पी. निबारिया ने की।

मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री आर. पी. निबारिया ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 21-6-11 को आयोजित क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में महाप्रबंधक महोदय ने निर्देश दिए हैं कि सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड सक्रिय करा लिया जाए। अत: सभी सदस्य कार्यालय अपने कार्यालय के सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड सक्रिय करा लें और कंप्यूटर प्रयोक्ताओं को यूनिकोड के माध्यम से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे न केवल हिंदी फॉंट की निर्भरता समाप्त हो जाएगी वरन एकरूपता भी हो जाएगी। इस संबंध में सभी सदस्य कार्यालय नियमित कार्यशालाएं भी आयोजित करें।

उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारीगण अपनी निरीक्षण रपटें अंग्रेजी में जारी कर रहे हैं। साथ ही कुछ निरीक्षण रपटों में राजभाषा प्रगति का पैरा भी नहीं है। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण नागर विमानन प्रशिक्षण कॉलेज बमरौली, इलाहाबाद-211012

'नागर विमानन प्रशिक्षण कालेज राजभाषा कार्यान्वयन समिति' के वर्ष 2011 की दूसरी तिमाही बैठक, श्री बखशीश सिंह, प्रधानाचार्य/ कार्यपालक निदेशक (वि. या.प्र.) की अध्यक्षता में दिनांक 20 अप्रैल, 2011 को अपराह्न 4 बजे कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित हुई।

सदस्य-सचिव ने अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, सभी सदस्यों को सूचित किया कि भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें हर हाल में पूरा करना भारत सरकार के कार्यालयों के लिए आवश्यक होता है। जहां तक कार्यपालकों व गैर कार्यपालकों (समूह 'घ' को छोड़कर) हिंदी भाषा, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित होने की बात है, तो वह लक्ष्य शतप्रतिशत है।

कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद, शत प्रतिशत द्विभाषी रूप में (हिंदी सॉफ्टवेयर की सुविधा के साथ) होनी चाहिए। नागरिक चार्टर एवं जन सूचना बोर्डों (Citizen Charter and display of Public Interface Information Board) आदि का प्रदर्शन 100 प्रतिशत द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) रूप में होना चाहिए।

इस पर अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम (Annual Programme) में निर्धारित लक्ष्यों को यथासंभव हासिल करने का प्रयास करें। आगे चलकर उपस्थित सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम की एक-एक प्रति (उसके प्रस्तावना के साथ) उपलब्ध कराई गई।

दूरदर्शन केंद्र पटना

दूरदर्शन केंद्र, पटना में दिनांक 20-7-2011 को अपराह्न 3-00 बजे श्री अजय कुमार गुप्त, केंद्राध्यक्ष की अध्यक्षता में उनके कक्ष में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जानकारी दी गई कि 'क' क्षेत्र में अवस्थित विभिन्न कार्यालयों के साथ हिंदी में ही पत्राचार किया जा रहा है। यह भी जानकारी दी गई कि अभियांत्रिकी अनुभाग में शब्दों की तकनीकी जटिलता के बावजूद भी उक्त अनुभाग के अधिकारियों द्वारा भी आतंरिक वाह्य पत्राचारों को ज्यादा से ज्यादा हिंदी में ही किया जा रहा है।

दिनांक 20-07-2011 को उक्त बैठक में आवश्यक विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

(क) 'यूनिकोड सॉफ्टवेयर' प्राप्त करने हेतु निर्णयानुसार अंग्रेत्तर कारवाई की जाएगी।

(ख) द्विभाषीय मुहर की उपलब्धता पंद्रह दिनों के भीतर सुनिश्चित की जाएगी।

(ग) श्री अजय कांत शर्मा, कार्यक्रम अधिशासी माह सितम्बर, 2011 से अपने अन्य कार्यों के अतिरिक्त हिंदी अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे।

पूर्व मध्य रेल, कार्यालय, महाप्रबंधक (राजभाषा) हाजीपुर

क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 34वीं बैठक दिनांक 22-7-2011 को महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर, श्री के. के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मुख्यालय के नए प्रशासनिक भवन के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई।

मुख्य राजभाषा अधिकारी व मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री जे. एस. पी. सिंह ने महाप्रबंधक, अपर महाप्रबंधक,

4354 HA/2011—13

सभी विभागाध्यक्षों, मंडलों के अपर मुराधियों, कारखाना प्रबंधकों तथा अन्य सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि पिछली बैठक के उपरांत हमारे रेल पर राजभाषा संबंधी अनेक कार्यकलाप हुए । दिनांक 30-3-2011 को मुख्यालय में उनकी अध्यक्षता में प्रथम सत्र में राजभाषा संवर्ग की बैठक, द्वितीय सत्र में हिंदी कार्यशाला और तृतीय सत्र में कंप्यूटर कार्यशाला आयोजित की गई । 56वें रेल सप्ताह समारोह में राजभाषा के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर महाप्रबंधक महोदय द्वारा समस्तीपुर मंडल को अंतर्मंडलीय राजभाषा कार्यकुशलता शील्ड और दानापुर मंडल को अंतर्मंडलीय राजभाषा कार्यकुशलता ट्रॉफी प्रदान की गई।

उन्होंने कहा कि रेल में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी का अच्छा ज्ञान है तथा किसी को भी इसमें कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं है अधिकांश कामकाज हिंदी में ही किया जा रहा है, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा राजभाषा हिंदी में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों का समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा भी सराहना की जाती है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि नामपट्ट, सूचना पट्ट, रबर की मुहरों, फाइल कवरों, रजिस्टर कवरों, नोटिस बोर्ड पर लगे हुए या लगाए जाने वाले, सभी सर्कुलर, टेंडर नोटिस, सूचना आदि हिंदी-अंग्रेजी में हों, सभी कंप्यूटरों में एकरूपता रखने के लिए अपने विभाग और कार्यालय के कंप्यूटरों में यूनिकोड सुविधा को एनेबल करें और अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को इसमें काम करने की जानकारी दें, उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय मध्य प्रदेश ग्वालियर

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, म. प्र. ग्वालियर की त्रैमासिक बैठक दिनांक 23-8-2011 को अपराह्न 4.00 बजे कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री राजीव पाण्डे, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय म. प्र. ग्वालियर द्वारा की गई।

दिनांक 12-5-2011 को सम्पन्न हुई राजभाषा कार्यान्यन समिति की त्रैमासिक बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्यवाई से समिति को अवगत कराया।

इस तिमाही के दौरान कार्यालय में 12,363 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए। सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए। कार्यालय द्वारा जारी किए गए पत्रों की कुल संख्या 23,589 रही। इस तिमाही में कुल 9,582 टिप्पणियां हिंदी में लिखी गई। फाइलों पर संदर्भ तथा शीर्षक भी हिंदी में लिखे गए। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए गए कागजातों की संख्या 12 रही।

कार्यालय की त्रैमासिक गृह पत्रिका, "वीरांगना" के 54वें अंक का विमोचन दिनांक 23-8-2011 को सभा कक्ष में श्री राजीव पाण्डेय, महालेखाकार महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के आयुक्त का कार्यालय, 117/7, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर आयुक्तालय, कानपुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 29-7-2011 को अपराह्न 4-00 बजे से माननीय आयुक्त डॉ. संदीप श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

अध्यक्ष महोदय ने 31-3-2011 व 30-6-2011 को समाप्त तिमाहियों की हिंदी प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा तालिका का अवलोकन किया तथा जहां पर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, उन्हें सक्रियता दिखाते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करने का निर्देश दिया तथा यह ध्यान रखने को कहा कि किसी भी मण्डल/अनुभाग में 95 प्रतिशत से कम हिंदी पत्राचार नहीं रहना चाहिए।

सचिव आर. बी. भावुक ने बताया कि कई अनुभागों में प्रेषण पंजिका न होने में जांच बिंदु के रूप में सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं है। जिससे पत्राचार के अंतर को मापने में दिक्कत होती है, क्योंकि केंद्रीय निर्गत अनुभाग के रजिस्टरों में हजारों पत्रों में से किसी अनुभाग विशेष का निरीक्षण प्रयोज्य से गणना कर निरीक्षण करना बहुत ही असुविधा जनक तथा अनावश्यक समय बर्बाद होना है। इसलिए अनुभागों में जांच बिंदु के रूप में प्रेषक पंजिका से निरीक्षण में सुविधा तथा आंकड़ों की सत्यता मापने में असानी होगी। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि जिन अनुभागों में ऐसा नहीं है वे इसे बनाएं।

चित्र समाचार

1. गुजरात रिफाइंडरी के डॉ. माणिक मृगेश कृत पुस्तक 'अनुपयुक्त राजभाषा' का लोकार्पण करते हुए सांसद श्री राजेन्द्र अग्रवाल, राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव, श्री डी. के. पाण्डेय, नराकास अध्यक्ष श्री पी. शूर तथा श्री एस. पाढ़ी ।

2. नराकास मंगलूर की पत्रिका 'त्रिधारा' का विमोचन करते हुए नराकास अध्यक्ष व अन्य अधिकारीगण ।

3. भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लि., नई दिल्ली में एम. एस. राणा, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक राजभाषा संदर्भिका का विमोचन करते हुए ।

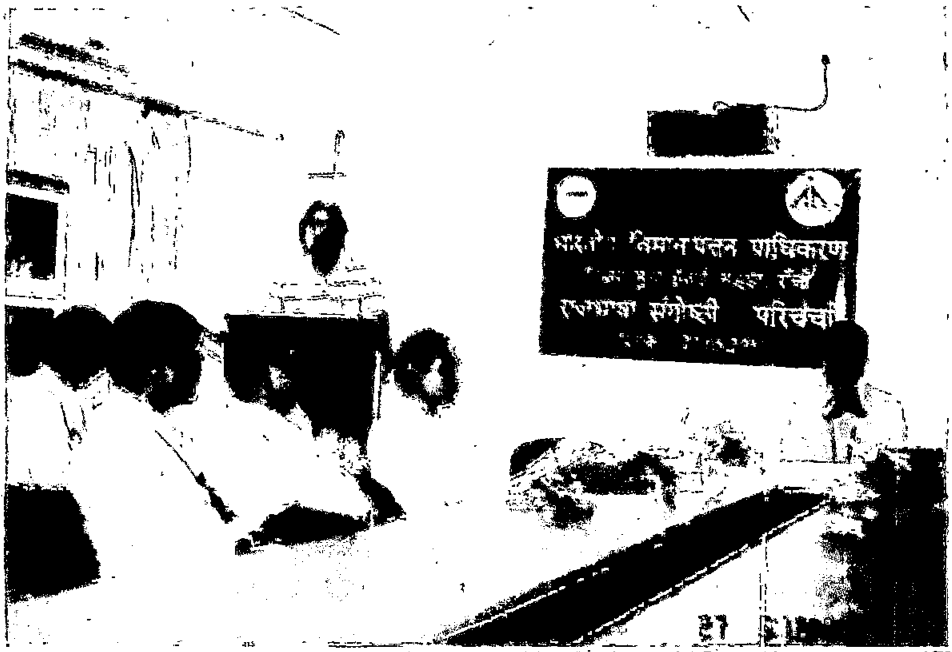

4. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रांची में राजभाषा संगोष्ठी/परिचर्चा में अधिकारी-गण ।

5. भारत संचार निगम लिमिटेड, चैन्नई का राजभाषा सम्मेलन में अधिकारी गण ।

6. खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, हैदराबाद द्वारा आयोजित हिंदी सप्ताह के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा.) आंध्रा बैंक ।

7. एनएचपीसी लिमिटेड, चमेरा द्वारा आयोजित राजभाषा समागम में राजभाषा प्रश्न मंच में पुरस्कृत करते हुए महाप्रबंधक श्री प्रदीप जौहर ।

8. रेल मण्डल, पुणे द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन करते हुए श्री विशाल अग्रवाल, अपर मण्डल रेल प्रबंधक श्री ए. के. गुप्ता, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, श्री विपिन पवार ।

9. भारत संचार निगम लिमिटेड, मदुरै की वार्षिक राजभाषा गृह पत्रिका 'संचार सुरभि' के तेरहवें अंक का विमोचन करती हुई श्रीमती एस. ई. राजम, महाप्रबंधक ।

10. आकाशवाणी, इन्दौर द्वारा आयोजित राजभाषा पत्रिका प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए श्री सुधीर सोधिया, उप महानिदेशक (अभियांत्रिकी), श्री शशिकान्त व्यास, कार्यालय प्रमुख व अन्य अधिकारीगण ।

11. नराकास, राजकोट द्वारा आयोजित राजभाषा समारोह का उद्‌घाटन करते हुए श्री एन. रामचन्द्रन, महाप्रबंधक बीएसएनएल । साथ में (दाएं) श्री वेदपाल मंडल रेल प्रबंधक (बाएं) श्री प्रेम प्रकाश आयकर आयुक्त ।

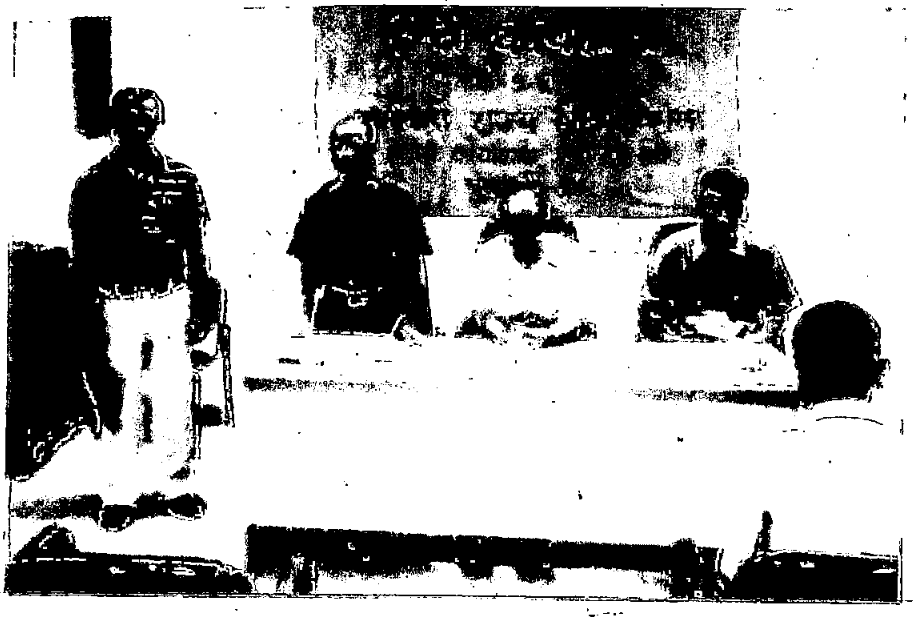

12. कर्मचारी राज्य बीमा निगम, गुवाहाटी में हिंदी कार्यशाला में शामिल अधिकारीगण ।

13. नराकास चण्डीगढ़ (बैंक) द्वारा आयोजित राजभाषा संगोष्ठी में पावर प्वाइंट की प्रस्तुति करते हुए श्री रामलाल मेहता सदस्य सचिव ।

14. आकाशवाणी जालंधर द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशाला में संबोधित करते हुए डॉ. जे. के. शर्मा, हिंदी अधिकारी ।

15. भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशाला का एक दृश्य ।

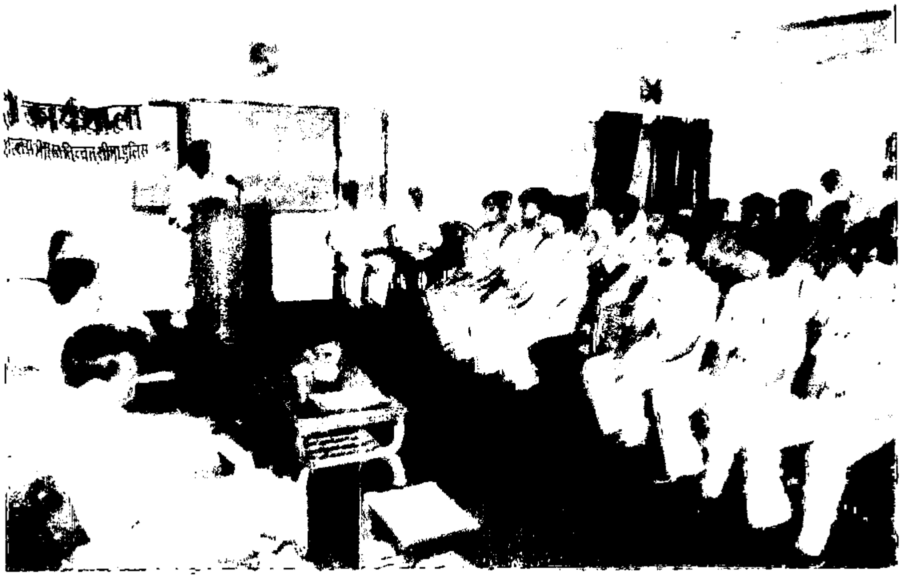

16. नराकास मुंबई (उपक्रम) की बैठक का एक दृश्य ।

17. नराकास फरीदाबाद की बैठक का दृश्य ।

18. नराकास दिल्ली (बैंक) द्वारा आयोजित वाद-विवाद प्रतियोगिता का एक दृश्य ।

19. नराकास फरीदाबाद द्वारा आयोजित हिंदी कंप्यूटर कार्यशाला में अधिकारीगण ।

20. नराकास शिलचर की बैठक में पुरस्कार देते हुए अधिकारीगण ।

21. नराकास जोधपुर की बैठक का एक दृश्य ।

22. दूरसंचार भोपाल द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा समारोह में पुरस्कृत करते हुए अधिकारीगण ।

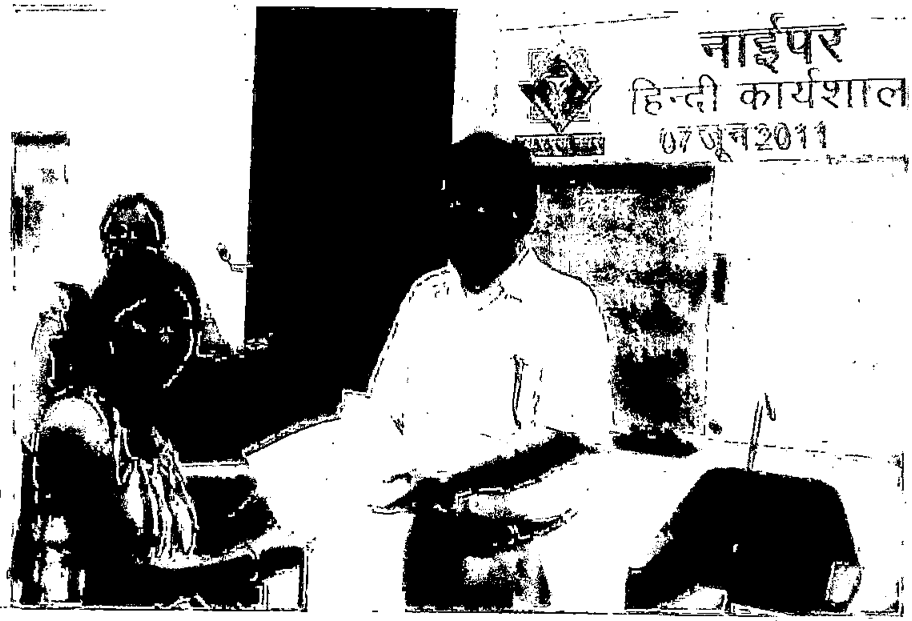

23. नाईपर एस ए एस नगर द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशाला में विजयी प्रतिभागी को पुरस्कृत करते हुए कार्यवाहक निदेशक प्रो. के. के. भूटानी ।

24. रेल मण्डल राजकोट द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री दीपक पंड्या सहायक निदेशक (रा.भा.) बीएसएन एल तथा दयानंद गांधी अपर मण्डल रेल प्रबंधक राजकोट ।

क्षेत्रीय आयुक्त का कार्यालय : कोयला खान भविष्य निधि, क्षेत्र-2, रांची

क्षेत्र-2, स्थित तीनों कार्यालयों के संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 9 सितंबर, 2011 को 3-00 बजे अपराह्न को सम्पन्न हुई।

सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष श्री ए. के. सिन्हा, क्षेत्रीय आयुक्त, क्षेत्र-दो ने समिति की बैठक में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों का अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में हार्दिक स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की।

सर्वप्रथम पहले मुद्दे "राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित राजभाषा संबंधी वार्षिक लक्ष्यों की स्थिति" पर चर्चा की गई। अध्यक्ष महोदय ने पूरे वार्षिक लक्ष्यों को पढ़कर सुनाया और बताया कि इस कार्यालय में हिंदी के कार्य निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ही हो रहे हैं। किंतु उन्होंने हिंदी का कार्य निरंतर बढ़ाने का प्रयास करने के लिए उपस्थित सभी सदस्यों से अपील की ताकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचा जा सके। तीनों कार्यालयों में हिंदी के कार्य संतोषजनक हैं और इसके लिए उन्होंने पसन्नता व्यक्त की।

वार्षिक लक्ष्यों की स्थिति पर चर्चा करते हुए तीनों कार्यालयों के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के हर संभव अनुपालन करने हेतु प्रयास किए जाएंगे।

श्री एस. के. दूबे, क्षेत्रीय आयुक्त, क्षेत्र-तीन ने अपने उद्बोधन में राजभाषा का अधिक से अधिक कार्य का निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन एवं अनुपालन करने की अपील की।

दूरदर्शन केंद्र : नई दिल्ली

दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक 7 सितम्बर, 2011 को उप महानिदेशक (कार्य.) श्री बृज मोहन बख्शी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

उप महानिदेशक (कार्य.) श्री बृज मोहन बख्शी ने यह जानकारी दी कि दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली द्वारा प्रतिदिन अगले दिन प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण हिंदी में ही प्रसारित किया जा रहा है और यह प्रस्तुति अनुभाग के कार्यक्रम अधिशासी श्री राकेश त्यागी के विशेष प्रयास से संभव हुआ है।

उप महानिदेशक (कार्य.) श्री बख्शी ने दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली द्वारा निर्मित राजभाषा नीति की प्रगति से संबंधित कार्यक्रमों से भी सदस्यों को अवगत करवाया।

उप महानिदेशक (कार्य.) श्री बख्शी ने कहा कि दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली के Anchors और Comperes को हिंदी समाचार पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए तो उनकी भाषा और समृद्ध होगी। उन्होंने राजभाषा एकांश के समाचार पत्रों में नए-नए रचित हिंदी शब्दों के प्रयोग वाले समाचारों/आलेखों को संदर्भ हेतु उपलब्ध करवाने का निदेश दिया।

उप महानिदेशक श्री बख्शी ने तिमाही आधार पर उप महानिदेशक (अभि.) के मार्गदर्शन में एक e-Magazine निकालने संबंधी निदेश दिया तथा उन्होंने एक माह में इसके प्रथम संस्करण को जारी करने की इच्छा भी व्यक्त की।

उप महानिदेशक (अभि.) श्री सिंह द्वारा e-magazine निकालने के लिए एक कार्य समिति गठित करने का निर्णय लिया गया जिसमें अभियांत्रिकी कार्यक्रम एवं प्रशासन अनुभाग के सदस्य होंगे एवं जिसमें आवश्यक समन्वय एवं सहयोग राजभाषा एकांश द्वारा दिया जाएगा। इस हेतु उप महानिदेशक (अभि.) ने अपनी ओर से सहयोग राशि भी उपलब्ध कराने की घोषणा की।

(ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

'ग' क्षेत्र

मंगलूर

मंगलूर, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की 50वीं बैठक 15-6-2011 को कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय में श्री रामनाथ प्रदीप, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न कार्यालयों के केंद्रीय सरकारी संगठनों, बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालय प्रमुख एवं राजभाषा अधिकारी उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय, श्री रामनाथ प्रदीप, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक तथा समिति के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में बहुभाषी देश भारत में बड़े पैमाने पर आम जनता तक हिंदी को पहुंचाना है तो बोल-चाल की भाषा को प्रधान्यता देनी चाहिए और उन्होंने यह भी कहा है कि हिंदी को मात्र संवैधानिक दायित्व तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि जनता तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनाना चाहिए। विज्ञापन की दुनिया में हिंदी संसूचना माध्यम के रूप में अपना वर्चस्व बनाई रखी है। उन्होंने सदस्य संस्थाओं को अपने संबद्ध संस्थाओं में यही माने में हिंदी का कार्यान्वयन करने का निवेदन किया है।

इस अवसर पर श्री रामनाथ प्रदीप ने नराकास की हिंदी पत्रिका त्रिधारा का विमोचन किया है। उन्होंने ''डिजिटल बैंकिंग शब्दावली'' को भी लॉन्च किया है, जिसे स्टॉफ सदस्यों के उपयोगार्थ इंट्रानेट में उपलब्ध कराया जाएगा।

वर्ष 2010-11 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के बेहतरीन निष्पादन के लिए संबद्ध सदस्य संस्थाओं को शील्ड एवं प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

श्री नरेन्द्र सिंह, कार्यपालक निदेशक, ने राजभाषा के कार्यान्वयन के महत्व पर ज़ोर डाला है। श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय सदस्य संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा की और उनके कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन दिए गए।

'ख' क्षेत्र

राजकोट

दिनांक 26-7-2011 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, कोठी कंपाउन्ड, राजकोट के सभाकक्ष में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 63वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजकोट शहर के सरकारी कार्यालय, बैंकों, निगमों के कार्यालय प्रमुख उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक श्री वेदपालजी ने की।

सदस्यों के परिचय के पश्चात् नराकास के अध्यक्ष श्री वेदपालजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सदस्य कार्यालयों द्वारा राजभाषा के प्रचार-प्रसार में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजकोट नराकास में हिंदी का एक बहुत ही अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। हिंदी में कार्य बढ़ाने के लिए सभी कार्यालय यदि एक कार्ययोजना बनाएं और इसके कार्यान्वियन में प्रत्येक कार्यालय के प्रमुख स्वयं शामिल हों और अधिकारियों को हिंदी में कार्य करने और करवाने की जिम्मेदारी सौंपे तो निःसंदेह हिंदी की प्रगति होगी। अभी हाल ही में इंडियन ऑयल, महालेखाकार कार्यालय और नराकास की ओर से राजभाषा सम्मेलन आयोजित किए गए अन्य सदस्य कार्यालय भी ऐसे छोटे-छोटे कार्यकलाप या गतिविधियां करें तो हिंदी का और अधिक बेहतर माहौल तैयार किया जा सकता है।

तत्पश्चात् समिति के सचिव एवं राजभाषा अधिकारी श्री पी. बी. सिंह ने सभी सदस्य कार्यालयों से प्राप्त तुलनात्मक प्रगति रिपोर्ट संबंधी आंकड़ों पर मदवार समीक्षा की। सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

मुंबई (उपक्रम)

मुंबई उपक्रम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक) की 47वीं बैठक, 22 जुलाई, 2011 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पेट्रोलियम हाउस के सम्मेलन कक्ष में श्री सुबीर रॉय चौधरी, टॉलिक अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एचपीसीएल की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए टॉलिक अध्यक्ष श्री सुबीर रॉय चौधरी ने कहा, ''किसी भी संगठन के विकास के लिए वित्तीय निष्पादन जितना महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार संप्रेषण (Communication) की भी अपनी अहम भूमिका है। इस दृष्टि से राजभाषा हिंदी का अपना महत्व है। मुझे खुशी है कि इस दिशा में हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। आपस में सद्भाव की भावना से उपक्रम सदस्य अपने संसाधनों और विशेषज्ञों का लाभ एक दूसरे को दे रहे हैं। टॉलिक के मंच का वास्तविक उद्देश्य भी यही है। हम आज अपने विचारों को आपस में एक दूसरे के साथ बांटने के लिए एकत्रित हुए हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन का दायित्व प्रत्येक कार्यालय के विशेष प्रयास से ही संभव है। कार्यालय प्रमुख के रूप में हिंदी को मुख्य कारोबार से जोड़ने का दायित्व हम सब पर है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस दिशा में पहल करें और अन्यों को भी प्रेरित करें। इस प्रकार हम अपने प्रयासों से अपने कार्य को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं।''

टॉलिक सचिव श्रीमती वासंती वैद्य ने हिंददुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन

की दिशा में चल रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में एचपीसीएल के व्यवसाय की मुख्य धारा में हिंदी को शामिल किया गया है। एसबीयू समीक्षा बैठकों में राजभाषा कार्यान्वयन की भी विस्तारपूर्वक समीक्षा की जाती हैं इसके लिए उन्होंने अध्यक्ष महोदय का आभार प्रकट करते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन से ही हम लगातार 3 बार इंदिरा गांधी पुरस्कार प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं और इसके दूरगामी परिणाम अवश्य सामने आएंगे।

टॉलिक के तत्वावधान में विशेष गतिविधियों के सफल आयोजन के लिए निम्नलिखित उपक्रमों को सम्मानित किया गया :

1.	भारतीय नौवहन निगम	"सागर मंथन"
2.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	"संशोधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट" चर्चा सत्र
3.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	"तनाव प्रबंधन कार्यक्रम"
4.	एचपीसीएल	"अंतर्भूत प्रेरणा"

राजभाषा विभाग के उप निदेशक-कार्यान्वयन डॉ. एम. एल. गुप्ता ने मुंबई उपक्रम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सक्रियता की सराहना करते हुए कहा कि टॉलिक के नए अध्यक्ष श्री सुबीर रॉय चौधरी जैसे सकारात्मक एवं दूरगामी सोच रखने वाले महानुभाव के नेतृत्व में टॉलिक को आवश्य ही नई दिशा प्रदान होगी। निदेशक-मानव संसाधन डॉ. वी विजिया सारधि भी राजभाषा कार्यावयन में बहुत रुचि रखते हैं। नराकास बैठक का अपना विशेष महत्व है इसमें सभी उच्चाधिकारियों की उपस्थिति इस मंच का स्तर प्रतिबिंबित कर रही है।

उन्होंने राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार विचारार्थ बिंदुओं की जांच सूची के अनुसार बैठक में अपने विचार प्रकट करते हुए मुख्य कार्यालय अधिकारी की समीक्षा, हिंदी पदों का सृजन, वेबसाईट को संवर्धित व द्विभाषी बनाना, वार्षिक हिंदी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा, तिमाही पत्राचार की समीक्षा, प्रशिक्षण को प्राथमिकता, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रोद्योगिकी में प्रशिक्षण, हिंदी टंकणों और आशुलिपिकों की तैनाती, धारा 3(3) के अंतर्गत अभिलेखों को सूचीबद्ध करना, नियम 11 की स्थिति संगोष्ठियां, पत्रिकाओं का प्रकाशन, कठिनाइयों का निवारण इत्यादि विषयों पर मार्गदर्शन दिया।

चण्डीगढ

केंद्रीय सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों एवं निगमों इत्यादि में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा गठित चंडीगढ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा किसान भवन सेक्टर 35 चंडीगढ में अपनी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष श्री जसपाल सिंह मुख्य आयकर आयुक्त उत्तर पश्चिम क्षेत्र चंडीगढ ने की। इस अवसर पर श्री एस डी पांडे सहायक निदेशक (रा.भा.) राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित थे। बैठक में चंडीगढ स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों/निगमों/बोर्डों एवं उपक्रमों के लगभग 160 कार्यालयाध्यक्षों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में चंडीगढ, पंचकुलां व मोहाली स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की समीक्षा की गई तथा केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए रखे गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विचार-विमर्श किया गया। श्री जसपाल सिंह जी ने समिति की संयुक्त हिंदी पत्रिका 'शिवालिका चण्डीगढ' का बैठक के दौरान विमोचन किया। इमटैक के निदेशक डॉ. गिरीश साहनी, आयकर महानिदेशक (अन्वे.) श्री जसवंत सिंह जी एवं समिति अध्यक्ष श्री जसपाल सिंह जी ने इमटैक की रिसर्च गतिविधियों एवं कार्य प्रणाली के बारे में एक द्विभाषी सूचना पत्र का भी बैठक में विमोचन किया।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री जसपाल सिंह मुख्य आयकर आयुक्त उत्तर पश्चिम क्षेत्र चंडीगढ ने कहा कि हिंदी में कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं है। यदि वरिष्ठ अधिकारी अपने स्तर पर थोड़ा सा प्रयास करें तो कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग आसानी से बढ़ाया जा सकता है उन्होंने कहा कि हिंदी में काम करना कठिन नहीं है, केवल निरंतर मॉनीटरिंग की आवश्यकता है। हिंदी हमारी राजभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय पहचान है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दी जानी चाहिए। कार्यालयों में हिंदी कार्य के लिए जांच बिंदु निर्धारित करके उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालय अपने स्तर पर वार्षिक कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य निर्धारित करें।

दाहोद

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के तत्वावधान में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दाहोद की दिनांक 27-4-2011 को 11.30 बजे आयोजित प्रथम बैठक की अध्यक्षता श्री संजय अग्रवाल मुख्य कारखाना प्रबंधक पश्चिम रेलवे दाहोद ने की।

अध्यक्ष महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि केन्द्र सरकार के देश भर में फैले हुए कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आई रुकावटों को दूर करने के लिए एक संयुक्त मंच की आवश्यकता महसूस की जिसके फलस्वरूप इस समिति के गठन का निर्णय लिया। अत: हम सभी का यह कर्तव्य है कि भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का अपने-अपने कार्यालयों में कार्यान्वयन सुनिश्चित कराएं। जिससे हिंदी के प्रचार-प्रसार में गति लाई जा सके।

बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की ओर से प्रेक्षक के रूप में पधारी श्रीमती सुस्मिता भट्टाचार्य जी ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन का उद्देश्य तथा सरकार की अपेक्षाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने तिमाही प्रगति रिपोर्ट में तथ्यात्मक आंकड़े भरने पर जोर दिया ताकि नगर समिति के स्तर पर तिमाही रिपोर्टों की सही समीक्षा हो सके।

'क' क्षेत्र

सिंगरौली

भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा शक्तिनगर परिक्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा कंपनियों, रेलवे आदि में हिंदी कार्यालयीन कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 7वीं बैठक 21 अप्रैल, 2011 अपराह्न संकल्प भवन स्थित सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए विद्युत गृह के महाप्रबंधक श्री जय नारायण सिंह ने कहा कि हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भाषा है। हमें केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने हैं। केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपनिदेशक (कार्यान्वयन) श्री शैलेश कुमार सिंह ने राजभाषा प्रावधानों की चर्चा करते हुए राजभाषा नीतियों के अनुपालन के संबंध में समिति के सदस्यों का मार्गदर्शन किया और कहा कि जिन कार्यालयों में हिंदी में उचित कार्य नहीं हो रहा है उनके बारे में उनके मुख्यालय एवं मंत्रालय को पत्र लिखा जाएगा। एनटीपीसी केंद्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि एवं विश्व हिंदी सचिवालय मारीशस के पूर्व महासचिव डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र ने अपने उद्बोधन में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को अधिकारिक भाषा बनाए जाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब देश के सम्मान की बात है कि भारत के केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी को उसका उचित स्थान शीघ्र मिले। उक्त बैठक में विभिन्न संस्थाओं में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन एवं उसकी नियमित बैठकें, तिमाही प्रगति रिपोर्ट को भेजा जाना, हिंदी प्रत्रिका का प्रकाशन, हिंदी प्रशिक्षण, हिंदी प्रतियोगिताओं/कार्यशालाओं के आयोजन के अलावा वार्षिक कार्यक्रम 2011-12 और उसमें निर्धारित लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा हुई।

जोधपुर

दिनांक 20-5-2011 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर में जोधपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री राजेन्द्र जैन, अध्यक्ष, नराकास एवं मंडल रेल प्रबंधक जोधपुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

राजभाषा की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्ष महोदय बताया कि 26 जनवरी, 1950 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में लागू किया गया था। तब से लेकर अब तक सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ावा देने हेतु हर स्तर पर मोनीटरिंग व समीक्षा सहित अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन इन्हीं प्रयासों का एक अंग है ताकि इस समिति के माध्यम से केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों को हल करने के लिए विचार-विमर्श किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय ने अनुरोध किया कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वर्तमान आदेशानुसार इस समिति की बैठक में कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान द्वारा अनिवार्य रूप से सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने भारत सरकार की राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि हिंदी के पर्याप्त पदों का सृजन किया जाए ताकि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के साथ-साथ अनुवाद कार्य में कठिनाई न हो। इसके अलावा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने-अपने कार्यालयों में उपयुक्त स्तर पर जांच बिंदु स्थापित करें। इस व्यवस्था से न केवल राजभाषा प्रयोग प्रसार में तेजी आएगी बल्कि अन्य अधिकारी व कर्मचारी हिंदी का यथासंभव प्रयोग करने के लिए बाध्य होंगे।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में हिंदी प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जिन कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारी/टंकक/आशुलिपिक हिंदी प्रशिक्षण के लिए शेष हैं, उनका रोस्टर बनाकर बारी-बारी से केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित करें ताकि प्रशिक्षण लक्ष्यों को निर्धारित अवधि के अंदर पूरा किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय ने कहा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हर वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है जिसमें निहित लक्ष्यों को प्राप्त करना हमारी विभागीय जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि अपने विभागीय लक्ष्यों के साथ-साथ वार्षिक कार्यक्रम में निहित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ठोस उपाय सुनिश्चित करें।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन प्रेरणा और प्रोत्साहन पर आधारित है लेकिन इसका पालन निष्ठापूर्वक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान की प्रबल इच्छा शक्ति सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग का वातावरण बनाने के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगी।

डॉ. बी. एन. पाण्डेय उपनिदेशक (कार्यान्वयन) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य) भोपाल ने अपने उद्बोधन में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। डॉ. पांडेय ने बैठक के दौरान यूनीकोड संबंधी प्रशिक्षण, हिंदी का काम देखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी जानकारी, हिंदी के पदों का सृजन, नराकास की बैठक में कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान की सहभागिता, मूल पत्राचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन, हिंदी आशुलिपि एवं टंकण प्रशिक्षण की आवश्यकता आदि पर बल दिया।

फरीदाबाद

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, फरीदाबाद की वर्ष 2011-12 की पहली बैठक श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव अध्यक्ष, नराकास एवं अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी लिमिटेड की अध्यक्षता में दिनांक 7-6-2011 को पूर्वाह्न 11-00 बजे सम्मेलन कक्ष, प्रथम तल, एनएचपीसी लिमिटेड कार्यालय परिसर में आयोजित की गई।

बैठक की निर्धारित कार्यसूची पर कार्यवाही शुरु करने से पूर्व नगर राजभाषा शील्ड योजना के तहत वर्ष 2009-10 के विजेता कार्यालयों को अध्यक्ष, नराकास महोदय के कर-कमलों से राजभाषा शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर नराकास के तत्वावधान में आयोजित की गई विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के 23 विजेता प्रतिभागियों को भी अध्यक्ष, नराकास महोदय के कर-कमलों से पुरस्कार स्वरूप चैक एवं प्रशासित पत्र प्रदान किए गए।

बैठक में अध्यक्ष महोदय ने सभी विजेता प्रतिभागियों को बधाई दी उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि मुझे इस बैठक में उपस्थित होकर बहुत ही गौरव का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यों में हिंदी का प्रयोग करना हमारा संवैधानिक एवं नैतिक दायित्व है। उन्होंने कार्यालयीन कार्यों में सरल हिंदी का प्रयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने नराकास, फरीदाबाद के विभिन्न कार्यालयों में हिंदी प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि कुछ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्यन का बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, किन्तु कुछ कार्यालय लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। उन्होंने कहा कि राजभाषा की प्रगति के लिए हमें सभी संभव प्रयास करने होंगे और अपनी राजभाषा हिंदी को नई बुलंदियों तक ले जाना होगा।

बैठक में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से उपस्थित श्री विनोद शर्मा, उप निदेशक (कार्यान्वयन) ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नराकास, फरीदावाद को अग्रणी बनाने के लिए सभी सदस्य कार्यालयों का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने इस बैठक में सभी सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों की उपस्थिति को अनिवार्य बताया और उसे गंभीरता से लेने के लिए कहा।

छत्तरपुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आकाशवाणी, छत्तरपुर के प्रमुख श्री सुरेन्द्र तिवारी की

अध्यक्षता और उपनिदेशक (कार्यान्वयन) डॉ. वी.एन. पाण्डे क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, भोपाल के विशेष आतिथ्य में सम्पन्न हुई।

नराकास के सचिव, दिनेश रजक, कार्यक्रम अधिकारी ने उपस्थित सदस्यों से त्रैमासिक हिंदी की प्रगति रिपोर्ट एकत्र कर डॉ. वी. एन. पाण्डेय जी को सौंपी। तत्पश्चात् डॉ. पाण्डेय जी ने त्रैमासिक हिंदी रिपोर्ट की समीक्षा की और रिपोर्ट के बिंदुओं को क्रमवार भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों की जानकारी प्रदान की। हिंदी का इतिहास, हिंदी का संविधान, नराकास का गठन, नराकास की मीटिंग, त्रैमासिक रिपोर्ट किन-किन स्थानों पर भेजी जाए और हिंदी की मीटिंग का उद्देश्य और अन्य मुद्दों पर विस्तृत रूप से सभी सदस्यों को बताया। धारा 3(3) का भी उल्लेख करते हुए कहा कि आदेश, कार्यालय आदेश इत्यादि सभी हिंदी में लिखें ताकि सही स्थान तक पत्र पहुंच सकें।

उपनिदेशक, श्री पाण्डेय ने इस सुझाव की प्रशंसा की और सर्वसम्मति से इसे स्वीकार किया गया। डॉ. पाण्डेय ने इस बैठक के संबंध में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि छतरपुर की नराकास इकाई बेहद सक्रिय इकाई है तथा हिंदी के संबंध में अच्छे कार्य कर रहे हैं।

भोपाल

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भोपाल की अर्द्धवार्षिक बैठक का आयोजन दिनांक 28 जुलाई, 2011 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के मुख्य हॉल (ऑडिटोरियम) से किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री विजय शर्मा, आयकर महानिदेशक (अन्वे.) भोपाल द्वारा की गई।

समिति के सह-अध्यक्ष श्री राजीव वार्ष्णेय, आयकर आयुक्त, भोपाल ने बैठक में उपस्थित केंद्रीय सरकार के वरिष्ठतम् अधिकारीगणों तथा सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि उनके लिए यह हर्ष का विषय है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के प्रतिष्ठित मंच से उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है। समिति के सह-अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने उल्लासजनक उत्साह के साथ बताया कि हिंदी के प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए एक शील्ड योजना आरंभ की गई है जिसके तहत् आज दो कार्यालयों को शील्ड प्रदान की जा रही है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति देश के विभिन्न शहरों में गठित की गई है जो देश के केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। भोपाल में इस समिति के लगभग 83 सदस्य कार्यालय हैं। उन्होंने पुनः कहा कि केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम बनाकर जो राजभाषा लक्ष्य निर्धारित करती है, यदि हम थोड़ी सी जागरूकता दिखाएं तो निश्चित रूप से यह लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। कार्यालय प्रधान यदि स्वयं हिंदी में कार्य करेंगे तो यह अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणादायक होगा तथा निश्चय ही हिंदी का प्रचार-प्रसार होगा।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमारा कार्यस्थल भोपाल "क" क्षेत्र में स्थित है, अतः इस दृष्टि से हम सभी का उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है कि हम राजभाषा के प्रचार प्रसार में स्वयं तो सक्रिय रूप से भाग लें ही, साथ ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को भी इसके लिए सतत् प्रोत्साहित करें, ऐसा करने से ही हम राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की ओर निरंतर अग्रसर हो सकेंगे।

गुड़गांव

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गुड़गांव की वर्ष 2011-12 की प्रथम बैठक दिनांक 27 जुलाई, 2011 अपराह्न 3.00 बजे नराकास समिति अध्यक्ष की अध्यक्षता में उनके कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई।

श्री शैलेश कुमार सिंह, उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति प्रदान करते हुए बैठक में उपस्थित समस्त सदस्य कार्यालयों, को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रोत्साहन योजनाओं की सूचना समिति सदस्यों को प्रदान की, जैसे-नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के माध्यम से प्रचार-प्रसार समिति एवं आई.टी. चैम्पियन टीम का गठन किया जाना तथा विभिन्न प्रोत्साहन पुरस्कार, जैसे-इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार तथा समिति को दिया जाने वाला पुरस्कार आदि के संबंध में समिति सदस्यों को अवगत कराया।

श्री शशांक शेखर शर्मा, अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गुड़गांव ने नराकास समिति की बैठकों

में कार्यालय प्रमुखों की अनुपस्थिति को गम्भीरता से लेते हुए बैठक में अनुपस्थित कार्यालय प्रमुखों एवं अनुपस्थित कार्यालयों की सूची राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित करने का आश्वासन दिया जिससे कि प्रत्येक बैठक में समस्त कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में सुनिश्चित की जा सके।

दिल्ली बैंक

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 34वीं छमाही बैठक श्री विनय कुमार खन्ना, अध्यक्ष-दिल्ली बैंक नराकास एवं महाप्रबंधक (फील्ड) दिल्ली, पंजाब नैशनल बैंक की अध्यक्षता में 14 जुलाई, 2011 को आयोजित की गई। बैठक की मेजबानी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की गई। श्री राकेश पुरी, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने अतिथियों का स्वागत किया। श्री पुरी ने स्वागत संबोधन में दिल्ली बैंक नराकास द्वारा हिंदी का प्रचार-प्रसार करने में दिए जा रहे भरपूर सहयोग की चर्चा करते हुए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा हिंदी के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों से भी समिति को अवगत कराया।

श्री विनय कुमार खन्ना, अध्यक्ष, नराकास ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि दिल्ली बैंक नराकास को गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और यह स्थान पिछले गई वर्षों से प्राप्त होता आ रहा है। उन्होंने इसके लिए सभी सदस्य कार्यालयों को बधाई देते हुए कहा कि पुरस्कार प्राप्त करने से सभी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का दायित्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि भविष्य में भी इस स्थान को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करने होंगे।

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्य कार्यालयों को सूचित किया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 का वार्षिक कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। उन्होंने अनुरोध किया कि मार्च, 2012 से पूर्व सभी बैंक/वित्तीय संस्थाएं वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करें ताकि दिल्ली बैंक नराकास को देश की सभी समितियों में शीर्ष स्थान प्राप्त हो सके। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक को इस बैठक की मेजबानी करने के लिए धन्यवाद दिया।

(घ) कार्यशालाएं

'ग' क्षेत्र

केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, कोलकाता

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के कोलकाता स्थित अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल में दिनांक 21-3-2011 से 28-3-2011 तक हिंदी कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोलकाता स्थित राजभाषा विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर कार्यालय में हिंदी कार्य से संबंधित व्याख्यान दिए गए। इस कार्यशाला के समापन पर प्रधानाचार्य, के.गु.प्र. स्कूल श्री तमाल बसु भा.पु.से. ने कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यशाला में प्राप्त ज्ञान का पूरा लाभ उठाने व राजभाषा के पर्याप्त प्रचार-प्रसार के साथ अपने कार्यालय कार्य में हिंदी का प्रयोग करने का आग्रह किया। इस अवसर पर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रधानाचार्य ने इस प्रकार की कार्यशाला का आयोज़न भविष्य में भी कराने का आश्वासन दिया।

क्षेत्रीय कार्यालय (तमिलनाडु) कर्मचारी राज्य बीमा निगम 143, स्टर्लिंग रोड, चैन्नई-600034

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चैन्नई में राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार तथा इस निमित्त निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिनांक 16-5-2011 से दिनांक 20-5-2011 तक एक पांच दिवसीय पूर्णकालिक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कुल 18 कार्मिकों ने भाग लिया। पंजीकरण के उपरांत 16-5-2011 को सुबह 10.00 बजे अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक महोदया ने हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में श्री टी. बालगुरुसामी, निदेशक (वित्त) भी उपस्थित रहे।

अपने उद्घाटन भाषण में अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक महोदया ने कहा कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते हिंदी को सीखना और इसमें काम करना हमारा कर्त्तव्य है। अतः इस कार्यशाला की शुरुआत छोटे-छोटे वाक्यों के अभ्यास से की जानी चाहिए। उन्होंने उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि वे इस कार्यशाला के दौरान मन लगाकर हिंदी का प्रयोग करना सीखें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि व्यक्ति मन में ठान ले तो कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने के लिए भी समय निकल ही जाएगा। तत्पश्चात् श्री टी. बालगुरुसामी, निदेशक (वित्त) ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हिंदी के ज्ञान के साथ पूरे भारत में आप कहीं भी सहजता से घूम सकते हैं व काम कर सकते हैं।

कार्यशाला में पांच दिनों के दौरान प्रतिदिन 6 घंटे प्रशिक्षण के साथ-साथ अभ्यास पर बल दिया गया। बाहरी कार्यालयों से कुल 5 अतिथि वक्ताओं को भी आमंत्रित किया गया। कार्यालय में हिंदी का ज्ञान रखने वाले अधिकारियों ने भी कार्यशाला के दौरान व्याख्यान देने में विशेष रुचि दर्शाई।

भारतीय खाद्य निगम, कोलकाता

दिनांक 30-6-2011 को भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता में एक दिवसीय राजभाषा कार्यशाला आयोजित किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था भारत सरकार द्वारा संचालित हिंदी फोंट-यूनिकोड के बारे में अधिक से अधिक कार्मिकों को जानकारी देना जिसके लिए पूर्वी रेलवे, कोलकाता से हिंदी सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ श्री विनोद कुमार त्रिपाठी जी को आमंत्रित किया गया था। त्रिपाठी जी ने यूनिकोड की जानकारी के साथ सिस्टमों पर इसके संस्थापन की प्रक्रिया से सभी को अवगत कराया। कार्यालय से 36 कार्मिक उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री एस.एन. राय चौधरी, स.म.प्र. (सा) द्वारा की गई।

यूनिकोड की जानकारी के बाद कार्यक्रम की संचालिका सुश्री रीना पाण्डेय, प्रबंधक (हि.) द्वारा हिंदी व्याकरण व वर्तनी संबंधी प्रतियोगिता का संचालन किया गया जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को हिंदी दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम में हिंदी सहायक श्री भोला साव, सुश्री रंजीता साव एवं श्री सरोज कुमार दास की प्रतिभागिता सराहनीय रही है।

आंचलिक तथा राज्य कार्यालय खादी ग्रामोद्योग आयोग, रूपनगर, गुवाहाटी

आंचलिक तथा राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, गुवाहाटी में दिनांक 5 अगस्त, 2011 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें आंचलिक तथा राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, गुवाहाटी के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। सर्वप्रथम इस कार्यशाला का उद्घाटन राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक महोदय द्वारा किया गया। इसके उपरांत उपस्थित मुख्य अतिथि श्री मोहन कोयराला, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, ने राजभाषा के सांविधिक रूप को बताते हुए "हिंदी में निर्मित टिप्पण और आलेखन" विषय पर चर्चा आरंभ किया। उन्होंने टिप्पण और आलेखन के प्रारूप तथा प्रशासनिक कार्यों में व्यवहार होने वाले शब्द जैसे अर्जित छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी, परिणत छुट्टी, प्रमाण पत्र, अवधि अनुपस्थिति, सक्षम, सक्षम प्राधिकारी, दौरा, अग्रिम आदि शब्दों के प्रयोग पर अपना वक्तव्य दिया। उपस्थित कर्मचारीगण उनके व्याख्यान से उत्प्रेरित होकर उपर्युक्त विषय पर श्री कोयराला जी से विचार प्रकट करते हुए चर्चा की ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर-721302

केंद्र सरकार के कर्मचारी होने के नाते सरकारी कामकाज हिंदी में करना हमारा संवैधानिक दायित्व है इसी दायित्व की पूर्ति तथा संस्थान में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु राजभाषा विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर द्वारा दिनांक 10-11 मई, 2011 को "सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए व्यवहारिक सुझाव-यूनीकोड एवं इंटरनेट पर हिंदी" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रो. वी. आर. देसाई ने हिंदी की भाषाई संस्कृति एवं मातृभाषा में ज्ञान संप्रेषण की उपयोगिता पर गंभीर चर्चा की। प्रो. देसाई ने कर्मचारियों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि वे स्वयं गैर हिंदी भाषी हैं किंतु हिंदी में काम करना आसान समझते हैं। प्रो. देसाई ने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार और प्रसार की प्रगति पर

संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि दक्षिण भारत की द्रविण वर्ग की भाषाओं को जानने वालों के लिए संस्कृत मूल से जुड़े होने के कारण हिंदी सीखना तथा उसमें काम करना आसान है, आवश्यकता बस थोड़े से मन से प्रयास करने की है। आपने कहा कि यदि विरोध करना छोड़ दिया जाए तो इतने से ही आधे से ज्यादा काम पूरा हो जाता है और यह सबसे बड़ा सहयोग है कि विरोध न किया जाए।

कार्यशाला में हिंदी अधिकारी ने भारत सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं, टंकण, आशुलिपि, अनुवाद के प्रशिक्षण से संबंधित विषयों पर भी कर्मचारियों को जानकारी दी। कार्यशाला में संस्थान के कुल 40 कर्मचारियों/अधिकारियों ने भाग लिया।

आकाशवाणी, हैदराबाद-500004

आकाशवाणी, हैदराबाद में दिनांक 11-5-2011 को एक-दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन श्री मो. खमरुदीन, अधिक्षण अभियंता एवं कार्यालयाध्यक्ष ने किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों का कार्यशाला में स्वागत करते हुए अपने भाषण में कहा "कार्यशाला में उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारी इस अवसर का पूरा-पूरा लाभ उठाएं एवं उनको शब्दावली के प्रयोग में जो भी शंकाएं हैं, उन्हें चर्चा द्वारा दूर कर सकते हैं एवं कार्यालय में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करना अनिवार्य है" ।

कार्यशाला में श्री मो. कमालुदीन, वरिष्ठ हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, हैदराबाद ने व्याख्यान दिया। पहले सत्र में उन्होंने भाषाओं के प्रकार जैसे विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक भाषाओं के प्रकार पर प्रकाश डाला।

दूसरे सत्र में, उन्होंने हिंदी व्याकरण एवं प्रशासनिक शब्दावली पर व्याख्यान दिया। उन्होंने हिंदी में विभिन्न भाषाओं जैसे संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं से लिए गए शब्दों की पूरी जानकारी दी। सरकारी कामकाज में नेमी रूप से प्रयोग में आने वाले अंग्रेजी के प्रशासनिक शब्दों एवं उनके हिंदी के रूपान्तरों पर विस्तृत जानकारी दी एवं प्रतिभागियों से व्यावहारिक अभ्यास भी करवाया। उन्होंने संदर्भ के अनुसार सही शब्दों के प्रयोग पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समाधान भी किया।

कार्यशाला में आकाशवाणी के मुख्य भवन में ही स्थित विज्ञापन प्रसारण सेवा, सिविल निर्माण स्कंध और क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम), आकाशवाणी कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों सहित आकाशवाणी, हैदराबाद के कुल मिलाकर 23 अधिकारियों/कर्मचारियों ने सक्रिय भाग लिया।

सीमा सुरक्षा बल, जम्मू

दिनांक 27 एवं 28 जून, 2011 का फ्रंटियर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल, जम्मू में दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. जगत सिंह उप महानिरीक्षक (प्रधान स्टाफ अधिकारी) के कर कमलों द्वारा महानिरीक्षक श्री सिद्धार्थ चटोपाध्याय, भा.पु.से. के दिशा-निर्देशन पर किया गया। इस कार्यशाला में फ्रंटियर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल के अधीन 122वीं वाहिनी व 72वीं वाहिनी तथा फ्रंटियर मुख्यालय के सभी शाखाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री डॉ. जगत सिंह उप महानिरीक्षक (प्रधान स्टाफ अधिकारी) ने सभी उपस्थिति अधिकारियों व कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है इसलिए हमें अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करना चाहिए। कार्यशाला के दौरान आपको निरीक्षक (अनुवादक) के. सी. मठपाल हिंदी से संबंधित कार्यालयीन ज्ञान के बारे में जानकारी दी। डॉ. जगत सिंह ने जवानों को आगे बताया कि कार्यशाला में आपने परस्पर वार्तालाप के जरिए हिंदी में ज्ञानोपार्जन किया जो कि सराहनीय है। कार्यशाला का शाब्दिक अर्थ ही त्रुटियों का सुधार है। हिंदी के विकास में ही हमारे राष्ट्र का विकास संभव है।

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन में दिनांक 27 एवं 28 अप्रैल, 2011 को दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन संयंत्र के विशेष कार्याधिकारी श्री एस. परमसिवम ने किया।

भारी पानी संयंत्र के विशेष कार्याधिकारी एस. परमसिवम ने कहा कि अधिकारियों के स्थानांतरण केन्द्रीय सरकार की सेवा में होते रहते हैं। इसलिए हमें राजभाषा हिंदी का ज्ञान प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। केंद्र सरकार के कार्मिकों को हिंदी पढ़ाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है और

विभाग द्वारा भी प्रशिक्षण हेतु अधिक से अधिक राशि खर्च की जा रही है। अत: हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। इससे फायदा यह है कि हम एक नई भाषा भी सीख सकते हैं और किसी से संपर्क करने में भी आसानी होगी। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं तकनीकी सेवाएं प्रबंधक श्री आई. सेनगुप्ता ने कहा कि भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन में हिंदी कार्यशाला का आयोजन सुचारु रूप से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो कार्य शुरू किया गया है उसे मिशन की तरह चलाया जाए एवं निरंतर प्रगति होती रहे। हिंदी राजभाषा है अत: इसे कार्यालयों में अनिवार्यत: अपनाया जाना चाहिए। इससे कार्मिकों को बहुत लाभ होगा। इस अवसर पर प्रशासन अधिकारी श्री एस. एस. भूपति ने अपने उद्बोधन में कहा कि 'ग' क्षेत्र के सुदूर क्षेत्र में इस तरह के आयोजन करना एक सुखद स्थिति है एवं कार्यशाला हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले लोगों के लिए होता है, जिससे कार्मिक अपने हिंदी के ज्ञान को ताजा कर सकें। साथ ही हिंदी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इस कार्य में आप लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है। आप लोग कार्यालय में थोड़ा-थोड़ा कार्य हिंदी में करना शुरू करें, तो प्रगति अपने आप होती रहेगी। इस कार्यशाला में कुल 11 व्याख्यान हिंदी व्याकरण, राजभाषा नियम, प्रोत्साहन योजनाएं, यात्रा भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत, कार्यग्रहण समय, छुट्टी नियम, हिंदी शिक्षण योजना एवं प्रबंध में उत्कृष्टता नामक विषय पर दिए गए।

आकाशवाणी : कोलकाता

केंद्र द्वारा दिनांक 2-6-2011 को अपराह्न 1.30 से 3.30 बजे तक तथा 3.45 से 5.45 बजे तक युवावाणी हॉल में दो अलग-अलग सत्र में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

श्री राकेश कुमार, उप-निदेशक (कार्यान्वयन) ने "संघ की राजभाषा नीति" विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया तथा अभ्यास भी करवाया। प्रशिक्षार्थियों ने संघ की राजभाषा नीति पर अपने प्रश्न प्रस्तुत किए जिनका जवाब व्याख्याता ने बखुबी सरल और आसान तरीके से समझाया।

"कंप्यूटर पर यूनिकोड का उपयोग" विषय पर जानकारी दी तथा यूनिकोड द्वारा अति आसान तरीके से कंप्यूटर पर हिंदी में बेझिझक कार्य करने की विधि तथा नियम बताए तथा कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य के प्रशिक्षण का अभ्यास कराया। परीक्षार्थियों ने बहुत उत्सुकता तथा उत्साह से प्रशिक्षण प्राप्त किया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दावणगेरे, कर्नाटक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दावणगेरे के सदस्य कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के लिए राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी देने के लिए दिनांक 8-7-2011 को एक-दिवसीय सामान्य हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सदस्य कार्यालयों के कुल 12 अधिकारी/कर्मचारी ने भाग लिया था।

पहले सत्र में बुनियादी हिंदी, हिंदी व्याकरण (लिंग, वचन एवं कारक), वार्षिक कार्यक्रम के साथ राजभाषा नीति (राजभाषा के संबंध में संवैधानिक व्यवस्थाएं, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम 1976) में राजभाषा से जुड़े सभी पहलुओं पर संक्षिप्त रूप में व्याख्यान दिए इस कार्यालय के कनिष्ठ हिंदी अनुवादक श्री सी. एन. शेखर जी।

दूसरे सत्र के कार्यालय के सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं सदस्य सचिव, नराकास श्री रमेश पी कामत जी ने हिंदी में टिप्पण लेखन और मसौदा लेखन के बारे में विस्तृत रूप में व्याख्यान दिए।

कार्यशाला के अंत में प्रशिक्षार्थियों से राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में पाई जाने वाली समस्याओं पर चर्चा भी की गयी । उक्त चर्चा में उन समस्याओं को सुलझाने का रास्ता भी निकाला गया।

'ख' क्षेत्र

भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा

भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा में वित्त-वर्ष 2011-12 की दूसरी हिंदी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 9-8-2011 को आयोजित की गई। यह इस संयंत्र में आयोजित 34वीं हिंदी कार्यशाला थी तथा वैज्ञानिक सहायक वर्ग के लिए आयोजित की गई थी।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए संयंत्र के महाप्रबंधक श्री आदित्य भौमिक ने कहा कि इस संयंत्र में सभी को हिंदी का ज्ञान है तथा हिंदी भाषा गुजराती-मराठी भाषाओं से काफी मिलती-जुलती है। इसलिए आपसी बातचीत हिंदी में करते

समय किसी को असुविधा नहीं होती है। लिखित रूप में भी सरकारी कामकाज हिंदी में किया जाना है, लेकिन उसमें गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि तकनीकी कार्यालय होने के कारण गलत शब्द प्रयोग करने पर अनर्थ हो सकता है। अत: कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार, इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है और यहां से प्रशिक्षित होने के बाद अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अपने सहकर्मियों के साथ यहां प्राप्त ज्ञान को बांटें और उन्हें भी हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करें।

इस कार्यशाला में इन अधिकारियों की कार्यकारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी तथा इसके अंतर्गत राजभाषा नीति-नियम, हिंदी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूनीकोड, पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी देने के साथ-साथ हिंदी पत्राचार तथा हिंदी में टिप्पण-लेखन बढ़ाने के प्रयोजन से विशेष व्याख्यान शामिल किए गए थे।

कार्यशाला में स्पष्ट किया कि विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली की यह विशेषता है कि पारिभाषिक शब्द में से एक ही अर्थ प्रतिध्वनित होता है, जिससे भ्रम की संभावना नहीं रह जाती है।

आकाशवाणी जालंधर केंद्र

आकाशवाणी जालंधर के तत्त्वावधान में 5 जुलाई, 2011 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कार्यालय के विभिन्न अनुभागों से 33 अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया।

कार्यशाला के प्रथम सत्र में राजभाषा नीति के अनुपालन में अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका विषय पर राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियमों की सामान्य जानकारी दी।

कार्यशाला के दूसरे सत्र में 'कार्यालय के काम-काज में हिंदी का प्रयोग' विषय पर बोलते हुए डॉ. सेन ने लिपि, व्याकरण, वाक्य-विन्यास आदि पर विस्तृत जानकारी दी। दोनों सत्रों के अंत में उन्होंने अधिकारियों/कर्मचारी को उपर्युक्त विषयों से संबंधित प्रश्नावलियां भी वितरित कीं व प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी से राजभाषा नीति के नियमों-अधिनियमों आदि के बारे में बड़े रोचक ढंग से पूछा, जिससे सबका दोनों विषयों पर दी गई जानकारी का अभ्यास भी हो गया।

इस अवसर पर केंद्र के निदेशक श्री भाग चन्द पंवार ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कार्यशालाओं की महत्ता बताई तथा साथ ही अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया और डॉ. सेन को कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में पधारने के लिए धन्यवाद दिया।

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे के अधिकारियों को हिंदी में काम करने हेतु प्रेरित तथा मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से दिनांक 28-6-2011 को हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।

कंप्यूटर पर हिंदी में एकरूपता लाने हेतु भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त यूनिकोड समर्थित फॉन्ट में कंप्यूटर पर हिंदी के कार्य करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस विषय पर जानकारी देने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया है। द्विभाषी सॉफ्टवेयर (ISM-V5) पर टंकण, कुंजीपटल : फोनेटिक टाइपराइटर, इनस्क्रीप्ट, कस्टम आदि की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही शब्दकोश, हिंदी के पर्यायवाची शब्द और इन्टरनेट पर हिंदी से संबंधित जानकारी उपस्थित कर्मचारियों को दी।

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नाशिक रोड

कर्मचारियों में हिंदी कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रणालय में एक हिंदी कार्यशाला का दिनांक 28 और 29 जून, 2011 को आयोजन किया गया। कार्यशाला में कुल सात कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में राजभाषा नीति, वार्षिक कार्यक्रम और प्रोत्साहन योजनाएं, हिंदी शब्द लेखन और हिंदी पत्राचार तथा हिंदी में कार्य आरंभ कैसे करें, इत्यादि विषयों पर व्याख्यान दिए गए। कार्यशाला का समापन श्री सुबोध मिश्र, राजभाषा अधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, नाशिक के भाषा और संवाद इस विषय पर व्याख्यान के साथ हुआ। प्रतिभागियों ने भी कार्यशाला के आयोजन और प्राप्त हिंदी ज्ञान के प्रति संतोष और प्रसन्नता व्यक्त की और सफल आयोजन के लिए श्री शेखर वि. मुर्हेकर,

सहायक निदेशक (राजभाषा) और हिंदी स्टाफ को धन्यवाद दिया।

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) एस. ए. एस. नगर (पंजाब)

नाईपर में 7 जून, 2011 को वर्ष की प्रथम हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस गरिमापूर्ण अवसर पर संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह से भाग लिया। कार्यशाला में श्रुतलेख एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 50 से 55 प्रतिभागी सम्मिलित हुए।

कार्यशाला के समापन अवसर पर कार्यवाहक निदेशक प्रो. के. के. भूटानी ने कार्यशाला में उपस्थित नाईपरवासियों का आभार जताया और अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी को केवल शब्द ज्ञान से ही नहीं पहचाना जा सकता, हिंदी में हमारे देश की सभ्यता एवं संस्कृति का अमूल्य खजाना छुपा है। यदि हम हिंदी से पूर्ण तरीके से परिचित होना चाहते हैं तो हमें अपने रोज-मर्रा के व्यवहार में इसका प्रयोग करना होगा। अगर हम हिंदी को पूर्ण तरीके से अपना लेते हैं तो हमारे देश की राजभाषा को किसी अन्य देश की भाषा का मोहताज नहीं होना पड़ेगा।

कार्यशाला के सुअवसर पर कार्यकारी कुलसचिव श्री राजेश मौजा ने कहा कि हमें राजभाषा विभाग द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं हमारा संस्थान उसका पूर्ण रूप से पालन कर रहा है। लेकिन हमें केवल निर्देशों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हिंदी को जन-जन तक पहुंचाने के लिए रंग-मंच, नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया जाना चाहिए।

प्रो. प्रमिल तिवारी, विभागाध्यक्ष ने वाद-विवाद के विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत को विकसित करना किसी के हाथों में नहीं बल्कि हमारे स्वयं के हाथों में है। यदि हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और अपने कार्य में निपुण हो जाएंगे तो भारत स्वयं विकसित हो जाएगा।

दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि., क्षेत्रीय कार्यालय, चौथी मंजिल, सूर्या टॉवर, 108, दी माल, लुधियाना

मंडल कार्यालय के हिंदी प्रतिनिधियों के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का तारीख 22 जून, 2011 को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र लुधियाना में आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 17 मंडल कार्यालयों के प्रतिनिधियों के अलावा क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मियों ने भी भाग लिया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक डॉ. एस.एल. खोसा, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री ए. पी. यादव, प्रबंधक (राजभाषा) डॉ. एम. धवल ने दीप प्रज्जवलित करके किया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. खोसा ने भाषा के सरलीकरण पर विशेष रूप से बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि नियमित अभ्यास के माध्यम से हम आसानी से सब कार्य हिंदी में कर सकते हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री ए. पी. यादव क्षेत्रीय प्रबंधक एवं हिंदी प्रभारी ने यूनीकोड हिंदी साफ्टवेयर की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए प्रतिभागियों को यह बताया कि इस साफ्टवेयर के जरिए हिंदी में पत्र बनाना कितना आसान है। कार्यशाला के प्रथम सत्र में संघ की राजभाषा नीति नियमों अधिनियमों पर श्री प्रमोद शर्मा जी ने चर्चा की। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में राजभाषा अधिकारी अनिल गुप्ता ने प्रतिभागियों को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भाग 1 एवं 2 के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

कार्यशाला के चौथे व अंतिम सत्र में कंप्यूटर पर हिंदी भाषा संसाधन के लिए यूनीकोड का प्रयोग विषय पर श्री अजय सिंह, आयकर आयुक्त कार्यालय, लुधियाना ने प्रस्तुति देते हुए साफ्टवेयर डाउनलोड करने की आसान विधि व प्रतिभागियों से हिंदी में पत्र टाईप करने का अभ्यास भी करवाया गया।

दूरदर्शन केंद्र : नागपुर

दूरदर्शन केंद्र, नागपुर में दिनांक 1 जुलाई, 2011 को एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के विषय थे 'नैनोटेक्नोलॉजी से रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले फायदे' तथा 'कंप्यूटर में यूनिकोड का प्रयोग'। एस एफ एस महाविद्यालय के भौतिक शास्त्र के व्याख्याता डॉ. प्रमोद कुमार साखरकर ने नैनोटेक्नोलॉजी तथा नैनोविज्ञान की विस्तृत व्याख्या करते हुए स्लाइड शो के माध्यम से सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने उपस्थित स्टाफ को इस नई तकनीक के विषय में बहुत सी महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराया। इसी प्रकार कार्यशाला के दूसरे सत्र में राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान की हिंदी प्रभारी श्रीमती संगीता गिरी ने कंप्यूटर में यूनिकोड को प्रयोग के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कार्यालय में कंप्यूटरों में यूनिकोड किस तरह से सक्रिय किया जाए इसका प्रयोग करके दिखाया।

आरंभ में कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में निदेशक (अभियांत्रिकी) श्री अधीर गडपाले ने राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के संबंध में अपने संकल्प को दोहराते हुए कार्यशाला के महत्व को समझाया। इस अवसर पर दूरदर्शन केंद्र, नागपुर के अभियांत्रिकी, कार्यक्रम, तथा प्रशासन अनुभाग से कुल 31 अधिकारियों/कर्मचारियों ने कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला का संचालन एवं आभार प्रदर्शन प्रभारी हिंदी अधिकारी श्री रवीन्द्र मिश्रा ने किया।

पश्चिम रेलवे, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, कोठी कंपाउण्ड, राजकोट-360001

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, पश्चिम रेलवे, राजकोट मंडल के सभाकक्ष में दि. 7-6-2011 को दोपहर पहले अधिकारियों और दोपहर बाद कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।

श्री दीपक पंड्या सहायक निदेशक (राजभाषा) ने सभी अधिकारियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने की तथा ई-मेल प्रेषण की विस्तृत जानकारी दी। अपने उद्बोधपन में मंरेप्र महोदय ने सभी अधिकारियों को अपने कामकाज में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का अनुरोध किया तथा अमंरेप्रजी ने भी कंप्यूटर पर हिंदी कार्य बढ़ाने पर बल दिया।

उसी दिन दोपहर बाद 7-6-2011 से 10-6-2011 तक लेखा विभाग तथा स्थापना विभाग के कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। उक्त कार्यशाला में श्री पी. बी. सिंह-राजभाषा अधिकारी ने सरल हिंदी का उपयोग करने और विभिन्न नियमों/अधिनियमों से कर्मचारियों को अवगत कराया। श्री हितेष रुपारेलिया-मुख्य टाइपिस्ट ने कंप्यूटर पर हिंदी में कैसे कार्य किया जा सकता है तथा विभिन्न फॉन्ट्स, यूनिकोड एवं आकृति सॉफ्टवेयर की विस्तृत जानकारी दी तथा सभी कर्मचारियों से कंप्यूटर पर अभ्यास भी करवाया। श्री वी. के. शर्मा-राजभाषा अधीक्षक ने विभिन्न प्रकार के आवेदन, पत्र व अर्ध सरकारी पत्रों के बारे में बताया।

इन कार्यशालाओं में क्रमश: 20 अधिकारी तथा 25 कर्मचारियों ने भाग लिया।

'क' क्षेत्र

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) में श्री आर. के. मिश्रा, प्रधान सलाहकार (प्र. एवं आर ई) के मार्गदर्शन के तहत दिनांक 31-5-2011 को अपराह्न 3.00 बजे से 5.00 बजे तक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस हिंदी कार्यशाला में प्राधिकरण के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (अवर सचिव के समकक्ष) स्तर के अधिकारियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस कार्यशाला में कुल 18 अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रथम सत्र में श्री वी. के. अग्रवाल, उप सलाहकार, ब्रॉडबैंड प्रभाग ने प्रतिभागियों को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना से पूर्णत: अवगत कराया। उन्होंने देश में ब्रॉडबैंड के विकास तथा उसके उत्तरोत्तर विकास की भावी संभावनाओं पर बारीकी से प्रकाश डाला और उसकी उपयोगिता एवं महत्व के विषय में भी प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। दृश्य एवं श्रव्य माध्यम से पेश किया गया उनका प्रस्तुतिकरण अत्यंत सजीव एवं प्रभावी था। व्याख्यान के पश्चात् प्रतिभागियों की शंकाओं का भी निवारण किया गया।

दूसरा व्याख्यान 'मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी' पर श्री संजीव बांझल, सलाहकार, मोबाइल सेवाएं प्रभाग द्वारा दिया गया। उन्होंने सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के सभी पहलुओं पर सरल, सरस और स्पष्ट भाषा में वृहद प्रकाश डाला। यह व्याख्यान प्रतिभागियों के लिए अत्यंत लाभप्रद रहा क्योंकि उन्होंने अपने मोबाइल का नम्बर बदले बिना अपना सेवा प्रदाता बदलने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मोबाइल नम्बर पोर्ट किए जाने, उसके लिए शुल्क, आवेदन स्वीकार अथवा रद्द किए जाने की अपेक्षाओं के विषय में भी गहन जानकारी प्रदान की।

श्री आर. के. मिश्रा, प्रधान सलाहकार, जोकि प्राधिकरण में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदी में कामकाज करना केवल हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। यदि हम प्रतिबद्ध होंगे तो निश्चित ही हम लीक के अनुसार चल आ रही बोझिल एवं जटिल सरकारी अंग्रेजी का प्रयोग करने की बजाए सरल

और सही हिंदी में अपना कामकाज कर सकेंगे। हिंदी में कामकाज आसान है और यदि हमें किसी अंग्रेजी शब्द का तत्काल ही हिंदी रूप आता भी नहीं है तो हम उसे ज्यों का त्यों भी लिख सकते हैं–जैसे अप्रूवल, सैंक्शन आदि। कम-से-कम हम अपनी अंग्रेजी टिप्पणियों पर अपने हस्ताक्षर हिंदी में कर सकते हैं तथा उसे आगे देखने वाले अधिकारी का पदनाम भी हिंदी में अंकित कर सकते हैं। उनके व्याख्यान ने प्रतिभागियों को अत्यंत प्रभावित किया। इसके बाद, प्रतिभागियों द्वारा अपनी समस्याओं को प्रश्नों के जरिए प्रस्तुत किया गया जिनका उनकी संतुष्टि के अनुरूप प्रधान सलाहकार महोदय द्वारा उत्तर एवं स्पष्टीकरण दिया गया। तीनों ही व्याख्यान प्रतिभागियों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुए जिनकी उनके द्वारा सराहना की गई।

दूरदर्शन केंद्र-नई दिल्ली

दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली के तीन एकांशों–डी.डी. भारती', 'कृषि-दर्शन' एवं 'दर्शक अनुसंधान एकांश' में दिनांक : 30-6-2011 को डेस्क कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान इन एकांशों में हिंदी में संपन्न किए जा रहे कार्यालय कार्यों की समीक्षा की गई तथा इस संबंध में हो रही कठिनाइयों के संबंध में चर्चा की गई साथ ही राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी जानकारी भी दी गई।

डेस्क कार्यशाला के दौरान 'डी. डी. भारती', तथा 'कृषि-दर्शन' एकांश के प्रभारी अधिकारी श्री एस. के. एस. त्रिपाठी, सहायक केंद्र निदेशक ने हिंदी अधिकारी श्रीमती सुधा रानी के समक्ष इन एकांशों में हिंदी में हो रहे कार्यों से संबंधित जानकारी दी। श्री त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार 'डी. डी. भारती' एकांश में लगभग शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में संपन्न किए जाते हैं तथा 'कृषि दर्शन एकांश' में लगभग सत्तर प्रतिशत कार्य हिंदी में संपन्न किए जाते हैं। श्री त्रिपाठी ने इन एकांशों में प्रयुक्त फार्म तथा संबंधित कागजात दिखए। इन एकांशों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन संतोषजनक पाया गया।

डेस्क कार्यशाला के दौरान 'दर्शक अनुसंधान एकांश' में कई विवरणिकाएं केवल अंग्रेजी में पाई गईं जबकि इन्हें द्विभाषी रूप में होना अपेक्षित था। हिंदी अधिकारी ने दर्शक अनुसंधान अधिकारी से इन्हें यथाशीघ्र हिंदी में अनुदित कर जारी करवाने के लिए कहा। दर्शक अनुसंधान अधिकारी ने आश्वासन दिया कि यथाशीघ्र सभी कागजातों के हिंदी संस्करण जारी किए जाएंगे।

संक्षेप में, डेस्क कार्यशाला के दौरान इन एकांशों के कर्मचारियों को हिंदी में कार्यालय कार्य करने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ राजभाषा हिंदी की प्रगति की समीक्षा की गई।

महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु. बल, नई दिल्ली

महानिदेशालय, भा.ति.सी. पुलिस द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन एवं सरकारी काम हिंदी में करने में कर्मचारियों की झिझक दूर करने के लिए भा. ति. सी. पुलिस की एस. एस. वाहिनी, संबोली, हरियाणा स्थित लिपिकीय प्रशिक्षण स्कूल में 47वें लिपिकीय कोर्स की समाप्ति के पश्चात् विभिन्न यूनिटों के 27 है कां./सी.एस. के लिए दिनांक 21-6-2011 से 24-6-2011 तक "चार दिवसीय हिंदी कार्यशाला" आयोजित की गई।

श्री श्याम लाल, सूबेदार मेजर (रा. भा.) ने अपने संबोधन में सूचित किया कि महानिदेशालय द्वारा नियमित तौर पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है ताकि कार्मिकों की हिंदी में काम करने में आने वाली कठिनाइयां एवं झिझक दूर हों। उन्होंने हिंदी कार्यशाला में पढ़ाए गए विभिन्न विषयों–राजभाषा की संवैधानिक स्थिति तथा राजभाषा अधिनियम एवं नियमों, हिंदी में टिप्पणी लेखन एवं उसका अभ्यास, राजभाषा संबंधी विभिन्न निरीक्षण, निरीक्षण प्रोफार्मा भरवाने का अभ्यास, राजभाषा कार्यन्वयन समितियों, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन/बैठक का आयोजन, हिंदी पखवाड़ा का आयोजन, रबड़ की मोहरें/नामपट्ट संबंधी आदेश एवं डायरी/डिस्पैच रजिस्टरों का रखरखाव/पत्राचार की गणना, हिंदी संबंधी प्रशिक्षण, हिंदी में पत्राचार/टिप्पण लेखन, मानक हिंदी वर्तनी एवं हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली आदि के संबंध में पढ़ाए जाने एवं उनके अभ्यास करवाने के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कार्यशाला की परीक्षा के परिणाम की घोषणा करते हुए प्रशिक्षणार्थियों को बधाई दी। साथ ही मुख्य अतिथि को अपने व्यस्त समय में से समारोह के लिए कुछ समय देने के लिए आभार भी प्रकट किया।

मुख्य अतिथि श्री संजय कोठारी, सेनानी, एस. एस. वाहिनी ने हिंदी कार्यशाला के "प्रमाणपत्र वितरण समाहरोह" में सभी प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत करते हुए उन्हें हिंदी कार्यशाला में रुचिपूर्वक भाग लेने और इसके सफल आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कोर्स में भाग लेने से विद्यार्थी जीवन का स्मरण हो जाता है। कोर्स

में जो कुछ सिखाया जाता है वह बड़े काम का है। इसमें दिए गए नोट्स बहुमूल्य हैं। इन्हें सदैव अपने पास रखें और जब भी समय मिले उन्हें दोहराते रहें। सफलता यहीं से शुरु होती है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां पर कोई विषय समझ नहीं आता उसे अपने सीनियर से पूछ लें, इसमें झिझकें नहीं। ओपन कोर्स और हिंदी कार्यशाला में जो सीखा है उसे अमल में लाएं। उन्होंने स्वस्थ रहने के लिए खेलों और पीटी में नियमित रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर अच्छी तरह से अपना कार्य निष्पादन कर सकें। उन्होंने प्रिंसीपल, अन्य अधिकारियों/कर्मियों का धन्यवाद दिया जिन्होंने व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न होने दी। उन्होंने कहा कि लिपिकीय स्कूल यहां पर अस्थायी है। फिर भी, हमने अपनी ओर से आवश्यक सुविधाएं एवं व्यवस्था प्रदान करने का प्रयास किया। आप इसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं। हम समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने हिंदी कार्यशाला में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त कर्मियों को बधाई भी दी।

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, निगम मुख्यालय, नई दिल्ली

''आप चाहों किसी भी क्षेत्र के निवासी हो, हमारा यह फर्ज बनता है कि हम हिंदी में काम करें, हिंदी को बढ़ावा दें। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। हमें हिंदी को नजर-अंदाज नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी में काम करना अच्छी बात है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हिंदी को नजर-अंदाज किया जाए।'' यह उद्‌भार डॉ. मनोरंजन दास, निदेशक (मा.सं.) ने 22-23 जून, 2011 को हिंदी कार्यशाला के शुभारम्भ के अवसर पर व्यक्त किए। आपने आगे कहा कि, आप सब लोग नए-नए इस कंपनी से जुड़े हैं, इस निगम में आए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हिंदी को अपने जीवन का अंग बनाएं, अपने जीवन में उतारें, हिंदी को बढ़ावा दें, हिंदी के नियमों-अधिनियमों की जानकारी रखें, उनका पालन करें।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में डॉ. मनोरंजन दास, निदेशक (मा. सं.) का स्वागत प्रबंधक (रा.भा.) ने किया तथा डॉ. आलोक कुमार रस्तोगी, प्रबंधक (रा.भा.) ने कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। इस कार्यशाला में निगम मुख्यालय के नव-आगंतुक अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ भारत सरकार टकसाल, नोएडा के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

दो दिवसीय कार्यशाला में डॉ. आलोक कुमार रस्तोगी, डॉ. पूरण चन्द्र टण्डन, डॉ. एन. के. सिन्हा, श्री देवराज शर्मा, श्री प्रदीप कुमार और श्री मोहन चन्द्र मिश्र ने विभिन्न विषयों पर प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया।

एन एच पी सी लि., कार्यपालक निदेशक (क्षेत्र-4) मनीकर्ण रोड, भूंतर, जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)-175125

क्षेत्र-4 कार्यालय, भूंतर में 15 जून, 2011 को अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री वी. के. वर्मा, मुख्य अभियंता (सिविल) ने किया। उन्होंने अपने उद्‌बोधन में अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ''हिंदी हमारी राजभाषा है और कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिनके माध्यम से कार्मिकों को हिंदी में कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाता है। हमें अपने कार्य में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए।''

इस अवसर पर श्री पराग सक्सैना, मुख्य अभियंता (सिविल) ने भी अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब का यह दायित्व बनता है कि हम अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करें और यदि हमें कोई शब्द हिंदी में नहीं मिलता है तो उसे उस समय देवनागरी लिपि में लिखकर अपना कार्य पूरा किया जा सकता है। श्री सक्सैना ने सभी कंप्यूटरों में हिंदी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध करवाने की बात भी कही। उन्होंने यह भी कहा कि ''हिंदी कार्यशालाओं में प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाया जाए और कार्मिकों को हिंदी अनुवाद एवं हिंदी में छोटी-छोटी टिप्पणियां लिखने का अभ्यास भी करवाया जाए।''

कार्यशाला में श्री सियोन तिरकी, प्रमुख (मानव संसाधन) ने अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया और कई अहम प्रसंग भी प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि ''हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमें स्वयं रुचि लेनी होगी तभी यह कार्य संभव हो सकेगा।''

श्री जावेद खान, उप प्रबंधक (वित्त) ने भी कार्यशाला में व्याख्यान दिया। उन्होंने राजभाषा नीति में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्रवाई करने पर महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रस्तुत किया। कार्यशाला में 15

कार्मिकों ने भाग लिया। कार्यशाला में प्रमुख स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यालय बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बालाघाट (म. प्र.)

कार्यालय परिसर में केंद्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान में वृद्धि हेतु गत दिवस हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रक्षेत्र इकाई सिहोरा, जिला जबलपुर के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भी भाग लिया। कार्यशाला की शुरुआत करते हुए केंद्र प्रभारी एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री देबाशीष दास, वैज्ञानिक-डी ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत करते हुए कहा कि हिंदी कार्य की गति को बढ़ाने के लिए हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपनी लगन से कार्य करेंगे, तो हम यह पाएंगे कि धीरे-धीरे हमारे कार्य में हिंदी अपना सुगमता से स्थान बनाती जा रही है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे और उन्हें यह एहसास न हो कि उन पर हिंदी थोपी जा रही है। उन्होंने उपस्थितजनों का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि कार्यालयों में कंप्यूटर आने से अब हिंदी में कार्य करना और भी आसान हो गया है, बस हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम राजभाषा के विकास में विंडोज का किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि राजभाषा का विकास और विस्तार देश का विकास है। राजभाषा हिंदी अपनी सहोदर भाषाओं के साथ आगे बढ़े यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए श्री आर. जे. लाल, वैज्ञानिक-सी द्वारा उपस्थितजनों को हिंदी व्याकरण एवं उसके संज्ञा सर्वनाम, व्यंजन आदि की पहचान तथा दैनंदिन में प्रयोग होने वाले वाक्यों का सरल अभ्यास करवाया गया। इस अवसर पर डॉ. डी. पी. सिंह, वैज्ञानिक-सी द्वारा कहा गया कि किसी भी भाषा पर अधिकार पाने के लिए शब्द भण्डार बढ़ाना जरूरी है, इसलिए हमें यह चाहिए कि अपने वार्तालाप में हिंदी का ही प्रयोग करें, जिससे शब्दों के ज्ञान में वृद्धि के साथ-साथ शब्दों का सही प्रयोग करना भी बढ़ेगा।

अंत में श्री आर. जे. लाल, वैज्ञानिक-सी द्वारा उपस्थितजनों का आभार व्यक्त किया गया एवं इस उद्गार "मानवता है पंथ मेरा, इंसानियत है पक्ष मेरा" के साथ कार्यशाला के समापन की घोषणा की गई।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), फरीदाबाद

7-6-2011 को आयोजित की गई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन ने नराकास के विभिन्न सदस्य कार्यालयों के कार्मिकों के लिए दिनांक 19-8-2011 को आधे दिन की हिंदी कम्प्यूटर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में एनएचपीसी सहित नराकास के विभिन्न सदस्य कार्यालयों के कुल 62 कार्मिकों ने भाग लिया।

नराकास के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री आर. आर. शर्मा महाप्रबंधक (मानव संसाधन व राजभाषा) महोदय ने किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में भाषा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत जैसे विशाल देश को एकता के सूत्र में बांधने और सुदृढ़ बनाने वाली भाषा हिंदी ही है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश का "राष्ट्र ध्वज", "राष्ट्र गीत" और "राष्ट्र चिह्न" उस देश के सम्मान सूचक होते हैं। उसी प्रकार उस देश की "राष्ट्रभाषा हिंदी" भी उसके सम्मान की द्योतक होती है। इसलिए हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का हृदय से सम्मान करते हुए अपने राजकाज में हिंदी का स्वेच्छा से प्रयोग करना चाहिए। महाप्रबंधक महोदय ने राजभाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि हमारे देश के राष्ट्र नायकों ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। इसलिए हिंदी का प्रचार व प्रसार करना हम सबका संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि यदि हम अंग्रेजी की मानसिकता से उबर कर स्वेच्छा से हिंदी में कार्य करेंगे तो हमें गौरव का अनुभव होगा और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

उन्होंने आज के युग में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आज हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। आज कंप्यूटर पर हिंदी के साथ-साथ भारत की अन्य भाषाओं में भी सरलता से कार्य किया जा सकता है।

इससे पूर्व डॉ. राजबीर सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) एवं सदस्य सचिव, नराकास ने महाप्रबंधक महोदय इस कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है और हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर की बढ़ती हुई उपयोगिता को देखते हुए ही आज की इस कंप्यूटर कार्यशाला का आयेजन किया जा रहा है।

इस कार्यशाला में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से आमंत्रित वरिष्ठ तकनीकी निदेशक श्री केवल कृष्ण जी ने राजभाषा विभाग द्वारा विकसित किए गए मंत्रा एवं श्रुतलेखन हिंदी सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानकारी दी कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अनुवाद कार्य करना संभव है तथा केवल बोलकर ही कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य किया जा सकता है। उन्होंने यूनिकोड की उपयोगिता के बारे में बताते हुए कहा कि यूनिकोड के माध्यम से हिंदी की टाइपिंग न जानते हुए भी कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग के द्वारा हिंदी में टाइपिंग का कार्य किया जा सकता है। उन्होंने प्रतिभागियों को इन सॉफ्टवेयरों के प्रयोग का अभ्यास भी कराया तथा कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने में आने वाली उनकी शंकाओं तथा समस्याओं का समाधान भी किया।

(ङ) हिंदी दिवस

'ग' क्षेत्र

आकाशवाणी, कटक

आकाशवाणी, कटक में 1 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2011 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। 1 सितंबर को आयोजित उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता केंद्र निदेशक, डॉ. सुधा मिश्र ने किया। विज्ञापन प्रसारण सेवा के कार्यालय प्रमुख डॉ. यशोवंत नारायण धर ने राजभाषा हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी एक ऐसी कड़ी है जो जोड़ने का कार्य करती है। श्री बसन्त कुमार बेहेरा, केंद्र अभियन्ता ने हिंदी भाषा की सरलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें अपनी कार्यालयीन कार्य बेझिझक हिंदी में करना चाहिए। डॉ. सुधा मिश्र, केंद्र निदेशक ने अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में हिंदी साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत की एक बहुत बड़े भूभाग की व्यवहार में आने वाली भाषा है 'हिंदी'। अध्यक्ष महोदया तथा उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों को धन्यवाद अर्पित किया।

पखवाड़ा के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

पखवाड़े का पुरस्कार वितरण समारोह 14 सितंबर, 2011 को अपराह्न 3.00 बजे आकाशवाणी के परिसर में किया गया।

मुख्य वक्ता प्रो. राधाकांत मिश्र ने अपने उद्बोधन में सबसे पहले हिंदी दिवस पर सबको बधाई देते हुए हिंदी भाषा पर जोर डालते हुए कहा कि स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए 'हिंदी' ने ही पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया था। विश्व की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का अपना एक स्वतंत्र स्थान है। हिंदी भाषा की सरलता के कारण ही इसे भारत की राजभाषा के रूप में सांविधानिक स्वीकृति मिली है। अंत में उन्होंने प्रतियोगिताओं के सफल प्रतिभागियों को बधाई दी।

मुख्य अतिथि श्री जगदानन्द, राज्य सूचना आयुक्त, ओड़िशा ने अपने अभिभाषण में कहा कि आज हमारे देश के लिए एक पवित्र दिवस है। अनेकता में एकता की वार्ता प्रदान करने वाले भारत को एक सूत्र में जोड़ने की कड़ी है, इसकी राजभाषा 'हिंदी'। हर केंद्रीय कार्यालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है परंतु सिर्फ पखवाड़े के दौरान नहीं, हमें वर्ष भर हिंदी में कार्यालयीन कार्य बेझिझक करना चाहिए।

केंद्र निदेशक डॉ. सुधा मिश्र ने अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में कहा कि आज हिंदी दिवस है। भारतीय भाषाओं का सौहार्द दिवस। जब हम हिंदी भाषा का नाम लेते हैं तब मन के अंदर स्वत: एक भावना संचरित हो जाती है, वह भाव है भारत की एकता, संहति और सद्भावना का उन्होंने आगे कहा विश्व की सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है 'हिंदी'। हम सब मिलकर हिंदी को राष्ट्र की प्रगति तथा विकास के पथ पर गतिशील करें।

मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, आयकर भवन, महात्मा गांधी रोड, शिलांग-793001

आयकर विभाग, शिलांग में दिनांक 13 सितंबर, 2011 से 22 सितंबर, 2011 के दौरान बड़े हर्षोल्लास के बीच हिंदी दिवस/सप्ताह का आयोजन किया गया। श्रीमती जे. पी.

मसार, भा.रा. से., मुख्य आयकर आयुक्त, शिलांग ने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। श्री एल. आर. लांबा, सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार, श्री पी. चिदंबरम का संदेश पढ़ा गया। कार्यालय के कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों में रुचि बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। हिंदी सप्ताह समारोह के दौरान हिंदी निबंध लेखन, हिंदी मसौदा लेखन, हिंदी-अंग्रेजी तकनीकी शब्द, हिंदी-अंग्रेजी अनुवाद, हिंदी-अंग्रेजी टिप्पण, हिंदी कविता वाचन, श्रुत लेख, अत्याक्षरी व हिंदी प्रश्नोत्तरी आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दिनांक 22 सितंबर, 2011 को हिंदी सप्ताह समारोह का सफल समापन हुआ और इसी दिन मुख्य आयकर आयुक्त, शिलांग द्वारा विजेताओं को नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सभी उच्चाधिकारियों, अधिकारियों, प्रतिभागियों ने भविष्य में ऐसे ही सफल आयोजनों के संपादन की कामना की।

एमएसएमई-विकास संस्थान, कोलकाता

संस्थान में दिनांक 1 से 14 सितंबर, 2011 की अवधि में हिंदी पखवाड़ा और दिनांक 14 सितंबर, 2011 को हिंदी दिवस का पालन किया गया। हिंदी पखवाड़ा की अवधि में हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग, कोलकाता के सौजन्य से हिंदी दिवस पर डाक्यूमेंटरी फिल्म दिखाई गई। इसी क्रम में गीत एवं नाटक प्रभाग, कोलकाता के कलाकारों के द्वारा एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

तत्पश्चात् दिनांक 14 सितंबर, 2011 को पूर्वाह्न 11.30 बजे संस्थान के संगोष्ठी सभागार में हिंदी दिवस का पालन किया गया तथा दिनांक 1 से 14 सितंबर, 2011 की अवधि में मनाए जा रहे हिंदी पखवाड़ा का समापन समारोह आयोजित किया गया। संस्थान के निदेशक महोदय श्री एन. एन. देबनाथ जी ने अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करते हुए कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। इसे हम अपने उपर जोर जबर्दस्ती से थोपने की सोच को बदलकर देशभक्ति की भावना से स्वीकार करने की सोच को मन में जागृत करेंगे तो हम सहज रूप से अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करने में सफल होंगे। इसके बाद निदेशक, श्री एन. एन. देबनाथ के कर कमलों द्वारा हिंदी प्रतियोगिताओं में सफल प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार वितरण किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम तृश्शूर

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, तृश्शूर में दिनांक 1-9-2011 से 14-9-2011 तक राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान कार्यालयीन कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की दृष्टि से विविध कार्यक्रम व हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। दिनांक 14-9-2011 को सायं 4.00 बजे श्री टी. एम. जोसफ, क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में हिंदी दिवस समारोह के साथ पखवाड़े का समापन किया गया।

श्री टी. एम. जोसफ, क्षेत्रीय निदेशक ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि आज हिंदी तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। सरकारी कार्यालयों में कार्यालयीन कार्य करने के साथ-साथ लोग इसे अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग में ला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यदि जोर-जबरदस्ती के बदले भाषा को स्वेच्छा से अपनाया जाए तो यह एक अच्छा माध्यम बन जाता है। हिंदी सारे देश में बोली जाने वाली सरल व सहज भाषा है जिसे आसानी से सीखा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में भिन्न-भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं और ऐसे में एक सर्व स्वीकृत भाषा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति हिंदी करती है।

केरल प्रदेश की ग्राह्य शक्ति की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि केरल के लोग देश के अन्य प्रांतों की संस्कृति के साथ-साथ भाषा को भी बड़ी सहजता के साथ स्वीकार करते हैं और यही कारण है कि हिंदी सीखने में भी वे पीछे नहीं हैं।

डॉ. श्री राजू सी. पी., विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, संत अलोइसियुस कॉलेज, एलतुरुतु, मुख्य अतिथि महोद्य ने अपने संदेश में कहा कि आजादी पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश के सभी नागरिकों को एक मंच पर लाने के लिए एक सामूहिक भाषा की आवश्यकता महसूस की थी और इस आवश्यकता की पूर्ति हिंदी ने की। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि आज दक्षिण भारत में खासकर केरल में हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही

है। उन्होंने आह्वान किया कि हिंदी से प्रेम करो क्योंकि यह हमारी मातृ भाषा है। वे इस बात पर भी खुश थे कि समारोह में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अनुशासित बैठे दिखें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में हिंदी का विकास तीव्र गति से होगा।

इस अवसर पर पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा नगद पुरस्कार के साथ-साथ प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

मुख्य महाप्रबंधक का कार्यालय, भा. सं. नि. लि., चैन्नई

दिनांक 1-9-2011 से 14-9-2011 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान कार्यपालकों, गैर-कार्यपालकों और उनके बच्चों के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

हिंदी पखवाड़े का समापन, मदुरै एस एस ए की वार्षिक राजभाषा गृह पत्रिका 'संचार सुरभि' का विमोचन और पुरस्कार वितरण समारोह श्रीमती एस. ई. राजम, महाप्रबंधक, भा. सं. नि. लि., मदुरै की अध्यक्षता में दिनांक 15-9-2011 को सायं 4 बजे आयोजित किया गया। श्री एन. सुब्बैया, सहायक महाप्रबंधक (एच आर) ने समारोह में उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और पुरस्कार विजेताओं का स्वागत किया। श्री पी. वी. श्रीनिवासन, राजभाषा अधिकारी ने वर्ष 2010-11 के लिए राजभाषा-कार्यान्वयन की गतिविधियों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर श्री पी. वेंक्टाचलम, उप मंडल अभियंता (एम एम) ने माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भेजे गए संदेश को पढ़कर सुनाया। श्री आर. सेवियर, उप महाप्रबंधक (एच आर) और श्री आई.टी. मूर्ति, उप महाप्रबंधक (टी आर) ने अभिनन्दन भाषण दिया। मदुरै एस एस ए की वार्षिक राजभाषा गृह पत्रिका 'संचार सुरभि' के तेरहवें अंक का विमोचन महाप्रबंधक के कर कमलों से किया गया।

महाप्रबंधक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हिंदी सरल भाषा है सीखने में आसान और सिखाने में भी आसान। पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि कार्यालय के दैनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाएं। उन्होंने आगे कहा कि सितंबर, 2011 को 'Small and Medium Scale Industries' month के रूप में घोषित किया गया है। हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए राजभाषा हिंदी को भी साथ लेकर चलें।

प्रतियोगिताओं के विजेताओं को महाप्रबंधक ने पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए।

महाप्रबंधक का कार्यालय, भासनिलि, सेलम-636007

सेलम दूरसंचार जिले में दिनांक 2-9-2011 से शुरू होकर दो सप्ताह के लिए हिंदी पखवाड़ा समारोह धूमधाम से मनाया गया। महाप्रबंधक का कार्यालय, सेलम और उपमंडल कार्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताएं चलाई गयी।

हिंदी सुलेख, हिंदी श्रुतलेख, हिंदी शब्द शक्ति, राजभाषा प्रतियोगिता और हिंदी क्रास वर्ड जैसी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं राजभाषा अधिकारी द्वारा चलाई गई। लगभग 84 कर्मचारी/अधिकारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर प्राप्त कर्मचारियों के लिए कुल 48 पुरस्कार प्रदान किए गए और 36 प्रतिभागियों को हिंदी सीखने एवं भविष्य की प्रतिभागिता के लिए प्रोत्साहन देने हेतु सांत्वना पुरस्कार दिये गए।

भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता

सितंबर महीने में हिंदी दिवस मनाने के उपलक्ष्य में भा.खा.नि. में दिनांक 1 सितंबर, 2011 को 14 दिन व्यापी हिंदी पखवाड़ा के आयोजन का शुभारंभ बहुत ही भव्य तरीके से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यालय के महाप्रबंधक डॉ. ए. के. सिन्हा जी ने की। पूरा कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही उत्साहवर्द्धक, और बहुत ही कामयाब रहा। अध्यक्ष महोदय श्री सिन्हा जी ने अपने वक्तव्य में कार्यालय के सभी अधिकारियों को हिंदी में कार्य करने का निदेश दिया और प्रशासनिक अनुभाग से आग्रह किया कि धारा 3(3) का अनुपालन करने के लिए जो कदम उठाने आवश्यक हैं वे उठाए जाएं। उन्होंने प्रबंधक (हिंदी) को यह निदेश दिया कि कार्यालय में हिंदी शब्दकोश दिए जाएं एवं एक पॉकेट डिक्शनरी भी प्रकाशित की जाए। सभी से आग्रह किया कि सभी नोटिंग/ड्राफ्टिंग में ज्यादा से ज्यादा हिंदी में कार्य करें जिससे कि हिंदी दिवस के मकसद पूरा किया जा सके। पूरे 14 दिन व्यापी विभिन्न प्रतियोगिताओं में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में कार्यालय के कुल अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा गीत की भी प्रस्तुति की गई।

'ख' क्षेत्र

सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी सैक्टर-72 सा.अ.सि. नगर-160071

सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी में इस वर्ष हिंदी पखवाड़ा मनाने का सिलसिला 14 सितम्बर, 2011 से आरम्भ हुआ। इस दौरान हिंदी सुलेख-प्रतियोगिता-विशेषत: अन्य भाषा-भाषी लोगों के लिए, निबंध प्रतियोगिता एवं हिंदी व्यवहार प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 16-9-2011 को किया गया। तत्पश्चात् आशु-भाषण प्रतियोगिता एवं हिंदी प्रश्नोत्तरी (Quiz) प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 17-9-2011 को किया गया। इन सभी प्रतियोगिताओं में सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों तथा कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर सोत्साह भाग लिया। इसके अतिरिक्त पूरे वित्तीय वर्ष में हिंदी में मूल रूप से कार्य करने पर लागू की गई प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 03 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

दिनांक 23 सितम्बर, 2011 को हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के अवसर पर प्रमुख, कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन, श्री अश्वनी कुमार ने समारोह का शुभारम्भ किया। तत्पश्चात् निदेशक एससीएल ने हिंदी दिवस के अवसर पर अपना संदेश देते हुए सभी कर्मचारियों से हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने का अनुरोध किया और नियंत्रक महोदय ने राष्ट्रभाषा के सम्मान में अपने विचार व्यक्त किए।

तदुपरान्त, विभिन्न प्रतियोगिताओं के 25 विजेता कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किए गए और प्रमुख, कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन द्वारा आभार प्रदर्शन करते हुए हिंदी दिवस समारोह का सुखद समापन किया गया।

भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा

वडोदरा स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई--भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन दिनांक 14-09-2011 (बुधवार) को किया गया।

हिंदी दिवस के अवसर पर डॉ. श्रीकुमार बैनर्जी, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग का संदेश प्राप्त हुआ था, जिसका वाचन संयंत्र के उप महाप्रबंधक श्री सुरेश चंद्र गुप्ता ने सभी की जानकारी के लिए किया। इसमें उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया था कि अपने विभाग में भी वैज्ञानिक/तकनीकी कार्यों के साथ-साथ राजभाषा हिंदी में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। ... अपने विभाग के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को और आगे बढ़ाना है। हमें सबसे पहले अपने संपूर्ण विभागीय प्रशासनिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य को हिंदी में तैयार करना है और उसे वेबसाइटों पर रखना है।

इसी तरह माननीय गृहमंत्री श्री पी. चिदम्बरम का संदेश का पाठ भी किया गया। इसे पढ़ते हुए संयंत्र के महा-प्रबंधक श्री आदित्य भौमिक ने सभी को अवगत कराया कि आज के समय में हिंदी भाषा और सूचना प्रौद्योगिकी में निकट और सहजीवी संबंध विकसित होने की आवश्यकता है ताकि हमारे देश के नागरिक विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान के विपुल भंडार का लाभ उठा सकें।

इस अवसर पर भारी पानी बोर्ड, मुंबई के पी.सी. तथा क्यू.सी. के प्रमुख श्री जी.के. विट्ठल ने सभी कर्मचारियों को अपना शासकीय कार्य जैसे टिप्पण-लेखन, प्रारूपण, पत्राचार, रिपोर्ट बनाना, आदि राजभाषा हिंदी मे करने के लिए राजभाषा शपथ दिलवाई।

आकाशवाणी पणजी

14 सितंबर हिंदी दिवस के परिप्रेक्ष्य में सितंबर के पहले पखवाड़े को आकाशवाणी पणजी द्वारा हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाया गया। हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन 7 सितंबर, 2011 को केंद्र निदेशक श्री बी.डी. मजुमदार ने किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने कहा--"भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी को भारत सरकार की राजभाषा बनाया गया है। साथ ही अनुच्छेद 345 से 347 तक भारतीय भाषाओं के संबंध में संविधान में उल्लेख किया गया है। आकाशवाणी पणजी में कोंकणी, मराठी, हिंदी आदि भारतीय भाषाओं में प्रसारण होता है। भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट प्रसारण के साथ हम भारत के संविधान में निहित भावना के अनुरूप राजभाषा हिंदी और भारतीय भाषाओं के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। संसदीय राजभाषा समिति, राजभाषा विभाग, भारत सरकार और आकाशवाणी महानिदेशालय के मार्ग दर्शन में राजभाषा हिंदी का उत्कृष्ट क्रियान्वयन करने के फलस्वरूप जनवरी, 2011 में भारत सरकार राजभाषा विभाग की राजभाषा

शील्ड, आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा फरवरी, 2011 में आकाशवाणी वार्षिक राजभाषा पुरस्कार स्वरूप ग्यारह हजार रुपए के नकद पुरस्कार सहित राजभाषा ट्राफी तथा प्रशस्ति पत्र और अगस्त, 2011 में आकाशवाणी पणजी के तीन कार्मिकों को अखिल आकाशवाणी राजभाषा सम्मान प्रदान किया गया । राजभाषा हिंदी के क्रियान्वयन और भारतीय भाषाओं में उत्तम प्रसारण के लिए आकाशवाणी पणजी के समस्त अधिकारी और कर्मचारी प्रशंसा के पात्र हैं ।''

आकाशवाणी पणजी के सहायक केंद्र निदेशक श्री वेणिमाधव बोरकार ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि राजभाषा हिंदी और भारतीय भाषाओं का विकास हमारा दायित्व है । भारतीय भाषाओं में मधुरता है, आपस में समानताएं हैं । उन्होंने कहा कि साहित्य अकादमी द्वारा भारतीय भाषाओं की रचनाओं को हिंदी में अनुवाद कराकर प्रकाशित किया जाता है, जिससे एक-दूसरी भाषाओं की रचनाओं में जुड़ाव होता है । उन्होंने कहा कि रामायण और महाभारत के प्रसारण के द्वारा भारत और विदेशों में हिंदी की लोकप्रियता बहुत बढ़ी । कार्यक्रम का संचालन करते हुए श्री खगेश्वर प्रसाद यादव, हिंदी अधिकारी ने कहा कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 में निर्देश है कि केंद्र सरकार हिंदी का विकास इस तरह करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके । हिंदी की शब्दावली विकसित करने के लिए भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण करने का मार्गदर्शन संविधान द्वारा किया गया है । संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है । इन सभी भाषाओं के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने दायित्व का निर्वाह करती हैं । भारतीय भाषाओं के विकास विषय पर अपने व्याख्यान में श्रीमती मैग्डालिन डिसूजा व्याख्याता हिंदी विभाग, सेंट जेवियर्स कॉलेज गोवा ने कहा देश की सर्वांगीण उन्नति में राष्ट्रभाषा का पद वही भाषा प्राप्त कर सकती है जिसमें उच्च शिक्षण, विज्ञान की परिभाषा, व्यापार की व्यापकता, भारती साहित्य के माध्यम होने की क्षमता मौजूद हो, जिसमें समस्त भारतीय भाषाओं की शब्दावली से अधिकांशत: एकता का बीज वर्तमान हो, जो अपने प्रकृत स्वरूप में परदेशीपन की गंध से दूर हो, जो एक अखंड आंतरिक तथा बाहरी व्यापक समसूत्रता अपनी परंपरा में रखती आई हो, जो सुनने, समझने और बोलने-लिखने में सिर्फ सरल ही न हो, हमारी रागात्मक प्रियता भी प्राप्त करती हो, हमसे अपनेपन का नाता भी जोड़ती हो, वही भारत की अखंडोपासना में राष्ट्र भाषा का पद पा सकती है । हिंदी और मराठी दोनों आर्य भाषाएं होने के कारण इन दो भाषाओं में अनेक प्रकार की समानताएं, संरचना और साहित्य की दृष्टि से परिलक्षित होती हैं दोनों भाषाएं सहोदरा होने के साथ एक दूसरे की सहायक भी हैं ।

आकाशवाणी जालंधर

आकाशवाणी जालंधर के कार्यालय में 1 सितम्बर से 14 सितम्बर, 2011 तक हिंदी पखवाड़ा व 14 सितंबर, 2011 को हिंदी दिवस व हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह बनाया गया ।

हिंदी पखवाड़े के दौरान पाँच प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । ये प्रतियोगिताएं थीं—हिंदी निबंध, हिंदी, टिप्पण-आलेखन, हिंदी काव्य-पाठ (स्वरचित), हिंदी अनुवाद व श्रुत-लेख/सुलेख (घ वर्ग के लिए) । उपर्युक्त प्रतियोगिताओं में कुल 36 प्रतियोगियों ने भाग लिया । इसके साथ ही हिंदी में मूल रूप से अधिक से अधिक कार्य करने के लिए निर्धारित प्रोत्साहन योजना में 8 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया । हिंदी पखवाड़े के दौरान उद्‌घोषकों द्वारा समय-समय पर हिंदी से संबंधित उद्‌घोष किए गए तथा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में ही करने का प्रयास किया ।

हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह पर सबसे पहले कार्यालय के हिंदी अधिकारी, डा. जे.के. शर्मा ने संक्षिप्त में कार्यालय में हिंदी से संबंधित वर्ष-भर में हुई सभी गतिविधियों पर प्रकाश डाला व माननीय गृहमंत्री श्री पी. चिदम्बरम की अपील पढ़ कर सुनाई । हिंदी दिवस पर ही केंद्र निदेशक, श्री भाग चंद पंवार की अपील भी जारी की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारी काम-काज जितना हिंदी भाषा में होगा उतना ही प्रशासन जनता के करीब होगा । देश की विकासकारी और कल्याणकारी योजनाओं का जनता के बीच प्रचार-प्रसार होगा और इनके कार्यान्वयन में मदद मिलेगी ।

मध्य रेल के पुणे मंडल

14 सितंबर को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, पुणे में हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा पखवाड़े का

उद्घाटन संपन्न हुआ। पखवाड़े का समापन 28 सितंबर को हुआ।

राजभाषा पखवाड़े के दौरान आगामी पंद्रह दिनों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, निबंध, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण, वाक्, हिंदी डिक्टेशन, आशुलिपि आदि प्रतियोगिताओं के आयोजन के अलावा दिनांक 20 सितंबर को राजभाषा की सांविधिक स्थिति एवं वर्तमान परिदृश्य विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

'क' क्षेत्र

आकाशवाणी, इंदौर

हिंदी पखवाड़े का आयोजन 1 से 14 सितंबर तक किया गया। पखवाड़े के दौरान एक राजभाषा (पत्रिका) प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों के अलावा अन्य केंद्रीय कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों आदि की गृह पत्रिकाएँ अवलोकनार्थ रखी गई थीं। 14 सितंबर के दिन 'हिंदी दिवस' के साथ-साथ 'हिंदी पखवाड़ा' समापन तथा पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ।

आरंभ में कार्यालयाध्यक्ष श्री सुधीर सोंधिया, उप-महानिदेशक (अभियांत्रिकी) अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि राजभाषा हिंदी में कार्य करना कोई मुश्किल नहीं है, इसके लिए हमें केवल संकल्प करना होगा। श्री सोंधिया ने कहा कि आकाशवाणी, इंदौर में अत्यधिक कार्य हिंदी में हो रहा है और 4-6 प्रतिशत जहाँ नहीं हो पा रहा है, वे कार्य व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण हिंदी में नहीं हो पा रहे हैं। अब वहाँ भी इस हिंदी पखवाड़े के दौरान हमें पता लगाकर पेश आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने का सक्रिय प्रयास करना चाहिए।

कार्यक्रम प्रमुख श्री शशिकांत व्यास, कार्यक्रम अधिकारी ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा मनाए जाने का अपना महत्व है। इससे कार्यालय में राजभाषा हिंदी का एक अनुकूल वातावरण निर्मित होता है।

प्रतिवर्ष इस प्रकार के आयोजनों से हमें हिंदी में काम करने में आसानी होती है और गर्व का अनुभव भी होता है।

श्री एस.के. कदम, सहायक निदेशक (अभियांत्रिकी) ने कहा कि हिंदी पखवाड़े का उद्देश्य ही राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दिशा में जागरूकता बढ़ाना, कर्मचारियों के ज्ञान में अभिवृद्धि करना तथा उन्हें इस दिशा में प्रोत्साहन देना है।

संसदीय कार्य मंत्रालय

मंत्रालय में 1 सितंबर से 15 सितंबर, 2011 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान मंत्रालय में निम्नलिखित कार्य किए गए :-

1. हिंदी पखवाड़े के उद्घाटन पर 1 सितंबर, 2011 को संयुक्त सचिव की ओर से हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए अपील परिचालित की गई।
2. मूल रूप से हिंदी में टिप्पण-आलेखन नकद पुरस्कार योजना 2010-2011 के लिए प्राप्त विवरणों का मूल्यांकन किया गया।
3. दिनांक 1-9-2011 से दिनांक 12-9-2011 तक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।
4. हिंदी में टिप्पण-आलेखन आशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
5. हिंदी टंकण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
6. गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
7. हिंदी में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
8. हिंदी में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
9. हिंदी में अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें हिंदी के मुहावरे/लोकोक्ति, दोहे आदि का प्रयोग किया गया।
10. अपना समस्त सरकारी कार्य हिंदी में करने वाले कर्मचारियों के लिए पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्राप्त नामों के संबंध में मूल्यांकन किया गया।
11. हिंदी दिवस के दिन माननीय गृह मंत्री का संदेश भी सभी अधिकारियों/कर्मचारियों में परिचालित किया गया।

12. दिनांक 22 सितंबर, 2011 को पखवाड़े का मुख्य समारोह आयोजित किया गया जिसमें सचिव द्वारा उपरोक्त सभी योजनाओं के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत किया गया ।

कार्यालय--महाप्रबंधक दूरसंचार जिला, भोपाल, दूरसंचार जिला भोपाल

1 से 15 सितंबर, 2011 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया हिंदी पखवाड़े में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें कर्मचारियों ने गंभीरता से भाग लिया । दिनांक 3-9-2011 को निबंध प्रतियोगिता, दिनांक 5-9-2011 को बीएसएनएल की सेवाओं और उत्पादों संबंधी विवरण पुस्तिका तैयार कर प्रस्तुत करना, दिनांक 7-9-2011 को हिंदी कार्यशाला, दिनांक 8-9-2011 को हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता और दिनांक 12-9-2011 को तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ।

हिंदी पखवाड़ा के दौरान दिनांक 9-9-2011 को बीएसएनएल की सेवाओं और उत्पादों से संबंधित एक प्रश्नमंच भी आयोजित किया गया जिसमें कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया । प्रश्नमंच के आयोजन से कर्मचारी अपनी सेवाओं और अपने उत्पादों से रूबरू हुए और साथ ही उन्हें अपने ज्ञान में और अधिक वृद्धि करने की प्रेरणा भी मिली ।

14 सितंबर हिंदी दिवस पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रखा गया । इस अवसर पर महाप्रबंधक द्वारा प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए । महाप्रबंधक ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि वे अपना अधिक से अधिक कामकाज लगन एवं निष्ठापूर्वक हिंदी में करें । साथ ही उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि आने वाले समय में हिंदी की महत्ता बढ़ने वाली है । हर कंपनी को हिंदी में पारंगत व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी । हिंदी का स्कोप बहुत अधिक है । उन्होंने हिंदी पखवाड़े को सफलतापूर्वक आयोजित कराने के लिए स्टाफ को बधाई भी दी ।

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र, हेहल, राँची

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र, हेहल, राँची में हिंदी दिवस सह पखवाड़ा का आयोजन दिनांक 14-09-2011 से 29-09-2011 तक किया गया। कार्यक्रम में क्षे.रे.उ.अ.के., राँची के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी ने केंद्र के प्रभारी डॉ. पी.एन. मिश्रा, वैज्ञानिक-डी के द्वारा केंद्रीय रेशम बोर्ड के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव का संदेश भी पढ़ा गया । अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रभारी ने केंद्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा लगातार शत्-प्रतिशत् हिंदी में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की तथा भविष्य में भी राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करते रहने का आह्वान किया । केंद्र के वैज्ञानिक-सी डॉ. ए.एच. नकवी ने हिंदी दिवस सह पखवाड़े पर विशेष तौर पर प्रकाश डालते हुए राजभाषा के विकास पर बल दिया । उन्होंने तकनीकी कार्यों में हिंदी में शत्-प्रतिशत कार्य करने एवं लक्ष्य पाने को प्रेरित किया ।

हिंदी दिवस सह पखवाड़े के दौरान केंद्र में दिनांक 22-9-2011 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, सहायक निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगड़ी, राँची ने तकनीकी कार्य को हिंदी में कैसे किया/लिखा जाए इसके संबंध में विस्तृत रूप से बतलाया । उन्होंने बतलाया कि हिंदी कार्यान्वयन में सरल हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए । उन्होंने हिंदी कार्य करने तथा वर्त्तनी के प्रयोग के संबंध में जानकारी प्रदान की । पखवाड़े के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया जिसमें केंद्र के कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया । इस अवसर पर केंद्र के वैज्ञानिक-डी ने इस केंद्र के कर्मचारियों के द्वारा किए गए हिंदी में कार्यों की जानकारी एवं प्राप्त प्रशस्ति पत्रों के बारे में मुख्य अतिथि को अवगत कराया ।

कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केंद्र, के.रि.पु. बल, बंगरसिया, भोपाल (म.प्र.)-462045

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बंगरसिया, भोपाल में 14 सितंबर, 2011 को स्टेशन स्तरीय हिंदी दिवस समारोह का आयोजन बड़ी धूम-धाम से किया गया । समारोह के मुख्य अतिथि श्री जगजीत सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र, भोपाल थे । इस अवसर पर ग्रुप केंद्र सहित, रेंज कार्यालय, 41 बटालियन, 211 बटालियन एवं 107 बटालियन द्रुत कार्य बल के अधिकारी व बड़ी संख्या में कर्मचारीगण उपस्थित थे । समारोह का शुभारंभ श्री सुरेश शर्मा, कमांडेंट के स्वागत वक्तव्य से हुआ एवं उन्होंने हिंदी

तब और अब के बढ़ते आयामों एवं अनुभवों से सभाजनों को मंत्र-मुग्ध किया । हिंदी दिवस के परिचय एवं काव्यमय प्रस्तुति से श्री नागराज द्विवेदी ने कार्यक्रम को और रोचक बनाया । मुख्य अतिथि महोदय ने केरिपुबल में हिंदी के प्रति समर्पण को अनुकरणीय बताया एवं हिंदी, राष्ट्रीय स्तर पर तथा वैश्वीकरण में प्रगति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए हिंदी को आज के युग की आवश्यकता बताया । मुख्य अतिथि ने बल में एक ही भाषा हिंदी को सरकारी कामकाज, प्रशासनिक कार्य एवं प्रशिक्षण सहित समस्त कार्यप्रणाली की भाषा बताया तथा हिंदी भाषा को बल की एकता, अखण्डता व मजबूती के माध्यम पर गर्व महसूस किया । इस अवसर पर बल के महानिदेशक के राजभाषा संदेश से भी सभी को अवगत कराया गया । अंत में हिंदी पखवाड़ा/दिवस-2011 के उपलक्ष्य में आयोजित 'हिंदी व्यवहार प्रतियोगिता, हिंदी कार्यशाला, हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रतियोगिता एवं हिंदी टंकण प्रतियोगिताओं के सफल सभी कार्यालयों के कर्मचारियों के नामों की घोषणा श्री मनोज डंग, उप कमाडेंट द्वारा की गई तथा मुख्य अतिथि के कर कमलों से उन्हें प्रशस्ति पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान किए गए । अंत में आभार श्री रवि मिश्रा, सहायक कमांडेंट ने प्रकट किया । कार्यक्रम का सफल संचालन श्री नागराज द्विवेदी, निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) ने किया ।

आकाशवाणी इलाहाबाद

1 से 15 सितंबर, 2011 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया । राजभाषा को पूर्ण सम्मान देते हुए हिंदी पखवाड़े के दौरान समस्त सरकारी कामकाज हिंदी में ही करने का संकल्प करने के उद्देश्य से दिनांक 1 सितंबर, 2011 को कार्यालयाध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश शुक्ल महोदय की अपील जारी की गई । इसी दिन हिंदी टंकण प्रतियोगिता की गई ।

2 सितंबर, 2011 को देवनागरी का मानकीकरण एवं राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ।

5 सितंबर, 2011 को हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । विषय था 'जनआंदोलन' में प्रचार माध्यमों की भूमिका ।

7 सितंबर, 2011 को हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ।

9 सितंबर, 2011 को हिंदी सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ।

14 सितंबर, 2011 को भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । भाषण का विषय था 'महात्मा गाँधी के दर्शन की प्रासंगिकता' ।

14 सितंबर, 2011 को हिंदी दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया । इस अवसर पर महानिदेशक आकाशवाणी श्री लीलाधर मंडलोई जी की अपील को केंद्राध्यक्ष महोदय ने पढ़कर सुनाया । इस अवसर पर बोलते हुए अध्यक्ष महोदय श्री प्रेम प्रकाश शुक्ल ने कहा कि हिंदी पखवाड़ा मनाने के साथ-साथ पूरे वर्ष भर इसी उत्साह के साथ हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए जिससे हम राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें । 14 सितंबर, 2011 को ही आकाशवाणी की तीसरी सभा में एक भेंटवार्ता 'यांत्रिकीकरण के दौर में केंद्रीय कार्यालयों में राजभाषा हिंदी की स्थिति एवं संभावनाएं' प्रसारित की गई ।

15 सितंबर, 2011 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला का विषय था 'सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होने वाले पत्रों के प्रकार' । कार्यशाला में व्याख्याता के रूप में श्री कामेश्वर प्रसाद शर्मा, पूर्व सहायक निदेशक (रा. भा.) आयकर विभाग विद्यमान थे । उन्होंने अपने सारगर्भित व्याख्यान से प्रशिक्षणार्थियों का ज्ञानवर्धन किया गया । इस प्रकार हिंदी पखवाड़े का आयोजन संपन्न हुआ ।

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, समाज कल्याण भवन, बी-12, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110063

1-15 सितंबर, 2011 को हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया । हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर, 2011 को कवि गोष्ठी एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती प्रेमा करियप्पा ने की । अध्यक्ष महोदया ने अपने संबोधन में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि केंद्रीय बोर्ड में अधिकाधिक कार्य हिंदी में किया जा रहा है । उन्होंने हिंदी में क्षमता-निर्माण के लिए प्रशिक्षण को जरूरी बताया और आज के समय की मांग को देखते हुए कर्मचारियों को आई.टी. टूल्स (IT Tools) का प्रशिक्षण हिंदी में दिए जाने पर बल दिया । उन्होंने कहा कि हिंदी पूरे देश की भाषा है और यह सारे भारतवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का

काम करती है। उन्होंने कहा कि हमें हिंदी में बोलने और लिखने में संकोच नहीं करना चाहिए अपितु पूरे स्वाभिमान और आत्म-सम्मान के साथ हिंदी में अपनी बात को कहना और लिखना चाहिए।

इस अवसर पर केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संयुक्त निदेशक (राजभाषा) श्री के.जे. काकनवार ने हिंदी के विकास पर अपने विचार रखते हुए कहा कि केंद्रीय बोर्ड का हर अनुभाग अपने काम-काज में अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है जोकि हमारे लिए गौरव की बात है। उन्होंने इन प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग को धन्यवाद दिया और हिंदी पत्राचार को और अधिक बढ़ाने पर ज़ोर दिया। केंद्रीय बोर्ड की पत्रिका 'समाज कल्याण' के संपादक ने भी हिंदी के उत्तरोतर विकास की बात सबके समक्ष रखी और कहा कि हम अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करके ही हिंदी भाषा को आगे बढ़ा सकते हैं। हिंदी अधिकारी श्री नन्द्रेश निगम ने हिंदी पखवाड़े के दौरान हुई समस्त गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण दिया और कार्यक्रम का संचालन किया।

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, 16वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली

हमारे देश में जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है और जिस भाषा को सबसे ज्यादा लोग समझते हैं, वह हिंदी है। इस हिंदी भाषा को ज्यादा लोग आसानी से समझ सकते हैं। हमारा पत्राचार हिंदी में होना चाहिए। हमें निगम मुख्यालय के साथ-साथ इकाईयों में भी हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। निगम मुख्यालय में साल दर साल हिंदी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। यह उद्गार श्री एम.एस. राणा, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड ने निगम मुख्यालय में हिंदी सप्ताह समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में व्यक्त किए। इस अवसर पर राजभाषा कार्यान्वयन और नीति से संबंधित ''राजभाषा संदर्भिका' नामक एक छोटी सी पुस्तक का विमोचन भी किया गया, इसमें निहित द्विभाषी वाक्यांश अक्षरों में संख्याएं, वार्षिक कार्यक्रम, राजभाषा कार्यान्वयन और नियमों की महत्वपूर्ण जानकारियों ने इसे बहुपयोगी बना दिया।

आपने आगे कहा कि अब हिंदी दिनोंदिन आगे बढ़ती जा रही है। यह हिंदी की उपयोगिता और प्रमाणिकता ही है कि भारत में विदेशी राजदूत हिंदी अपना रहे हैं विदेशी पर्यटक हिंदी का क्रेश कोर्स कर रहे हैं, हिंदी भाषा की उपयोगिता को समझ रहे हैं। यह भारत और भारतीयों के लिए गर्व की बात है।

डॉ. मनोरंजन दास निदेशक (मा.सं.) ने कहा कि हिंदी सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और पूरे सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा निगम सन् 2006 में प्रारंभ हुआ इसमें राजभाषा की शुरुआत धीमी हुई लेकिन लगातार धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। मैं हिंदी का सम्मान करता हूं। सभी अधिकारियों को राजभाषा नियमों का पालन और सम्मान करना चाहिए। भारतीय होने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि हम हिंदी का सम्मान करें और उसे दैनिक कार्यों में अपनायें। कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉ. आलोक कुमार रस्तोगी, प्रबंधक (राजभाषा) ने प्रभावी तरीके से संचालन करते हुए सभी गतिविधियों और प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर हिंदी निबंध प्रतियोगिता, टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता, स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता के विजेताओं यथा सर्वश्री एस.एस. बालानी, मौ. इश्तियाक, राहुल अरोड़ा, दीप्ति चौधरी, सचिन अग्रवाल, गुरप्रीत कौर, नीरज पंत, इन्दरदीप कौर, सोनिया एवं गंगा शर्मा को नकद पुरस्कार और प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया गया। हिंदी प्रश्न मंच प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को प्रतियोगिता के दौरान तत्काल पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम के अन्त में श्री रवि श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक ने आभार व्यक्त किया।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, 5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान में। से 14 सितंबर, 2011 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हिंदी के प्रति रूचि बढ़ाने तथा अपना सरकारी काम-काज हिंदी में करने की मानसिकता और वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन भी किया गया जिसका उद्देश्य संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नीति तथा इससे संबंधित नियमों की जानकारी देना तथा हिंदी में कामकाज करने में उनकी कठिनाइयों को दूर करना था।

इस पखवाड़े का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह 14 सितंबर 2011 को आयोजित किया गया। यह मुख्य समारोह संस्थान के निदेशक, डा. निदेश पॉल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। निदेशक महोदय ने इस अवसर पर संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दीं और राजभाषा हिंदी का महत्व बताते हुए अपने विचार व्यक्त किए कि मूल रूप से हिंदी में किया जाने वाला कार्य इस दिशा में बेहतर प्रगति का संकेत होगा। उन्होंने राजभाषा के संबंध में संस्थान की उपलब्धियां भी बताईं।

हिंदी पखवाड़े के इस समापन समारोह का संचालन श्रीमती रेखा जुनेजा, हिंदी अधिकारी ने किया। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि पखवाड़े के संबंध से आयोजित की गई। प्रतियोगिताओं के प्रतियोगियों के हिंदी ज्ञान को देखकर पता चलता है कि संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी हिंदी में कार्य करने में कितने सक्षम हैं। अतः उन्हें अनुवाद पर निर्भर न रहकर मूल रूप से अपना कार्य हिंदी में करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताओं में विजेता कर्मचारी तो बधाई के पात्र हैं ही किंतु इनमें भाग लेने वाले अन्य प्रतियोगी भी उतने ही प्रशंसनीय हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी हिंदी कामकाज में अपनी प्रगति को जारी रखेंगे।

निदेशक महोदय ने क्विज प्रतियोगिता और तत्काल भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए और संस्थान के अपर निदेशक, श्री एस.के. श्रीवास्तव ने श्रुतलेख प्रतियोगिता एवं अपर निदेशक, डा. अशोक कुमार ने वर्ष भर चलने वाली प्रोत्साहन योजनाओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करते हुए उन्हें बधाई दी।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) मुख्यालय अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) मुख्यालय में दिनांक 07-09-2011 से 14-09-2011 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन और काव्य-पाठ प्रतियोगिता का आयोजन शांति स्वरूप सभागार में दिनांक 07 सितंबर 2011 को संपन्न हुआ।

हिंदी सप्ताह के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए श्रीमती पी.वी. वल्सला जी. कुट्टी, पूर्व संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग एवं वर्तमान में सलाहकार, सीएसआईआर ने कहा कि यह गंभीर चिंतन और आश्चर्य का विषय है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भी पुरस्कार देने पड़ते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भावी पीढ़ी को कुछ देने के लिए हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं को संभाल और संजो कर रखना होगा। अपनी वाक्पटुता से श्रीमती कुट्टी ने सभागार में उपस्थित सभी दर्शकों का मन मोह लिया।

हिंदीतर होते हुए भी बिना किसी पूर्व तैयारी के अपनी बात को सहजता से हिंदी में अभिव्यक्त करते हुए संयुक्त सचिव (प्रशा.) डॉ. के. जय कुमार ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि भाषा वह होती है जो दिल से निकले। उन्होंने न केवल हिंदी अपितु अन्य भारतीय भाषाओं को भी बढ़ावा दिए जाने का आह्वान किया। उन्होंने राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने पर जोर दिया और बताया कि परिषद् अपनी ओर से हिंदी को बढ़ावा देने के भरसक प्रयास कर रही है। उन्होंने संसदीय राजभाषा समिति की अपेक्षाओं से भी श्रोताओं को अवगत कराया। उनका कहना था कि हर संस्था की अपनी अपेक्षाएं (expectations) तथा चुनौतियां (challenges) होती हैं, हिंदी में मौलिक रूप से काम करना भी उनमें से एक है। यदि हम संकल्प लें कि हमें अपने संगठन में निर्णय की गुणवत्ता, स्वीकार्यता को बढ़ाना है, उसकी क्षमता का संवर्धन करना है, तो निश्चित तौर पर राजभाषा हिंदी संबंधी सांविधानिक अपेक्षाएं व अनिवार्यताएं स्वतः पूरी हो सकती हैं। उन्होंने ERP को भी द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) रूप में कार्यान्वित करने की घोषणा की।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, सी.जी.ओ. कंपलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में दिनांक 1 सितंबर 2011 से 15 सितंबर 2011 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरकारी कामकाज में ब्यूरो के अधिकारियों/कर्मचारियों में हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए अगस्त 2011 में एक कार्यशाला आयोजित की गई। महानिदेशक, पु.अनु.वि. ब्यूरो, द्वारा ब्यूरो तथा

अधीनस्थ कार्यालयों के लिए एक अपील जारी की गई। सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया गया। प्रशासन व अन्य शाखाओं के कर्मचारियों को केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् द्वारा प्रकाशित साहित्य को बांटा गया। इस अवसर पर हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण एवं मसौदा लेखन, हिंदी वाद-विवाद, राजभाषा नियम ज्ञान प्रतियोगिता, स्वरचित हास्य काव्य पाठ प्रतियोगिता तथा हिंदी श्रुतलेख व सुलेख प्रतियोगिता तथा वर्ग घ से वर्ग ग में आए कर्मचारियों के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पूरे वर्ष में हिंदी में सबसे अधिक कार्य करने व अधिकारियों द्वारा डिक्टेशन देने से संबंधित हिंदी व अहिंदी अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। इन प्रतियोगिताओं में ब्यूरो के अधिकारियों व कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, इनमें प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वालों को नकदराशि व प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया। दिनांक 19 सितंबर, 2011 को ब्यूरो स्तर पर एक समारोह आयोजित किया गया। ब्यूरो के महानिदेशक श्री विक्रम श्रीवास्तव जी ने इस समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर ब्यूरो की निदेशक (एस.यू.) द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जारी अपील को उपस्थित सभी के समक्ष पढ़कर सुनाया। समापन भाषण में महानिदेशक महोदय ने भारत सरकार की राजभाषा नीति का सही रूप में अनुपालन करने तथा ब्यूरो में सरकारी कामकाज में सभी कर्मचारियों को अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा यह आश्वासन भी दिया कि इन कार्यों में आने वाली कठिनाइयों को शीघ्रता से दूर किया जाएगा।

एन. एच. पी. सी. लि. कार्यालय कार्यपालक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, बनीखेत, जिला-चम्बा (हिमाचल प्रदेश)

एनएचपीसी क्षेत्रीय कार्यालय, बनीखेत में दिनांक 1-15 सितंबर, 2011 तक हिंदी दिवस व हिंदी पखवाड़ा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

कार्यपालक निदेशक महोदय ने कहा कि हिंदी पखवाड़ा के दौरान सभी अधिकारी कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य राजभाषा हिंदी में करें और आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़ कर भाग लें तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।

पखवाड़े के दौरान कार्यपालक निदेशक महोदय की ओर से एक अपील जारी की गई, निगम मुख्यालय से प्राप्त माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा जारी संदेश की प्रतियां भी सभी कार्यालयों को भिजवाई गईं तथा तद्‌परांत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्कूली बच्चों के बीच श्रुतलेखन एवं सुलेख, नोटिंग ड्राफ्टिंग, स्कूली बच्चों के लिए कविता पाठ व भ्रष्टाचार, पर्यावरण, देशभक्ति, ऊर्जा संरक्षण पर विचार प्रकट करने संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विभाग के लोगों ने भाग लिया तथा निम्नानुसार स्थान प्राप्त कर पुरस्कार प्राप्त किया।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्री श्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता में 14 सितंबर, 2011 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हिंदी दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील समारोह की मुख्य अतिथि थी। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री श्री जितेन्द्र सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने भाषण में कहा कि हिंदी भाषा को देश में उचित स्थान दिलाने के लिए समय-समय पर प्रयास किए जाते रहे हैं जो काबिले तारीफ हैं। उन्होंने कहा कि राजभाषा विभाग ने सरल तरीके से अपनी वेबसाइट को रोचक बनाया है जिसे नागरिकों द्वारा काफी उपयोगी पाया गया है। हिंदी स्वस्थ रूप से पनपे, इसके लिए यह आवश्यक है कि राजभाषा संबंधी पदों पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति के उपयुक्त अवसर मिलें। उन्होंने आगे कहा कि राजभाषा सेवा में समूह 'क' के 112 पदों का सृजन हुआ है और साथ ही समूह 'ख' के 122 पदों का उच्चीकरण हुआ है। इन कदमों से जहां एक ओर अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर राजभाषा हिंदी को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा कि हिंदी के इतिहास में यह एक गौरव और आत्मसम्मान का दिन था जब संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर, 1949 को

संविधान में सर्वसम्मति से हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया था ।

उन्होंने कहा कि शासन और भाषा का गहरा संबंध है । सरकार का जनता के साथ संवाद भाषा के जरिए ही होता है । लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनभाषा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है । लोकतंत्र की सफलता के लिए यह नितांत आवश्यक है कि शासन और जनता की भाषा एक हो । जब तक सरकार और जनता के बीच सीधा संबंध सरलता से स्थापित नहीं होगा तब तक भारत जैसे विकसित लोकतंत्र में हमें जन साधारण का सहयोग एवं सहभागिता नहीं मिल पाएगी । यदि हम चाहते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली जवाबदेही, पारदर्शी एवं विधिसम्मत हो तो हमें केंद्र के राजकाज में राजभाषा हिंदी तथा राज्यों में उनकी राजभाषाओं में समस्त सरकारी कार्य संपन्न करने होंगे । व्यावहारिक दृष्टि से हिंदी का प्रयोग समस्त भारत में संपर्क भाषा के रूप में ही हो रहा है । यह आवश्यक है कि हमारा अधिक से अधिक सरकारी काम हिंदी में ही किया जाए ।

माननीय गृह मंत्री जी ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि भारतीय गणराज्य के संस्थापकों द्‌वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने का कारण यह था कि यह देश के अधिसंख्यक लोगों की भाषा है । साथ ही जहां यह परंपरागत रूप से नहीं बोली जाती है, ऐसे प्रदेशों में भी यह एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित है ।

उन्होंने कहा कि यद्यपि केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, उसके उपक्रमों और बैंक आदि में हिंदी के प्रयोग में काफी प्रगति हो रही है । लेकिन सही रूप में देश की राजभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित करने एवं पूर्ण रूप से सरकारी कामकाज में इसके प्रयोग के लिए अभी लंबी दूरी तय करनी है ।

सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में, सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक प्रयोग काफी हद तक कम्प्यूटरों एवं इंटरनेट तक आसानी से पहुंच तथा सुगम वातावरण पर निर्भर है । अधिकारी एवं कर्मचारी कम्प्यूटर पर उसी प्रकार सुविधा एवं सुगमता से हिंदी में भी काम कर सकें जिस तरह कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में काम करते हैं । राजभाषा विभाग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से समस्याओं के समाधान के लिए नए साफ्टवेयर और टूल्स विकसित करने हेतु प्रयासरत है । यूनिकोड एनकोडिंग सुविधा की उपलब्धता ने अब कम्प्यूटरों पर हिंदी के प्रयोग के लिए एक नया अवसर प्रदान किया है ।

गृह मंत्री जी ने आगे कहा कि आज भारत विश्व में एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है । जैसे ही भारत आर्थिक शक्ति के रूप में अधिकाधिक आगे बढ़ेगा, पूरी दुनिया हमारे साथ अच्छे संबंध एवं अधिक संपर्क के लिए हमारे देश की तरफ देखेगी । ऐसे संबंध बनाने एवं उसे सुदृढ़ करने में भाषा एक सशक्त माध्यम होगा । यह उल्लेखनीय है कि इस समय अधिकांश लोगों द्‌वारा बोली जाने वाली तथा बाजार की भाषा हिंदी विकास के पथ पर है । हाल ही में, भारत द्‌वारा आर्थिक क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धि के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्व बढ़ता जा रहा है । कई प्रमुख देश स्कूल स्तर पर हिंदी सिखाने का प्रावधान कर रहे हैं । यह पाया गया है कि इस समय 93 देशों के 133 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है ।

उन्होंने आगे कहा कि हिंदी तेज़ी से रोजगार एवं कारोबार की भाषा भी बनती जा रही है । इस विभाग को परिलक्षित करते हुए श्री राजीव गांधी जी ने कहा था "हिंदी केवल राजभाषा नहीं बल्कि विश्व भाषा बन रही है ।"

इस समारोह में महामहिम राष्ट्रपति जी ने हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए वर्ष 2009-10 के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार एवं वर्ष 2010-11 के लिए हिंदी गृह पत्रिका पुरस्कार प्रदान किए । इस अवसर पर शील्ड/प्रमाणपत्र/नगद राशि के रूप में कुल 52 पुरस्कार प्रदान किए गए । ■

हिंदी कार्य कुशलता बढ़ाती है—राजभाषा विभाग

संगोष्ठी सम्मेलन

भारत संचार निगम लिमिटेड, चैन्नई टेलीफोन कार्यालय

राजभाषा सम्मेलन का आयोजन

भारत संचार निगम लिमिटेड, चैन्नई टेलीफोन द्वारा दिनांक 06-05-2011 को मुख्य महाप्रबंधक के सम्मेलन कक्ष, 78, पुरसैवाक्कम हाई रोड, चैन्नई-600010 में राजभाषा नीति के प्रगामी कार्यान्वयन की दिशा में, एक राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया ।

पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण के जरिए, श्रीमती जया सूर्या चेल्लम, राजभाषा अधिकारी ने राजभाषा अनुभाग की गतिविधियों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट 2009-2010 प्रस्तुत की ।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री ए. सुब्रमणियन, मुख्य महाप्रबंधक व अध्यक्ष ने राजभाषा हिंदी की अहमीयत एवं उसके प्रभावशाली कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया।

राजभाषा सम्मेलन के मुख्य अतिथि, डॉ. एस. सुब्रमण्यम 'विष्णुप्रिया', सेवानिवृत्त वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, दक्षिण रेलवे व विख्यात हिंदी लेखक ने संघ सरकार की राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा के उद्भव व विकास पर इतिहास के तथ्यों के साथ भाषण प्रस्तुत किया । मुख्य अतिथि ने राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में चैन्नई टेलीफोन द्वारा उठाए गए प्रयत्नों की सराहना की जिससे उसका उज्जवल भविष्य है ।

उक्त मौके पर श्री जी. विनोद, वरिष्ठ टेलीफोन प्रचालकीय सहायक (जनरल) का, जिन्होंने राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के संबंध में वर्ष के दौरान तकनीकी समर्थन प्रदान किया सम्मानित किया गया और चैन्नई टेलीफोन कार्यालय की वार्षिक पत्रिका ''चैन्नई वाणी'' में हिंदी में योगदान दिए कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान किया गया ।

इसके उपरांत श्रीमती महेश्वरी रंगनाथन, सहायक निदेशक (राजभाषा), दक्षिण रेलवे ने ''राजभाषा नीति व वार्षिक कार्यक्रम'' पर अपना प्रवचन प्रस्तुत किया ।

तत्पश्चात् श्री एस. रामकुमार, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा), केनरा बैंक परिमंडल कार्यालय ने ''राजभाषा हिंदी के प्रयोग में समस्याएं व समाधान'' पर प्रवचन दिया । यह स्थापित किया गया कि भाषा, संस्कृति का द्योतक है तथा संकुचित बनती जा रही है ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति-राजकोट

राजभाषा सम्मेलन

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति-राजकोट द्वारा दिनांक 06-07-2011 को भारत संचार निगम लि. के सभाकक्ष में नराकास के सभी सदस्य कार्यालयों के राजभाषा अधिकारियों/प्रभारियों और हिंदी कार्य से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया ।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री वेदपालजी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का हमें शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करना है, अत: इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं क्योंकि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है । ऐसे सम्मेलनों से हम अपनी समस्याएं एक दूसरे के सम्मुख रखकर उनका निराकरण भी कर सकते हैं । श्री रामचंद्रनजी ने नराकास के कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि हिंदी कार्य के लिए बीएसएनएल का यह सभाकक्ष आपको हमेशा उपलब्ध रहेगा । हमारा एकमात्र उद्देश्य राजकोट में हिंदी का प्रचार-प्रसार करना है । श्री प्रेम प्रकाशजी ने आयकर में हिंदी कार्य बढ़ाने के बारे में जानकारी दी । कंप्यूटर पर हिंदी कार्य करने तथा विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी ।

तत्पश्चात् श्री पी.बी. सिंह ने इस सम्मेलन के औचित्य के बारे में चर्चा की । नराकास की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया कि पहले नराकास केवल दो बैठक तक के सीमित दायरे में ही थी लेकिन अब नराकास द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजन हो रहे हैं और जिन कार्यालयों में हिंदी का नियमित स्टॉफ नहीं है उन्हें भी सहायता प्रदान की जा रही है । कार्यक्रम के दौरान राजभाषा नीति पर विस्तार से चर्चा की गई तथा मंडल कार्यालय, प.रे. राजकोट द्वारा तैयार की गई राजभाषा मार्गदर्शिका का वितरण किया

गया। अंतरविभागीय तथा नराकास की पत्रिका "राजप्रभा" का भी उल्लेख किया गया। आपने सभी राजभाषा अधिकारियों को अपने-अपने दायित्व को जिम्मेदारीपूर्वक निभाने का अनुरोध किया।

तकनीकी सत्र में श्री दीपक पंड्या, निदेशक (राजभाषा)—बीएसएनएल एवं श्री हितेष रूपारेलिया, मुख्य टाइपिस्ट-रेलवे ने ई-मेल प्रेषण, कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने तथा विभिन्न फॉन्ट्स/सॉफ्टवेयर की विस्तृत जानकारी दी। श्री वी.के. शर्मा, राजभाषा अधीक्षक-रेलवे ने तिमाही/छःमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मा को सही प्रकार से भरने तथा रिपोर्ट भरने वाले कर्मचारियों को राजभाषा नियमों और वार्षिक कार्यक्रम की प्रत्येक मद का ज्ञान होना आवश्यक बताया तथा इस बारे में उचित मार्गदर्शन दिया। सम्मेलन में उपस्थित बैंकों, निगमों और सरकारी कार्यालयों के हिंदी प्रभारियों/अधिकारियों ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किए।

नराकास (उपक्रम) वडोदरा, पश्चिम क्षेत्र राजभाषा सम्मेलन—वडोदरा

"राजभाषा कार्यान्वयन की पहल स्वयं से करनी होगी" यह उद्‌गार यहाँ, गुजरात रिफाइनरी टाउनशिप में नराकास (उपक्रम) वडोदरा द्वारा 13-14 अक्तूबर, 2011 को आयोजित पश्चिम क्षेत्र के राजभाषा अधिकारियों के सम्मेलन में मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप समिति के संयोजक श्री राजेंद्र अग्रवाल ने व्यक्त किए। श्री अग्रवाल ने कहा कि जब चीन, जापान जैसे राष्ट्र अपनी भाषा के माध्यम से ही उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हममें आत्मसम्मान और आत्मबल की कमी है और जिस दिन यह कमी दूर हो जाएगी, तब हमारा देश भी विकसित राष्ट्रों की पंक्ति मे खड़ा हो जाएगा।

अतिथि विशेष राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री डी. के. पांडेय ने कहा कि नगर राजभाषा समितियों की महत्ता बढ़ती जा रही है और यह संख्या शीघ्र ही 300 से अधिक हो जाएगी। इस तरह के सम्मेलनों से राजभाषा के प्रसार में भारी योगदान मिलता है। इस अवसर पर, अध्यक्ष पद से बोलते हुए गुजरात रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक (प्रभारी) तथा नराकास के अध्यक्ष श्री पी. शूर ने कहा कि हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए गुजरात की मिट्टी आदिकाल से उर्वरा रही है। हिंदी के सबसे बड़े प्रचारक महात्मा गांधी ही रहे हैं। हिंदी ही एक मात्र ऐसी भाषा है जिसने भारत को पहले से ही एक सूत्र में बांध रखा है। आजादी के लड़ाई में भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए गुजरात रिफाइनरी के उप महा प्रबंधक (मानव संसाधन) श्री एस. पाढ़ी ने कहा कि मैंने इंडियन ऑइल की सभी यूनिट देखी हैं और सभी के पास नराकास का संयोजन है, लेकिन ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा। इस कार्यक्रम में हिंदी अधिकारियों के साथ-साथ हिंदी प्राध्यापकों को भी आमंत्रित किया गया है, जिससे राजभाषा के प्रचार-प्रसार में और भी सहायता मिलेगी। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के संयोजक तथा नराकास के सदस्य सचिव डॉ. माणिक मृगेश ने कहा कि हिंदी अधिकारियों ने जहाँ एक ओर हिंदी के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वहीं भारतीय संस्कृति को भी संरक्षित किया है। पूरा देश जान गया है कि 14 सितंबर का मतलब "हिंदी दिवस" होता है। यह मनवाना और जनवाना बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका श्रेय हिंदी अधिकारियों को जाता है।

इस अवसर पर डॉ. माणिक मृगेश की कृति अनुप्रयुक्त राजभाषा का लोकार्पण मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया। अतिथि विशेष राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री डी. के. पांडेय ने गुजरात रिफाइनरी राजभाषा सम्मान से नीरी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. संजीव गोयल को सम्मानित किया। इस अवसर पर गुजरात रिफाइनरी द्वारा आयोजित हिंदी कविता और निबंध प्रतियोगिता के प्रमाणपत्र भी प्रदान किए गए।

दूसरे दिन यानी 14 अक्तूबर को पश्चिम क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में "राजभाषा कार्यान्वयन : भविष्य की चुनौतियाँ" विषय पर अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए राजभाषा विभाग, मुंबई के उप निदेशक (कार्यान्वयन) डॉ. एम. एल. गुप्ता ने कहा कि "राजभाषा कार्यान्वयन जन-जन की ज़िम्मेदारी है"। इस सत्र में राजभाषा कार्यान्वयन तथा नराकासों के संचालन में आने वाली परेशानियों की चर्चा एवं उनके समाधान पर मंथन किया गया। सत्र में ओ. एन. जी. सी., अंकलेश्वर के उप महा प्रबन्धक (मानव संसाधन) श्री दिनेश कालरा ने विशेष अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि यह कहना ठीक नहीं है कि तकनीकी कार्यों में

हिंदी का प्रयोग नहीं हो सकता, बल्कि सत्य तो यह है कि ओ. एन. जी. सी. में तेल अन्वेषण जैसे कार्यों की रिपोर्ट तक हिंदी में बनाई जा रही है, सिर्फ इरादा पुक्का होना चाहिए।

विशेष वक्ता के रूप में बोलते हुए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सहायक प्रबन्धक श्री अमरीश सिन्हा ने कहा कि "मन के हारे हार है, मन के जीते जीत" · · 'सब कुछ मन पर टिका है"। यदि हम मन से हिंदी को अपनाएंगे तो सारी समस्याएँ अपने आप हल हो जाएंगी। सत्र का संचालन करते हुए यूको बैंक, नागपुर के वरिष्ठ प्रबंधक--राजभाषा श्री शशि श्रीवास्तव ने राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की।

सम्मेलन का समापन कवि सम्मेलन के साथ हुआ जिसमें डॉ. एम. एल. गुप्ता, डॉ. जय चक्रवर्ती, डॉ. राखी सिंह, डॉ. वी. पी. सिंह, श्री सुधीर बीर आदि कवियों ने काव्य पाठ किया। दो दिवसीय सम्मेलन का उपसंहार सम्मेलन के संयोजक डॉ. माणिक मृगेश के आभार ज्ञापन के साथ हुआ।

पश्चिम रेलवे कार्या. मुख्य कारखाना प्रबंधक, दाहोद

राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त की जयन्ती

लोको, कैरिज एवं वैगन कारखाना दाहोद के राजभाषा विभाग के तत्वाधान में दिनांक 18-08-2011 को "मंथन" सभागृह में राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त की जयन्ती के उपलक्ष में, मुख्य कारखाना प्रबंधक श्री संजय अग्रवाल, की अध्यक्षता में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 'राष्ट्र कवि गुप्त' जी के चित्र को अध्यक्ष द्वारा हार-फूल पहना कर की गई, अपने अध्यक्षीय भाषण की शुरुआत गुप्त जी द्वारा रचित राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत निम्न पंक्तियों से की :-

"जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं!
वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।"

श्री अग्रवाल जी ने गुप्त जी की जीवनी पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए उनकी कुछ कृतियों के बारे में बताया तथा कहा कि हिंन्दी में गुप्त जी की काव्य साधना सदैव स्मरणीय रहेगी। उनकी रचनाएँ खड़ी बोली में होने के बावजूद इतनी सरल है कि इनमें ब्रजभाषा जैसी मधुरता है। गुप्त जी के संवादों में जो नाटकीयता है वह अन्यत्र दुर्लभ है।

तत्पश्चात् राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव, एवं उप मुख्य परियोजना प्रबंधक (बि.) श्री निदेश जैन ने कार्यक्रम संचालन की बागडोर सम्हालते हुए श्री गुप्त जी के जीवन पर प्रकाश डाला, श्री गुप्त जी के द्वारा हिंदी भाषा के लिए किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी और कहा कि गुप्त जी के काव्य में मानव-जीवन की प्रायः सभी अवस्थाओं एवं परिस्थितियों का वर्णन हुआ है।

गोष्ठी के संचालक व राजभाषा अधीक्षक श्री वीरेन्द्र शर्मा ने गुप्त जी द्वारा सन् 1912 में खड़ी बोली में लिखा जाने वाला पहला सफल खण्ड काव्य जयद्रथ वध के बारे में प्रकाश डाला।

श्री विष्णुदत्त पाठक वरि. सेक्शन इंजी. ने इस अवसर पर अपने विशुद्ध हिंदी ज्ञान की रोचक भाषा से शुभारंभ किया तथा श्री गुप्त जी की कालजयी कृति साकेत पर प्रकाश डाला।

गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए वरिष्ठ शिक्षक दीपेन्द्र सिंह सिसोदिया ने मैथिलीशरण गुप्त जी के काव्य पंचवटी में से उनके प्रकृति चित्रण की अपने शब्दों की व्याख्या की व यह बताने का प्रयास किया कि भारतीय संस्कृति और साहित्य में श्री मैथिलीशरण जी का स्थान वही है जो हिंदी साहित्य में बाल्मीकि जी का है।

अंत में डॉ. भरत जादव ने साकेत के माध्यम से यह बतलाने का प्रयास किया कि मैथिलीशरण जी की रचनाएँ कालजयी है जिसमें उर्मिला के चरित्र को विशेष कर उभारा गया है। हिंदी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ही गुप्त जी का सही सम्मान होगी।

चंडीगढ़ बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

उच्चाधिकारियों के लिए राजभाषा पर संगोष्ठी

चंडीगढ़ बैंक नराकास की 44वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 12 जुलाई, 2011 को सदस्य कार्यालयों के उच्चाधिकारियों के लिए राजभाषा पर संगोष्ठी का आयोजन पीएनबी हाउस के सम्मेलन कक्ष में पंजाब नैशनल बैंक, फील्ड महाप्रबंधक कार्यालय, पीएनबी भवन, सेक्टर 17 बी, चंडीगढ़ के सौजन्य से किया गया जिसका शुभारंभ पंजाब नैशनल बैंक के फील्ड महाप्रबंधक एवं चंडीगढ़ बैंक

नराकास के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार गुप्ता ने किया । कार्यक्रम में सदस्य कार्यालयों से स्केल 4 से 6 तक के 20 उच्चाधिकारियों एवं 9 राजभाषा अधिकारियों की उपस्थिति रही ।

नराकास अध्यक्ष ने अपने आरंभिक संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि राजभाषा नियमों के अंतर्गत कार्यालय प्रमुख पर सर्वाधिक उत्तरदायित्व रहता है, अत: उन्हें तत्संबंधी नियमों एवं निर्देशों के अनुपालन के प्रति अधिक जागरूक एवं सतर्क रहना चाहिए । राजभाषा कर्मी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन अगर उच्चाधिकारी उन्हें नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करें तो उपलब्धियां और अधिक ऊंची तथा ठोस हो सकती हैं । चंडीगढ़ बैंक नराकास अपने सदस्यों की क्षमताओं को बढ़ाने और व्यक्तित्व को निखारने के लिए तरह-तरह के कार्यक्रम राजभाषा कर्मियों तथा उच्चाधिकारियों के लिए आयोजित करती है ।

अध्यक्ष महोदय के संबोधन के बाद, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सदस्य सचिव ने पावर प्वायंट प्रस्तुति के माध्यम से संविधान में राजभाषा संबंधी व्यवस्थाओं, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा संकल्प, राजभाषा नियमावली, वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम 2011-12 एवं तत्संबंधी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों पर संक्षेप में प्रकाश डाला ।

खुले चर्चा सत्र में सहभागी उच्चाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए तथा विभिन्न नगरों में अपने सेवाकाल में जुटाए गए अनुभवों को सांझा किया । यह विचार आया कि यदि वरिष्ठ अधिकारी अपना शत प्रतिशत काम हिंदी में करके अधीनस्थों को नेतृत्व प्रदान करें तो बहुत जल्द ही समस्त लक्ष्यों को पाया जा सकता है । आमतौर पर हम अपनी भाषा में बोलते हैं लेकिन ज़ब लिखने की बात आती है तो गलतियां होने के डर से फिर अंग्रेजी का प्रयोग करने लगते हैं । राजभाषा विभाग को केवल अनुवाद विभाग बना कर रख दिया गया है, इसके परिणाम स्वरूप हम राजभाषा अधिकारियों की रचनात्मक क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं । हिंदी को सहज स्वीकार्य बनाने के नए-नए तरीके ढूंढ़ने के लिए राजभाषा विभाग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए । इस बात पर भी चर्चा हुई कि नियमों को सही मायनों में लागू किया जाए, केवल दिखाने या आंकड़ों में लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नहीं । नराकास अध्यक्ष ने कहा कि यदि हम उच्चाधिकारी यह नियम बना लें कि हमारे स्तर पर सभी फाइलों में नोटिंग हिंदी में की जाएगी; तो नीचे के अधिकारी पत्र भी हिंदी में बनाने पर विवश होंगे ।

अंत में चर्चा इस निष्कर्ष के साथ संपन्न हुई कि राजभाषा नियमों के अनुपालन में वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, और यदि वे प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं तो तत्संबंधी लक्ष्यों को सहज ही प्राप्त किया जा सकता है ।

राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् शताब्दी वर्ष-2011, पश्चिमी क्षेत्र संस्थानों की एक दिवसीय हिंदी संगोष्ठी

दि. 9 सितंबर, 2011 को 'हिंदी संगोष्ठी तथा सप्ताह समारोह'' का उद्घाटन डॉ. ए.सी. मिश्रा, निदेशक की अध्यक्षता किया गया ।

डा. ए.सी. मिश्रा ने अध्यक्षीय भाषण में बड़ी खुशी के साथ विचार प्रकट करते हुए कहा कि इस संस्थान ने पहली बार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में तथा राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी क्षेत्र संस्थानों के कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया है और इस संगोष्ठी में उपरोक्त क्षेत्र के कर्मचारियों ने अन्य विषयों पर अपने-अपने पेपर प्रस्तुत करने के लिए बड़ी उत्साह के साथ भाग लिया है । इससे और भी राजभाषा हिंदी को बढ़ावा मिलेगा और आगे कहा कि हिंदी देश की एकता की एक ऐसी कड़ी है जिसे मजबूत करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है । हर गांव में, हर कदम पर तरह-तरह की भाषा बोली जाती है । उसमें से हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हर गांवों में, हर शहरों में बोली जाती है और जनता उसे सम्मान के साथ अपनाती है ।

उन्होंने कहा कि संस्थान में हिंदी का स्वतंत्र सेल तथा कोई भी हिंदी का अधिकारी या कर्मचारी नहीं है फिर भी हिंदी में काम करने के लिए तथा पत्राचार बढ़ाने के लिए इस संस्थान प्रशासन अनुभाग तथा प्रयोगशालाओं के कर्मचारी काफी प्रयास करते हैं । उन्होंने हिंदी पत्राचार का प्रतिशत अधिकतर बढ़ाने पर प्रकाश डाला । हिंदी पदों के सृजन के बारे में कहा कि हिंदी पदों को स्वीकृति मिलने के लिए

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् से हमेशा पत्राचार जारी है, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली है ।

बाद में डा. जी.सी. मिश्रा ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश के कोने-कोने में बोली जाती है । इसलिए हिंदी भाषा पर हमें गर्व होना चाहिए । राजभाषा का महत्व बताते हुए कहा कि हिंदी राजभाषा एक ऐसी भाषा है कि पूरे राष्ट्र को भावात्मक एकता में बांधने की शक्ति रखती है । यह भाषा अधिकांश जनसामान्य द्वारा प्रकट होने वाली भाषा है । जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा है । भाषा क्लिष्ट नहीं होती, भाषा केवल परिचित और अपरिचित होती है । वैज्ञानिकों को हिंदी में लेख लिखने चाहिए । हमारी चिंता यह है कि हर भाषा को महत्व मिलना चाहिए । हिंदी अनुवाद का महत्व बताते हुए कहा कि हिंदी को व्यापक रूप से समझाने का प्रयास करें और ज़ब कभी हिंदी शब्दों का उपयोग कामकाज में मुश्किल लगे तब भी अंग्रेजी शब्दों का उपयोग कम से कम करें । उन्होंने आगे यह कहा कि हिंदी ऐसी भाषा है जो बोलने, समझने में सीधी और सरल है । इसलिए हिंदी भाषा को लागू करने के लिए जनता ने अपनी मानसिकता को बदलना जरूरी है ।

डा. अरूण प्रभाकर पुजारी, भूतपूर्व प्राचार्य, फर्ग्युसन कॉलेज, पुणे ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए हिंदी का प्रचार एवं प्रसार हो रहा है क्योंकि भारत में हर प्रांत के लोग हिंदी समझते और जानते हैं । भाषा के साथ मनोवैज्ञानिक भावना हो जाती है अर्थ को सही ढंग से इस्तेमाल करके अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखना होगा तथा हिंदी में अनुवाद करना होगा । इससे हिंदी का व्यापक रूप समझने में मदद होगी । उन्होंने प्रसन्नता से आगे यह भी कहा कि भाषा आदान-प्रदान से तथा भाषा शब्दों के प्रचलन से ही बनती है । इसमें दूरदर्शन और हिंदी फिल्मों ने हिंदी भाषा समझने तथा सीखने का कार्य आसानी से कर दिखाया तथा ऐसे माध्यमों से ही हिंदी भाषा अब घर-घर में पहुंच गयी है । हिंदी भाषा बोलने, समझने और सीखने के लिए बहुत आसान एवं सरल है सिर्फ उनका लाभ जनता को लेना चाहिए। यह कहते हुए सभी कर्मचारियों को हिंदी संगोष्ठी में भाग लेने की सराहना की ।

केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगड़ी, रांची

वन्य रेशम संवर्धन की आधुनिक तकनीक पर दो दिवसीय अखिल भारतीय सेमिनार का आयोजन

केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगड़ी, रांची में वन्य रेशम संवर्धन की आधुनिक तकनीक पर दो दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा तकनीकी सेमिनार का आयोजन दिनांक 26 एवं 27 अप्रैल, 2011 को किया गया । सेमिनार का उद्घाटन झारखण्ड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुण्डा ने किया ।

दो दिवसीय सेमिनार के छः सत्रों यथा 1. पादप संवर्धन एवं रोग प्रबंधन, 2. रेशम कीट संवर्धन, 3. कीट पालन एवं उत्पादन, 4. कोसा परिरक्षण एवं बीजागार, 5. प्रसार एवं विकास तथा 6. रेशम प्रौद्योगिकी विपणन एवं मानव संसाधन में कुल 56 शोध पत्रों की प्रस्तुति मौखिक अथवा पोस्टर के रूप में की गई । सभी शोध पत्र हिंदी में प्रस्तुत किए गए एवं सेमिनार में विवेचना भी हिंदी में की गयी ।

श्री अर्जुन मुण्डा, माननीय मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि वे अनुसंधान को लोकोपयोगी बनाएं एवं कम लागतवाली तकनीक विकसित करें जिससे आम आदमी अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके । विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए वैज्ञानिकों को दीर्घकालिक कार्यक्रम बनाना चाहिए । उन्होंने कहा कि तसर रेशम की गुणवत्ता एवं उत्पादकता दोनों में सुधार करना होगा ताकि हम विश्व बाजार का मुकाबला कर सकें । अभी तक चीन रेशम उत्पादन में आगे है । हमें अपने देश को प्रथम स्थान पर पहुंचाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय मांग एवं जरूरतों के अनुसार रेशम का ग्लोबल उत्पाद तैयार करना होगा तभी हम बाजार में टिक पाएंगे ।

केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूर की सदस्य-सचिव, श्रीमती एम. सत्यवति, भा.प्र.से., ने कहा कि बोर्ड वन्य रेशम के विकास के लिए गंभीरतापूर्वक कार्य कर रहा है और बोर्ड के संस्थानों ने रेशम उद्योग के क्षेत्र में किसानोपयोगी अनुसंधान कार्य किये हैं एवं कम लागत वाली तकनीकों का विकास किया है । उनके प्रयासों के कारण ही झारखण्ड राज्य में तसर रेशम का उत्पादन 90 मिट्रिक टन से बढ़कर

716 मिट्रिक टन हो गया है । उन्होंने आशा व्यक्त की कि केंद्रीय रेशम बोर्ड एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर वन्य रेशम उद्योग को नई ऊँचाईयों तक पहुंचाने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे ।

श्री धीरेन्द कुमार, विशेष सचिव सह निदेशक हस्तशिल्प, रेशम एवं हस्तकरघा ने अपने उद्बोधन में कहा कि वैज्ञानिकों को किसानों की जरूरत को ध्यान में रखकर बुनियादी बीज का प्रगुणन करना चाहिए एवं कोसोत्तर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और अधिक लोगों को जोड़ने की जरूरत है ।

श्री एम. बी. अशोक, मुख्य महाप्रन्धक, नाबार्ड ने कहा कि ग्रामीण विकास में तसर रेशम उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । खासकर झारक्राफ्ट ने उदाहरण प्रस्तुत किया है इससे व्यापक पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल रहा है ।

श्री वीरेन्द्र कुमार यादव, सदस्य, हिंदी सलाहकार समिति, भारत सरकार ने कहा कि संस्थान के द्वारा राजभाषा हिंदी में इस वृहद आयोजन का विशेष महत्व है और तकनीकों को जनभाषा में उपलब्ध कराए जाने से निश्चित रूप से आम लोगों को लाभ मिलेगा । संस्थान द्वारा हिंदी में तकनीकी साहित्य के सृजन कार्य की भी उन्होंने सराहना की । शोध-पत्रों का पूर्णत: हिंदी में प्रस्तुत किए जाने को उन्होंने अभिनव व अनुकरणीय प्रयास बताया ।

सेमिनार के अवसर पर प्रो. के. के. नाग, पूर्व कुलपति, रांची विश्वविद्यालय, रांची ने भी वैज्ञानिकों को अनुसंधान के संबंध में दिशा-निदेश दिया । रांची विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त हिंदी प्रोफेसर डॉ. अशोक प्रियदर्शी ने विचार व्यक्त किया कि अखिल भारतीय स्तर पर वैज्ञानिकों द्वारा वृहद पैमाने पर हिंदी में शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण एवं हिंदी में तकनीकी साहित्य सृजन का कार्य अन्य अनुसंधान संगठनों के लिए अनुकरणीय है । डॉ. एस. हक निजामी, निदेशक, केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, (केंद्रीय कार्यालय) राँची ने विचार व्यक्त किया कि यह प्रसन्नता की बात है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगठनों में अनुसंधान कार्यों में राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार अपने आप में एक उपलब्धि है एवं जनसाधारण इससे निश्चित रूप से लाभान्वित होगा ।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून-248 005
33वीं आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून के राजभाषा अनुभाग द्वारा आयोजित आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठियों के क्रम में ''33वीं आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठी'' का आयोजन गत दिवस संस्थान के सर सी. वी. रमन व्याख्यान-कक्ष में किया गया ।

कार्यकारी निदेशक श्री यू. सी. अग्रवाल ने संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कहा कि राजभाषा अनुभाग द्वारा विगत कई वर्षों से अनवरत रूप में संगोष्ठियों का आयोजन इस बात का प्रमाण है कि हमारे वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र के प्रतिभागी इसमें बढ़-चढ़ कर भाग ले रहे हैं । लगातार इन्हीं संगोष्ठियों के आयोजन का प्रतिफल है कि संस्थान के अधिक से अधिक प्रतिभागी इसमें भाग लेते हैं वे अपने अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक प्रस्तुतियां हिंदी में देते हैं । इससे विज्ञान जन-जन तक पहुंचता है तथा सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित होता है ।

संगोष्ठी का संचालन करते हुए समारोह के संयोजक एवं संस्थान के वरिष्ठ हिंदी अधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र चमोला ने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान की ऊर्ध्वमुखी यात्रा का लाभ जन-सामान्य को भरपूर रूप में तभी मिल पाएगा जब उसकी अभिव्यक्ति विशेषत: हिंदी में तथा सामान्यत: भारतीय भाषाओं में भी संभव होगी । विज्ञान लेखन तथा वैज्ञानिक चेतना को जन-जन तक प्रचारित करने के उद्देश्य से भी इस प्रकार की संगोष्ठियां सेतु व उत्प्रेरक का कार्य कर सकती हैं । शब्दावली व भाषा की सफलता, प्रयोग व व्यवहार के धरातल पर ही निर्भर करती है । अत: हिंदी विज्ञान लेखन से ही शब्दावली की दुरूहता व अपरिचितता समाप्त होगी । आज हिंदी सर्वांगीण अभिव्यक्ति के लिए सर्वथा सक्षम है ।

प्रशासन नियंत्रक श्री विजय कुमार कौशिक ने ऐसी संगोष्ठियों की श्रृंखला को बनाए रखते हुए सभी उपस्थितों तथा संगोष्ठी को सफल बनाने वाले सदस्यों का धन्यवाद किया । प्रत्येक शोधपत्र की प्रस्तुति पर उपस्थित श्रोताओं ने वक्ताओं से अपने प्रश्नों, जिज्ञासाओं एवं शंकाओं का समाधान प्राप्त किया । इसमें वरिष्ठ वैज्ञानिकों, तकनीकी कर्मचारियों के साथ-साथ देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों

एवं सरकारी प्रतिष्ठानों से आए प्रशिक्षणार्थियों ने भी भाग लिया। संगोष्ठी को सफल बनाने में विशेष रूप से श्री प्रताप सिंह चौहान, श्री मुकेश चंद्र रतूड़ी, श्री दीपक कुमार तथा डॉ. दिनेश चंद्र चमोला का योगदान रहा।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची

राजभाषा संगोष्ठी/परिचर्चा का आयोजन

श्री राजू राघवेन्द्र कुमार, विमानपत्तन निदेशक, रांची की अध्यक्षता में दि. 27-05-2011 को राजभाषा संगोष्ठी/परिचर्चा का आयोजन किया गया।

इस संगोष्ठी में भा. वि. प्रा., रांची के अधिकांश अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। सर्वप्रथम श्री इन्ताज अली, कनिष्ठ कार्यपालक (राजभाषा) ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में विभिन्न विद्वानों के विचारों का आदान-प्रदान होता है, इससे हिंदी की प्रगति का मार्ग और प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा कि आज हिंदी की स्वीकार्यता विश्व स्तर पर बढ़ी है। उन्होंने कंप्यूटर पर यूनिकोड के इस्तेमाल पर जोर दिया और कहा कि हिंदी तकनीकी मामलों में भी वैज्ञानिक एवं समृद्ध भाषा है। उनके द्वारा परिचय एवं कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालने के बाद भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2011-2012 पर विस्तृत एवं गहन चर्चा की गई।

श्री डी. बी. यादव, मुख्य महाप्रबंधक, सी सी एल, रांची ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी आज दुनिया के हर कोने में पहुंच रही है। उन्होंने हिंदी की वर्तमान स्थिति पर संतोष व्यक्त किया।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा), सी.सी.एल., रांची/सचिव, नराकास (उपक्रम-रांची) ने अपने वक्तव्य में सरकारी कार्यालयों में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अब अधिकांश कार्यालयों में स्वतः हिंदी में काम हो रहा है और अधिकारी/कर्मचारी स्वेच्छा से हिंदी अपना रहे हैं। उन्होंने उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे सभी सरकारी दस्तावेजों पर हिंदी में ही हस्ताक्षर करें इससे अन्य कार्यालयों में अच्छा संदेश जाता है।

डॉ. रामापति तिवारी, प्रबंधक (राजभाषा), मेकॉन लिमिटेड, रांची अपने संबोधन में कहा कि हमें सरल और आसान हिंदी के प्रचार-प्रसार पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरल हिंदी से हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ेगी।

मुख्य अतिथि डॉ. चंद्रिका ठाकुर, वरिष्ठ व्याख्याता (हिंदी) डोरंडा कॉलेज, रांची ने अपने संबोधन में कहा कि राजभाषा हिंदी के विकास के लिए यह जरूरी है कि हिंदी साहित्य में लोगों की रुचि बढ़े और महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के स्तर पर हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो। उन्होंने कहा कि हिंदी की प्रगति के लिए सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए।

श्री राजू राघवेन्द्र कुमार, विमानपत्तन निदेशक ने सर्वप्रथम सभी विजेताओं/प्रतिभागियों को बधाई दी और अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने रांची हवाई अड्डे पर हिंदी की सुदृढ़ स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अब रांची हवाई अड्डे पर श्री इन्ताज अली ने कनिष्ठ कार्यपालक (राजभाषा) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है तो निश्चित रूप से राजभाषा हिंदी की और प्रगति होगी। उन्होंने उल्लेख किया कि श्री अली के गोवा के सेवाकाल में गोवा को भारत सरकार से बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए थे। उम्मीद की जाती है कि अब रांची को भी पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने सबसे अपील की कि सरकारी कार्यों में शतप्रतिशत हिंदी का इस्तेमाल करें।

श्री इन्ताज अली, कनिष्ठ कार्यपालक (राजभाषा) द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। उनके द्वारा सभी के प्रति धन्यवाद व आभार प्रकट के साथ ही राजभाषा संगोष्ठी/परिचर्चा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ■

हिंदी राष्ट्रीय एकता एवं आत्मीयता की भाषा है।

—राजभाषा विभाग

पुरस्कार/प्रतियोगिताएं

सीमान्त मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल, जम्मू

फ्रंटियर मुख्यालय सी.सु. बल, जम्मू को प्रथम घोषित करने पर एवं राजभाषा शील्ड प्रदान करने पर दिनांक 8 मार्च, 2011 को हिंदी राजभाषा समारोह के रूप में मनाया गया जिसमें श्री एस. चट्टोपाध्याया भा.पु. से. महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय सी.सु. बल, जम्मू एवं समस्त अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण एवं अन्य कार्मिकों ने भाग लिया।

इस समारोह में महानिरीक्षक महोदय ने राजभाषा शील्ड प्राप्त होने पर सभी अधिकारियों व कार्मिकों को बधाई देते हुए सबका आभार प्रकट किया साथ ही प्रथम स्थान प्राप्त करने पर राजभाषा अधिकारी एवं निरीक्षक (अनुवादक) कैलाश चन्द्र मठपाल को बधाई दी। महानिरीक्षक महोदय द्वारा राजभाषा के बारे में बताया कि भारत में कई वर्षों तक मुगलों का शासन रहा उसके पश्चात् अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक राज किया। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो अपने सरकारी काम काज को चलाने के लिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने प्रदान किया। क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा थी जो लोगों को एकसूत्र में बांध सकती थी। अंत में महोदय ने शील्ड प्राप्त करने के उपलक्ष में पुनः सभी कार्मिकों का धन्यवाद एवं बधाई दी तथा भविष्य में इसी उत्साह से राजभाषा हिंदी के कार्य का प्रसार, प्रचार एवं प्रगति के लिए सतत प्रयास करने का आह्वान किया।

इस कार्यक्रम में पावर स्टेशन को निगम की राजभाषा शील्ड को प्रदर्शित किया गया तथा महाप्रबंधक ने इस अवसर पर आपदा प्रबंधन की पुस्तिका का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती रजनी जौहर के साथ-साथ पावर स्टेशन के अधिकांश कार्मिकों के परिवारजन, सी.आई.एस.एफ. के कार्मिक एवं केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षक भी शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन डॉ देवेन्द्र तिवारी, राजभाषा अधिकारी ने किया। उपस्थित सभी महानुभावों ने कार्यक्रम की प्रशंसा की। प्रश्नमंच के सभी विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार भी प्रदान किए गए। उपस्थित सभी महानुभावों ने इस प्रश्नमंच की प्रशंसा की।

बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली अंचल : जीवन भारती, लेवल-5, टावर-1, 124, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता

दिनांक 6 जुलाई, 2011 को दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में दिल्ली स्थित समस्त बैंकों के प्रतिभागियों के बीच 'हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि एवं निर्णायक मंडल में श्री विनोद कुमार शर्मा, उपनिदेशक (कार्यान्वयन) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं श्री बलदेव मल्होत्रा, वरिष्ठ प्रबंधक, नराकास कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक थे। आंचलिक कार्यालय से आंचलिक प्रबंधक श्री ए. पी. महान्ति एवं उप आंचलिक प्रबंधक श्री सुलखन सिंह उपस्थित रहे। श्री विनोद कुमार शर्मा, उपनिदेशक (कार्यान्वयन) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग ने कार्यक्रम में भारत सरकार की अपेक्षाओं एवं नवोन्मेषी कार्यक्रमों से अवगत करवाते हुए प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया।

श्री विनोद कुमार शर्मा ने बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रमों की सराहना की तथा कहा कि बैंक ऑफ इंडिया राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयास प्रशंसनीय हैं एवं मूलभूत अपेक्षाओं के अनुपालन में भी बैंक ऑफ इंडिया सतत् अग्रसर है।

एन. एच. पी. सी. लिमिटेड, फरीदाबाद

कार्मिकों के बच्चों हेतु हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन

माननीय अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित निगम मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में महान कवि रवीन्द्र नाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष में दिनांक 8-5-2011 (रविवार) को एनएचपीसी आवासीय परिसर के कम्युनिटी सेंटर में कार्मिकों के विभिन्न आयुवर्ग के बच्चों हेतु हिंदी काव्य पाठ तथा हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री आर. आर. शर्मा, महाप्रबंधक (मानव संसाधन व राजभाषा) के कर कमलों से दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया । इस अवसर पर प्रतियोगिताओं के प्रतिभागी बच्चों और उनके अभिभावकों को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि इन प्रतियोगिताओं का आयोजन राजभाषा हिंदी के प्रति बच्चों में लगाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया है । उन्होंने कहा कि अपनी भाषा हमें संस्कृति से जोड़ती है । हमें अन्य भाषाओं का ज्ञान भी हासिल करना चाहिए लेकिन उसे मातृभाषा के स्थान पर नहीं रखना चाहिए ।

हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रतिभागी बच्चों ने "ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता", "पर्यावरण प्रदूषण रोकने में हमारा योगदान", "राष्ट्रीय एकता की कड़ी : राष्ट्र भाषा हिंदी" तथा "रवीन्द्र नाथ टैगोर : व्यक्तित्व व कृतित्व" जैसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषयों पर अपने सार्थक विचार बहुत ही प्रभावी ढंग से सबके सामने रखे ।

प्रतियोगिताओं के अंतिम चरण में आमंत्रित कवियों ने अपनी कुछ चुनिंदा कविताएं सुनाकर सभी को भाव-विभोर कर दिया । इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न आयु वर्ग के लगभग 40 बच्चों ने पूरे उत्साह से भाग लिया । बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावक भी पूरे समय उनके साथ रहे और बच्चों का उत्साहवर्धन किया । इस अवसर पर **युग निर्माण योजना, मथुरा** की ओर से एक **पुस्तक प्रदर्शनी** भी लगाई गई थी । इस कार्यक्रम में आए बच्चों और अभिभावकों ने इस प्रदर्शनी का लाभ उठाते अपनी पसंद की उपयोगी किताबें भी खरीदी ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी दिवस समारोह 2011 में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील ने हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए वर्ष 2009-2010 के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार, केंद्रीय सरकार के कार्यालय में हिंदी में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार एवं वर्ष 2010-2011 के लिए हिंदी गृह पत्रिका पुरस्कार प्रदान किए । इस अवसर पर शील्ड/प्रमाण-पत्र/नकद राशि के रूप में कुल 52 पुरस्कार प्रदान किए ।

इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार - वर्ष 2009-2010
मंत्रालय/विभाग

300 से अधिक स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय/विभाग

1. रेलवे बोर्ड	प्रथम
2. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	द्वितीय
3. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	तृतीय

300 से कम स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय/विभाग

1. श्रम मंत्रालय	प्रथम
2. विधायी विभाग	द्वितीय
3. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	तृतीय

वैज्ञानिक व तकनीकी मंत्रालय/विभाग

1. आयुष विभाग	प्रथम
2. अंतरिक्ष विभाग	द्वितीय

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

क क्षेत्र

1. एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद	प्रथम
2. फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, भिलाई	द्वितीय
3. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश	तृतीय

ख क्षेत्र

1. भारतीय कपास निगम लिमिटेड, मुंबई	प्रथम
2. भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, मुंबई	द्वितीय
3. हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई	तृतीय

ग क्षेत्र

1. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापटनम	प्रथम
2. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम	द्वितीय
3. दामोदर घाटी निगम, कोलकाता	तृतीय

भारत सरकार के बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट/सोसाइटी आदि

क क्षेत्र

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल	प्रथम
2. दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली	द्वितीय
3. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली	तृतीय

ख क्षेत्र

1. जवाहर लाल नेहरु पत्तन न्यास, नवी मुंबई	प्रथम
2. भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, नवी मुंबई	द्वितीय
3. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे	तृतीय

ग क्षेत्र

1. नारियल विकास बोर्ड, कोचिन	प्रथम
2. केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोचिन	द्वितीय
3. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचिन	तृतीय

राष्ट्रीयकृत बैंक

1. इलाहाबाद बैंक	प्रथम
2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	द्वितीय
3. पंजाब नैशनल बैंक	तृतीय
4. केनरा बैंक	प्रोत्साहन
5. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	प्रोत्साहन
6. बैंक ऑफ बड़ौदा	प्रोत्साहन

हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना–2009-2010

क्रम सं.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	पुरस्कार
(i)	समय प्रबन्धन	डॉ. रेखा व्यास	द्वितीय
(ii)	कराधान की प्रमुख अवधारणाएं	श्री राजेन्द्र	तृतीय
(iii)	शहतूती रेशम उत्पादन : एक पारिअनुकूल प्रतिस्पर्धात्मक ग्रामीण उद्यम	डॉ. एस.एम.एच. कादरी डॉ. सुरेन्द्र दत्त शर्मा डॉ. दिनेश दत्त शर्मा डॉ. गंगेश बहादुर सिंह	सांत्वना

राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार – 2009-2010

(i)	भूमण्डलीकरण और भारत-परिदृश्य और विकल्प	श्री अमित कुमार सिंह	तृतीय
(ii)	जैविक खेती : नई दिशाएं	श्री अरूण कुमार शर्मा	सांत्वना
(iii)	राज्य की अभिरक्षा और मानवाधिकार	डॉ. के. पी. सिंह	सांत्वना
(iv)	वेब पत्रकारिता	श्री श्याम माथुर	सांत्वना
(v)	दलहनी सब्जियां	डॉ. ए. के. पाण्डेय एवं डॉ. मेजर सिंह	सांत्वना
(vi)	कम्प्यूटर एवम् सूचना प्रबंध	श्री अनुराग चौबे एवं डॉ. सुधीर कुमार शुक्ला	सांत्वना

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

'क' क्षेत्र	जयपुर (बैंक)
'ख' क्षेत्र	बड़ौदा (बैंक)
'ग' क्षेत्र	बेंगलूरू (कार्यालय)

वर्ष 2010-2011 में प्रकाशित पत्रिकाओं के लिए गृह पत्रिका पुरस्कार

क्रम सं.	पत्रिका का नाम	प्रकाशित करने वाले संगठन का नाम	पुरस्कार
'क' क्षेत्र			
1.	विमानिका	एयर इंडिया, नई दिल्ली	प्रथम
2.	भारत संदर्श	विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली	द्वितीय
'ख' क्षेत्र			
1.	रेल दर्पण	पश्चिम रेलवे, प्रधान कार्यालय, मुंबई	प्रथम
2.	अंकुर	भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, चंडीगढ़	द्वितीय
'ग' क्षेत्र			
1.	वाणी	इंडियन ओवरसीज बैंक, चेन्नै	प्रथम
2.	सविता	भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, तिरूवनंतपुरम	द्वितीय
		वैज्ञानिक तथा तकनीकी संगठन	
1.	विकल्प	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून	प्रथम
2.	विद्युत स्वर	एनटीपीसी लिमिटेड, नोएडा	द्वितीय

प्रशिक्षण

एनएचपीसी क्षेत्र-II कार्यालय, बनीखेत

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति का दिनांक 24-5-2010 से 25-5-2010 तक डलहौजी स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) में नराकास के अध्यक्ष एवं उनके कुछ सदस्य कार्यालयों के साथ विचार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें यह निदेश दिए गए थे कि संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली भरने में आमतौर पर संबंधित कार्यालय कुछ गलतियां करते हैं जिसके लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना अनिवार्य है ।

इसी संदर्भ में दिनांक 24 फरवरी, 2011 को अध्यक्ष, नराकास, डलहौजी की अध्यक्षता में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एनएचपीसी क्षेत्र-II कार्यालय में किया गया, जिसमें नराकास, डलहौजी के सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में संकाय के तौर पर श्री शैलेश कुमार सिंह, उप निदेशक (कार्यान्वयन), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, गाजियाबाद उपस्थित थे। प्रशिक्षण दो सत्रों में आयोजित किया गया जिसके पूर्व सत्र में उन्होंने प्रतिभागियों को संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली सही-सही रूप में भरने तथा राजभाषा की तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरने की पूर्ण जानकारी विस्तृतता से दी, जिससे सभी प्रतिभागी लाभान्वित हुए ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मुख्यालय अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मुख्यालय (सीएसआईआर मु.) के राजभाषा अनुभाग तथा मानव संसाधन विकास केंद्र (एचआरडीसी), गाजियाबाद के संयुक्त तत्वावधान में सीएसआईआर के हिंदी पदाधिकारियों के लिए एचआरडीसी, गाजियाबाद में दिनांक 29-8-2011 से 31-8-2011 तक आयोजित "राजभाषा कौशल विकास प्रशिक्षण"

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय (सीएसआईआर मु.) के राजभाषा अनुभाग तथा मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी), गाजियाबाद के संयुक्त तत्वावधान में सीएसआईआर के हिंदी पदाधिकारियों के लिए दिनांक 29-8-2011 से 31-8-2011 तक एचआरडीसी, गाजियाबाद में "राजभाषा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम" का आयोजन किया गया जिसमें इकतालीस प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात साहित्यकार, लेखक, कवि, शिक्षाविद्, भाषाविद्, समाज-वैज्ञानिक, नृ-वैज्ञानिक, यायावर, विचारक, पत्रकार व पूर्व महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार पद्मश्री डॉ. श्याम सिंह शशि को आमंत्रित किया गया । अपने उद्घाटन भाषण में बोलते हुए डॉ. शशि ने कहा कि मातृभाषा का दर्जा मां के समान होता है । हमें विश्व के अन्य विकसित देशों की तरह अपनी भाषा और संस्कृति पर गौरव होना चाहिए । उन्होंने अपने व्याख्यान के दौरान प्रतिभागियों के समक्ष शब्द यात्रा के कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए । 75 वर्ष की आयु में भी अविरत कार्य करने वाले और अब तक लगभग 400 पुस्तकों की रचना कर चुके डॉ शशि ने यह भी कहा कि सृजनशीलता का व्यक्ति विशेष की आयु से कोई संबंध नहीं होता वरन् सृजनशीलता से व्यक्ति संक्रिय व युवा रहता है । उन्होंने कहा कि इस बात पर मिलकर विचार करने की आवश्यकता है कि हिंदी भाषा के प्रयोग को आगे कैसे बढ़ाया जाए और हिंदी में शत-प्रतिशत काम कैसे किया जाए ।

तीन दिवसीय इस कार्यक्रम के प्रथम सत्र में भारत सरकार के पूर्व वरिष्ठ निदेशक (राजभाषा) डॉ. महेश चंद्र गुप्त ने प्रतिभागियों को संघ की राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्थाओं और उनके अनुपालनार्थ हमारे दायित्व विषयक सारगर्भित व अनुभवजन्य जानकारी दी । द्वितीय सत्र में पूर्व सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक व भाषा

परामर्शदाता तथा उपाध्यक्ष, भारतीय अनुवाद संघ; श्री चंद्र मोहन रावल ने प्रतिभागियों को इन्स्क्रिप्ट कुंजी पटल की वैज्ञानिकता, व्यावहारिकता तथा डिजिटल टूल्स की उपयोगिता के सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक पक्ष पर विशेष जानकारी प्रदान की । साथ ही उन्होंने इन्स्क्रिप्ट की-बोर्ड कार्य करने का अभ्यास भी कराया ।

भारत सरकार के राजभाषा विभाग के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक श्री केवल कृष्ण ने कार्यक्रम के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में यूनीकोड की उपयोगिता तथा उसके महत्वादि के साथ-साथ प्रतिभागियों को विभिन्न डिजिटल टूल्स की उपयोगिता व राजभाषा से संबंधित अनेक वेबसाइटों आदि की जानकारी दी । दूसरे सत्र में परिषद मुख्यालय में वरिष्ठ उप सचिव (रा.भा.) श्री राकेश कुमार शर्मा ने राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को कैसे अमली जामा पहनाया जाए व किन विधियों, उपकरणों व साधनों की सहायता से परिषद की विभिन्न प्रयोगशालाओं/संस्थानों में राजभाषा हिंदी के उपयोग में वृद्धि की जाए, विषय पर स्वरचित स्लाइड शो पर पावरप्वांइट प्रेजेंटेशन दिया । उन्होंने प्रतिभागियों को गूगल ट्रांस्लिटरेशन व गूगल ट्रांस्लेशन सुविधा की संक्षिप्त जानकारी दी और प्रतिभागियों को गूगल ट्रांस्लिटरेशन सुविधा पर कार्य करने का अभ्यास भी कराया व साथ ही यह आशा भी व्यक्त की सभी प्रतिभागी अपने-अपने कार्यालयों के वैज्ञानिकों/प्रशासन से जुड़े अन्य कार्मिकों को इस सुविधा का उपयोग करने हेतु प्रेरित करेंगे ताकि संघ की राजभाषा नीति को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सके।

कार्यक्रम के तीसरे और अंतिम दिन के प्रथम सत्र में सुश्री मीता लाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अरविंद भाषा विज्ञान संस्थान ने वैज्ञानिक/कार्यालयी लेखन में "द पैंगुइन इंग्लिश-हिंदी /हिंदी -इंग्लिश थिसारस ऐंड डिक्शनरी" की भूमिका और उपयोगिता पर अपना सुंदर प्रस्तुतीकरण किया तथा विभिन्न हिंदी -अंग्रेजी-हिंदी शब्दों के पर्यायों के संबंध में प्रतिभागियों की शंकाओं का निवारण भी किया । अंतिम सत्र में परिषद मुख्यालय में कार्यरत वरिष्ठ हिंदी अधिकारी डॉ. पूरनलाल ने प्रतिभागियों को राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन, बैठकों और इस समिति द्वारा किए जाने वाले कार्यों तथा संसदीय राजभाषा समिति निरीक्षण प्रश्नावली की विभिन्न मदों को भरने व इस दौरान आने वाली कठिनाइयों के सुगमीकरण आदि पर अत्यंत अभिनव व उपयोगी व्याख्यान दिया ।

समापन तथा प्रमाण-पत्र वितरण समारोह में डॉ. मनु सक्सेना, प्रभारी-वैज्ञानिक, एचआरडीसी ने डॉ. हरिवंश राय बच्चन की प्रोत्साहित करने वाली कविता — **'कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती'** उद्धृत करते हुए यह उम्मीद जताई कि तीन दिवसीय इस कार्यक्रम से प्रतिभागी अवश्य लाभान्वित हुए होंगे । उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्यक्रम तभी सार्थक सिद्ध होगा जब इस दौरान अर्जित ज्ञान को प्रतिभागी अपने-अपने कार्यालयों में उपयोग में लाएंगे व अन्यों को भी इस हेतु प्रेरित-प्रोत्साहित करेंगे ताकि परिषद में संघ की राजभाषा नीति का सफलतम कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो

उच्चस्तरीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम
दिनांक 13 से 17 जून, 2011

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में विगत 13 से 17 जून, 2011 के दौरान उच्चस्तरीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ । देश के कोने-कोने से आए 28 वरिष्ठ राजभाषा कार्यपालक इस कार्यक्रम के प्रशिक्षार्थी थे । अनुवाद शास्त्र, राजभाषा, मशीन, ट्रांसलेशन जैसे विषयों पर केंद्रित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिमांशु जोशी, प्रो. रीतारानी पालीवाल, प्रो. कृष्ण कुमार गोस्वामी, श्री एस.आर. ढलेटा, प्रो. विजय कुमार, प्रो. पी.सी. टंडन, डॉ. एस.एन. सिंह जैसे धुरी विद्वानों और विषय-मर्मज्ञों के व्याख्यान आयोजित हुए । ■

हिंदी का प्रयोग करने से कार्य क्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है ।

आदेश/अनुदेश

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली का दिनांक 12 सितंबर, 2011 का का.ज्ञा. सं. 15/03/2005-राभा (सेवा)

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (सी एस ओ एल एस) की संवर्ग-समीक्षा ।

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति में गत्यावरोध को ध्यान में रखते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (सी एस ओ एल एस) के संवर्ग-समीक्षा के प्रस्ताव को व्यय विभाग ने अपने दिनांक 29-7-2011 के आई.डी. नोट सं. 2(2)/स्था.III.डेस्क/2009 द्वारा अनुमोदित कर दिया है। सरकार ने समूह 'क' पदों की संख्या में 112 पदों की बढ़ोतरी करने और समूह 'ख' के 122 पदों का उन्नयन करने का निर्णय लिया है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पदों की संख्या सहित निम्नलिखित संवर्ग ढांचे को अंतिम रूप दिया गया है–

क्र.सं.	पद और वेतनमान	वर्तमान पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	निदेशक (पीबी-4 + 8700 जीपी)	18	18
2.	संयुक्त निदेशक (पीबी-3 + 7600)	20	36(+16)
3.	उप निदेशक (पीबी 3 + 6600)	33	85(+52)
4.	सहा. निदेशक (पीबी-3 + 5400)	156	200(+44)
5.	वरिष्ठ अनुवादक (पीबी-3 + 4600)	196	318(+122)
6.	कनिष्ठ अनुवादक (पीबी-2 + 4200)	442	320(+122)
	योग	**865**	977(+112)

2. सभी ग्रेडों में उत्पन्न होने वाली परिणामी रिक्तियों को वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

3. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में भागीदार मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध कार्यालयों के मध्य सवंर्ग की संशोधित संख्या का आबंटन करने के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

4. संवर्ग की संशोधित संख्या के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा से संबंधित भर्ती नियमों में तदनुरूपी संशोधन करने संबंधी अधिसूचना भी पृथक रूप से जारी की जाएगी।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली का दिनांक 26 सितंबर, 2011 का. आ. शा.पत्र सं. 1/14011/02/2011-राभा (नीति-1)

विषय :-सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग के लिए नीति-निर्देश।

हिंदी के संघ की राजभाषा के रूप में व्यापक प्रसार और प्रयोग के लिए सरकारी कामकाज में बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल पर बल दिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 28 जुलाई, 2011 को आयोजित केन्द्रीय हिंदी समिति की 30वीं बैठक में भी राजभाषा हिंदी के सरल स्वरूप को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया था। उक्त बैठक के क्रम में माननीय श्री जितेंद्र सिंह, गृह राज्यमंत्री की अध्यक्षता में 8-9-2011 में आयोजित अंतर्मंत्रालयीय एवं अंतर्विभागीय समन्वय और समीक्षा बैठक में भी अनेक अधिकारियों ने हिंदी भाषा के सरल रूप को अपनाने की बात कही थी। इस मत को व्यापक समर्थन मिला था।

2. किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं-साहित्यिक और कामकाज की भाषा। कामकाज की भाषा में साहित्यिक भाषा के शब्दों के इस्तेमाल से उस भाषा विशेष की ओर आम आदमी का रुझान कम हो जाता है, और उसके प्रति मानसिक विरोध बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज की लोकप्रिय भाषा अंग्रेजी ने भी अपने स्वरूप को बदलते समय के साथ खूब ढाला है। आज की युवा पीढ़ी अंग्रेजी के विख्यात साहित्यकारों जैसे शेक्सपियर, विलियम थैकरे या मैथ्यू आर्नल्ड की शैली की अंग्रेजी नहीं लिखती है। अंग्रेजी भाषा में भी विभिन्न भाषाओं ने अपनी जगह बनाई है, तथा इसके कामकाजी स्वरूप में रोजमर्रा के शब्दों ने अपने लिए बखूबी जगह बनाई है। बदलते माहौल में, कामकाजी हिंदी के रूप को भी सरल तथा आसानी से समझ में आने वाला बनाना होगा। राजभाषा में कठिन और कम सुने जाने वाले शब्दों के इस्तेमाल से राजभाषा को अपनाने में हिचकिचाहट बढ़ती है। शालीनता और मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए भाषा को सुबोध और सुगम बनाना आज के समय की मांग है।

3. जब-जब सरकारी कामकाज में हिंदी में मूल कार्य न कर उसे अनुवाद की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो हिंदी का स्वरूप अधिक जटिल और कठिन हो जाता है। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की शैली को बदलने की सख्त आवश्यकता है। अच्छे अनुवाद में भाव को समझकर वाक्य की संरचना करना जरूरी है न कि प्रत्येक शब्द का अनुवाद करते हुए वाक्यों का निर्माण करने की। बोलचाल की भाषा में अनुवाद करने का यह अर्थ है कि उसमें अन्य भाषाओं जैसे उर्दू, अंग्रेजी और अन्य प्रान्तीय भाषाओं के लोकप्रिय शब्द भी खुलकर प्रयोग में लाए जाएं। भाषा का विशुद्ध रूप साहित्य जगत के लिए है; भाषा का लोकप्रिय और मिश्रित रूप बोलचाल और कामकाज के लिए है।

4. 14-9-2011 में हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय श्री पी. चिदम्बरम, गृह मंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में यह कहा कि 'सहज, सरल और बोलचाल की हिंदी ही समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों में लोकप्रिय होगी और स्थायी रूप से अधिक विशाल क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाएगी'। मंत्रीमंडल सचिव ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर समस्त मंत्रालयों में भेजे गए संदेश में सरल हिंदी के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा है कि 'कार्यालयों में हम टिप्पणियों तथा पत्रादि के मसौदों में, जहां तक हो सके, आसानी से समझ में आने लायक शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। बैठकों, चर्चाओं आदि में हिंदी में बातचीत किए जाने को बढ़ावा देने से हिंदी का अधिकाधिक आधार और व्यापक एवं मजबूत होगा। अधिकारी स्वयं हिंदी को अपनाकर अपने मातहतों के लिए एक मिसाल पेश कर सकते हैं।'

5. हिंदी के सरल रूप को अपनाने के लिए राजभाषा विभाग ने समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं जिन्हें संक्षेप में दोहराना उपयोगी होगा :

(i) कार्यालय ज्ञापन संख्या II/13034/23/75-रा.भा.(ग) दिनांक 17-3-1976

इस कार्यालय ज्ञापन में यह स्पष्ट लिखा गया था कि सरकारी हिंदी कोई अलग किस्म की हिंदी नहीं है। यह काफी नहीं है कि लिखने वाला अपनी बात खुद समझ सके कि उसने क्या लिखा है। जरूरी तो यह है कि पढ़ने वाले को समझ

में आ जाए कि लिखाने वाला कहना क्या चाहता है। इस ज्ञापन में यह सलाह भी दी गई थी कि दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने में हिचक नहीं होनी चाहिए। यदि हिंदी में लिखा तकनीकी शब्द कठिन लगे, तो 'ब्रेकेट' में अंग्रेजी पर्याय लिख देना चाहिए। आधुनिक यंत्रों, तरह-तरह के पुर्जों और नए जमाने की चीजों के जो अंग्रेजी नाम चलते हैं, उनका कठिन अनुवाद करने की बजाए उन्हें फिलहाल मूल रूप में ही देवनागरी लिपि में लिखना सभी के हित में होगा।

(ii) कार्यालय ज्ञापन संख्या 13017/1/88 (ग) दिनांक 27 अप्रैल, 1988

इस कार्यालय ज्ञापन में लिखा गया था कि प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय हिंदी समिति की 2-12-1987 की बैठक में भी यह विचार व्यक्त किया गया था हिंदी में किए गए अनुवाद सरल और स्वाभाविक भाषा में हों। अनुवाद की भाषा ऐसी हो जो आम व्यक्ति की समझ में आसानी से आ जाए।

(iii) शासकीय पत्र संख्या 1/14013/04/99-रा. भा. (नीति) दिनांक 30-6-1999

इस शासकीय पत्र में यह कहा गया था कि अनुवाद की भाषा-शैली सहज, सरल, स्वाभाविक (नेचुरल), पठनीय और बोधगम्य (आसानी से समझ आने वाली) होनी चाहिए। इस पत्र के साथ सरल अनुवाद के उदाहरण भी दिए गए थे।

(iv) कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14011/04/2010-रा. भा. (नीति-1) दिनांक 19-7-2010.

इस कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि अनुवाद में न केवल सरल और सुबोध शब्द इस्तेमाल किए जाएं बल्कि जहां तक हो सके वाक्य छोटे-छोटे बनाएं और हर शब्द का अनुवाद करने की बजाय वाक्य या उसके अंश के भाव को हिंदी भाषा की शैली में लिखें। अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के आम इस्तेमाल में आने वाले शब्दों के कठिन हिंदी शब्द बनाने की बजाय उन्हीं शब्दों को देवनागरी लिपि में लिख देना चाहिए।

6. वर्तमान समय में हिंदी पत्रिकाओं में हिंदी का नया और सरल रूप दिखाई दे रहा है। हिंदी का कुछ ऐसा ही रूप सरकारी कामकाज में अपनाए जाने पर इसका व्यापक प्रसार हो पाएगा। आपकी सूचना के लिए हिंदी पत्रिकाओं में लिखी जा रही हिंदी भाषा की आधुनिक शैली के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं :

(i) ''इस प्रोजेक्ट का मकसद साफ तटों की अहमियत को लेकर अवेयरनेस फैलाना है और इसके अंतर्गत कैम्पस के आसपास का एक बड़ा एरिया आता है ।

(ii) कालेज में एक री-फारेस्टेशन अभियान है, जो रेगुलर चलता रहता है। इसका इस साल एक और प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसमें हर स्टूडेंट एक पेड़ लगाएगा ।

(iii) रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए पानी को जमा करने पर कैम्पस विशेष ध्यान देता है ।

(iv) रिटेल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, प्रोफेशनल सिंगिंग और एविनयानिक्स जैसे किसी भी क्षेत्र में फायदे का कैरियर चुनिए ।

(v) किसी भी स्ट्रीम में बेस्ट फाइव में पचास प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र कोर्स के लिए एप्लाई पर सकते हैं ।

(vi) प्रतिभाशाली भारतीय स्टूडेन्ट्स के लिए वित्तीय सहायता वाले स्कालरशिप के नए अवसर मौजूद हैं, जो पूरा करेंगे उनके हायर एजूकेशन के और क्षेत्र विशेष में अपना कैरियर बनाने के सपने को ।''

7. सरकारी कार्यालयों में हिंदी के सरलीकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं–

(i) विदेशी शब्द जो हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं, जैसे—टिकट, सिग्नल, लिफ्ट, स्टेशन, रेल, पेंशन, पुलिस, ब्यूरो, रेल मेट्रो, एयरपोर्ट, स्कूल, बटन, फीस, बिल, कमेटी, अपील, ऑफिस, कंपनी, बोर्ड, गजट, तथा

अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द जैसे अदालत, कानून, मुकदमा, कागज, दफ्तर, जुर्म, जमानत, तनख्वाह, तबादला, फौज, बंदूक, मोहर को उसी रूप में अपनाने से भाषा में प्रवाह बना रहेगा ।

(ii) बहुचर्चित अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी में लिप्यांतरण करना कभी-कभी ज्यादा अच्छा रहता है बजाय इसके कि किसी कठिन और बोझिल शब्द को गढ़कर लिखा जाए। 'प्रत्याभूति' के स्थान पर 'गारंटी', परिदर्शक के स्थान पर 'गाइड', अनुच्छेद के स्थान पर 'पैरा', यंत्र के स्थान पर 'मशीन', मध्याह्न भोजन के स्थान पर 'लंच', व्यंजन सूची की जगह 'मैन्यू', भंडार की जगह 'स्टोर', अभिलेख के स्थान पर 'रिकार्ड' आदि जैसे प्रचलित शब्दों को हिंदी में अपनाया जा सकता है ।

इसी प्रकार संगणक के स्थान पर 'कंप्यूटर', मिसिल के स्थान पर 'फाइल', कुंजीपटल के स्थान पर 'की-बोर्ड', शब्दों का इस्तेमाल अधिक वांछनीय होगा ।

(iii) यदि कोई तकनीकी अथवा गैर-तकनीकी ऐसा शब्द है जिसका आपको हिंदी पर्याय नहीं आता तो उसे देवनागरी में जैसे का तैसा लिख सकते हैं जैसे इंटरनेट, वेबसाइट, पेनड्राइव, ब्लाग आदि ।

8. हमारे संविधान निर्माताओं ने जब हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया तब उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 351 में यह स्पष्ट रूप से लिखा कि संघ सरकार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की संस्कृति के तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया कि हिंदी के विकास के लिए हिंदी में 'हिंदुस्तानी' और आठवीं अनुसूची में दी गई भारत की अन्य भाषाओं के रूप, शैली व पदों को अपनाया जाए ।

9. इस पत्र की प्रति राजभाषा विभाग के तीनों अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थाओं नामतः सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यथा सीएचटीआई (केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान), सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो यथा सीटीबी (केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो) तथा रीजनल इम्प्लीमेंटेशन आफिसिज यथा आरआईओज (क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों) एवं सेंट्रल कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनालोजिज़ यथा सीएसटीटी (केंद्रीय वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग) जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है (और अनुवाद के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायपालिका द्वारा घोषित शीर्षतम संस्था है), को भेजी जा रही है। उन्हें यह निर्देश दिया जाता है कि इस पत्र में की गई अपेक्षा अनुसार क्रमशः हिंदी भाषा प्रशिक्षण, अनुवाद प्रशिक्षण, कार्यालयों में इस्तेमाल की भाषा, और हिंदी अनुवाद के लिए तैयार/अपडेट किए जा रहे शब्दकोशों में तदनुसार परिवर्तन लाएं।

9.1. सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से यह अनुरोध है कि यूज़र (प्रयोगकर्ता) की हैसियत से, वे जिन शब्दों का हिंदी भाषा द्वारा अपनाया जाना उचित समझते हैं, उन्हें लगातार निदेशक, सीएसटीटी, निदेशक, सीएचटीआई, निदेशक, सीटीबी, सचिव, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), सचिव, स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता, तथा सचिव, उच्च शिक्षा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय), को उपलब्ध कराते रहें ताकि यह प्रक्रिया निरंतर और स्थायी रूप से चलती रहे। ■

प्रत्येक कंप्यूटर पर हिंदी को मानक भाषा एनकोडिंग यानि यूनिकोड में प्रयोग के लिए सक्रिय कर दिया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

—राजभाषा विभाग

विविध

राजभाषा विभाग-भाषायी कंप्यूटरीकरण

सरल एवं संपर्क भाषा, राष्ट्रीय पहचान ।
70 प्रतिशत लोग हिंदी बोलते एवं समझते हैं।

हिंदी प्रयोग को सुविधाजनक बनाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के निम्न टूल्स उपलब्ध हैं :

1. हिंदी सीखना आसान है :

इंटरनेट पर लीला (LILA-Learn Indian Languages through Artificial intelligence) हिंदी स्वयं-शिक्षण पैकेज। http: //rajbhasha.gov.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।

इस हेतु केवल एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर और इंटरनेट कनैक्शन चाहिए एवं पहली बार रजिस्ट्रेशन कराना पर्याप्त हैं इस साफ्टवेयर में

- अध्याय वीडियो चलचित्र द्वारा दर्शाए गए हैं
- ट्रेसर मोडयूल द्वारा हिंदी अक्षर लिखना सिखाया गया है। उच्चारण रिकार्ड करके मानक उच्चारण से मिलान किया जा सकता है।
- पाठ्यक्रमों के अंत में दिए अभ्यास पाठ द्वारा अपना परीक्षण स्वयं कर सकते हैं सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर, टीचर मोडयूल के जरिए संशोधित होते हैं।
- डिक्शनरी, शब्दों का उच्चारण एवं व्याकरण संबंधी जानकारी उपलब्ध है।
- वेब पर पाठ्यक्रमों को सीखने के लिए फ्री एवं कंट्रोल लर्निंग का विकल्प है।

2. हिंदी में डिक्टेशन (श्रुतलेखन) आसान है :

श्रुतलेखन सॉफ्टवेयर बोली गई भाषा को डिजिटाईज करके इनपुट बनता है और आउटपुट स्ट्रीम ऑफ टेक्स्ट के रूप में प्राप्त होता है। यह हिंदी यूनिकोड में टंकित करता है।

3. अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद सॉफ्टवेयर ''मंत्र-राजभाषा'' विकसित हो रहा है :

''मंत्र-राजभाषा'' प्रशासनिक, वित्तीय, कृषि, लघु उद्योग, स्वास्थ्य सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग तथा शिक्षा क्षेत्र के अंग्रेजी के परिपत्रों, आदेशों आदि का हिंदी अनुवाद करता है। यह इंटरनेट (http://rajbhasha.gov.in) तथा स्टैंडलोन दोनों में उपलब्ध है।

''मंत्र-राजभाषा'' तकनीकी रूप से अच्छा है। लेकिन शब्द/उदाहरण आदि के बड़े कार्पस न होने से अनुवाद स्तर 60-70 प्रतिशत तक है। इस पैकेज को इस्तेमाल पर कार्पस बढ़ाएं एवं सुझाव दें।

4. ई-महाशब्दकोश

यह द्विभाषी, द्विआयामी उच्चारण सहित शब्दकोश है। यह तत्काल प्रशासनिक, वित्तीय तथा बैंकिंग, कृषि, लघु उद्योग, स्वास्थ्य सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग तथा शिक्षा क्षेत्रों के लिए (http://rajbhasha.gov.in) उपलब्ध है।

5. यूनिकोड जरूर अपनाएं

यह अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इससे हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर अंग्रेजी की तरह ही सरलता से सभी कार्य करें । जैसे-वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, ई-मेल, वेबसाइट निर्माण, हिंदी में बनी फाइलों का आसानी से आदान-प्रदान तथा हिंदी की-वर्ड पर गूगल या किसी अन्य सर्च इंजन में सर्च।

सभी से अनुरोध है कि देवनागरी हिंदी हेतु केवल यूनिकोड फोंट का प्रयोग करें। साथ ही यूनिकोड में बने सॉफ्टवेयर ही प्रयोग करें।

6. द्विभाषी की-बोर्ड ही खरीदें

हिंदी राजभाषा को बढ़ावा देने हेतु केवल द्विभाषी की-बोर्ड ही खरीदा जाए।

7. वेबसाइट द्विभाषी हों

जनहित में सभी कार्यालयों की वेबसाइट (यूनिकोड) हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समान रूप से हो।

8. गुगल ग्रुप ज्वायन करें।

उपरोक्त सॉफ्टवेयर में आने वाली कठिनाई के समाधान के लिए गुगल ग्रुप ज्वायन करें।

- Home Page hp://groups.google.com/group/rajbhashavibhag-itsolution
- E-mail address : rajbhashavibhag-itsolution@googlegroups.com ■

पाठकों के पत्र

हिंदी पत्रिका 'राजभाषा भारती' अंक 130 में समाविष्ट सभी रचनाएं ज्ञानवर्धक एवं रोचक हैं। विशेष रूप से प्रो. सुमंगला मुम्मीगट्टीकृत "अनुवाद की समस्याएं : हिंदी तथा दक्षिण भारतीय भाषाओं के संदर्भ में" एवं श्री संजय चौधरी एवं डॉ. नित्यानंद चौधरी कृत "स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान" विशेष सराहनीय हैं।

–हिंदी अधिकारी

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा), तमिलनाडु एवं पुदुचेरी,
361, लेखापरीक्षा भवन, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै-600018

त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा भारती' अंक 130 (जुलाई-सितंबर, 2010) के माध्यम से विभिन्न कार्यालयों में आयोजित विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों, कार्यशालाओं, हिंदी दिवस, संगोष्ठी/सम्मेलन तथा पुरस्कार/प्रतियोगिताओं की जानकारी मिली। "चिंतन" स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित डॉ. एम. एल. गुप्ता जी का "कामकाजी हिंदी की सरलता व हिंदी शब्दावली" नामक लेख अच्छा लगा।

–सुश्री कमल भोजवानी

उप महाप्रबंधक-राजभाषा (स्थाना.)

कृते एअर इंडिया लिमिटेड, ओल्ड एअरपोर्ट, कालिना, सांताक्रुज (पूर्व), मुंबई-400029

'राजभाषा भारती' का 130वां अंक पत्रिका में समाहित सभी लेख उपयोगी एवं ज्ञानवर्द्धक हैं। हिंदी साहित्य में नारी का परिवर्तित रूप, कामकाजी हिंदी की सरलता व हिंदी शब्दावली, वैदिक ग्रंथ, हिंदी दिवस, कार्यशालाएं, संगोष्ठी-सम्मेलन की अति उपयोगी जानकारियां प्राप्त हुईं। राजभाषा हिंदी के बहुमुखी प्रचार-प्रसार में यह पत्रिका मील का पत्थर साबित हुई है। पत्रिका काफी प्रेरणात्मक है। सभी क्षेत्र के साहित्यकारों के लेख, कहानी को प्रकाशित कर पत्रिका ने पत्रकारिता का धर्म निभाया है जो प्रशंसनीय है।

–वासुदेवन शेष

हिंदी अधिकारी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), तमिलनाडु

त्रैमासिक हिंदी प्रत्रिका 'राजभाषा भारती' के 130वें पत्रिका न केवल राजभाषा नीति से संबंधित उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक आलेख प्रकाशित किए गए हैं अपितु पाठकों की अभिरुचि को ध्यान में रखकर सहित्य, स्वास्थ्य, पर्यावरण, विज्ञान तथा संस्कृति से संबंधित लेख भी समाविष्ट किए गए हैं। देशभर में विद्यमान केंद्रीय सरकार के उपक्रमों, कार्यालयों इत्यादि में राजभाषा संबंधी गतिविधियों का ब्यौरा भी काफी प्रेरणादायक है। पत्रिका की साज-सज्जा आकर्षक तथा मुद्रण त्रुटिरहित है। हम इसके लिए आपको हार्दिक बधाई देते हैं।

–नन्दन श्रीवास्तव

महाप्रबंधक

(रिटेल बैंकिंग, सीएसओ एवं राजभाषा)

बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुंबई-400051

'राजभाषा भारती' के 128वें अंक में समाहित सभी लेख उपयोगी हैं। डॉ. श्रीकांत शुल्क का लेख और 'पुरानी यादें-नए परिप्रेक्ष्य' के अध्याय में प्रकाशित डॉ. इंदरराज बैद का लेख बहुत ही उपयोगी हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने में उपयोगी अनेक सूचनाएं, राजभाषा अधिकारियों को प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध हुई।

–के. आर. कुमरेश बापु
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी
स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्,
डा. सं. 8287, तरमणि, चेन्नै-600113

'राजभाषा भारती' के 130वें अंक को प्राप्त करके अति प्रसन्नता हुई। ये अंक मुझे, मेरी जीवन संगिनी, सभी साथियों को जिसने भी पढ़ा, सभी को बहुत भाया चूंकि यह पत्रिका हिंदी साहित्य सेवा की भावना से जुड़े व्यक्तियों के लिए बहुत ही उपयोगी पाठ्य सामग्री से परिपूर्ण जो रहती हैं। इस पत्रिका के संबंध में जितनी भी सराहना करने के लिए शब्दों के गुलदस्ते बनाए जाएं उतने ही कम होंगे। क्योंकि यह पत्रिका संपूर्ण भारत के विभिन्न प्रांतों में हिंदी में हो रहे कार्यों की प्रगति का लेखा-जोखा तो बताती ही है साथ में सभी लेख भी बहुत ज्ञानवर्द्धक रहते हैं।

इस अंक में भी रचनाएं और अन्य लेख एक से बढ़कर एक रहे। 'चिंतन' शीर्षक के अंतर्गत श्री दिलीप कुमार पाण्डेय जी द्वारा 'राजभाषा हिंदी-अनुवाद एवं तकनीकी समावेश की सार्थकता' लेख में अनुवाद संबंधी अनुवाद एवं अद्यतन जानकारी पढ़कर खूब ज्ञानवर्द्धक हुआ।

–ओम प्रकाश वर्मा
हिंदी एवं अभिलेख अधिकारी
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, जल संसाधन प्राधिकरण, नर्मदा सदन, सेक्टर बी, स्कीम नं. 74,
विजय नगर, इंदौर-452010 (मध्य प्रदेश)

'राजभाषा भारतीय' पत्रिका का 130वां अंक पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं स्तरीय एवं प्रभावशाली है। डॉ. एम. एल. गुप्ता, ने अपनी रचना "कामकाजी हिंदी की सरलता व हिंदी शब्दावली" में पारिभाषिक शब्दावली में पारिभाषिक शब्दावली तथा सरल एवं संक्षिप्त नाम की महत्ता को दर्शाया है। प्रो. सुमंगला मुम्मिगट्टी की रचना "अनुवाद की समस्याएं" में हिंदी एवं दक्षिण भारतीय भाषाओं में अनुवाद के समय वचन और लिंग के कारण आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई है। डॉ. के. वनजा "मलयालम के राम काव्य" ज्ञानवर्द्धक एवं सूचनाप्रद है। कुशल संपादन के लिए बधाई।

–वी. वेंकटेश्वरा
सहायक निदेशक (रा.भा.)
केंद्रीय उत्पाद शुल्क, चेन्नै-1 आयुक्तालय, 26/1, महात्मा गांधी मार्ग, चेन्नै-600034

राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका राजभाषा भारती अंक 129, राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से एक सम्पूर्ण पत्रिका है जिसमें कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न बिन्दुओं पर मनीषियों के विचारों को पढ़ने का अवसर मिलता है । इतना ही नहीं इस पत्रिका के माध्यम से साहित्यिक, तकनीकी, प्रबंधकीय इत्यादि विषयों की उत्तम जानकारी प्राप्त होती है। देश के विभिन्न संस्थानों द्वारा राजभाषा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का विस्तृत विवरण प्राप्त होती है। राजभाषा हिंदी, राजभाषा का सफल कार्यान्वयन, कंप्यूटर संचार और हिंदी, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी लेख काफी उपयोगी एवं ज्ञानवर्द्धक लगे। राजभाषा विभाग संबंधी अद्यतन जानकारी प्रदान करने में राजभाषा भारतीय वर्तमान परिवेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

–के. पी. ब्रह्मा
महाप्रबंधक
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 3, मिडिलटन स्ट्रीट, पो.बा. नं. 9229, कोलकाता-700071

त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा भारती' का 129वां अंक (अप्रैल-जून, 2010) पत्रिका में समाविष्ट सभी सामग्री पठनीय, ज्ञानवर्द्धक एवं उच्च स्तरीय है। विशेषकर श्री डी. के. पाण्डेय का लेख 'राजभाषा हिंदी : विकास यात्रा के सौपान', सुश्री मंजुला वाधवा का लेख 'बेहतर कार्य-निष्पादन में बैठकों का प्रभाव, डॉ. तुकाराम दौड का लेख 'कंप्यूटर संचार और हिंदी' एवं डॉ. कैलाश चंद्र गुप्ता का लेख 'संतुलित एवं स्वास्थ्यप्रद भोजन द्वारा स्वस्थ कैसे रहें विचार प्रधान एवं चिंतन-शील लेख है। राजभाषा गतिविधियों का विस्तृत एवं सचित्र विवरण आपकी पत्रिका में चार चांद लगाता है ।

पत्रिका के श्रेष्ठ संपादन, संकलन हेतु संपादक मंडल बधाई का पात्र है। पत्रिका की अविराम प्रगति हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

–उप महालेखाकार (प्रशासन)
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम का कार्यालय, मध्य प्रदेश,
'लेखा भवन', ग्वालियर-474002

'राजभाषा भारती' अंक 130 (जुलाई-सितंबर, 2010) की प्रति प्राप्त हुई। पत्रिका के सभी अंक हमें नियमित रूप से मिल रहे हैं एवं इसमें समाविष्ट सभी रचनाएं पठनीय, रोचक, ज्ञानवर्द्धक, तथा संग्रहणीय हैं। विषयों की विविधता तथा चयन उत्तम है एवं राजभाषाई गतिविधियां इसे और व्यापकता प्रदान करती है। राजभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार की दिशा में आपका प्रयास प्रशंसनीय है पत्रिका की निरंतर प्रगति के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं ।

–प्रमोद कुमार पाण्डेय
पुलिस उप महानिरीक्षक
कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केंद्र, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बंगरसिया,
भोपाल (मध्य प्रदेश)-462045

'राजभाषा भारती' का अंक 129 ज्ञान-विज्ञान की उपयोगी समग्री के साथ निरंतर पाठकों के सम्मुख उपस्थित होती रही है ये रचनाएं जहां भाषिक अनुप्रयुक्ति के रूप में कर्मचारियों को प्रेरित करने वाली हैं, वहीं चिंतन, प्रबंधन, तकनीकी, पत्रकारिता, पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा विविध संबंधी शीर्षकों के अंतर्गत उपयोगी विषयों पर चिंतन की आधारभूमि भी जुटाती है । देश में नराकास की बैठकों, हिंदी कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/गतिविधियों की जानकारी निश्चित रूप से सरकारी कार्यालयों में राजभाषा के व्यावहारिक कार्यान्वयन हेतु प्रेरणा देती है।

–डॉ. दिनेश चंद्र चमोला
प्रभारी, राजभाषा अनुभाग
भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, हरिद्वार रोड,
मोहकमपुर, देहरादून-248005, उत्तराखंड

पत्रिका में प्रकाशित विविध कलेवर से युक्त सभी लेख अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्द्धक एवं मर्मस्पर्शी लगे। संपादकजी, एक बात तो सोलह आने तय है, जैसाकि विद्वान लेखक श्री डी. के. पाण्डेय ने चिंतन स्तंभ के अंतर्गत अपने लेख 'राजभाषा हिंदी : विकास यात्रा के सौपान' में लिखा कि 'स्पष्ट है कि हिंदी को उसका उचित स्थान सम्मेलनों, अपीलों, आदेशों एवं व्याख्यानों मात्र से नहीं हो सकता'' इस वैश्वीकरण युग में अब तो कुछ ऐसी तान सुनाई दे, जिससे उथल-पुथल मच जाये तो कुछ बात बने।

–सी. डी. सिंह
उप-प्रबंधक-राजभाषा
रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लि., भायखला आईरन वर्क्स,
सर जे जे रोड, भायखला, मुंबई-400008

त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा भारती' के अंक 130 पत्रिका में छपी लेखन सामग्रियां उच्च कोटि की होने के साथ-साथ ज्ञानोपयोगी एवं सूचनाप्रद हैं। देश में स्थित अन्य केंद्र सरकारी कार्यालयों की भांति प्रति वर्ष दूरदर्शन केंद्र, पोर्ट ब्लेयर में भी हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है तथा इस बार यह निश्चय किया गया है कि हिंदी पखवाड़ा आयोजन की रिपोर्ट आपके कार्यालय में भी भेजी जाए ताकि उसे आप अपनी पत्रिका में शामिल कर सकें।

–के. थाणुवलिंगम
कार्यालयाध्यक्ष/केंद्र अभियंता
प्रसार भारती, भारतीय प्रसारण निगम, दूरदर्शन केंद्र, पोर्ट ब्लेयर-744102

त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा भारती' का 130वां अंक (जुलाई-सितंबर, 2010) पत्रिका में लेखों, विचारों, राजभाषा संबंधी विभिन्न गतिविधियों एवं पर्यावरण, विज्ञान, संस्कृति एवं स्वास्थ्य संबंधित विचारों का अत्यंत ही सहज, सरल एवं सुगमतापूर्वक समावेश किया गया है जिसके लिए सम्पादक एवं सहायक सम्पादक महोदय तथा उनके सभी सहयोगी धन्यवाद के पात्र हैं।

–एल. ओ. पी. करण
वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी
भारत सरकार टकसाल, भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की एक इकाई,
भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन, कोलकाता-700053

वास्तव में राजभाषा भारती का उद्देश्य देश की एकता को दृढ़ करके सभी भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों, चिन्तकों को एक सूत्र में गूंथ कर दिव्य माला के रूप में एक भाषा भारती नव्य-नव्य धारण कर पाठकों के गले का मनोहारी हार बन रहा है।

यह संपादन कला का उत्कृष्ट रूप जैसा ही है। समिति की ओर से अभिनंदन।

–डॉ. रा. म. अमरेश
अध्यक्ष
आदर्श साहित्य समिति, 1, रामपेठ, प्रभुकृपा कुटीर सर्वोत्तम डेयरी के सामने,
खरगोन (मध्य प्रदेश)-451001

'राजभाषा भारती' पत्रिका वास्तव में हिंदी भाषा का चहुंमुखी प्रचार-प्रसार कर रही है। उसका सरलीकरण करती है, वैश्वीकरण करती है और इससे भी बढ़कर उसकी ताजातरीन दशा व दिशा का ज्ञान कराती है। 'प्रयोजनमूलक हिंदी की उपादेयता' सर्वश्रेष्ठ लेख रहा क्योंकि हिंदी में रोजगार बढ़ेगा तो इसका महत्व स्वत: बढ़ता जाएगा। दिलीप कुमार पाण्डेय, डॉ. एम. एल. गुप्ता, प्रो. सुमंगला, डॉ. संतोष अग्रवाल के लेख भी ज्ञानवर्धक लगे। शेष लेख भी पठनीय थे। मेरा विनम्र निवेदन है कि वैज्ञानिक यंत्र बाजार में आने के साथ-साथ या घरेलू यंत्र आने के साथ-साथ उनके हिंदी नाम भी साथ-साथ तैयार हो जाने चाहिए। वरना बहुत देर हो जाती है और जनता अंग्रेजी में ही उनके नाम ग्रहण कर चुकी होती है। दूसरा, हिंदी भाषा की जटिलता को यथाशीघ्र दूर किया जाना चाहिए यथास्रोत, सहस्त्र, शृंगार, शृंखला, भर्त्सना, पुस्तिका, मिस्र, ज्ञ (ज् +) ज् का 'ग्य' स्तुत्य कार्य ही होना चाहिएं, त्रि-संयुक्त अक्षरों को आपने सरल करके स्तुत्य कार्य किया है जैसे: अर्द्ध करके, तत्तव का तत्त्व कर दिया है।

समस्त सम्पादक मण्डल को साधुवाद!
आगामी प्रति का इंतजार रहेगा।

–डॉ. आर. डी. वर्मा
434 (19-1) हुडा कैथल, (हरियाणा)-136027

राजभाषा भारती का जुलाई-सितंबर, 2010 का 130वां अंक पढ़कर ज्ञानवर्द्धक सामग्री मिली विभिन्न लेखों का समायोजन 'हिंदी भाषा की उन्नति में' महत्वपूर्ण भूमिका का परिचायक है। हर अंक हिंदी के अनछुए पहलुओं को उजागर कर रहा है। अनुवाद कला, तकनीकी शब्दावली, प्रयोजनमूलक हिंदी, चिकित्सा ज्ञान, जल प्रदूषण, जीवों की उत्पत्ति, विभिन्न

विषयों पर शोध-परक सामग्री का संकलन पत्रिका की उपादेयता में वृद्धि कर रहे हैं इसके लिए सभी लेखकों, संपादक मण्डल को शुभकामनाएं। आशा है विद्वत्जन इस पत्रिका द्वारा अपने ज्ञान परक लेखों से अवगत कराते रहेंगे।

–राम सिंह
ग्राम-खिरबी, पो. ओ.-वॉसवा, तहसील-होडल, जिला-पलवल, (हरियाणा)-121107

त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा भारती' अंक 130 (जुलाई-सितंबर, 2010) पत्रिका में अपने कार्यालय की गतिविधियां प्रकाशित देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसे आपके स्नेहवश पत्रिका के इस अंक में स्थान मिला उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। आशा है कि आगे भी आपका स्नेह हमें प्राप्त होता रहेगा।

–अजय कुमार बख्शी
वरिष्ठ प्रबंधक (हिंदी), एन.एच.पी.सी.लि., क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्र-III, प्लाट नं. 3, ब्लाक-डी पी, सैक्टर-5, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700091

'राजभाषा भारती' का जुलाई-सितंबर, 2010 का 130वें अंक में प्रकाशित सभी रचनाएं उच्च स्तरीय हैं। पत्रिका के कलेवर अपने आप में परिपूर्ण हैं। उसमें प्रकाशित रंगीन छायाचित्र राजभाषा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की सहज झलक देते हैं। इसके 'चिंतन' और 'साहित्यिकी' स्तंभ में प्रकाशित सभी रचनाएं पठनीय हैं। स्वास्थ्य स्तंभ में 'स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और परंपरागत चिकित्सा ज्ञान' से पाठक निश्चित रूप से स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और अपने आपको हमेशा चुस्त-दुरुस्त रखने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही पर्यावरण, विज्ञान और संस्कृति स्तंभ में प्रकाशित लेख भी उल्लेखनीय है। विद्वतापूर्ण, सारगर्भित एवं रोचक रचनाओं से सुशोभित यह पत्रिका संग्रहणीय है।

राजभाषा भारती के प्रकाशन से जुड़े संपूर्ण प्रकाशक मंडल को हार्दिक बधाई।

–बापूसाहेब शिवाप्पा कोरे
हिंदी अधिकारी,
कार्यालय, वित्त एवं लेखा नियंत्रक (फै.) लेखा कार्यालय, गोला बारूद फैक्टरी, खड़की, पुणे-411003

राजभाषा विभाग की त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा भारती' का अंक 129 में प्रकाशित सुश्री मंजुला वाधवा का लेख 'बेहतर कार्य निष्पादन में बैठकों का प्रभाव डॉ. तुकाराम दौड द्वारा रचित लेख 'कंप्यूटर और हिंदी' बहुत ही ज्ञानवर्द्धक, सराहनीय एवं पठनीय हैं। आशा करता हूं कि राजभाषा भारती भविष्य में हिंदी के प्रचार-प्रसार के हेतु इसी मनःयोग से कार्यरत रहेगी।

–श्री विकास कु. साव
राजभाषा अधिकारी,
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कछाड़ क्षेत्रीय कार्यालय, सिलचर-788001

'राजभाषा भारती' के सभी अंक निरंतर मिल रहे हैं। जुलाई-सितंबर, 2010 अंक भी प्राप्त हुआ। हिंदी से संबंधित सभी जानकारी पूर्णतः सटीक, प्रामाणिक और नवीनता लिए हुए होती है। प्रत्येक अंक अति महत्वपूर्ण और संग्रहणीय रहता है। हर अंक विशेष तौर से विद्यार्थियों, अध्यापकों, कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए बहुत काम का रहता है। साहित्यिकी में विभिन्न भाषाओं का साहित्य अन्य भाषा-भाषियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। साथ ही विज्ञान पर्यावरण, स्वास्थ्य, संस्कृति, समाचार आदि सभी की जानकारी इस पत्रिका से मिल जाती है।

–डॉ. अवधेश चन्सौलिया
जी.एम.-242, दीनदयाल नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474005

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी 'राजभाषा भारती' का 130वां अंक का सम्पादकीय प्रभावपूर्ण हैं राजभाषा हिंदी, कामकाजी हिंदी की सरलता व हिंदी शब्दावली, अनुवाद की समस्याएं, हिंदी साहित्य में नारी का परिवर्तित रूप आदि लेख महत्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य, पर्यावरण, संस्कृति आदि के साथ भाषा प्रचार-प्रसार के संबंधित राजभाषा संबंधी गतिविधियों की कार्यशालाओं की व हिंदी दिवस कार्यक्रमों की जानकारी अन्यों के लिए प्रेरणा का काम करती है। साज-सज्जा सुंदर है सफल सम्पादन एवं नियमित प्रकाशन के लिए बधाई। भविष्य के लिए शुभकामनाएं।

–डॉ. बि. रामसंजीवय्या
प्रधान सचिव
मैसूर हिंदी प्रचार परिषद्, 58, वेस्ट ऑफ कार्ड रोड, राजाजी नगर, बेंगलूर-560010

MGIPRRND 4354 HA/2011—6,000.

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'हिंदी दिवस' समारोह 2011 में पुरस्कृत करते हुए महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील, साथ में हैं माननीय गृह मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम, माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री जितेन्द्र सिंह तथा माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री एम. रामचन्द्रन ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'हिंदी दिवस' समारोह 2011 में अपने आशीर्वचन देते हुए महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील ।

पं.सं. 3246/77
आई एस एस एन 0970-9398

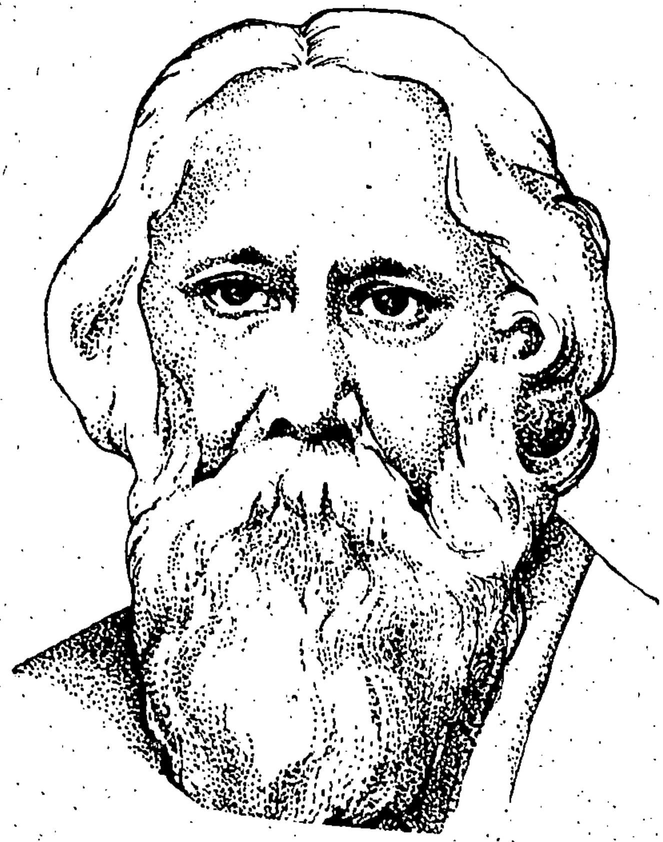

"आधुनिक भारत की संस्कृति एक विकसित शतदल के समान है जिसका एक-एक दल, एक-एक प्रांतीय भाषा और उसका साहित्य संस्कृति है। किसी एक को मिटा देने से उस कमल की शोभा नष्ट हो जाएगी। हम चाहते हैं कि भारत की सब प्रांतीय बोलियां जिनमें सुन्दर साहित्य की सृष्टि हुई है, अपने घर में रानी बनकर रहें। प्रांत के जनगण की हार्दिक चिन्ता की प्रकाश भूमि स्वरूप कविता की भाषा होकर रहे और आधुनिक भाषाओं के हार की मध्यमणि हिंदी भारत-भारती होकर विराजती रहे।"

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 के लिए शान्ति कुमार स्याल, सहायक संपादक द्वारा प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित।